

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER'S No. | DUE DATE | SIGNATURE |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| | | |

संसदीय समिति-प्रथा

(भारतीय संसदीय समितियों
का
विशेष परिचय)

ले
प
क

हरिगोपाल पराजपे, एम० ए०, विशारद
(अवरसचिव लोक-सभा-सचिवालय)



नई दिल्ली : 1968

© भारत सरकार

प्रथम संस्करण, वर्ष 1968

इस पुस्तक का पुनरीक्षण वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के अनुसंधान अधिकारी श्री हरि बाबू वाशिष्ठ ने किया है।

प्रकाशन

प्रधान प्रकाशन अधिकारी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित

मुद्रक : सत्साहित्य केन्द्र प्रिन्टर्स, 173 डी, कमलानगर, दिल्ली-7 द्वारा मुद्रित

प्रावकथन

समसूचीय प्रक्रिया में समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। समसूचीय प्रक्रिया पर इधर कुछ पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, पर केवल समसूचीय समिति व्यवस्था पर अभी तक कोई पुस्तक नहीं है। इसी कमी को पूरा करने के लिए मैंने यह पुस्तक लिखी है।

पुस्तक का उद्देश्य, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को समसूची की इस महत्वपूर्ण व्यवस्था के बारे में बतलाना है। अतएव पुस्तक में सैद्धान्तिक चर्चा के साथ-साथ विभिन्न समितियों के उदाहरण दिए गए हैं, ताकि पाठक उन विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ सकें।

समितियों की उदाहरण, उनके विभिन्न प्रकार व उनकी कार्य-प्रणाली इस नीचे सैद्धान्तिक विषयों के अनिश्चित कुछ छात्र देशों की समिति-प्रणाली का परिचय देना मैंने आवश्यक समझा, ताकि हम अपनी समसूचीय समितियों को उचित दृष्टिकोण से देख सकें। पुस्तक मुद्रण भारतीय वाठवा के लिए लिखी गई है, अतएव भारतीय लोक-सभा की समितियों की विस्तार से चर्चा की गई है।

आशा है, पुस्तक ¹ राजनीति के विद्यार्थियों तथा समसूची-सदस्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

हरि गोपाल परांजपे

एम्. ए., बिमारद

विषय-सूची

| | |
|------------|--------------------------------|
| अध्याय 1 | संसदीय कार्य-विधि |
| अध्याय 2 | समिति-प्रथा का महत्त्व |
| अध्याय 3 | समिति-प्रथा का विकास |
| अध्याय 4 | समितियों के प्रकार |
| अध्याय 5 | समितियों की कार्य-व्यवस्था |
| अध्याय 6 | भारतीय संसदीय समितियाँ |
| अध्याय 7 : | विदेशों की कुछ संसदीय समितियाँ |
| अध्याय 8 | समितियों की नई दिशा |

परिशिष्ट

- (1) पुस्तक सूची
- (2) पारिभाषिक शब्दावली
- (3) अनुक्रमणिका

श्रुनुक्रम

अध्याय 1 : ससदीय कार्य-विधि

- (क) कार्य-प्रबध और पर्षी के नियम
- (ख) प्रश्नों से संबन्धित कार्य-विधि
- (ग) प्रस्ताव और सङ्कल्प
- (घ) विधान
- (ङ) वित्तीय कार्य-विधि
- (च) ससद् द्वारा नियन्त्रण का कार्य

अध्याय 2 : समिति-प्रथा का महत्त्व

- (क) परिपूर्ण बहस
- (ख) सुधमता से विचार
- (ग) दलबन्दी का अभाव
- (घ) ससद् के कार्य में वृद्धि
- (ङ) सदस्यों के लिए उतनी उपयोगिता

अध्याय 3 : समिति-प्रथा का विकास

- (क) इंग्लैण्ड में समिति-प्रथा का विकास
- (ख) फ्रांस में समिति-प्रथा का विकास
- (ग) अमरीका में समिति-प्रथा का विकास
- (घ) भारत में समिति-प्रथा का विकास

अध्याय 4 : समितियों के प्रकार

- (क) स्थायी समितिया
- (ख) विशिष्ट समितिया अथवा प्रवर समितिया
- (ग) मयुक्त समितिया

- (घ) सम्पूर्ण सदन समितिया
- (ङ) सभा भाग

अध्याय 5 : समितियों की कार्य-व्यवस्था

- (क) समितियों की नियुक्ति
- (ख) समितियों के सदस्यों की नियुक्ति
- (ग) समितियों के सदस्यों की सरया
- (घ) समितियों की कार्यविधि पदावधि
- (ङ) समितियों के सभापति
- (च) समितियों के निर्देश पद
- (छ) समितियों की कार्य-विधि
 - (1) गणपूर्ति
 - (2) बैठकें
 - (3) कार्यवाही की गोपनीयता
 - (4) साक्ष्य
 - (5) उप-समितिया
 - (6) विधेयको पर विचार
 - (7) प्रतिवेदन

अध्याय 6 : भारतीय संसदीय समितियाँ

- (क) स्थायी समितिया

[अ] लोक सभा की स्थायी समितिया

- (1) लोक लेखा-समिति
- (2) याचिका-समिति
- (3) नियम-समिति
- (4) प्रायश्चलन-समिति
- (5) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
- (6) विशेषाधिकार-समिति
- (7) कार्य-मूल्या-समिति
- (8) सभा को बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

अध्याय 7 . विदेशों की कुछ संसदीय समितियाँ

(क) इंग्लैण्ड :

- (1) स्टैचुटरी इन्स्ट्रूमेण्ट कमेटी
- (2) स्काटिश स्टैन्डिंग कमेटी
- (3) सेलेक्ट कमेटी ऑन नेशनलार्ज्ड इन्डस्ट्रीज
- (4) कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स
- (5) कमेटी ऑन सप्लाइ

(ख) अमरीका :

- (1) कमेटी ऑन अनअमेरिकन एक्टिविटीज
- (2) कमेटी ऑन वेटेरन्स एफेयर्स
- (3) कमेटी ऑन हूल्स
- (4) कमेटी ऑन दि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया
- (5) कमेटी ऑन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन

(ग) फ्रांस :

- (1) फाइनेन्स कमेटी
- (2) कमेटी ऑन पार्लियामेन्टरी इम्पूनिटीज

(घ) आस्ट्रेलिया .

- (1) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन पब्लिक एकाउन्ट्स

(च) ब्रनाडा :

- (1) स्पेशल कमेटी ऑन एस्टिमेट्स
- (2) विभिन्न देशों की समितियों की पारस्परिक तुलना

अध्याय 8 : समितियों की नई दिशा

- (क) समितियों के आवश्यकताधिक प्रबल होने का भय
- (ख) दो सदनों के बीच अधिक संपर्क की माग के परिणाम-स्वरूप सद्युक्त समितियों की वृद्धि

)

- (ग) स्थायी समितियों में अधिक आस्था
- (घ) उप-समितियों का प्रसार

परिशिष्ट

छ विदेशी संसदे व उनकी समितिया

- (2) भारतीय संसद की तदर्थ-समितिया
- (3) भारतीय संसद में सदस्यों की अनौपचारिक मलाहकार-समितिया
- (4) अमरीकी कांग्रेस की स्थायी समितिया व उनके निर्देशपत्र
- (5) भारतीय राज्य विधान सभाओं व विधान-परिषदों की सूची

अध्याय 1

संसदीय कार्य-विधि

संसदीय कार्य-विधि का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, किन्तु उसके अन्तर्गत वे पद्धतियाँ मुख्यरूप में आती हैं, जिनके द्वारा विधान-मण्डल के विभिन्न कार्य चलाए जाते हैं। कार्य-विधि सर्वप्रथम वैधानिक व्यवस्था पर आधारित होती है, अर्थात् इस बात पर निर्भर होती है कि मसद् का कार्यपालिका से क्या सम्बन्ध है। निस्सन्देह, कार्य-विधि की भिन्नता के कई अन्य कारण भी बनाए जा सकते हैं। जिनमें कुछ कारण सांयोगिक अथवा देश विदेश के हैं। वस्तुतः कार्य-विधि पर जिस बात का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है, वह है सविधान के अनुसार सदस्यों और कार्यपालिका के आपसी सम्बन्ध। उदाहरणार्थ, सं० रा० अमरीका में, जहाँ विधानमण्डल और कार्यपालिका की शक्तियाँ पूर्णतया विभाजित हैं, कांग्रेस की कार्य-विधि, ब्रिटेन के हाउस ऑफ़ कामन्स की कार्य-विधि से मूलतः भिन्न है। संसदीय कार्य-विधि इसी संबंध-निक ढाँचे के अनुरूप हुआ करती है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिन देशों का सविधान लिखित नहीं है, उनमें भी संसदीय कार्य-विधि लिखित पायी जाती है। इसका यह अर्थ नहीं कि कार्य-विधि का प्रत्येक विवरण सहितावद्ध किया हुआ हो। बहुत सी परम्पराएँ भी हुआ करती हैं। संसदीय कार्य-विधि का निर्माण जिन बातों से हुआ है, वे निम्न हैं —

(1) सविधान ; (2) विधि ; (उदाहरणार्थ ब्रिटेन का मसद् अग्रिनियम, 1911, सं० रा० अमरीका का विधान-मण्डल-पुनर्गठन-अग्रिनियम, 1946), (3) स्थायी आदेश अथवा प्रक्रिया के नियम; (4) अध्यक्ष के निर्णय, और (5) व्यवहार और परम्परा ।

समस्त संसदीय कार्य-विधि पर निम्नलिखित 7 शीर्षकों के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है :—

1. कार्य संचालन और चर्चा के नियम;

- 2 प्रश्नों से सम्बन्धित कार्य विधि;
3. प्रस्तावों और सकल्पों सम्बन्धी कार्य-विधि;
- 4 विधान सम्बन्धी कार्य विधि;
- 5, वित्तीय मामलों सम्बन्धी कार्य-विधि;
- 6 विधान-मण्डल के नियंत्रण-कार्यों सम्बन्धी कार्य-विधि; और
- 7 समितियों की कार्य-विधि ।

समितियों की कार्य-विधि, शेष 6 अध्यायों में विस्तार से बतलाई गई है।
अन इम अध्याय में उनके बारे में चर्चा नहीं की गई है ।

कार्य-संचालन और चर्चा के नियम

(क) विधान मण्डलों का सत्र¹

संसद् की बैठक और उसका कार्य होने की मोटे तौर पर दो पद्धतियाँ हैं—पहली-जहाँ राजा अथवा राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाने पर ही विधान-मण्डलों के सत्र हुआ करते हैं, दूसरी-जहाँ विधान-मण्डल का सत्र स्थायी रूप से चलता है, यं जर्मनी में । पहली पद्धति के अन्तर्गत, यद्यपि संसद् की बैठक बुलाने राष्ट्रपति को हुआ करता है, फिर भी बहुत से देशों में संविधान अथवा अधिनियमों में यह निर्धारित किया गया है कि विधान-मण्डल के पहले सत्र शान्त किसी निश्चिन् अवधि में, दूसरा सत्र बुलाया जाना चाहिए । इसी प्रकार देशों के संविधान में सत्र के आरम्भ होने का दिनांक, उसकी अवधि अथवा एक सत्र से आगामी सत्र के बीच की अवधि² निर्धारित है ; भारत तथा राष्ट्र-मण्डलीय

1. आयरलैंड और इटली में संसदीय अवधि को सत्रों में नहीं बाँटा जाता ।

2. साधारणतया अधिक पुराने यूरोपीय लोकतन्त्रों में, संसद् का सत्र कम से कम 6 महीने चलता है, जिसका तात्पर्य है कि यदि सरकारी छुट्टियों और संसद् के ग्रीष्मावकाश को छोड़ दिया जाए तो संसद् का सत्र लगभग स्थायी रूप से ही चलता है । स्विट्ज़रलैंड और भारत में सत्रों की अवधि कम है । रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों में संसद् के सत्रों की अवधि बहुत ही कम होती है ।

देशों में, विधान मण्डलों की पहली बैठक का प्रत्येक वर्ष विशेष कार्य (जैसे, वार्षिक वित्तीय विवरण को पारित करना आदि) के लिए बुलाया जाना अनिवार्य है। इस सत्र में, राजा अथवा राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। इसी प्रकार, डेनमार्क, नीदरलैंड, आस्ट्रेलिया आदि बहुत-से देशों में नए विधान-मण्डलों के गठित होने पर, इनके पहिले सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है।

वस्तुतः जिसे विधान-मण्डलों के सत्र करवाने का अधिकार होता है, उसे ही सत्रावसान करने का अधिकार होता है। फिर भी मन्हीं देशों में, विधान-मण्डलों के सत्रों की अवधि के बारे में कुछ विशेष परम्पराएँ बन गई हैं, जिनका साधारण परिस्थितियों में अवश्य पालन किया जाता है। उदाहरणार्थ प्रति वर्ष भारतीय मण्डल के 3 सत्र होते हैं, जैसे (1) बजट-सत्र, 15 फरवरी से 10 मई तक; (2) वर्षा-कालीन सत्र, 15 अगस्त से नितम्बर के अन्त तक; (3) शरद कालीन सत्र, 15 नवम्बर 25 दिसम्बर तक। सत्रावसान के अनिश्चित विधान-मण्डलों का काम बन्द होने के दो और प्रकार हैं स्थगन और विघटन। स्थगन प्रतिदिन की कार्य-वाही की समाप्ति को कहते हैं। एक बार विधान-मण्डल का सत्र आरम्भ होने पर उसका स्थगन स्वयं सदन के अधिकार की बात है। विशेष प्रयोजनों के लिए यह अधिकार अध्यक्ष को प्रदत्त होता है। विधान-मण्डल का विघटन आम चुनावों के समय किया जाता है।

(ख) कार्य-विन्यास

विधान-मण्डल की कार्यवाही दो श्रेणियों में बाँटी गई है—सरकारी और गैर सरकारी। ब्रिटेन की पद्धति का अनुसरण करनेवाले देशों में सत्र का अधिकांश समय सरकारी कार्यों के लिए होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकारी कार्य के दिन गैर-सरकारी सदस्यों को चर्चा करने का कोई अवसर नहीं मिलता। प्रतिदिन प्रश्नोत्तर काल में (जिसका विस्तृत वर्णन आगे किया गया है) गैर-सरकारी सदस्यों को सरकारी नीति से सम्बन्धित किसी भी विषय पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है। इसी प्रकार गैर-सरकारी स्वरूप स्थगन-प्रस्ताव और विशेष चर्चा के प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। ब्रिटेन में प्रति सप्ताह एक दिन गैर-सरकारी सदस्यों के लिए निर्धारित किया जाता है। भारत में भी, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार, प्रति सप्ताह एक दिन गैर सरकारी सदस्यों के लिए रखा जाता है।

जहाँ तक सरकारी कार्यों का सम्बन्ध है, अधिकांश देशों में यह प्रथा है कि सत्र¹ में जिन कार्यों पर विचार होना हो, उन्हें मोटे तौर पर पहले ही निश्चिन कर लिया जाता है। कार्यों का पूरा विवरण साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में दिया जाता है।

अधिकांश विधान-मण्डलों में कार्यों का नित्यक्रम साधारणतया इस प्रकार होता है :—

पहले प्रश्नोत्तर-काल¹ आता है और उसके पश्चात् महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रस्तुत करना, फिर यदि कोई स्थगन-प्रस्ताव हो, तो रखा जाता है। इनके पश्चात् विधान कार्य और फिर अंश में कोई विशेष चर्चा होती है। दैनिक कार्य-सूची (जिसे ब्रिटेन में “आइंडर पेपर” कहते हैं) सदस्यों को एक-दो दिन पहले ही बाँट दी जाती है और उस दिन सूची के अलावा किसी दूसरे कार्य पर पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना विचार नहीं किया जाता। भारतीय सत्र और राज्य विधान-सभाओं के कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों में, कार्य-मत्तणा-समिति के गठन की भी व्यवस्था है, जिसका विस्तृत वर्णन आगे दिया गया है और ये समितियाँ प्रत्येक सत्र में प्रत्येक कार्य के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए, यह निर्धारित करती हैं।

(ग) चर्चा के नियम :

चर्चा के संचालन (अर्थात् बहस करवाने) की दो मुख्य प्रथाएँ हैं (क) ब्रिटेन की, और (ख) फ्रांस की। राष्ट्र-मण्डल के देशों तथा अन्य कई देशों में ब्रिटेन की प्रथा अपनाई गई है, जिसके अनुसार विधेयक प्रस्ताव अथवा सक्ल्प पर ही चर्चा आरम्भ की जा सकती है और अध्यक्ष सदन से मतदान के लिए पूछकर चर्चा समाप्त

1. अमरीकी परम्परा के अनुसार विधान-मण्डल का कार्यक्रम पूरे सत्र के लिए तैयार नहीं किया जाता। वहाँ साप्ताहिक कार्यक्रम निर्धारित करने की प्रथा है—जो इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि समितियों के कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत होंगे और “कैलेंडर” के अनुसार उन्हें कितना समय मिलेगा।
2. ब्रिटेन में प्रश्नोत्तर-काल साप्ताह के सब दिनों में नहीं होता, बल्कि कुछ ही दिनों तक सीमित रहता है।

करता है। इसके विपरीत फ्रांस की प्रथा के अनुसार किसी विधेय प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जाती, किन्तु वह बहुत कुछ सामान्य रूप से होती है। बहुत-सी संसदों में, विधेय रूप से, ब्रिटेन का अनुमरण करनेवाली संसदों में, इस सम्बन्ध के विस्तृत नियम निश्चित किए गए हैं कि चर्चा का संचालन किस प्रकार किया जाएगा। उदाहरणार्थ, केवल वही व्यक्ति बोल सकता है, जिसे पीठासीन अधिकारी ने बोलने के लिए कहा हो। बोलते समय सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे अध्यक्ष अथवा पूरे सदन को सम्बोधन करें, न कि किसी विधेय सदस्य को। इसी प्रकार भाषणों का क्रम भी विधान-मण्डल द्वारा निश्चित किया जाता है। बहुत से यूरोपीय विधान-मण्डलों में, प्रत्येक चर्चा के लिए एक सरकारी वक्ता-सूची, जिसे "बोलनेवालों की पुस्तक" कहते हैं, होती है जिसमें बोलने वाले अपना नाम लिखते हैं और अध्यक्ष बोलने के लिए सदस्यों को उसी क्रम में बुलाता है, जिस क्रम में उनके नाम लिखे होते हैं। कई संसदों में, मंत्रियों को यह अधिकार है कि जब भी वे किसी चर्चा के बीच में बोलना चाहें, बोल सकते हैं। प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता को चर्चा का उत्तर देने का भी अधिकार होना है।

नियम और परम्परा के अनुसार भाषण के विषय और भाषा पर भी पूरा बल दिया जाता है। ब्रिटेन में, हाउस ऑफ कामन्स और हाउस ऑफ लार्ड्स दोनों में आपत्तिजनक शब्द कहने पर सदस्यों को दण्ड दिया है। आदर सूचक भाषा पर इतना बल दिया गया है कि "अनसंघीय अभिव्यक्तियों" के नाम से कई अभिव्यक्तियाँ प्रचलित हैं। भारतीय संसद् में चर्चा के समय जो कुछ बातें वर्जित हैं, उनमें निम्न उल्लेखनीय हैं -

- (1) अध्यक्ष पर दोषारोपण अथवा उसकी आलोचना,
- (2) भारत सरकार का जिन विषयों से सम्बन्ध नहीं है, उन विषयों पर चर्चा तथा
- (3) न्यायालय के विचाराधीन मामलों पर चर्चा।

चर्चा के लिए समय निर्धारित होने तथा लम्बी चर्चा पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद कभी-कभी समय कम बचता है और चर्चा का समय कम करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, बहुत से विधान-मण्डलों ने 'समापन' की प्रथा अपनाई है। तीन प्रकार के 'समापन' प्रचलित हैं—एक सामान्य समापन, दूसरा विवाद-रहित (गिलोटिन) और तीसरा 'कणारू'-समापन। सामान्य समापन चर्चा पर

लागू होता है और विवाद-बन्ध बहुत से दूसरे देशों (जैसे नीदरलैंड, इटली, आदि) के समान भारत में विधेयकों पर लागू होता है। 'कगारू'-समापन ब्रिटेन की विशेषता है। 'समापन' का दुरुपयोग न किया जा सके, इसके लिए बहुत से विधान-मण्डलों में बहुमत को 'समापन' का प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं है। यह अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है अथवा ऐसा प्रस्ताव निश्चित सभ्य के सदस्यों द्वारा ही पेश किया जाता है।

जब प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हो जाती है, तब पीठासीन अधिकारी सदन से मतदान के लिए पूछता है। इस समय जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में होते हैं, वे "हाँ" और जो विपक्ष में होते हैं, वे "नहीं" कहते हैं। इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी पक्ष और विपक्ष में मन देनेवाले सदस्यों की संख्या का अनुमान लगाता है। पीठासीन अधिकारी के अनुमान को चुनौती दी जा सकती है और जब यह परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब मत-गणना कराई जाती है, जिसे "विभाजन" कहते हैं। स्वीडेन, फिनलैंड इत्यादि कुछ विधान-मण्डलों में, बिजली से चलनेवाली मतदान-मशीन से वास्तविक मतदान का हिसाब लगाया जाता है, जहाँ ऐसी मशीनें नहीं हैं, वहाँ पृथक् मतदान-कक्ष हैं जिन्हें "पक्ष-कक्ष" और "विपक्ष-कक्ष" कहा जाता है, जहाँ सदस्य एकत्रित होते हैं। दोनों कक्षों में सदस्यों की गणना एक अधिकारी करता है और दूसरा लिखता है, जिन्हें क्रमशः "गणक" और "लिपिक" कहा जाता है। भारत में 9 वर्ष से स्वचालित मतदान की व्यवस्था प्रयोग में है, किन्तु ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामन्स में अभी भी कक्षों में मत गिनने की प्रथा का अनुसरण किया जाता है। यदि विभाजन में पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हों तो पीठासीन अधिकारी को अपना निर्णायक मत देना पड़ता है।

साधारणतः विधान मण्डलों में होनेवाली चर्चा देखने के लिए दर्शकों को अनुमति दी जाती है, किन्तु कई अवसरों पर विधान-मण्डलों को अधिकार है कि वे अपना मूल गुप्त रूप से करें।

यूरोपीय विधान-मण्डलों के सत्र अनेक अवसरों पर गुप्त तौर पर हुए हैं। भारत में अभी तक ऐसा कोई अवसर नहीं आया है।

प्रश्न

अमरीका जैसे देशों के (जहाँ शक्तियों का पूर्ण विभाजन है) कार्यपालिका को

छोड़कर, शेष सभी देशों में कार्यपालिका विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी होती है।
 ऐसे विधान-मण्डलों में यह व्यवस्था है कि सदस्य, मंत्री से प्रश्न पूछकर उसके विभाग के प्रशासन और नीति के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वेल्जियम, डेनमार्क आदि जैमें कुछ थोड़े-से विधान-मण्डलों में प्रश्नों से कुछ भिन्न 'इंटरप्रैटेशन' अर्थात् स्पष्टीकरण नामक प्रथा प्रचलित है। 'स्पष्टीकरण' के लिए पीटासीन अधिकारी के माध्यम से मंत्री से प्रार्थना की जाती है कि वह उन मामलों के सम्बन्ध में मौखिक स्पष्टीकरण दे, जिन के लिए वह उत्तरदायी है। स्पष्टीकरण के परिणामस्वरूप चर्चा आरम्भ हो जाती है, परन्तु प्रश्नों के आधार पर चर्चा आरम्भ नहीं की जा सकती। स्वीडन, नीदरलैंड और फ्रान्स के विधान-मण्डलों में स्पष्टीकरण प्रथा का बहुत प्रयोग किया जाता है।

साधारणतः प्रश्नोत्तर का समय बड़ा ही रोचक समझा जाता है। जिसके लिए लोगो में बड़ी उत्सुकता रहती है और सदन में सदस्यों की उपस्थिति भी अधिक होती है। प्रश्न पूछने का प्रत्यक्ष उद्देश्य सूचना प्राप्त करना है, किन्तु उसका उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है, जैसे, दुस्त्वयों को प्रकाश में लाना, शिवायतों को रखना, आश्वासन प्राप्त करना और सरकार के लिए उलझन उत्पन्न करना। भारत में प्रश्न पूछने का विशेषाधिकार विधान मन्त्रालय के सदस्यों को अंग्रेजी राज्य में बहुत देर से और क्रमाश में दिया गया। अब लोक-सभा के सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिए उतनी ही स्वतन्त्रता प्राप्त है, जितनी किसी अन्य स्वतन्त्र विधान-मण्डल के सदस्यों को है।

(क) प्रश्नों के प्रकार :

मुख्य रूप से प्रश्न दो प्रकार के होते हैं—(1) तारांकित प्रश्न अर्थात् जिनका

1. वहीधरे ने लिखा है, "प्रश्नों का पूछा जाना इतना लोकप्रिय है कि सदस्य द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या पर प्रतिबन्ध है। इन प्रतिबन्धों के बावजूद बिरले ही सभी मौखिक प्रश्नों के उत्तर देना संभव हो पाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के सामान्य मत में वर्ष भर में 11,000 प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए सूची में प्रकाशित होते हैं, पर उनमें केवल 5,000 प्रश्नों का वास्तविक उत्तर दिया जाना है, (देखिए वहीधरे — "लैजिस्लेशन")

मौखिक उत्तर दिया जाता है; और (2) अव्यक्त प्रश्न अर्थात् जिनका उत्तर लिखित दिया जाता है। प्रश्नों के लिए कम समय होने के कारण साधारणतः मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सख्या सीमित रखी जाती है, उदाहरणार्थ लोक-सभा के कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों में व्यवस्था है कि मौखिक उत्तर के लिए प्रतिदिन प्रति सदस्य को केवल तीन प्रश्नों के लिए अनुमति मिल सकती है। बेलजियम में अविलम्बनीय मामलों में ही मौखिक प्रश्नों के लिए अनुमति दी जा सकती है, किन्तु नीदरलैंड और फिनलैंड में यह मन्त्री की इच्छा पर है कि वह जैसा चाहे, मौखिक अथवा लिखित उत्तर दे। पीठासीन अधिकारी के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं और "अल्पसूचना-प्रश्न" के उत्तर को छोड़कर, अन्य प्रश्नों के उत्तर के लिए पहले से सूचना देना आवश्यक होता है। लोक-सभा में यह नियम है कि प्रश्नों की सूचना 10 दिन पहले दी जानी चाहिए।

(ख) प्रश्नों की ग्राह्यता :

अधिकांश विधान-मण्डलों में प्रश्नों की ग्राह्यता के नियम निश्चित हैं। उदाहरणार्थ, भारत की लोक-सभा में व्यवस्था है कि प्रश्न में—

- (1) 150 से अधिक शब्द न होंगे;
- (2) किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र अथवा आचरण पर अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती, जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो;
- (3) उसमें लुब्ध विषयों पर जानकारी नहीं मागी जाएगी; और
- (4) ऐसी सूचना न पूछी जाए, जो गुप्त कागज-पत्रों आदि में दी गई हो।

अध्यक्ष इन बातों का निर्णय करता है कि क्या प्रश्न ठीक अथवा ग्राह्य है और उसके विचार से यदि कभी प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरुपयोग होता दिखाई दे तो वह स्वीकृति नहीं देता। जिन प्रश्नों के लिए स्वीकृति दी जाती है, उन्हें प्रश्नों की सूची में प्रकाशित किया जाता है, जो सदस्यों को पहले से ही वांट दी जाती है।

(ग) अनुपूरक और अल्प-सूचना प्रश्न :

किसी प्रश्न का मौखिक उत्तर दिए जाने के बाद सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, जिन्हें पूछने का उद्देश्य और अधिक जानकारी प्राप्त करना होता है। लोक-

सभा में एक सदस्य को एक बार एक अनुपूरक प्रश्न के लिए अनुमति दी जाती है। प्रश्नकर्ता के विषय अन्य सदस्य भी अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

कुछ परिस्थितियों में प्रश्न पूछने की पूर्व सूचना देने की सामान्य अवधि कम की जा सकती है और ऐसी परिस्थिति में पूछे गए प्रश्नों को 'अल्प-सूचना-प्रश्न' कहा जाता है। अल्प-सूचना प्रश्न स्वीकार करने से पहले उस मंत्री की सहमति प्राप्त की जाती है, जिससे प्रश्न पूछा गया है। अल्प-सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहमत हो जाने पर मंत्री यह बताता है कि किस दिन उत्तर देना सम्भव है, और फिर उस दिन उत्तर देने के लिए अल्प-सूचना प्रश्न रखा जाता है।

(घ) आधे घंटे की चर्चा :

यदि प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता को सतोदजनक न प्रतीत हो तो उस विषय पर चर्चा की जा सकती है। लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों में यह व्यवस्था है कि हाल ही में पूछे गए अत्यन्त लोक-महत्त्व के विषय पर आधे घंटे की चर्चा की जा सकती है। आधे घंटे की चर्चा पर सामान्य रूप से प्रश्न की ग्राह्यता के नियम लागू होते हैं। चर्चा के बाद विधिवत् कोई प्रस्ताव नहीं रखा जाता। इस तरफ की विशेष चर्चा की प्रथा का अनुसरण कुछ अन्य विधान-मण्डलों में भी किया जाता है।

प्रस्ताव और सकल्प

'प्रस्ताव' एक संसदीय शब्द है। साधारण भाषा में इसका अर्थ विधिवत् रखा गया सुझाव है। किसी बान पर सदन का निर्णय भयवा मत मालूम करना हो तो उसे सदन के समक्ष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पूर्व सूचना¹ और पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होती है। प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में कुछ सामान्य नियम हैं और कुछ ऐसे नियम भी हैं जो विशेष प्रकार के प्रस्तावों पर लागू होते हैं। अधिकांश विधान-मण्डलों में सामान्य रूप से, निम्नलिखित नियमों का अधिकतर अनुसरण किया जाता है।

1. लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में 'नो डे यट नेम्ड मोशन' अर्थात् 'अनियत दिनवाले प्रस्ताव' नामक प्रस्तावों की एक श्रेणी है। ये वे प्रस्ताव होते हैं, जो अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत तो होते हैं, परन्तु जिसके लिए कोई दिन नियत नहीं होता।

- (1) प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी, जिस पर उसी सूल में चर्चा की जा चुकी हो।
- (2) प्रस्ताव में उस विषय की पूर्वाशा न की जाएगी, जो विचार के लिए पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका हो।

इन नियमों का दुरुपयोग रोकने के लिए पीठासीन अधिकारी को, इस बात की संभावना पर ध्यान रखना पड़ता है कि प्रस्ताव में अन्तर्हित बात सदन के समक्ष अन्याया तो नहीं आनेवाली है। प्रस्ताव को कोई सदस्य अथवा स्वयं पीठासीन अधिकारी भी प्रस्तुत कर सकता है। एक बार प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर वह सदन की आज्ञा से ही वापिस लिया जा सकता है। यदि प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई संशोधन रखा गया हो तो उस पर पहले विचार किया जाता है।

(क) विशेष प्रकार के प्रस्ताव :

जैसा कि पहले बताया गया है कुछ विशेष प्रकार के प्रस्तावों के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में प्रचलित विशेष प्रकार के प्रस्ताव ये हैं :—

(1) धन्यवाद का प्रस्ताव ; (2) मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव ; और (3) अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा सत्ता का उद्घाटन किए जाने के पश्चात्, विधान-मण्डल में अभिभाषण देने के लिए उसके प्रति धन्यवाद देने की प्रथा है। यह प्रस्ताव सरकारी दल के सदस्य प्रस्तुत करते हैं और वे उसका अनुमोदन भी करते हैं। प्रस्ताव मान्य हो जाने के पश्चात् अभिभाषण प्रकाशित किया जाता है और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को भेजा जाता है। मन्त्रियों में अविश्वास के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति, यदि सदन दे तो उसे कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे प्रस्तावों के विषय में लोक-सभा में यह नियम है कि अनुमति तभी दी जा सकती है, जबकि 50 सदस्य सदन में उसके पक्ष में हों। अनुमति के बाद निश्चित दिन पर प्रस्ताव पर बहस होती है भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि यदि कुछ शर्तें पूरी हो जाएँ तो सदन के सक्त्प के लिए 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। ऐसे प्रस्तावों की अनुमति भी स्वयं सदन द्वारा दी जाती है और यह आवश्यक होता है कि कम से कम पचास सदस्य उसके पक्ष में हों।

(ख) स्थगन-प्रस्ताव :

विविध विषयों पर चर्चा करने के लिए स्थगन-प्रस्ताव के प्रयोग का प्रारम्भ

किस प्रकार हुआ, यह अस्पष्ट है। किन्तु ऐसे प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य यह है कि सदन की बैठक स्थगित होने के पहले सदस्यों को अपने चुनाव क्षेत्र की शिकायतों को प्रस्तुत करने का अवसर मिले। एस्काइन ने लिखा है कि “वास्तव में स्थगन-प्रस्ताव का पेश किया जाना एक ऐसी औपचारिक विधि है, जिसका मूल उद्देश्य सदन में विषयों की चर्चा, पूर्व निश्चय के बिना किया जाना है।” यद्यपि कुछ विधान-मण्डलों में प्रतिदिन सामान्य कार्यवाही को स्थगित करने के लिए भी स्थगन-प्रस्ताव रखा जाता है, तथापि भारत में इसका प्रयोग¹ केवल अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषयों की चर्चा करने के लिए किया जाता है। भारत में स्थगन-प्रस्ताव स्वीकार करने के निम्नलिखित नियम हैं —

- (1) प्रस्ताव का विषय आवश्यक होना चाहिए।
- (2) उसमें सामान्य न्याय-प्रशासन की बात न हो।
- (3) विषय में ऐसी कोई बात न हो, जिसे कार्य-सचालन के नियमों के अनुसार किसी अन्य प्रकार से उठाया जा सके।
- (4) विषय का आधार ऐसे तथ्य न हों, जो विवादास्पद हों।

यह भी उल्लेखनीय है कि स्थगन प्रस्ताव केवल पीठासीन अधिकारियों की सहमति से सदन में रखा जा सकता है।

(ग) संकल्प :

जब किन्हीं विषयों पर विधान-मण्डल की सिफारिश प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है तो उसे संकल्प कहते हैं। कुछ विधान मण्डलों में इससे कुछ भिन्न ‘आदेश’ की प्रथा प्रचलित है। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन में हाउस ऑफ़ कॉमन्स निर्देश देने के लिए आदेश जारी करते हैं, जबकि संकल्प द्वारा वह केवल अपना मत और उद्देश्य प्रकट करता है। भारत में, केवल संकल्पों की प्रथा प्रचलित है। संकल्प किसी विषय पर प्रस्तुत किया जा सकता है। वह विषय ऐसा न होना

1. यूरोपीय देशों के विधान-मण्डलों में स्थगन प्रस्ताव का उपयोग सरकार की आलोचना के लिए नहीं किया जाता, पर आयरलैंड व गण्ट् मण्डल के देशों में स्थगन प्रस्ताव का इस प्रकार प्रयोग किया जाना साधारण बात है।

चाहिए, जिससे सरकार का कोई सम्बन्ध न हो। संकल्प में निश्चित प्रश्न उठाना जरूरी होता है। ऐसे संकल्प स्वीकार नहीं किए जाते, जिनमें किसी अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश हो। संकल्प की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे सभा का मत स्पष्ट हो, जैसे :—“इस सभा का मत है कि……”। कुछ विधान-मण्डलों के नियमों में यह भी व्यवस्था है कि संकल्प रखे जाने के पहले मंत्री यह आपत्ति कर सकता है कि उस पर चर्चा करने से जन-हित को हानि हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में संकल्प स्वीकार नहीं किया जाता।

विधान

विधान-मण्डलों का प्रमुख काम विधि निर्माण है। विधि-निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है।

- (1) विधेयक पर मुख्यतः विधान-मण्डल में विचार किया जाता है और कभी-कभी प्रवर समिति की नियुक्ति की जाती है; और
- (2) विधेयको पर समिति में विचार होता है और सदन केवल अपनी अन्तिम अनुमति देता है।

पहली प्रकार की व्यवस्था में सदन मुख्य रूप से काम करता है और दूसरी व्यवस्था में समितियाँ। पहली रीति का नमूना ब्रिटेन की प्रथा और दूसरी का नमूना फ्रांस और अमरीकी प्रथाएँ हैं। अमरीकी प्रथा में एक और भी अन्तर है। वहाँ न केवल विधेयकों पर समितियाँ पहले विचार करती हैं, किन्तु विधायी कार्यक्रम (अर्थात् नौगसे विधेयक बव प्रस्तुत किए जायेंगे) का निर्णय भी कांग्रेस नहीं करती, बल्कि एक तरह की समिति करती है, जिसमें विधान-मण्डल के नेता होते हैं। दूसरे राष्ट्रमण्डलीय देशों के समान, भारत में भी ब्रिटेन की प्रथा का अनुसरण किया जाता है।

(क) विधेयकों का पुरःस्थापन और प्रकाशन :

विधान-मण्डल के किसी एक सदन में, विधेयक के पुरःस्थापन के साथ विधान की प्रक्रिया आरम्भ होती है। उसे मंत्री अथवा गैर-सरकारी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक को सरकारी विधेयक और गैर-सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयकों को, गैर-सरकारी सदस्यों का

विधेयक कहते हैं। विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति सदन से प्राप्त करना आवश्यक है। इस क्रिया को विधेयक का 'प्रथम वाचन' कहते हैं। विधेयक प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् सरकारी गजट में छापा जाता है, किन्तु कभी-कभी अध्यक्ष के आदेश से विधेयक प्रस्तुत होने के पहले भी छापा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता और उसे स्वीकृति के बिना प्रस्तुत कर दिया जाता है। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की सूचना के साथ उसके उद्देश्यों और कारणों का विवरण देना आवश्यक होता है। भारतीय ससद् में दो और विवरण देने पड़ते हैं—

- (1) यदि विधेयक के कारण ध्वय होता हो तो सम्बन्धित धाराओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, वित्तीय जापन जिसमें आवर्तक और अनावर्तक ध्वय का अनुमान हो, क्योंकि उसके कारण विधायी अधिकार देने का प्रस्ताव करना पड़ता है, और
- (2) ऐसे जापन, जिनमें प्रस्तावों का स्पष्टीकरण हो, उनके अभिप्राय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना होता है कि वे साधारण है अथवा असाधारण। अमरीका जैसे देशों में, सरकार को विधान प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। केवल कांग्रेस के सदस्यों को औपचारिक रूप से विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार है।

(ख) पुरःस्थापन के पश्चात् प्रस्ताव :

विधेयक प्रस्तुत हो जाने के बाद निम्न 3 प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव रखा जा सकता है—

- (1) जनमत का पता लगाने के लिए विधेयक को जनता में परिचालित किया जाए ;
- (2) विधेयक प्रवर समिति अथवा दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति अथवा पूरे सदन की समिति को सौंपा जाए ; अथवा
- (3) विधेयक पर विचार किया जाए ।

जब उपर्युक्त प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव रखा जाता है, तब विधेयकों के सामान्य उद्देश्यों पर ही चर्चा होती है। जनमत प्राप्त करने के लिए जब विधेयक प्रकाशित किया जाता है, तब राज्य सरकारों की माफ़त जनमत की सूचना प्राप्त

की जाती है। जनमत की सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात् यह आवश्यक है कि विधेयक प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति को सौंपा जाए। नेमी सशोधक विधेयको पर सामान्यतः सीधा विचार आरम्भ किया जाता है।

(ग) समितियों द्वारा विचार :

जैसा आगे के अध्यायो में विस्तार से स्पष्ट किया गया है, ब्रिटेन में कुछ स्थाई समितियाँ हैं, जिन्हें विषय के अनुसार विधेयक सौंपे जाते हैं। इस विधि के निम्न अपवाद हैं—

- (क) वर लगाने वाले अधिनियम अथवा समेकित निधि व विनियोजन विधेयक ;
- (ख) सविधानी महत्व के प्रथम श्रेणी के विधेयक ;
- (ग) ऐसे विधेयक, जिन्हें शीघ्रता से पारित करना आवश्यक हो ;
- (घ) एक खण्ड वाला विधेयक, जिसकी समिति द्वारा विस्तृत जाँच आवश्यक न हो। (गैलोवे ; पृ० 23)

भारत में जब भी कोई विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाता है, एक पृथक् प्रवर समिति नियुक्त की जाती है। कभी-कभी विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को सौंपे जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रवर समिति की नियुक्ति के प्रस्ताव के साथ-साथ यह भी प्रस्ताव रखा जाता है कि दूसरे सदन से यह निवेदन किया जाए कि वह उक्त समिति के लिए कुछ सदस्यों का नाम निर्देशित करे। जिन देशों में फ्रांस जैसी प्रथा प्रचलित है, वहाँ विधेयक को विशेष रूप से समिति को सौंपना नहीं पड़ता है। प्रत्येक विधेयक अपने आप किसी एक स्थाई समिति को सौंप दिया जाता है। ये समितियाँ, जैसे चाहे सशोधन करती हैं और विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन लिखने के लिए एक "रिपोर्टर" अर्थात् प्रतिवेदक नियुक्त करती है, जो सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और विधेयक का वहाँ प्रतिवाद भी करता है। समिति को अपना प्रतिवेदन 3 महीनों की अवधि में देना पड़ता है। जयपुरलैंड में, लगभग सारे सरकारी विधेयक सम्पूर्ण सदन समिति को सौंपे जाते हैं।

(घ) खण्डों पर चर्चा :

प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने के बाद, सदन में विधेयक के

खण्डों पर विचार किया जाता है। इस सम्बन्ध में, ब्रिटेन और भारत में भिन्न-भिन्न प्रथाएँ हैं। ब्रिटेन में समिति की बैठकों में खण्डशः चर्चा की जाती है। भारत में विधेयक के प्रत्येक खण्ड पर और उसके प्रस्तावित सशोधनों पर, यदि कोई हो तो, सदन में चर्चा होती है। सशोधन की ग्राह्यता के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। उदाहरणार्थ, प्रस्तावित सशोधन विधेयक के अभिप्राय और उसी प्रश्न पर सदन के पूर्व निर्णय के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक सशोधन और प्रत्येक खण्ड पर चर्चा होने के बाद उस पर मनदान होता है। बेल्जियम जैसे देशों में, विधेयकों पर समितियों द्वारा विचार किए जाने के बाद जब प्रतिवेदन प्रस्तुत होता है, तब सदन में विधेयक के खण्डों पर और आगे चर्चा की जाती है। इसे विधेयक का "दूसरा वाचन" कहते हैं।

(इ) विधेयकों का पारित किया जाना :—

खण्डशः चर्चा समाप्त हो जाने पर, विधेयक को प्रस्तुत करनेवाला मंत्री या सदस्य विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव रख सकता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को विधेयक का "तीसरा वाचन" कहते हैं। इस अवस्था में विधेयक के विवरण के बारे में विवाद नहीं किया जाता। चर्चा केवल विधेयक को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने तक ही सीमित होती है। इस समय केवल मौखिक संगोपन रखने की स्वीकृति दी जाती है।

(च) द्विसदनीय विधान मण्डलों की कार्य-विधि :—

विधेयक पारित हो जाने पर उसे दूसरे सदन को भेजा जाता है, जहाँ वह फिर से पहले बताई गई अवस्थाओं में से गुजरता है। जब एक सदन में विधेयक पारित हो जाता है और दूसरे सदन में पारित नहीं होता तो गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति दोनों सदनों को मधुवन बैठक बुला सकता है¹। यदि दोनों सदनों की मधुवन बैठक में मतदान के समय दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विधेयक पारित हो जाए तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाता है। नारवे में भी,

1. दहेज-निषेध-अधिनियम, 1961 के बारे में ऐसी मधुवन बैठक बुलाई गई थी।

यदि दोनों सदन (अर्थात् लाक्सिंग और ओदेल्सिंग) विधेयक के विषय के बारे में सहमत न हों तो विधेयक को जिस स्थिति में ओदेल्सिंग से भेजा गया हो, उसी स्थिति में उसे समस्त समद अर्थात् (स्नोरतिंग) में प्रस्तुत किया जाता है। यदि वहाँ उसके पक्ष में दो-तिहाई बहुमत हो तो वह पारित हो जाता है। इसी प्रकार की पद्धति स्वीडन में भी है। ब्रिटेन में, वित्त-विधेयक को छोड़ कर अन्य विधेयकों को स्वीकार न करने का हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अधिकार तो है पर यह अस्वीकृति दो सत्रों के बाद एक वर्ष तक ही सीमित रहती है। उसके बाद विधेयक अपने आप स्वीकृत माना जाता है। फ्रांस में भी परिपद ("कांसिल") द्वारा किए गए सशोधन को मभा (असेम्बली) रद्द कर सकती है।

(छ) कुछ मामलों की विशेष कार्यविधि : -

विभिन्न विधान-मण्डलों में कुछ विधेयकों के लिए विशेष कार्यविधि¹ अपनाई जाती है। उदाहरणार्थ, भारत में वित्तीय विधेयक (अर्थात् जिन विधेयकों में कर लगाने या कर समाप्त करने की व्यवस्था हो) केवल लोक-सभा में पुर स्थापित किए जा सकते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में, विधान बनाने का अधिकार केवल लोक-सभा को है। यदि राज्य-सभा ने, ऐसे सशोधन पारित किए हों, जिनमें लोक-सभा सहमत नहीं हो तो उन विधेयकों पर राज्य-सभा द्वारा विचार किए जाने के दो सप्ताह बाद वे स्वतः पारित माने जाते हैं। इसी प्रकार संविधान में सशोधन करने-वाले विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से रखे जाते हैं। क्लर्क में, संविधान में सशोधन करनेवाले विधेयक, तीसरे वाचन के पदचाद, अगला आम चुनाव होने तक स्थगित रखे जाते हैं। इटली में, संविधान में सशोधन करनेवाले विधेयकों पर दो बार चर्चा होती है। केवल ब्रिटेन ही एक ऐसा राज्य है, जहाँ संविधान में सशोधन करनेवाले विधेयक के लिए विशेष कार्यविधि की आवश्यकता नहीं होती।

(ज) विधेयकों का प्रमाणीकरण और प्रकाशन : -

दोनों सदनों में विधेयक पारित हो जाने पर, पीठासीन अधिकारी उसे प्रमाणित करके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजता है। राष्ट्रपति की अनुमति

1 ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामन्स में स्थायी आदेशों के अनुसार, सभाओं की अनुमति के बिना कर लगानेवाला अथवा व्यय सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता।

मिलन पर विधेयक अधिनियम बन जाता है। तत्पश्चात् उसे गजट में छाप दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था लगभग सारे देशों में प्रचलित है, किन्तु कुछ देशों में राष्ट्रपति के विवेक पर भी कुछ बन्धन है। फिनलैंड में, यदि गणराज्य के राष्ट्रपति की अनुमति 3 महीने के अन्दर न मिली हो तो आम चुनावों के बाद वही विधेयक जिस रूप में वह पारित हुआ था, उसी रूप में फिर पारित होने पर अधिनियम बन जाता है। इसी प्रकार नार्वे में, वहाँ के राजा को यह अधिकार तो है कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति देने से मना कर सकता है, किन्तु यदि वही विधेयक लगातार तीन आम चुनावों के बाद भी पारित किया जाए तो राजा की अस्वीकृति रद्द हो सकती है।

वित्तीय कार्यविधि

(क) वार्षिक नियमित व्यय :

वित्तीय नियंत्रण, संसद की प्रभुसत्ता का मुख्य साधन होने के कारण, लगभग सारे विधान-मण्डलों में, वित्तीय मामलों की विशेष कार्य-विधि है। वार्षिक¹ वित्तीय विवरण, जिसे सामान्यतः बजट (आयव्ययक)² कहा जाता है, विधान-मण्डल में निश्चित दिन पर प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले बजट पर सामान्य चर्चा होती है। लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-मंचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार, सदन को सारे बजट अथवा उसके अन्तर्गत विषय सम्बन्धी सिद्धान्तों पर चर्चा करने की स्वतन्त्रता है, किन्तु चर्चा के दौरान सदन में बजट पर मतदान करने के सुझाव का प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दी जाती। सामान्य चर्चा समाप्त होने पर अनुदानों की मागों पर चर्चा आरम्भ होती है। भारत में इन मागों पर 22 से 23 दिन तक चर्चा चलती है। ब्रिटेन में और कनाडा तथा आस्ट्रेलिया जैसे देशों में, जहाँ ब्रिटेन की पद्धति अपनाई गई है, सदन में वार्षिक अनुमान प्रस्तुत होते ही संपूर्ण सदन समिति

1. स्पेन एक ऐसा देश है, जहाँ आयव्ययक प्रति वर्ष प्रस्तुत नहीं होता। दो साल में एक बार होता है।
2. अमरीका में इसे आयव्यय के सम्बन्ध में और अधिक विषय में राज्य की स्थिति पर 'राष्ट्रपति का संदेश' कहते हैं। ये संदेश प्रचारित किए जाने पर तुरन्त कांग्रेस की उपयुक्त समिति को विचार के लिए भेज दिए जाने हैं।

बनायी जाती है, जिसे "कमेटी और सप्लाइ" अर्थात् प्रदाय-समिति कहा जाता है। यह समिति अनुमानों पर चर्चा करती है। ब्रिटेन में समिति के विचार के लिए 26 दिन की अवधि निर्दिष्ट है। मार्गों पर चर्चा करने की रीति यह है कि प्रत्येक मांग के लिए एक प्रस्ताव रखा जाता है, जिसमें सदस्य कटौती-प्रस्ताव के रूप में सशोधन का मुकाब देते हैं। कटौती-प्रस्तावों की संख्या कभी-कभी इतनी अधिक होती है कि विवाद-बध (गिलोटिन) प्रथा का उपयोग करना पड़ता है। 'गिलोटिन' प्रथा का अर्थ है, बगैर अधिक वृहत् अनुदानों पर सभा का तारनालिक मत लेना।

अनुदानों की मांगों पर सदन की स्वीकृति मिलने पर विनियोजन विधेयक रखा जाता है। विनियोजन-विधेयक द्वारा उन मांगों को विधिक रूप दिया जाता है जिन्हें विधान-मण्डल द्वारा पहले ही पारित किया गया हो। विनियोजन-विधेयक पर चर्चा का विषय, उस लोक-महत्त्व अथवा विधेयक में वर्णित मांगों में अतिरिक्त, प्रणामनिक नीति तक सीमित रहता है, जिसकी बात सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार करते समय पहले उठाई गई थी।

भारत में अगले वर्ष के राजस्व-प्रस्ताव भी बजट में शामिल होते हैं, किन्तु ब्रिटेन में व्यय-प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दो सप्ताह पश्चात् राजस्व-प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन पर फिर 'कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्ज' अर्थात् अर्थोपाय-समिति नामक संपूर्ण सदन समिति विचार करती है। अर्थोपाय-समिति एक बजट प्रस्ताव पारित करती है, जिसके पश्चात् वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। वित्त-विधेयक से विधान-मण्डल द्वारा पहले पारित किए गए राजस्व प्रस्तावों को विधायी अधिकार मिलता है। वित्त-विधेयक पर चर्चा अधिक व्यापक होती है और सदस्य ऐसे विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं, जैसे सामान्य प्रशासन, स्थानीय शिकायतें आदि, जो सरकार की जिम्मेदारी अथवा सरकार की धन-सम्बन्धी अथवा वित्तीय नीति के अंतर्गत हों। संयुक्त राज्य अमरीका के 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव' में, कराधान अथवा फण्ड के लिए अनुदान सम्बन्धी विधेयकों पर आमतौर से सम्पूर्ण समिति में चर्चा की जाती है।

फ्रांस की प्रथा को अपनायेवाले देशों में, बजट पर भी स्थायी समितियाँ विचार करती हैं और उनके प्रतिवेदन मिल जाने के पश्चात् वित्त-विधेयक पर सभा में विचार किया जाता है। फ्रांस में, प्रत्येक विभागीय बजट पर सामान्य रूप से पृथक् चर्चा की जाती है, जिसके पश्चात् उसके प्रत्येक अध्याय पर अलग से विचार और मनदान होता है।

वित्तीय कार्यविधि के सम्बन्ध में यह भी बतलाना आवश्यक है कि निम्न सदन को उच्च सदन से अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, भारत में मागों को पारित करने का अधिकार केवल लोक-सभा को नहीं। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स को, विशेषाधिकार होने के कारण हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए वित्तीय मामले में कोई सशोधन करना अथवा उसमें अपनी ओर से कोई कार्यवाही करना वर्जित है। फ्रान्स में, द्वितीय सदन अर्थात् "काउन्सिल ऑफ रिपब्लिक मिनेटर्स," कराधान के लिए सुझाव दे सकता है, किन्तु व्यय के लिए नहीं। फ्रांस में एक और प्रतिबन्ध यह है कि बजट प्रस्तावों की जाँच पहले नेशनल असेम्बली में होनी जरूरी है। समुक्त राज्य अमरीका में भी, राजस्व और विनियोग विधेयक सर्वप्रथम 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जापान में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को केवल बजट के सम्बन्ध में प्राथमिकता का ही अधिकार नहीं, अपितु हाउस ऑफ काउन्सिलर्स के निर्णयों को रद्द करने का भी अधिकार है।

(ख) विशेष परिस्थितियों का सामना करने की कार्यविधि :

विनियोग विधेयक पारित होने में समय लगने के कारण मागों की स्वीकृति मिलने के पहले बहुधा एक महीने के लिए लेखानुदान लिया जाता है। लेखानुदान को एक औपचारिक बात माना जाता है और बिना चर्चा किए उसको स्वीकृति दे दी जाती है। अधिकांश विधान-मण्डलों में अनुपूरक, अनिश्चित, अधिक, आपवादिक और प्रत्यय अनुदानों की भी व्यवस्था है। अनुपूरक अनुदान उस समय प्रस्तुत किए जाते हैं, जब नियमित वार्षिक बजट के अनुसार स्वीकृत अनुदानों से अधिक व्यय होने की संभावना हो अथवा जब नयी योजनाएँ चालू करनी हों। वित्तीय वर्ष के आरम्भ में, अनुदानों की मागों के लिए जो कार्य-विधि अपनायी जाती है, वही अनुपूरक अनुदानों के लिए भी अपनाई जाती है, किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि अनुपूरक अनुदानों पर होने वाली चर्चा केवल उनकी मदों तक ही सीमित रहती है और उस चर्चा में मूल अनुदान की बातें नहीं उठाई जा सकती। इन मागों की स्वीकृति मिलने के बाद विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ताकि वे मागें उसमें समाविष्ट की जा सकें। जब नई सेवाओं पर प्रस्तावित व्यय के लिए धन पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध हो सके तो सांकेतिक रकम की माग सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाती है। इसे सांकेतिक अनुदान कहते हैं। अधिक अनुदान एक औपचारिकता है, जिसमें पहले किए गए अधिक व्यय को समाविष्ट करने के लिए, विनियोग-विधेयक को विधान-मण्डल में भेजा प्रस्तुत किया जाता है। लोक-सभा में प्रस्तुत किए जाने में पहले

लोक-लेखा-समिति को जैसे विधेयक की जाँच कर ससद् को उसके सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन देना पड़ता है। प्रत्यय-अनुदान एक मुश्किल रकम की मांग है, जिसे मांगने का उद्देश्य मोटे तौर पर बताया जाता है। ऐसे अनुदानों की स्वीकृति हाउस ऑफ कॉमन्स ने ब्रिटिश सरकार को महायुद्ध के समय दी थी।

(ग) वित्तीय समितियाँ :

विधान-मण्डलों की वित्तीय कार्यविधि का एक मुख्य अंग वित्तीय समितियाँ हैं। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय नियन्त्रण है। पूरे सदन के लिए, विभिन्न प्राकृत्यों को वागीनी में जाँच करना सम्भव न होने के कारण 'मदर ऑफ पार्लियामेन्ट्स' अर्थात् सदन की जननी हाउस ऑफ बामन्स का अनुसरण करनेवाले विधान-मण्डल में, सामान्य रूप से एक प्राक्कलन-समिति नियुक्त की जाती है। कुछ विधान-मण्डलों में प्रवर समितियाँ और कुछ में स्थायी समितियाँ यह कार्य करती हैं। जहाँ अधिकांश विधायी कार्य, समितियों के माध्यम से निष्पादित होना है (जैसे फ्रांस, संयुक्त राज्य अमरीका आदि), वहाँ विनियोग अथवा प्राक्कलन पर नियन्त्रण व्यय-समितियाँ अथवा विनियोग-समितियाँ रखती हैं। सश्रीय जर्मन गणराज्य में यह लक्षण लागू होते समय कुछ अनुदानों की स्वीकृति देने में बुन्डेस्टैग की आयव्यय-समिति का हाथ रहता है। जो व्यय हो चुका हो उस पर समितियों द्वारा रखा जानेवाला नियन्त्रण वित्तीय नियन्त्रण का दूसरा पटलू है। यह नियन्त्रण सरकार द्वारा किए गए विनियोग पर दिए गए लेखा-प्रतिवेदन के माध्यम से किया जाता है। ब्रिटेन की पद्धति का अनुसरण करनेवाले विधान-मण्डलों में एक लोक-लेखा-समिति की नियुक्ति की जाती है। यह समिति विनियोग लेखा और नियन्त्रण और महालेखा परीक्षक द्वारा बनाई गई लेखा सम्बन्धी अनियमितताओं की जाँच करती है और ससद् को अपना कार्योत्तर प्रतिवेदन देती है। जिसमें यह बताया जाता है कि क्या सरकार द्वारा किया गया वास्तविक व्यय ससद् द्वारा स्वीकृत विनियोग-अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार था या नहीं। कुछ विधान-मण्डलों में अधिकांश विनियोगों की जाँच, ससदीय समितियों के माध्यम से नहीं कराई जाती, किन्तु उनका अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जैसे—डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मन संघीय गणराज्य आदि में। कई बार अनुमोदन विधान के रूप में दिया जाता है। ऐसी स्थिति में, सरकार लोक-लेखाओं के बारे में विधेयक प्रस्तुत करती है, जिस पर अन्य विधानों जैसी ही कार्यवाही की जाती है।

इधर कई वर्षों से, सभी देशों में राष्ट्रीकृत धैत के उद्घोषों में अधिकाधिक पूजा लगायी जा रही है। अनेक कई विधान-मण्डलों ने राष्ट्रीकृत उद्घोषों की जांच करने के लिए विशिष्ट समितियों की नियुक्ति की है। इसे ब्रिटेन में "कमेटी ऑफ नैशनलाइज्ड इन्डस्ट्रीज" (राष्ट्रीकृत उद्घोष प्रवर समिति) कहते हैं। भारत में कमेटी ऑफ पब्लिक अण्डरटेकिंग (सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति) की नियुक्ति हाल ही में की गई है। ये समितियाँ संसद् को अपना प्रतिवेदन पेश करती हैं और उनके प्रतिवेदन को मान्य करने के लिए मसदा में एक प्रस्ताव रखा जाता है। विभिन्न कारणों से इन प्रतिवेदनों पर भाग्य में चर्चा नहीं की जाती।

संसद् का नियन्त्रण

विधान, वित्तीय नियन्त्रण तथा प्रश्न पूछने और विरोध प्रस्तावों और संकल्पों के माध्यम से विचार व्यक्त करने के अधिकार के साथ-साथ विधान-मण्डल का एक और भी कार्य है, जिसे कार्यपालिका पर परिनिरीक्षण रखना कहते हैं।

(क) याचिका:

कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से, लोक-सभा में नीचे लिखे मामलों पर याचिका प्रस्तुत कर सकता है.—

- (1) विरोधक, जिसका प्रकाशन हो चुका है, अथवा जिसे सदन में प्रस्तुत किया गया है,
- (2) सदन के शेष कार्य से सम्बन्धित कोई बात,
- (3) सामान्य लोक हित की कोई बात।

याचिका की प्रथा बेल्जियम, फ्रांस और इटली में भी प्रचलित है। बेल्जियम में प्रत्येक सदन में, प्रस्तुत की गई याचिकाओं की सूची प्रतिदिन राखिब बनाते हैं और उनमें से प्रत्येक याचिका पर की जाने वाली कार्यवाही का मुताब देते हैं। साधारणतः याचिकाओं की जांच करने और उन पर संसद् को उचित राय देने के लिए उन्हें एक समिति को मौर दिया जाता है, जिसे "याचिका-समिति" कहते हैं। फ्रांस में, समिति के निर्णय मानिक याचिका-विवरणिका में छापे जाते हैं और उनके छपने के 8 दिन पश्चात् उन्हें अन्तिम मान लिया जाता है।

(ख) कार्य-पालिका पर महाभियोग:

कार्यपालिका के सदस्यों के राजनैतिक उत्तरदायित्व की आधारभिता संसद्

के समक्ष उनकी जवाबदेही है। वेल्जियम के संविधान में, यह व्यवस्था की गई है कि चेम्बर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को मन्त्रियों पर अभियोग लगाने और उच्चतम न्यायालय में उन पर मुकद्दमा चलाने का अधिकार है। फ्रांस में, नेशनल एसेम्बली राष्ट्रपति पर राष्ट्रद्रोह का अभियोग लगा सकती है। उसके पश्चात् उसे उच्च न्यायालय को भौंप दिया जाता है। उच्च न्यायालय के 30 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें नेशनल एसेम्बली चुनती है और उनमें से 20 एसेम्बली के सदस्य होते हैं। नीदरलैंड में, यदि कोई मन्त्री संविधान अथवा कानून के विरुद्ध कार्य करे तो उच्च सदन उस मामले की छानबीन कर सकता है और समिति द्वारा जांच कराने के पश्चात् यदि किया गया कार्य संविधान के विरुद्ध अथवा कानून के विरुद्ध सिद्ध हो जाए तो उस पर अभियोग लगा सकती है। संयुक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस भी महाभियोग लगाने की प्रथा का अनुसरण करती है। वह केवल मन्त्रियों पर ही नहीं, अपितु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सारे सभ्य अधिकारियों पर भी अभियोग लगा सकती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इस दिशा में पहल करता है। वह एक जांच-समिति नियुक्त करता है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सीनेट के समक्ष अभियोग की कार्यवाही की जा सकती है। नारवे के स्ट्रिंगेट को मन्त्रि-परिषद् की कार्रवाई के कागज-पत्तों को देखने का अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग, आर्देल्स्टग की विशेषाधिकार-समिति के माध्यम से किया जाता है। यह समिति सदन को, अपनी रिपोर्ट के द्वारा किसी मन्त्री को राजनीतिक दण्ड देने अथवा उस पर अभियोग लगाने की भी सिफारिश कर सकती है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत, संविधान का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है। ससद् के दोनों सदनों में से कोई एक सदन दोपारोपण कर सकता है और दूसरा सदन उसकी जांच करता है। यदि जांच करनेवाले सदन में दो-तिहाई बहुमत से एक ऐसा सक्ल स्वीकृत हो जाए जिसमें कहा गया हो कि लगाए गए दोष सिद्ध हो गए हैं तो उसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जिसके लिए ससद् के प्रत्येक सदन में, विशेष बहुमत में समर्थित एक ममादेश राष्ट्रपति को देना अनिवार्य होता है।

(ग) संसदीय 'ओम्बुड्समेन' :

अभियोजन के अनिश्चित कुछ विधान-मण्डलों में शिवायतों को दूर करने की एक और प्रणाली मिशनी है, जिसे 'ओम्बुड्समेन' की प्रथा कहते हैं। 18वीं शताब्दी के आरम्भ से, स्वीडन की ससद् में सरकार पर नियंत्रण रखने की एक

विशेष रीति रही है जिसे ओम्बुड्समेन कहते हैं। इस प्रथा के अन्तर्गत ससद् दो अधिकारियों को एक असैनिक कार्य के लिए और दूसरा सैनिक कार्य के लिए— विशेष कार्यविधि के अनुसार नियुक्त करती है। इनका कर्तव्य प्रभुसत्ता के अत्याचारों से माधारण नागरिकों की रक्षा करना है। इन अधिकारियों को मिली शिकायतों की रिपोर्ट, वे ससद् को देने हैं। फिनलैंड और डेनमार्क में भी ओम्बुड्समेन की प्रथा पाई जाती है। सन् 1962 में न्यूजीलैंड में भी ओम्बुड्समेन की नियुक्ति हुई है। भारत में वैसे तो ओम्बुड्समेन की नियुक्ति करने की माँग कई वर्षों से की जा चुकी है, पर अभी हाल में प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस दिशा में "लोक-पाल" व "लोक-आयुक्त" की नियुक्ति किए जाने के रूप में निश्चित सुझाव दिए हैं।

अध्याय 2

समिति-प्रथा का महत्त्व

अमरीका में ससदीय समितियों को "समद के कारखाने" कहा गया है। अमरीका में ही 1894 में, वहाँ के एक अध्यक्ष ने समितियों के बारे में कहा था कि समितियाँ कांग्रेस की "आँखें, कान व बहुधा मस्तिष्क" हैं। इंग्लैंड की ससदीय समितियों को प्रसिद्ध लेखक व ससदीय कार्य-प्रणाली के पंडित एस्किन ने "लघु समद" की मजा दी है। एक अन्य लेखक के शब्दों में, "बोई भी सदन उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी कि इसकी समितियाँ"। अमरीका में समिति-प्रथा के लाभ के विषय में एक आधुनिक लेखक ने कहा है, "राष्ट्र के सम्पूर्ण इतिहास में कांग्रेस की अधिकाधिक विरल वृद्धि में समिति-प्रथा ही एक धुरी रही है"। इन्टर-पार्लियामेन्टरी यूनियन के शब्दों में "समितियाँ ससदीय कार्य की रीढ़ हैं"। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि ससदीय समितियाँ नहीं होती तो आज विभिन्न ससदीय प्रणालियों के अन्तर्गत विभिन्न ससदों द्वारा जो कार्य होना है, वह कभी नहीं हो सकता था। समितियों से विधि-निर्माण में मदद मिलती है, जांच का काम सूक्ष्मता से किया जा सकता है और विषयों के विचार में निष्पक्षता लाई जा सकती है। समितियों की सट्टा उनकी उपादेयता की सूचक है। अमरीका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 19 स्थायी समितियाँ हैं व सीनेट में 15 स्थायी समितियाँ। इसमें प्रवर व अन्य मयुक्त समितियों की गिनती नहीं है। इंग्लैंड में स्थायी व हर वर्ष नियुक्त की जानेवाली प्रवर समितियों को मिला कर हाउस ऑफ कॉमन्स में समितियों की सट्टा 28 है; कनाडा में 18 स्थायी समितियाँ हैं। भारत में भी समय-समय पर नियुक्त होने वाली प्रवर समितियों को छोड़कर, जिनकी सट्टा काफी है, लोक-सभा में 11 व राज्य-सभा में 5 स्थायी समितियाँ हैं।

1. समितियों की उपादेयता के विषय में "डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एण्ड पार्लियामेंट्स" में कैरी लिखता है :

"नियामित राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जितने विधेयक पारित किए जाने चाहिए, यदि उन सभी पर सभा

समिति-प्रथा के निम्न लाभ गिनाए जा सकते हैं —

- (क) सभा की तुलना में समितियों में अनौपचारिकता होने के कारण बहस अच्छी तरह हो सकती है।
- (ख) सभा की तुलना में किसी विषय पर विचार करने के लिए अधिक समय मिलने के कारण इनमें विचार अधिक भूष्यता से हो सकता है।
- (ग) समिति में दलबन्दी को स्थान नहीं होता।
- (घ) एक ही साथ कई समितियों का गठन होने के कारण सभा का मुख्य कार्य अर्थात् विधान-निर्माण-कार्य अधिक शीघ्रता से हो सकता है।
- (ङ) सदस्यों की ज्ञानवृद्धि।

(क) परिपूर्ण बहस :—

सभा में किसी विषय के विचार के लिए प्रस्ताव पेश करना पड़ता है व बाद में उस प्रस्ताव पर बहस होनी है। यदि प्रस्ताव में कोई हेरफेर भी करना हो तो उसके लिए एक सशोधनात्मक प्रस्ताव लाना पड़ता है। इसके सिवा सभा में एक दूसरे को संबोधित करने में भी काफी समय निकल जाता है। इसी तरह सभा में बोलने पर भी प्रतिबन्ध होते हैं। समिति में यह सब औपचारिकताएँ नहीं रहती। वहाँ जब कोई सदस्य चाहे बोल सकता है। समिति की बैठक बुलाना भी आसान

द्वारा विस्तार से विचार किया जाए तो उनका सभा पर काफी बोझ होगा। यह सच है कि विभिन्न दलों के लोग (अमरीका को छोड़कर) प्रायः सारा नवीन विधान बनाते हैं और उन्हें अधिनियम बनाने में मदद भी करते हैं, फिर भी उन प्रस्तावों को विधान-मण्डल के सदस्यों को समझाने की जरूरत पड़ती है, उसके पीछे की नीति पर विचार करना पड़ता है और सरकार की विभिन्न कार्यविधि की जानकारी हासिल करनी पड़ती है। सिर्फ समय की कमी की ही समस्या नहीं होती बरन् सभा के सदस्यों की सख्या का भी प्रश्न होता है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो सबसे छोटी एसेम्बली है—उसमें भी 262 सदस्य होते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में 600 सदस्य हैं। ये सभी किसी विचार विनिमय के लिए बड़ी सख्याएँ हैं। अतएव सभी जगह समितियों पर अधिक विश्वास रखना आवश्यक होता है व बहस का काम उन पर सौंपा जाता है”।

होता है। इंग्लैण्ड में हाउस ऑफ नॉमन्स में 600 सदस्य होते हैं। इसी तरह भारतीय लोक-सभा में 523 सदस्य होते हैं। इनकी तुलना में समितियों की सदस्यता प्रायः 15 अथवा 20 से अधिक नहीं होती। समिति में गणपूर्ति के नियम भी सरल होते हैं। इन सबका परिणाम यह होता है कि समिति में बहस के लिए अधिक अवसर मिलता है और बहस पूर्णतया हो पाती है। समिति की इस अनौपचारिकता के कारण ही, यद्यपि कभी-कभी संसद-सदस्य सभा में निर्बंध होकर बोलने का अपना अधिकार कायम रखना चाहते हैं अर्थात् वे छोटी समितियों को अपना कार्य नहीं सौंपते, फिर भी वे समितियों¹ (सम्पूर्ण सदन-समितियों) के रूप में बैठक करना पसन्द करते हैं।

समिति की अनौपचारिकता की तरह ही उसकी गोपनीयता भी सदस्यों के लिए व सभा के लिए लाभकर सिद्ध होती है। सभाएँ बिरले ही साक्ष्य लेनी हैं। पर विचाराधीन विषयों के सम्बन्ध में सरकारी व गैरसरकारी व्यक्तियों का साक्ष्य लेना संसदीय समितियों के लिए साधारण बात है। सभाओं की सारी कार्यवाही खुली होती है और यदि खुले में साक्ष्य किया जाए तो वह अधिक उपयोगी न होगा, पर समितियाँ, यदि चाहे (और बहुधा ऐसा ही होता है) साक्ष्य गुप्त रखनी हैं। इस गोपनीयता के कारण विचार-विमर्श में वह सचेत नहीं रहने पाता, जो खुले व्यवहार में होता है। साक्ष्य की उपादेयता का उदाहरण अनेक प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों को पढ़ने से मिलता है। समितियों के प्रतिवेदन व उनके कार्यवृत्त को पढ़ने पर अक्सर यह देखने को मिलता है कि वहाँ सभा में किसी विषय पर सरकार के प्रति भले ही विश्वासहीनता का आरोप लगाया गया हो, परन्तु अब सरकारी गवाहों ने अपनी व्यावहारिक कठिनाइयों को संसदीय समितियों के सामने बतलाया, तो सदस्यों ने भी उससे अपनी सहमति प्रगट की है।

(ख) सूक्ष्मता से विचार :

सभा के सामने हमेशा समय की समस्या रहती है, क्योंकि सभा केवल निश्चित अवधियों में ही बुलाई जा सकती है और अनेक बड़े राजनैतिक प्रश्न ही सभा के सामने उपस्थित रहते हैं। इसके विपरीत समिति की जब चाहे बैठक हो

1. इस उपादेयता के विषय जॉफरमन्स मैनुअल में लिखा है :—

“सारे सदन की राय समिति में अच्छी तरह ली जाती है, क्योंकि समिति में सदस्य जो चाहे बोल पाते हैं।”

सकती है तथा समिति के सम्मुख प्रश्न भी सीमित होते हैं। यदि सारे विधेयक पर केवल सभा द्वारा ही विचार¹ किया जाए तो 1-2 दिन से अधिक विचार करने के लिए सभा को कभी समय न मिले, पर जब समितियों में विधेयक भेजे जाते हैं तो विधेयक के महत्त्व के अनुसार (जैसा कि कम्पनी विधि गम्भीर प्रश्न समिति में हुआ था) कई दिनों तक समिति में विचार हो सकता है।² गवेषणात्मक समिति के विषय में तो यह बात और भी अधिक लागू होती है। भारत की प्राक्कलन समिति वर्ष भर और यदि आवश्यक हो तो और भी अधिक समय के लिए, विचार कर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

इस सन्दर्भ में समिति का एक छोटी समस्या होना उसके लिए बड़ा हितकर है। छोटी समस्या होने के नाते समिति की बैठक जल्दी बुलाई जा सकती है। सभा के बारे में अधिक तैयारी और कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। समितियों की बैठक तत्स्थान परीक्षा के लिए भी की जा सकती है, जो सभा के लिए संभव नहीं होता।

(ग) दलबन्दी का अभाव :

सभा के बारे में यह सर्वविदित है कि वहाँ चर्चा प्रायः दलबन्दी के आधार पर होती है। जितना अधिक महत्त्वपूर्ण विषय होता है, उतना ही अधिक उस पर दलों के सचेतकों का आग्रह अधिक प्रबल होता है। परिणामतः सभा में विषयों पर विचार निष्पक्षता में नहीं हो पाता, वरन् विभिन्न दलों की क्या नीति है, इसी दृष्टि में होता है। स्वयं सभाध्यक्ष को, इस ज्ञान का ध्यान रखना पड़ता है कि विभिन्न

1. 1954 में जब भारत में अधिकांश समितियाँ नियुक्त होने वाली थी, उस समय अध्यक्ष मावलकर ने सभा में कहा था —
सभा के विधिक कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। परिणामतः सभा के लिए प्रमुख विधेयकों के सभी चरणों पर विचार करना भी दुष्कर हो गया है। सभा को चाहिए कि वह अनेक प्रश्न समितियों नियुक्त करे और विषयों की जाँच, प्रश्न समितियों पर छोड़ दे, जहाँ उन पर सभा की वजाए अधिक विस्तार से विचार हो सकता है।
(देखिए, लोक सभा वाद-निर्वाह भाग 5 (1954) पृष्ठ 6565)
2. कम्पनी विधि प्रश्न समिति ने कम्पनी सरोधान आदि नियम 1956 पर 61 बैठकों में विचार किया था।

दलों के सदस्यों को बोलने का उचित अवसर मिल रहा है या नहीं। समिति^७ में इसके विपरीत सामान्यतया दलबन्दी को कोई स्थान नहीं होता। यदि थोड़े परिमाण में दलबन्दी होनी भी है तो वह केवल विधेयनों पर विचार करनेवाली प्रवर समितियों में। यद्यपि समिति में, सदस्यों की नियुक्ति अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर होनी है तथापि प्रायः यह देखा जाता है कि जब समिति में सदस्य कार्य करते हैं तो वे अपना दलगत दृष्टिकोण प्रमुख नहीं होने देते।

दलबन्दी से ही मिलता-जुलता सभा में एक और दोष है और वह यह कि सभा में बोलनेवाले अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हैं। इसके विपरीत समिति में कोई ऐसा सकुचित दृष्टिकोण नहीं रहता।

समिति से एक और लाभ है और वह यह कि यदि आवश्यकता पड़े तो विशेषज्ञों को इसके कार्य में शामिल किया जा सकता है। विशेषज्ञों की सलाह व गाइड ल सजने के अनिश्चित समिति के सदस्यों की नियुक्ति भी प्रायः सम्बद्ध विषयों में उनकी विशेष योग्यता के आधार पर की जा सकती है। कहीं-कहीं तो सभा के प्रक्रिया नियमों में ही वह विहित है (उदाहरणार्थ, इंग्लैण्ड की स्थायी समितियों के विषय में) समिति में सहयोग के लिए कुछ अन्य विशेषज्ञ सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। यह सभा के बारे में नहीं कहा जा सकता।

• लोक-सभा के एक अग्र्यश के शब्दों में :—

जब सदस्य समितियों के रूप में एकत्रित होते हैं तो वे दलों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वे समस्त सभा के रूप में काम आते हैं और वही बात विचार में आती है जो समस्त सभा के हित में हो। (देखिए लोक-सभा वाद-विवाद भाग 5 (455) पृष्ठ, 8712।

और भी एक लेखक ने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक उदाहरण देते हुए कहा है। "राजनैतिक वाद-विवाद के प्रखर प्रकाश में कुछ प्रमुख मामलों पर चर्चा करना एक दुष्कर कार्य है, परन्तु समिति-प्रथा के उपयोग से यह समस्या मुलझाई जा सकती है। स्टेज के मामले का सबसे अधिक परेशान करने वाला पहलू यह था कि सदन में विरोधी पक्ष की सलाह नहीं ली गई थी और उस पक्ष को ऐसा लगा जैसे उसे जानबूझकर अन्दरे में रखा गया हो। यदि ऐसी समिति होनी—जिसमें सभी दलों के सदस्य होते तो सदस्यों को समस्या विदित कराई जा सकती थी।" (देखिए, ग्रिमन्ड, "मैजिस्ट्रट गार्जियन" 22 जुलाई 1957, पृष्ठ 6)

(घ) संसद् के कार्य में वृद्धि .

समिति-प्रथा का सबसे बड़ा लाभ है, संसद् को अधिक कार्य कर सक्ने में सहायता देना । आज की संसदों के समझ, चाहे वह किसी देश की क्यों न हो, इतना काम रहता है कि यदि समितियाँ न हों तो उनके लिए कार्य करना असंभव ही हो जाए । समितियाँ न केवल विधेयकों पर विचार करती हैं, वरन् सभा की ओर से जानकारी प्राप्त करके जाँच का कार्य भी करती हैं । इसके अतिरिक्त जो काम सभा को करना पड़ता है, जैसे अपने पुस्तकालय की व्यवस्था, अपने सदस्यों के प्रत्येक-पक्ष की जाँच; इत्यादि, वह सब समितियाँ सभाल लती हैं, जिससे सभा को अपने प्रमुख कार्य (विधि-निर्माण) के लिए आवश्यक समय मिल पाता है । विधि-निर्माण के क्षेत्र में भी खण्डों की अच्छी तरह परीक्षा कर लेना समितियों को ही सौंपा जाता है और सभा अक्सर केवल नीति निर्धारित करती है ।

उदाहरणस्वरूप भारतीय लोक-सभा द्वारा पारित विधेयकों को ही लीजिए । जहाँ 1947 के पहले, प्रति वर्ष पारित किए गए विधेयकों की संख्या औसतन 11 से 42 के बीच हुआ करती थी, वहाँ 1947-56 के काल में, यह संख्या 54 से 106 के बीच थी । यद्यपि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे सत्रों की अवधि में वृद्धि, पर प्रवर समितियों के अधिवाधिक उपयोग का भी इसमें कम हाथ नहीं रहा है । ब्रिटेन के बारे में तो "गवर्नमेन्ट एण्ड कमेटीज" के लेखक व्हीयर¹ ने

1 (1) व्हीयर लिखता है, "जहाँ 1919 में, हाउस ऑफ कॉमन्स ने 45 विधेयकों पर और 1924-25, 1929-30, 1934-35, तथा 1936-37 में क्रमशः 50, 32, 15, व 26 विधेयकों पर विचार किया था, वहाँ 1946 में स्थायी समितियों के अधिक प्रचार के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स 1946-47, 1947-48 तथा 1948-49, में 15, 21, व 42 विधेयकों पर विचार कर सका, यद्यपि उनमें महत्वपूर्ण विधेयकों की संख्या बहुत थी ।

(2) फ्रान्स में समितियों का कार्य इससे भी अधिक रहा है । लेफ्ट मार्टिस हैरिसन लिखता है, संसद्-सदस्य इतने कुशल हैं कि ब्रिटेन की तरह की गैर विशिष्ट समितियाँ (फ्रामीनी एसेम्बली में) विस्तृत अभ्यावहारिक होती । विद्यमान नेशनल एसेम्बली के प्रथम 2 वर्षों की अवधि में, समितियों ने 6300 विधेयक पारित किए थे ।

स्पष्ट लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि 1945 से 1950 की अवधि में, जब लेबर पार्टी मत्तारूढ़ थी, स्थायी समितियों के प्रयोग से कहीं अधिक व विवादास्पद विधेयक पारित हो सके, जिनका बर्गर उनके पारित होना असंभव था ।

(ड) सदस्यों के लिए उनकी उपयोगिता :

जन्म में, समिति-व्यवस्था के एक जोर लाभ का उल्लेख करना चाहिए और वह है समिति के द्वारा सदस्य सदस्यों की ज्ञान-वृद्धि । इस ज्ञान वृद्धि से मभा के वादविवाद का भी स्तर ऊँचा उठता है । “बैंक बेन्चर्स”¹ के लिए तो यह अतिकूल अनि-याय है । आस्ट्रेलिया इस तथ्य का सुन्दर उदाहरण है । कहा जाता है कि आस्ट्रेलिया में समिति प्रथा का जन्म, समस्य की कार्य-व्यवस्था में गति लाने के लिए उतना नहीं हुआ, जितना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों में शासन की जानकारी उत्पन्न करने के लिए हुआ था । प्राडकर्किंग ऐक्ट 1942 के पारित होने का इतिहास इस बात को सिद्ध करता है कि समितियों का जन्म वहाँ सदन में कुछ “एमेचर एक्सपर्ट” बनें, उन उद्देश्य से हुआ था । स्वयं भारत में लोक-लेखा-समिति का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन अध्यक्ष श्री मावलकर ने 1950 में, उन समिति के उद्देश्यों को गिनाते हुए प्रसन्न कहा था कि समिति का उद्देश्य है, यथासंभव अधिक सदस्यों को शासन-कार्य से परिचिन कराना, ताकि उन्हें न केवल यह मालूम हो सके कि शासन किस तरह चलता है, वरन् यह भी मालूम हो सके कि शासन में क्या-क्या समस्याएँ हैं ।

1 जेनिंग्स लिखता है

“अगर गैर सरकारी सदस्यों को सदस्य कक्षों में चलने-फिरने के विषय और भी कुछ करना है तो समिति-प्रथा का विकास व उनके माध्यम में विशेषज्ञता प्राप्त करना उनके लिए अनिवार्य होगा, पार्लियामेन्टरी रिफॉर्म (1933-60) पृष्ठ; 46)

अध्याय 3

समिति-प्रथा का विकास

समदीय समिति प्रथा का जन्म मोल्टूवी शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ माना जाता है। इसके बाद समदीय समितियाँ अमरीका में स्थापित हुईं। फ्रांस में समदीय समितियाँ 18 वीं शताब्दी से मज़बूत आती हैं। यूरोप के अन्य देशों में तथा इंग्लैंड के अधीन उपनिवेशों में समदीय समितियों का जन्म, 19 वीं शताब्दी में होने का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक देश की समदीय समितियों का विकास अपनी विशेषता रखता है, पर एक चीज़ उनमें सामान्य है और वह यह कि पहले प्रबन्ध समितियों का निर्माण हुआ और बाद में स्थायी समितियों का। उद्देश्य की दृष्टि से पहले समितियाँ राजा की मदद करने के लिए बनीं, व बाद में वे ही निष्पक्ष दृष्टि से राज्य के कार्यों पर विचार करने लगीं। इसी प्रकार समितियाँ सिद्धान्त में भले ही किसी विशेष मुविद्या के लिए नियुक्त की जाती हों (जैसा कि ब्रिटिश समदीय समितियों के बारे में वहाँ के विचारकों का अब भी मत है) पर अब वे समदीय कार्यप्रणाली का आवश्यक जग बन गई हैं, और सभ्यता का कार्य, जितना सदन की कार्यवाही पर अवलंबित है, उतना ही समितियों पर। (अमरीका में समितियों की यह धारणा घुल्लमघुल्ला स्वीकार की जाती है)।

इंग्लैंड में समिति-प्रथा का विकास :

इंग्लैंड में समितियाँ नियुक्त किए जाने का पहली बार उल्लेख 1571 में तीसरी पार्लियामेंट के काल में मिलता है। इससे पहले विधेयकों पर विचार करने का काम किसी एक व्यक्ति को दिया जाता था, जो सामान्यतः कोई सेक्रेटरी अथवा प्रीवि काउन्सलर हुआ करता था। तीसरी पार्लियामेंट की समितियाँ आज की विशिष्ट समितियों में मिलती जुलती थीं, पर इन समितियों की बैठकें सभा-भवन के बाहर किसी ऐसी जगह, जो वकीलों के लिए मुविद्याजनक हों, हुआ करती थी। इन छोटी समितियों के बाद सभा के 30-40 सदस्यों के अनिश्चित कुट्ट अग्य चुने हुए सदस्य भी होने थे, जैसे जेन्टलमैन आफ दि लाय रोब, प्रीवि काउन्सलर्स आदि। ये ही

समितियाँ आगे चलकर स्थायी समितियों में परिणत हुईं। तीसरी पार्लियामेंट के समय में विधेयकों पर विचार, प्रवर समितियों को ही मँपा जाता था।

जम्मू प्रथम के काग में एक नई समिति बनाई गई और यह थी संपूर्ण सदन समिति। उस समय प्रवर समितियाँ तो थी, पर सभा के अन्य सदस्यों में यह इच्छा होने लगी कि उन्हें भी विधेयकों पर विचार करने का अवसर मिलना चाहिए। स्कावर लिखना है, "महत्त्व के, और खासकर वित्तीय विधेयक, इस काल में संपूर्ण सदन समिति में विचार के लिए आने थे, क्योंकि इनमें सदस्यों को बोलने का अवसर कुछ कम मिलता था"। यह प्रथा 1967 में जम समय औपचारिक रूप से निश्चित कर दी गई थी, जब हाउस ऑफ कॉमन्स ने यह प्रस्ताव पारित किया कि यदि कोई सरकारी खर्च का प्रस्ताव सभा के सामने आया हो तो सदन यह निर्णय कर सकता है कि सदन की बैठक स्थगित कर दी जाए और विधेयक सम्पूर्ण सदन समिति में विचारार्थ भेजा जाए। यही प्रथा नए कर लगाने के बारे में भी प्रारम्भ की गई। लेकिन इसी समय सरकारी पक्ष के लोग स्थायी समितियों की पद्धति पर भी विचार करने लगे थे। इस समय 5 स्थायी समितियाँ नियुक्त की जाती थी, जो निम्न विषयों पर अलग-अलग विचार किया करती थी (1) विशेषाधिकार व चुनाव के प्रश्न (2) धर्म (3) शिकायतें (4) न्यायालय तथा (5) वाणिज्य। ये समितियाँ एक प्रकार से सम्पूर्ण सदन समिति से अधिक बलवान थी क्योंकि वे जब चाहे अपना कार्य स्थगित कर सकती थी। ये समितियाँ निरकुश ट्यूडर राजाओं के हथकण्डे थी, क्योंकि इनमें सदन्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इन समितियों को विधेयकों पर विचार करने का भी अधिकार दिया गया था, जिनमें सक्षम होते हुए भी राजा अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई बात न होने देता।

स्टुअर्ट राजाओं के सदन के बाद यह स्वाभाविक था कि उपरोक्त स्थायी समितियों का अन्त कर दिया जाता। जनएव 18 वीं शताब्दी में केवल एक ही प्रकार की समितियाँ जागे रखी गई थी, और वह थी सम्पूर्ण सदन समितियाँ। सम्पूर्ण सदन समिति ही विधेयकों पर विचार करती थी, लेकिन छोटे समय के बाद पुन छोटी समितियों की आवश्यकता अनुभव की गई, क्योंकि पार्लियामेंट के पूर्ण रूप से सर्व-सत्ताधारी होने पर यह अनुभव किया गया कि पार्लियामेंट द्वारा निरीक्षण और जांच

• (देखिए—“एन इन्ट्रोडक्शन टु दि प्रोसिप्योर ऑफ दि हाउस ऑफ कॉमन्स”—लाईब बैबियन पृष्ठ 27)

के कार्य के लिए कोई और व्यवस्था होनी चाहिए और यह कार्य सम्पूर्ण सदन समिति को नहीं सौंपा जा सकता था। इसी अनुभव में आज की प्रवर समितियों का उदय नगर आता है। 17 वीं शताब्दी की स्थायी समितियाँ विशेष योग्यता के आधार पर नियुक्त होनी थीं, पर 18 वीं और 19 वीं शताब्दी की प्रवर समितियाँ केवल सदस्यता के आधार पर नियुक्त की जाती थीं। आगे चलकर विधायकों पर विचार करने के लिए स्थायी समितियों की भी नियुक्ति हुई। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में, तीन प्रकार की समितियाँ थी—सम्पूर्ण सदन समिति, प्रवर समिति व स्थायी समितियाँ। जाँच का काम अक्सर प्रवर समितियों को सौंपा जाता था, जो प्रत्येक सत्र के लिए नियुक्त होती थीं।

पिछले 50 वर्षों में भी समिति-प्रथा का विकास होना रहा है। 1921 में, पहले पहल एक प्राक्कलन समिति नियुक्त हुई थी। यह समिति युद्धकाल में स्थगित कर दी गई थी व इसका कार्य एक नई समिति को सौंपा गया था, जिसे 'नेशनल एक्स्पेन्डीचर कमेटी' अर्थात् स्थानीय व्यय की जाँच करने वाली समिति कहने से। युद्ध समाप्त होने पर पुनः प्राक्कलन समिति नियुक्त की गई। लगभग युद्धोपरान्त ही 'कमेटी ऑन स्टैचुटरी इन्फ्रमेट्स' की स्थापना हुई। 1954 से 'कमेटी ऑन नेशनलाइज्ड इन्डस्ट्रीज' नियुक्त की गई जो आज भी प्रयोग में है।

इंग्लैंड की समिति-व्यवस्था के विकास की यह विशेषता है कि वहाँ समितियाँ समुदाय कार्य-प्रणाली का एक अनिवार्य अंग बन कर उदित नहीं हुईं (जैसी कि स्थिति फ्रांस और अमरीका की समितियों के सम्बन्ध में है), बल्कि वहाँ समितियों का उदय प्रधानतया एक सुविधा के रूप में हुआ है। यही कारण है कि इंग्लैंड की समितियाँ अत्यधिक व्यापक हैं।

फ्रांस में समिति-प्रथा का विकास :

फ्रांस में समिति-प्रथा का आरम्भ राष्ट्रीय क्रान्ति के दिनों में हुआ, लेकिन उसके पहले भी 100 वर्षों तक वहाँ किसी न किसी रूप में समितियाँ थीं, ऐसा कुछ लोगो का कहना है।

1789 में, फ्रांस की विधान-सभा ने, स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाने के पहले ही कई समितियों को जन्म दे दिया था, जो आज की स्थायी समितियों की तरह थीं। प्रत्येक समिति एक विशिष्ट आज्ञा के अनुसार विशिष्ट विषय के लिए बना करती थी।

वाद में लेजिस्लेटिव एसेम्बली ने स्टैंडिंग आर्डर्स द्वारा एक समेकित समिति-व्यवस्था का निर्माण किया। शुरू में 21 समितियाँ नियुक्त की गई थीं, जिनके सदस्य 12, 24, या 48 सदस्यों तक हुआ करते थे। इन समितियों के नाम भी आज-कल की समितियों के अनुसार थे।

1791 के कन्वेंशन ने, इन व्यवस्था को अस्थायी रूप से स्वीकार किया। बाद में एक नए सिरे से समितियों को स्थापित करने की चेष्टा की गई। पीपरेट लिखता है, "1792 में 1795 तक के काल में कन्वेंशन की समितियाँ ही शान्तीय अधिकारों की वास्तविक अधिकारिणी थीं। इस काल की 'कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी' व 'कमेटी ऑफ जनरल मिनीस्ट्री' अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, जो अन्य 16 स्थायी समितियों के साथ न केवल कानून बनाने के प्रस्ताव देने का अधिकार रखती थीं, बल्कि यह भी अधिकार रखती थी कि वे देखें कि वह कानून ठीक तरह से लागू किया जा रहा है या नहीं।"

समिति की यह प्रथा कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, अतएव कन्वेंशन ने 1795 के सविधान में स्पष्टतः यह बतला दिया कि कोई भी सभा या काउन्सिल स्थायी समिति का निर्माण नहीं कर सकती। जब पुनः गणतन्त्र की स्थापना हुई तो कुछ स्थायी समितियों की नियुक्ति हुई। बाद में प्रत्येक सदन ने फिर प्रत्येक विधेयक पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई। यही आज की स्थायी समिति-प्रथा के विकास का आरम्भ था। 1848 की नेशनल एसेम्बली ने पहले तो 1790 की पूरी व्यवस्था लागू करने की चेष्टा की, किन्तु बाद में समितियों को स्थायी बनाकर केवल वार्षिक ही रखा।

1871 में, नेशनल एसेम्बली ने विभिन्न समितियों की आयोजना की व जल्दा प्रबन्ध दोनों सदनों को सौंपा। इन दिनों गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल थी। ऐसे विधेयकों पर पहले 'कमेटी ऑन पालियामेन्टरी इनिशियेटिव' द्वारा विचार किया जाता था और यदि वह समिति उनका अनुमोदन करती तो 11 दूरों द्वारा उन पर विचार होना व उसके बाद एक विभिन्न समिति उनकी परीक्षा करती। यह प्रक्रिया न केवल विलम्बकारी

* (दिक्वि-यूनिन-मेन्टरी-जनरल ऑफ दि चेम्बर ऑफ इयूरोप-ट्रीटाइज ऑन पोलिटिक्स, एनेन्टोन्स एण्ड पालियामेन्टरी राइट्स—1924)

थी, वरन् इसके परिणाम भी विचित्र होते थे। एक ही तरह के विधेयको पर उक्त प्रक्रिया के कारण ऐसे भिन्न-भिन्न परिणाम निकला करते थे जिनमें आपस में कभी कोई साम्य न होता। अतः जैसे-जैसे वैधानिक कार्य का विकास हुआ, दोनों चेम्बर्स ने 1839 की प्रथा का अनुकरण करना शुरू किया, जिसके अनुसार विधेयक को ऐसी समितियों के सम्मुख विचारार्थ भेजा जाता था, जो पहले से ही निर्मित रहती थी व एक तरह के सब विधेयको पर विचार करती थी। इस प्रकार परिस्थिति वक्त आज की स्थायी समितियों से मिलती-जुलती समिति-प्रथा का उदय होने लगा था। साथ ही कई स्थायी समितियाँ कहलाई जानेवाली समितियों का भी इस काल में जन्म हुआ। फिर भी नियमित रूप से समितियों की नियुक्ति का कई वर्षों तक विरोध होता रहा। अन्त में, 1902 में समिति-व्यवस्था को सुचारु रूप से प्रारम्भ किया गया। 1902 में, नेशनल एसेम्बली द्वारा अपनाई गई समिति व्यवस्था थोड़े अदल-बदल के साथ आज भी प्रयुक्त है। 1910 से 1915 तक स्थायी समिति 'ब्यूरो' से बनती थी किन्तु अब उनकी रचना विभिन्न दलों द्वारा अनुपानी प्रतिनिधित्व के आधार पर की जाती है। 1920 तक ये समितियाँ विधान-सभा के समकालीन होती थी, पर अब वे प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती हैं।

अमरीका में समिति प्रथा का विकास :

जैसा कि मद्द जानते हैं, अमरीका में समदीय प्रथा इंग्लैंड की देन थी। अनएव वहा समितियों का जन्म औपनिवेशिक काल में ही प्रारम्भ हुआ। ट्यूडर और स्टुअर्ट काल में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने उपनिवेशों की विधान-सभाओं को जो प्रोत्साहन दिया था, उनके परिणामस्वरूप अमरीका के वर्जीनिया, मेरीलैंड, आदि राज्यों में समितियों की स्थापना की गई। 1774 में, जब अमरीका में नवीन संविधान लागू हुआ तो कांग्रेस को शुरु से ही समितियों की आवश्यकता प्रतीत हुई। 1795 में, पहली बार 'कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स' की स्थापना हुई। उसका सभापति एलबर्ट गैलटिन नामक एक व्यक्ति हुआ करता था। उसने इस समिति को इतना प्रबल बनाया कि थोड़े ही काल में सरकार के सारे वित्तीय प्रस्ताव इस समिति के सामने आने लगे। 1795 से अभी तक के काल में समय-समय पर अनेक समितियाँ स्थापित की जाती रही हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अमरीका में समितियों की नक़्शा सदैव स्थिर या बढ़ती नहीं रही है, वरन् उनकी संख्या में कभी भी ह्रास नहीं हुआ। 1904 में, थियोडोर रूजवेल्ट के काल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 60 व मिनट में 55 समितियाँ थीं। हर्बर्ट हूवर के काल में अर्थात् 1930 में, इसने विपरीत

समितियों की संख्या कम हो गई थी। ट्रमन के काल में समितियों की संख्या में पुनः वृद्धि हुई थी।

समितियों की संख्या में, जहाँ एक ओर ह्रास या वृद्धि होती रही है, वहाँ समितियों की कार्य-प्रणाली में भी परिवर्तन होता रहा है। 1906 तक स्थायी समितियों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती थी, बाद में लोग अध्यक्ष के इन अधिकार से ईर्ष्या करने लगे और 1910-11 में, इस दिशा में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिससे अनुसार समितियों के सदस्यों की नियुक्ति के लिए वहाँ एक समिति की नियुक्ति की गई। 1945 में, अमरीकी समिति व्यवस्था (और समिति व्यवस्था ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण संसदीय प्रणाली) में एक महत्त्वपूर्ण घटना हुई। वह घटना थी कांग्रेस के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए एक संयुक्त समिति की नियुक्ति। इस समिति ने जो सुझाव दिए थे, उनमें समिति-व्यवस्था विषयक सुभाव महत्त्वपूर्ण है। इस समिति के सुझाव कांग्रेस द्वारा स्वीकृत किए गए और एक अधिनियम पारित किया गया, जो 'लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन ऐक्ट, 1946' के नाम से प्रख्यात है। इस अधिनियम के अनुसार, अमरीकी स्थायी समितियों के कृत्यों में जो परम्परा सीमोल्लघन था, वह दूर किया गया। समिति ने, विरोध या प्रकर समितियों का भी विरोध किया। समिति ने, सीनेट की समितियों की संख्या को 34 से घटा कर 15 किया व हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की समितियों की संख्या भी 49 से घटा कर 19 निश्चित की।

भारत में समिति-प्रथा का विकास :

भारत में समिति-प्रथा का प्रारम्भ प्रथम विधि-सभा की शुरुआत से अर्थात् 1854 से ही मिलता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल (1854-61) ने, 20 मई, 1854]

- "समिति" शब्द हिन्दी में "कमेटी" के लिए किस प्रकार प्रयुक्त होने लगा, यह कहना कठिन है। प्राचीन भारत में जब "सभा" और "समिति" शब्दों का प्रयोग होता था तो वह दूसरे अर्थों में था। ऋग्वेद में, जहाँ सर्वप्रथम "सभा" और समिति शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहाँ "सभा" से अर्थ व्योवृद्धों की सभा, बुद्धिमानों का समूह तथा धीमान् से था। "समिति" शब्द का प्रयोग वहाँ लोगों की आम-सभा से था। ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद में, इन्हीं अर्थों में "सभा" और "समिति" शब्द प्रयुक्त हुए हैं।

को अर्थात् पहली बैठक में ही अपने 'स्टैंडिंग ऑर्डर्स' बनाने के लिए एक समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति के 4 सदस्य थे। इसके विना विधेयकों के खण्डों पर विचार करने के लिए एक प्रवर समिति को साक्ष्य लेने विषयक अधिकार न दिए जाने पर भी उस समय विचार किया गया था। 1856 में, एक प्रवर समिति भी उस कार्य के लिए नियुक्त की गई थी। चूंकि उसमें कार्यकारिणी व विधायी संस्था के सम्बन्ध का प्रश्न निहित था, उस समिति का कार्य खण्डों पर विचार करने तक ही सीमित रहा। लेजिस्लेटिव काउंसिल (1854-61) में एक संपूर्ण सदन-समिति नियुक्त करने की भी प्रथा थी, जो प्रवर समितियों द्वारा विचार किए जाने पर विधेयकों पर विचार करती थी। पहली बार ऐसी संपूर्ण सदन-समिति 1 जुलाई, 1854 को नियुक्त हुई थी। उसके बाद भी संपूर्ण समिति की नियुक्ति कई अवसरों पर हुई थी। 1862-1920 के काल में, वित्तीय विवरण पर विचार करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा संपूर्ण सदन-समिति की नियुक्ति का भी गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया डिस्पैच, 1908 में उल्लेख मिलता है। संपूर्ण सदन समिति की ही तरह प्रवर समितियों की प्रथा भी पहले से थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल (1854-61) एक प्रवर समिति नियुक्त किया करती थी, जिसका काम काउंसिल के प्रत्येक सदस्य को बकाया काम का वितरण करना था।

आधुनिक काल में भारत में ससदीय समितियों का विकास 1921 से मिलता है। 1922* में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव एमेम्बली द्वारा लोक-लेखा-समिति और संयुक्त

कदाचित् आज के अर्थ में समितियों का तब प्रयोग ही न था। बौद्धकाल में आज की 'सभापति-नालिका' जैसी एक व्यवस्था थी, जिसे 'उद्वाहिका सभा' कहा जाता था जिसमें विभिन्न दलों के नेतागण हुआ करते थे व जिसका उद्देश्य सभा को किसी निश्चय पर आने में मदद करना हुआ करता था। शायद उसी से 'समिति' का आरम्भ हुआ। फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि 'समिति' शब्द का प्रयोग मनुचित अर्थ में कब से होने लगा।

- * इस सम्बन्ध में एक और प्रकार की समितियों का उल्लेख करना चाहिए, जो यद्यपि पूर्ण अर्थ में ससदीय समितियाँ तो न थी, क्योंकि उनके लिए ससदीय प्रक्रिया में कोई व्यवस्था न थी, फिर भी वे ससद् सदस्यों में गठित होती थी व उनकी नियुक्ति भी ससद् में पारित प्रस्ताव द्वारा

य प्रवर समिति की स्थापना की गई थी। लोक-लेखा-समिति प्रत्येक वर्ष नियुक्त की जाती थी व उसके 12 सदस्य हुआ करते थे। समिति के निम्न कार्य होते थे :—

- (1) इस बात का समाधान करना कि विधान-सभा द्वारा अनुमोदित वित्त उसी प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराया गया है, जो विधान-सभा के अनुदान में उल्लिखित था।
- (2) विधान-सभा को निम्न बातों से सूचित करना :—
 - (अ) एक अनुदान से दूसरे अनुदान में लगाए गए पुनर्विनियोजन,
 - (ब) वित्त-विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों के विरुद्ध एक ही अनुदान के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन;
 - (स) ऐसे अन्य व्यय, जिनके बारे में वित्त-विभाग ने विधान-सभा को सूचित करने का आदेश दिया हुआ हो।

प्रवर समितियाँ, विधेयकों पर विचार होते हुए किसी सदस्य के तदुद्देश्यक प्रस्ताव पारित किए जाने पर नियुक्त हुआ करती थी। जिस विभाग से विधेयक का

होती थी। ये विभिन्न विभागों के लिए नियुक्त 'स्थायी समितियाँ' थीं। ये समितियाँ 1922 में, पहली बार नियुक्त की गई थीं। इनका उद्देश्य सदस्यों को विभागीय, कार्य से परिचित कराना तथा विधि-सभा और सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित कराना था। आरम्भ में, इन समितियों के सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा हुआ करती थी, पर 1931 से इन सदस्यों का चुनाव स्वयं विधि-सभा द्वारा किया जाने लगा। इन्हीं में मिलनी-जुलती समितियाँ, वित्त-विभाग व रेल-विभाग के लिए नियुक्त स्थायी वित्तीय समितियाँ थीं। ये सब समितियाँ स्वतन्त्रता मिलने के बाद समाप्त कर दी गईं, क्योंकि यह अनुभव किया गया कि जब कार्यकारी (सरकार) समझ के प्रति उत्तरदायी है, तब इस प्रकार की समितियों की कोई आवश्यकता नहीं। इन समितियों का स्थापित हर्षणा विभाग विशेष का गन्ती होता था। अब इन समितियों का स्थान प्रत्येक मन्त्रालय की अनौपचारिक सलाहकार समितियों ने ग्रहण कर लिया है, जिसका विवरण परिशिष्ट 3 में दिया गया है।

सम्बन्ध हो, उस विभाग का मंत्री, विधेयक पेश करनेवाला सदस्य तथा गवर्नर जनरल की एक्जीक्यूटिव काउंसिल का विधि-सदस्य (यदि वह एसेम्बली का सदस्य हो तो) प्रवर समिति के सदस्य हुआ करते थे। इन दो सदस्यों के अतिरिक्त, प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य समिति के सदस्य नियुक्त किए जाते थे, यदि कानून मंत्री समिति का सदस्य होता तो वही समिति का सभापति नियुक्त किया जाता था। सम्बन्धित विभाग के मंत्री को, समिति का सदस्य न होते हुए भी समिति की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता था। प्रवर समितियाँ आज की तरह सभा को प्रतिवेदन भी पेश करती थी। प्रतिवेदन पेश होने तक समिति का कार्य गुप्त माना जाता था। यदि कोई सदस्य चाहता तो वह विमर्श-टिप्पणी देने के अधिकार का भी प्रयोग कर सकता था। प्रतिवेदन सभा को पेश होने के बाद, यदि कोई सदस्य चाहता तो उसे पुनः प्रवर समिति नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव पेश करने का अधिकार होता था।

प्रवर समिति जिन अवस्थाओं में नियुक्त होती थी, उन्हीं अवस्थाओं में समुक्त प्रवर समिति की नियुक्ति के लिए भी प्रस्ताव पेश किया जा सकता था। समुक्त प्रवर समिति में दोनों सदनों के सदस्य हुआ करते थे। समुक्त प्रवर समिति का सभापति समिति द्वारा चुना जाता था। समिति की बैठकों का समय तथा स्थान काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता था।

1922 के नियमों में, एक और समिति की योजना की गई जो सभा के स्टैंडिंग ऑर्डर्स के सम्बन्ध में दिए गए मसौदों पर विचार करने के लिए थी। यह समिति सभा द्वारा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पारित होने पर नियुक्त की जाती थी। अध्यक्ष इसका सभापति हुआ करता था व उपाध्यक्ष इसका सदस्य हुआ करता था। इनके अतिरिक्त 7 अन्य सदस्य इसके सदस्य हुआ करते थे।

० इन सम्बन्ध में, एक मनोरञ्जक घटना उल्लेखनीय है। 1922 में, समुक्त प्रान्त सरकार ने, वहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल की एक समिति के अधीन विषय पर एक प्रेस-विज्ञापन जारी की। यह समिति के विधेय-धिकार की अवहेलना थी। अतएव सरकार को समिति में क्षमा मागनी पड़ी। (देिए "ए हैण्डबुक ऑफ इन्डियन लजिस्लेचर्म" आर० आर० सङ्केतना पृष्ठ 151)

1926 में, एक और समिति की स्थापना की गई थी और वह थी याचिका-समिति। यह समिति प्रत्येक सत्र के आरम्भ में नियुक्त होती थी व उसके 4 सदस्य हुआ करते थे। उपाध्यक्ष इनका सभापति हुआ करता था। सदस्य का नाम अध्वश निर्देशित किया करते थे। समिति, प्रत्येक सौपी गई याचिका पर, विचार कर सभा को प्रतिवेदन पेश किया करती थी। इसके सिवा इस समय प्रवर समितियों के कुछ अन्य नियमों में भी परिवर्तन किए गए थे, उदाहरणार्थ यह तय किया गया कि प्रवर समितियों की बैठकों के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता होगी। इसी तरह यह भी प्रथा हो चली थी कि प्रवर समितियों की रिपोर्टें जत्र पेश होंगी, तब विधेयक पर बहस जहाँ तक हो सके, केवल उन विषयों पर होगी; जिन विषयों पर प्रवर समिति ने कुछ कहा हो। इसके बाद, 1947 तक समिति-व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। इस काल में, राजनैतिक वाद विवाद पर अधिक जोर दिया जाता था और सदस्यों का ध्यान इस बात पर कम था कि विधेयक संयुक्त समिति से पारित होता है या एक ही सभा की समिति से। यह कहना भी गलत न होगा कि संसद-सदस्यों के कार्य का ढोल, ससद के बाहर अधिक था और अन्दर कम।

स्वतन्त्रता मिलने के बाद संसद के रचनात्मक ध्येय पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा और यह विचार किया जाने लगा कि ससद को किस प्रकार वास्तविक रूप में सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सस्था बनाया जाए। यह कहना गलत न होगा कि सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव एसेम्बली को उतने अधिकार न थे, जितने स्वतन्त्रता के बाद संसद को सविधान ने दिए। अनएव स्वतन्त्रता के पहले संसद-सदस्यों के विशेषाधिकार या सरकारी आश्वासनों पर निगरानी रखने आदि का प्रश्न ही नहीं उठता था। इस काल में, मावलकर जैसे स्वतन्त्र विचारवाले व्यक्ति का अग्रस्त होना भी एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि उन्होंने संसदीय प्रभुत्ता को यथार्थ बनाने की चेष्टा की और इस दिशा में संसदीय प्रक्रिया में जितने भी परिवर्तन आवश्यक थे किए भले ही वे परिवर्तन समितियों के विषय में रहे या प्रश्नों के विषय में।

इस नवीन परिस्थिति के परिणामस्वरूप 1950 में नियम-समिति, प्राक्कलन समिति तथा विशेषाधिकार-समिति की स्थापना हुई। 1952 में, कार्य-मूल्या-समिति की स्थापना की गई। पुनः 1953 में ससद की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में एक समिति, सरकारी आश्वासनों पर विचार करने के लिए समिति व

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की स्थापना हुई। समिति-व्यवस्था के अत्याधुनिक विकास का उदाहरण 1954 में नियुक्त, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति, सामान्य प्रयोजन-समिति तथा सदस्यों के भत्ते व बेतन सम्बन्धी संयुक्त समिति है। हाल में दो नवीन समितियाँ स्थापित की गई हैं और वे हैं लाभ के पदों पर विचार करने के लिए नियुक्त होनेवाली लाभपदों सम्बन्धी समिति (1959), व सरकारी उपक्रमों से सम्बन्ध रखनेवाली समिति (1964)।

अध्याय 4

समितियों के प्रकार

प्रत्येक देश की विभिन्न ससदीय व्यवस्थाओं तथा वहाँ की राजनैतिक प्रणाली के अनुसार वहाँ की समितियों में परस्पर भेद होना स्वाभाविक है। यह भी आवश्यक नहीं कि एक देश में एक ही प्रकार की समितियाँ हों। एक विशिष्ट व्यवस्था के अन्तर्गत रहते हुए भी प्रयोजन की भिन्नता के अनुसार कई प्रकार की समितियाँ हो सकती हैं। मुख्य देशों की समितियों को देखते हुए समितियों को निम्न श्रेणियों में रखा जा सकता है —

1. स्थायी समितियाँ,
2. विशिष्ट समितियाँ अथवा प्रवर समितियाँ;
3. संयुक्त समितियाँ;
4. सम्पूर्ण सदन समितियाँ; तथा
5. सभाभाग।

स्थायी समितियाँ :

स्थायी समितियाँ, वे समितियाँ हैं, जो किसी विशिष्ट विषय या विषयों की जाँच के लिए सभा द्वारा नियुक्त की गई हों। अन्य सभी समितियों में स्थायी समितियाँ अत्यन्त सुगठित रूप में पाई जाती हैं। स्थायी समितियों का विभिन्न देशों में स्वरूप अलग-अलग है और उनके नामों में भी थोड़ा बहुत अन्तर है, जैसे फ्रांस में उन्हें 'परमानेंट कमेटी' व इंग्लैंड में 'स्टैंडिंग कमेटी' कहा जाता है। एक ही नाम होते हुए उनके स्वरूप में भेद हो सकता है, जैसे अमरीका और इंग्लैंड दोनों देशों में, 'स्टैंडिंग कमेटी' शब्द प्रचलित है, पर जहाँ अमरीका की 'स्टैंडिंग कमेटी' अपने क्षेत्र में किसी विधेयक पर विचार करती है, वहाँ इंग्लैंड की 'स्टैंडिंग कमेटी' केवल उन्हीं विधेयकों पर विचार करती है, जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स ने खास कर उन्हें सौंपा हो। इसके विपरीत सारी स्थायी समितियों में एक बात सामान्य

है, जो प्रवर समितियों अथवा संयुक्त समितियों में नहीं मिलती और वह यह कि इनमें समिति की अवधि लम्बी होती है, और विषय हमेशा के लिए निर्धारित होते हैं। उनकी सदस्यता भी अन्य समितियों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक होती है। अवधि के बारे में, यह कहा जा सकता है कि नाधारणतया उनकी अवधि उतनी ही होती है, जितनी कि विधान-सभा की अर्थात् यह प्रायः आम चुनावों के बाद निर्वाचन सभा द्वारा नियुक्त होती है और सभा के कार्यकाल तक रहती है। विषयों के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि ससद भले ही आम चुनाव के बाद पुनर्गठित हो जाए, पर समितियों के उद्देश्य वही बने रहते हैं। उदाहरणार्थ, अमरीका की स्थायी समितियों के कृत्य 1946 के लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन ऐक्ट के बाद से बराबर वही बने रहे हैं।

अमरीका में स्थायी समितियों का प्रचार अत्यधिक मात्रा में है। कहा जाता है कि किसी समय अमरीका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तथा सीनेट में कुल मिलाकर लगभग 500 स्थायी समितियाँ थी, पर पूर्वोक्त लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन ऐक्ट के बाद से, अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 19 स्थायी समितियाँ व सीनेट में 14 समितियाँ हैं। जैसा कि परिशिष्ट 4 से विदित होगा, ये समितियाँ राज्य के सारे विषयों पर पारस्परिक विचार विमर्श करती हैं। यह आवश्यक नहीं कि इन समितियों में सभी की बैठकें व इनके कार्य समान हों। अमरीका में मन्त्रीमण्डल की प्रथा न होने के कारण, सभी विषयों की कांग्रेस की किसी न किसी समिति द्वारा जांच किया जाना अब भी वहाँ की जनता को आवश्यक प्रतीत होता है।

इंग्लैण्ड में भी स्थायी समितियों की प्रथा है। ये समितियाँ तदर्थ समितियों व अमरीकी स्थायी समितियों का समन्वय हैं। वहाँ मुख्यतः 3 स्थायी समितियाँ हैं

(1) स्काटिश स्टैंडिंग कमेटी (2) स्टैंडिंग कमेटी ऑन गवर्नमेंट बिजनेस, तथा (3) स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस। द्वितीय महायुद्ध के पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में 5 से अधिक स्थायी समितियाँ नहीं नियुक्त की जा सकती थी, पर अब चाहे जितनी स्थायी समितियाँ नियुक्त की जा सकती हैं। अमरीका और फ्रांस के विपरीत, इंग्लैण्ड की स्थायी समितियों (स्टैंडिंग कमेटीज) का फोर्ड खाग नाम नहीं होना और वे विधेयकों की सत्या के अनुसार स्टैंडिंग कमेटी 'ए.' स्टैंडिंग कमेटी 'बी' आदि अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों के अनुसार सूचित की जाती है। इंग्लैण्ड में स्थायी समितियों को, "सम्पूर्ण सदन-समितियों का अंश" कहा गया है। सर्वप्रधानिक व इस तरह के अन्य महत्वपूर्ण विषयों को छोड़कर शेष पर स्थायी समितियों द्वारा ही विचार

किया जाता है। अमरीका की तरह इंग्लैंड में भी जब स्थायी समितियाँ नियुक्त की गई थी, तो उद्देश्य यह था कि विधेयकों की हिस्सों के अनुसार विभिन्न समितियाँ हों, पर प्रत्येक सत्र में हर विषय पर समान माला में विधेयक पेश न हो सकने के कारण इस उद्देश्य को परिवर्तित करना पड़ा और अब केवल आवश्यकतानुसार ही वहाँ समितियाँ नियुक्त की जाती हैं।

इंग्लैंड की तुलना में, फ्रांस में समितियों का प्रचार अधिक है। वहाँ इस तरह की आजकल 19 समितियाँ हैं, जो किसी न किसी सरकारी क्षेत्र के कार्य पर विचार करती हैं। प्रथा यह है कि नेशनल एसेम्बली का प्रेजिडेंट (अध्यक्ष) जब किसी विधेयक को एसेम्बली के सामने लाता है तो उसे उपयुक्त समिति के सामने विचारार्थ पेश किया जाता है। यदि प्रेजिडेंट विधेयक को उपयुक्त स्थायी समिति के सम्मुख न ला सके तो एसेम्बली यह निर्णय करती है कि विधेयक किस समिति को विचारार्थ पेश किया जाएगा। समितियों के महत्त्व के कारण फ्रांसीसी समिति-प्रणाली में यह एक प्रथा है कि कोई सदस्य दो से अधिक स्थायी समितियों का सदस्य नहीं हो सकता।

स्थायी समितियों की प्रथा कनाडा में भी प्रचलित है। वहाँ प्रतिवर्ष हाउस ऑफ कॉमन्स में 17 स्थायी समितियाँ नियुक्त की जाती हैं। ये समितियाँ विधेयकों तथा प्राक्कलनों पर विचार करने के लिए नियुक्त की जाती हैं। कभी-कभी ये किसी जाँच के लिए भी नियुक्त की जाती हैं। इन समितियों की नियुक्ति के लिए वहाँ हर एक सत्र के प्रारम्भ में, एक "कमेटी ऑन सेलेक्शन" नियुक्त की जाती है, जो उपयुक्त समितियों के लिए सदस्य चुनती है। कनाडा की समिति प्रथा की यह विशेषता है कि वहाँ स्थायी समितियाँ होते हुए सम्पूर्ण सदन समितियाँ भी हैं; इस मामले में, वहाँ इंग्लैंड और अमरीका की समिति-व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण नजर आता है।

ऑस्ट्रेलिया में भी स्थायी समिति की प्रथा है। वहाँ केवल 5 स्थायी समितियाँ नियुक्त की जाती हैं - (1) कमेटी ऑफ प्रिविलेज (2) लाइब्रेरी कमेटी (3) हाउस कमेटी (4) प्रिंटिंग कमेटी, तथा (5) स्टैंडिंग ऑर्डर्स कमेटी। इन स्थायी समितियों की रचना और कार्य-पद्धति इंग्लैंड की पद्धति के अनुरूप ही है।

फ्रांस, अमरीका, व उपयुक्त राष्ट्रमंडलीय देशों के अतिरिक्त यूरोप के

• इन समितियों के नाम परिशिष्ट 4 में देखिए।

विभिन्न देशों में भी स्थायी समितियों की नियुक्ति की प्रथा है। उदाहरणार्थ :—

बेल्जियम : यहाँ एक सदन में 17 व दूसरे सदन में 15 स्थायी समितियों की नियुक्ति की प्रथा है। ये समितियाँ फ्रांस की पार्लियामेन्ट कमेटीज के अनुरूप काम करती हैं। समितियों का उद्देश्य विधेयकों तथा याचिकाओं पर विचार करना होता है। ये समितियाँ विभिन्न सरकारी विभागों के अनुरूप होती हैं।

इटली : वहाँ दोनो सदनो में 11 स्थायी समितियाँ नियुक्त की जाती हैं। ये समितियाँ भी फ्रांस की स्थायी समितियों के अनुरूप होती हैं।

नार्वे : वहाँ 12० स्थायी समितियाँ होती हैं। ये अमरीकी स्थायी समितियों के अनुरूप ही हैं।

स्वीडन : वहाँ 9० स्थायी समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है।

संघीय जर्मन गणराज्य . वहाँ के बुन्डेस्टैग में 28 स्थायी समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है। ये समितियाँ अमरीकी स्थायी समितियों से मिलती-जुलती हैं।

इसी तरह रूस, यूगोस्लाविया, आस्ट्रिया, जापान, स्पेन, इजराइल, फिनलैंड, लुक्सेम्बर्ग, नीदरलैंड, आदि में भी स्थायी समितियाँ नियुक्त की जाती हैं।

भारतीय ससदीय प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों में यद्यपि कहीं 'स्थायी समिति' शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ किमो न किसी अर्थ में स्थायी समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है। भारत में इन्हे 'ससदीय समितियों' की संज्ञा दी गई है। इन समितियों के उदाहरण हैं लोक-सभा के अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, विशेषाधिकार-समिति, इत्यादि राज्य सभा की याचिका-समिति, विशेषाधिकार-समिति, इत्यादि। इन समितियों का विस्तृत विवेचन अध्याय 5 में किया गया है।

भारतीय स्थायी समितियाँ अन्य देशों की स्थायी समितियों से इसलिए

• नार्वे में नियुक्त स्थायी समितियों के नाम परिशिष्ट 4 में देखिए।

• स्वीडन में नियुक्त स्थायी समितियों के नाम परिशिष्ट 4 में देखिए।

भिन्न है कि जहाँ अन्य देशों की स्थायी समितियों का उद्देश्य, मुद्दतः विधेयको पर विचार करना है, वहाँ भारतीय स्थायी समितियाँ विधेयको पर बिल्कुल विचार नहीं करती। फिर भी इन्हें स्थायी समिति इसलिए कहा जाता है कि ये प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती हैं और इनके कार्य स्थायी हैं। इस प्रकार के उदाहरण श्रीलंका (स्टैंडिंग हाउस कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन पब्लिक पिटीशन्स, स्टैंडिंग कमेटी ऑन पब्लिक एकाउन्ट्स) बर्मा (प्रीविलेज्ज कमेटी, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी) में भी मिलते हैं।

विशिष्ट समितियाँ अथवा प्रवर समितियाँ : -

प्रवर समितियाँ वह समितियाँ हैं, जो सभा के आन्तरिक विषयों पर विचार करने के लिए अथवा महत्त्वपूर्ण जाँच करने के लिए अथवा कभी कभी तकनीकी विचार करने के लिए सभा द्वारा नियुक्त की जाती हैं। पिछले दो उद्देश्यों से निर्मित समितियों को कभी कभी तत्पर्य समिति भी कहा जाता है। इन दोनों ही प्रकार की समितियाँ, कुछ देशों में विशिष्ट समितियों के नाम से भी जानी जाती हैं।

इंग्लैंड में प्रवर समितियों के दो भेद हैं (1) विशिष्ट प्रश्नों अथवा विधेयको पर विचार करने के लिए समय-समय पर नियुक्त समितियाँ और (2) प्रत्येक सत्र में लगभग निश्चित विषयों पर जाँच करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ। पहले प्रकार की समिति का उदाहरण 'कमेटी ऑन पार्लियामेन्टरी डेवलपमेन्ट्स (स्पीकर्स सीट 1938 39)' है और दूसरी का उदाहरण सेलेक्ट कमेटी ऑन एस्टीमेट्स, सेलेक्ट कमेटी ऑन पब्लिक एकाउन्ट्स आदि हैं। दूसरी प्रकार के समितियों की पुनः दो भेद हैं (1) स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अनुरूप नियुक्त की गई समितियाँ और (2) सभा के प्रस्ताव द्वारा नियुक्त समितियाँ। सेलेक्ट कमेटी ऑन पब्लिक एकाउन्ट्स आदि समितियाँ स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अनुसार नियुक्त होती हैं और कमेटी ऑन प्रिविलेज्ज, स्टैंचुटरी इन्स्ट्रुमेन्ट कमेटी आदि प्रत्येक सत्र में सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर नियुक्त की जाती हैं।

अमरीका में भी कभी-कभी विशिष्ट समितियाँ नियुक्त की जाती हैं, पर यह बिल्कुल अपवाद के तौर पर होता है। लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेसन सभ, 1946 ने विशिष्ट समितियों की नियुक्ति का सख्त विरोध किया था। (देखिए "लेजिस्लेटिव प्रामेज इन काप्रेस" गैलोवे—पृष्ठ 306)

आयरलैंड में, प्रत्येक सभा के कार्य-काल में निम्न प्रवर समितियाँ नियुक्त की जाती हैं (1) सेलेक्ट कमेटी ऑन लाइब्रेरी (2) सेलेक्ट कमेटी रेस्टोरेन्ट (3) सेलेक्ट कमेटी ऑन कन्मोलिडेशन ऑफ बिल्स (4) सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसिज्योर एण्ड प्रिविलेजेस (5) सेलेक्ट कमेटी ऑन सेलेक्शन ऑफ मेम्बर्स (6) सेलेक्ट कमेटी ऑन प्राइवेट बिल एण्ड स्टैंडिंग ऑर्डरें । इसके विपरीत डेनमार्क में प्रवर समितियों की प्रथा बहुत प्रचलित है ।

आयरलैंड की तरह बेल्जियम में भी प्रत्येक सदन में प्रवर समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है, लेकिन ये विशिष्ट समितियों के नाम से जानी जाती हैं । उदाहरणार्थ (1) क्रिडेन्शियल्स कमेटी (2) स्टैंडिंग ऑर्डर्स एमेन्डमेन्ट कमेटी (3) फाइनेन्स एण्ड अदर एप्रोप्रियेशन कमेटी तथा (4) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त समितियाँ । दक्षिणी अफ्रीका में भी प्रत्येक सदन के लिए प्रवर समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है, उदाहरणार्थ वहाँ निम्न समितियाँ प्रत्येक सदन के आरम्भ में नियुक्त की जाती हैं —

- 1) कमेटी ऑन स्टैंडिंग रूल्स एण्ड ऑर्डर्स
- 2) प्रिटिंग कमेटी
- 3) बिजिनेस कमेटी
- 4) पब्लिक एकाउंट्स कमेटी
- 5) रेलवेज एण्ड हाब्संस कमेटी
- 6) पेंशन्स ग्रान्ट्स एण्ड ग्रंथपूटीज कमेटी
- 7) क्राउन लैंड्स कमेटी
- 8) नेटिव एफेयर्स कमेटी
- 9) इरिगेशन मैटर्स कमेटी
- 10) इटरनल अरेन्जमेन्ट्स कमेटी, तथा
- 11) लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेन्ट कमेटी

कनाडा में भी प्रवर अथवा विशिष्ट समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है । कुछ विशिष्ट समितियाँ, उदाहरणार्थ, "कमेटी ऑन रेलवेज एण्ड सिविल" वहाँ

प्रत्येक सल में नियुक्त होती है व इस प्रकार की समितियाँ स्थायी समितियों से मिलती-जुलती हैं।

फ्रांस, इटली, नारवे और आस्ट्रेलिया में भी प्रवर या विशिष्ट समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है, पर उनका प्रचलन कम है। इसके विपरीत डेनमार्क में प्रवर समितियों की प्रथा बहुत अधिक प्रचलित है। अमरीका में स्थायी समितियों की प्रथा अत्यधिक व्यापक होने के कारण, वहाँ प्रवर समितियों की नियुक्ति की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी वहाँ प्रवर समितियों की नियुक्ति की प्रथा है। अभी तक वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 34 प्रवर समितियाँ नियुक्त हो चुकी हैं, जिनमें निम्न 5 पिछले कुछ वर्षों में अधिक ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं : (1) दि सेलेक्ट कमेटी ऑन फारेन एंड (2) फटिन कमेटी (3) दि कमेटी ऑन कम्युनिस्ट एग्जेशन (4) दि कमेटी ऑन सर्वाइवर बेनेफिट्स (5) दि कमेटी ऑन न्यूज प्रिंट सफ्लाइज (6) दि कमेटी ऑन वेटरन एजुकेशन (7) दि कमेटी ऑन पार्नोग्राफिक मॉटिवियल्स (8) दि कमेटी ऑन स्पेस तथा (9) दि कमेटी ऑन स्माल बिजनेस।

भारत में लोक-सभा और राज्य-सभा दोनों में प्रवर समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है, पर ये समितियाँ केवल विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त की

- 1) अमरीका में प्रवर समितियों की स्थापना के उद्देश्य कुछ विशेष रहे हैं। ये उद्देश्य हैं (अ) ऐसे मामलों से सम्बद्ध दलों को स्थान दिलाना जिन्हें स्थायी समितियों में स्थान नहीं मिल पाया, (ब) व्यक्तिगत समस्याओं के मुलज्ञाने के लिए अथवा किसी व्यक्ति के अनुभव व उसकी विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए, (स) किसी स्थायी समिति के परिहार करने के लिए, जब यह समझा जाता हो कि वह स्थायी समिति प्रयोगन के लिये अनुपयुक्त है। (द) जब एक ही विषय कई स्थायी समितियों के कार्य-क्षेत्र में आता है, तब इस अतिरिक्तादन को दूर करने के लिए।

पहले उद्देश्य से निर्मित प्रवर समिति का उदाहरण है : कम्युनिस्ट एग्जेशन की परीक्षा के लिए नियुक्त फॉटिन कमेटी। दूसरी का उदाहरण है : कमेटी ऑन न्यूजप्रिंट सफ्लाइज। तीसरी के उदाहरण हैं : कमेटी ऑन फारेन एंड तथा कमेटी ऑन वेटरन एजुकेशन। चौथी के उदाहरण हैं : कमेटी ऑन सर्वाइवर बेनेफिट्स।

जाती हैं। प्रथम लोक-सभा के कार्य-काल में, लोक-सभा व राज्य-सभा दोनों में 58 प्रवर समितियाँ नियुक्त की गई थी। द्वितीय लोक-सभा के कार्य-काल में बेचल लोक-सभा में 39 प्रवर समितियाँ नियुक्त की गई थी। लोक-सभा में समय-समय पर तदर्थ समितियाँ भी नियुक्त की गई हैं, जैसे लाभपदो सम्बन्धी समिति, प्रत्येक पाँच वर्ष बाद नियुक्त की जानेवाली रेलवे अभिसमय समिति, हिन्दी शब्दावली समिति, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विचार करने के लिए नियुक्त समितियाँ इत्यादि। इन समितियों का विस्तृत वर्णन परिशिष्ट 2 में दिया गया है। विभी अर्थ में भारत की सभी प्रवर समितियाँ विशिष्ट समितियाँ हैं, क्योंकि जहाँ इम्पेण्ड आदि देशों में विधेयकों पर विचार करने के लिए नियमित रूप से समितियाँ नियुक्त की जाती हैं, वहाँ भारत में जब प्रत्येक विधेयक पर विचार करना हो तभी समिति नियुक्त की जाती है व कार्य होने पर वह अपने आप विघटित भी हो जाती है। ऐसी ही प्रया वर्मा, श्रीलंका व आयरलैण्ड में है।

सयुक्त समितियाँ :

जैसाकि इसके शब्दार्थ से ही पता चलता है, सयुक्त समितियाँ दो सदनों की समितियों का योग है। यह योग दो सदनों द्वारा अलग-अलग समितियाँ स्थापित करते हुए, यदि वे एक साथ काम करें, तो भी हो सकता है (उदाहरणार्थ, अमरीका की 'कमेटी ऑन एटॉमिक एनर्जी,' जिसमें समिति की रिपोर्ट दोनों सदनों को प्रस्तुत की जाती है) अथवा यह एक ही सदन की समिति हो सकती है, पर उसमें दूसरे सदन के प्रस्ताव से, उसके सदस्य इसमें नाम निर्देशित हो सकते हैं। भारतीय सदन की सयुक्त समितियाँ इसी प्रकार नियुक्त की जाती हैं।

अमरीका में सयुक्त समितियों का अत्यधिक प्रचार है। वहाँ कांग्रेस की 10 स्थायी संयुक्त समितियाँ हैं, जिनमें निम्न उल्लेखनीय हैं —

- (1) कोलम्बिया के पुनर्गठन के लिए नियुक्त सयुक्त समिति,
- (2) विदेशी कार्यों पर विचार करने वाली सयुक्त समिति,
- (3) मुद्रणालय सयुक्त समिति,
- (4) सरदा उत्पादन सयुक्त समिति तथा,
- (5) अणुशक्ति सयुक्त समिति,

इन स्थायी संयुक्त समितियों के अतिरिक्त कभी-कभी वहाँ संयुक्त जांच समितियाँ भी नियुक्त की जाती हैं, जैसे कांग्रेस के सगठन पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त जांच समिति। इन संयुक्त समितियों की नियुक्ति से ही मिलती-जुलती अमरीका में एक और प्रथा है, 'जिसे कॉन्फ़ेस कमेटी' की प्रथा कहते हैं। जब दो सदन एक ही विषय के विधेयक को अलग-अलग तरीके से पारित करते हैं तो उस मतभेद पर विचार करने के लिए दोनों सदनों के अध्यक्षों द्वारा ऐसी समितियाँ नियुक्त की जाती हैं। अनुभव से यह देखा गया है कि औसतन विधेयको व सक्ल्पो के 1/10 से 1/12 हिस्सों में कॉन्फ़ेस समितियों की प्रथा अपनाई गई है व इस तरह दो सदनों के मतभेद को दूर किया गया है। दक्षिणी अफ्रीका में, अमरीका की तरह स्थायी संयुक्त समितियाँ तो नहीं हैं, पर वहाँ बॉनफ़ैरिंग कमेटी अर्थात् विमर्श-समिति नियुक्त करने की प्रथा है। कॉन्फ़ेस का प्रचार स्विट्ज़रलैंड में भी है। वहाँ उसे 'कॉन्फ़ेस ऑफ एग्रोमेन्ट' कहते हैं। कॉन्फ़ेस का निमाणं दोनों सदनों की तदर्थ समितियों के एकीकरण से होता है। अमरीकी 'बॉन्फ़ेस कमेटी' से मिलती-जुलती समितियाँ सघीय जर्मन गणराज्य में, 'परमानेंट आर्बिट्रेशन कमेटी' के रूप में देखी जा सकती हैं। जिसमें बुन्डेस्टैग व बुन्डेन्स्रैट के 11 सदस्य होते हैं। इस समिति का काम, यदि दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे सुलझाना है। इस तरह की समितियाँ आस्ट्रिया में भी पाई जाती हैं।

अमरीका की भाँति आस्ट्रेलिया में भी संयुक्त समितियों का प्रचलन है। वहाँ जिनकी स्टैंच्युटरी अर्थात् संवैधानिक समितियाँ हैं, वे सभी संयुक्त समितियाँ हैं। इनके सिवा विदेशी मामलों पर विचार करने के लिए व सविधान सम्बन्धी विषयों पर विचार करने के लिए भी वहाँ संयुक्त समितियाँ हैं। युद्धकाल में, आस्ट्रेलिया में 7 स्थायी समितियाँ हुआ करती थी, जैसे —

- (1) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन सोशल सिक्वोरिटो,
- (2) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन वार एक्स्पेन्डीचर,
- (3) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन प्रॉफ़िट्स,
- (4) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन रूरल इन्डस्ट्रीज,
- (5) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन टैक्सेशन,
- (6) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन मैनपावर एन्ड रिसोर्सेज तथा,
- (7) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन ब्रॉडकास्टिंग।

अमरीका, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और स्विट्जरलैण्ड के अतिरिक्त इंग्लैण्ड, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी व कनाडा में भी संयुक्त समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है। इंग्लैण्ड में एक संयुक्त समिति प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती है और वह है 'कन्सॉलिटेशन बिल ज्वाइन्ट कमेटी'। इस संयुक्त समिति का काम एक सभा के कार्यकाल में पारित समस्त विधेयकों पर विचार करना होता है। स्टैंचूला रिवीजन बिल पर विचार करना भी इस समिति का काम है। इंग्लैण्ड में संयुक्त समिति का एक ताजा उदाहरण 'ज्वाइन्ट कमेटी ऑन हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिफॉर्म' है। इटली में भी इस तरह की समितियाँ होती हैं, जिनका काम स्टेट इन्सुइग्न बैंक, रेडियो, वस्त्र, व राज्य-ऋण आदि होता है। फ्रांस में, 1954 से एक संयुक्त समिति नियुक्त की जाती रही है, जिसका काम पालियों की सीमान्तर कठिनाइयों पर विचार करना होता है। यह समिति, सीमा पार करते समय होनेवाले यातायात सम्बन्धी मामलों तथा निर्यात-शुल्क-पद्धति आदि पर विचार करती है।

भारत में भी संयुक्त समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है। जब ऐसे विषय सभा के विचाराधीन होते हैं, जिनका दोनों सदनों से सम्बन्ध होता है तब संयुक्त समितियाँ नियुक्त की जाती हैं। पर अमरीका, आस्ट्रेलिया या इंग्लैण्ड की तरह यहाँ अनेक स्थायी संयुक्त समितियाँ नियुक्त नहीं की जाती। संयुक्त समितियाँ भारत में प्रायः (दो स्थायी संयुक्त समितियों को छोड़कर) प्रवर समितियाँ ही होती हैं। अर्थात् जब विधेयकों पर विचार किया जाता है, तभी संयुक्त समितियाँ नियुक्त होती हैं। स्थायी संयुक्त समितियों के नाम हैं - सदस्यों के वेतन व भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति और लाभपदों सम्बन्धी संयुक्त समिति।

संयुक्त समिति के उद्देश्य को पूरा करनेवाली—पर संयुक्त समिति न कहलानेवाली दो समितियाँ (लोकलैखा समिति और सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति) ही ऐसी समितियाँ हैं, जिनमें लोक-सभा के अतिरिक्त राज्य-सभा के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं।

संपूर्ण सदन समितियाँ :—

ये वे समितियाँ* हैं, जिनमें सारा सदन ही समिति के रूप में परिवर्तित हो

* नीदरलैण्ड में जब सभा की गुप्त बैठक होनी है तो उस बैठक को "सभा का 'गुप्त समिति' के रूप में परिवर्तित हो जाना" कहते हैं। ऐसी गुप्त

जाता है। मदन के, समिति के रूप में, परिवर्तित हो जाने का यह चिन्ह है कि मदन का अध्यक्ष अपने स्थान में हट जाता है और उसका स्थान कोई अन्य सदस्य समिति के सभापति के रूप में ग्रहण कर लेता है। सम्पूर्ण सदन समिति में, जहाँ एक ओर सारे सदन की सहकारिता अर्थात् सदस्यों की सम्पूर्ण कार्य-शक्ति का लाभ रहता है, वहाँ दूसरी ओर सदन के समिति हो जाने के नाते विचार-विमर्श में अनौपचारिकता भी लाई जा सकती है।

सम्पूर्ण सदन समितियों की कल्पना का प्रादुर्भाव इंग्लैंड में सत्रहवीं शताब्दी में जैम्स प्रथम के काल में हुआ था। वहाँ प्रवर समितियों में, राजा के पिछूठे बने रहनेवाले सदस्यों के नियुक्त होने के कारण, लोगों का विश्वास नहीं रहा था, परिणामतः जनता द्वारा सदन में ही विधेयकों पर विचार करना उचित गमना जाने लगा। इंग्लैंड में, इन समितियों के प्रति ससद सदस्यों में इतनी आस्था थी कि अभी हाल तक इंग्लैंड में स्थायी समितियों की प्रथा को श्लाघ्य माना गया था। इंग्लैंड की ही पद्धति का अनुकरण कर, आइरलैंड, कनाडा, आयरलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, थैलैंड, डेनमार्क तथा आइसलैंड आदि देशों में भी सम्पूर्ण सदन समितिर्था प्रचलित हैं।

इंग्लैंड में, सम्पूर्ण समितियों के दो प्रकार हैं (1) सरकारी विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त सम्पूर्ण सदन समितियाँ तथा (2) वित्तीय व्यवहारों पर विचार करने के लिए सम्पूर्ण सदन समितियाँ। मद्यकि इंग्लैंड में विधेयकों पर द्वितीय अवस्था में विचार करने के लिए अधिकतर स्थायी समितियों का प्रयोग होता है, पर अभी-कभी महत्वपूर्ण विषयों के लिए सम्पूर्ण सदन समितियाँ भी नियुक्त होती हैं। वित्तीय मामले अर्थात् वार्षिक खर्च आदि के लिए अनुमति व कर लगानेवाले विधेयक केवल सम्पूर्ण सदन समिति के ही सामने जा सकते हैं। दस कार्य के लिए वहाँ दो प्रकृत सम्पूर्ण सदन समितियाँ हैं, (1) कमेटी ऑन वेज एन्ड मीन्स, तथा (2) कमेटी ऑन सप्लाय। ये दोनों समितियाँ वहाँ प्रतिवर्ष साथ ही साथ नियुक्त होती हैं। कमेटी ऑन सप्लाय का काम विभिन्न अनुदानों को पारित करना है। कमेटी ऑन वेज एन्ड मीन्स का काम पारित अनुदानों पर आधारित विनियोग

समितियाँ कुछ बुद्ध-विषयक मामलों पर विचार करने के लिए या राष्ट्रीय सभ्य के अवसर पर बना करती हैं। (देखिए "दि पार्लियामेन्ट ऑफ़ नीदरलैंड" बाल रेह्ल, पृष्ठ 161)

विधेयक और वित्त विधेयक पर विचार करना होता है ।

अमरीका में, जब सम्पूर्ण सदन समिति की प्रथा का प्रारम्भ हुआ तो प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषय उसके सम्मुख अवश्य जाना था । पर अब स्थायी व प्रवर समितियों के प्रचलन से सम्पूर्ण सदन समितियों का प्रयोग वहाँ कम हो गया है, फिर भी अभी वहाँ सम्पूर्ण सदन समिति के कृत्य काफी व्यापक हैं । राष्ट्रपति के वार्षिक सभापण पर वहाँ सम्पूर्ण सदन समिति में ही विचार किया जाता है । 'अमरीका के हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव' में, दो सम्पूर्ण सदन समितियाँ हैं, जिनके नाम हैं - (1) 'कमेटी ऑफ दि होल कन्मिडरिंग विभिनेग ऑन प्राइवेट केलेन्डर' तथा (2) 'कमेटी ऑफ दि होल ऑन दि स्टेट ऑफ दि यूनियन' ।

कनाडा में सम्पूर्ण सदन समितियाँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समितियाँ मानी जाती हैं । वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार, प्रत्येक सरकारी विधेयक पर सम्पूर्ण सदन समिति में विचार होना आवश्यक होता है । सरकारी विधेयकों के अतिरिक्त गैर सरकारी विधेयक भी, जिन पर स्थायी समितियाँ विचार कर चुकी हो, यदि सभा चाहे तो सम्पूर्ण सदन समितियों के सम्मुख विचारार्थ भेजे जा सकते हैं । इंग्लैंड का अनुकरण कर कनाडा में भी कमेटी ऑन सप्लाय तथा कमेटी ऑफ वेज एण्ड मीन्स नियुक्त करने की प्रथा है ।

आयरलैंड में, प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण विधेयक सम्पूर्ण सदन समिति के सामने विचारार्थ जाते हैं । वित्तीय मामलों के लिए वहाँ एक ही सम्पूर्ण सदन समिति है और वह है 'फाइनेंस कमेटी' । यही समिति अनुदानों को पारित करने का काम करती है और यही नए कर लगानेवाले विधेयकों की जाँच भी करती है ।

दक्षिणी अफ्रीका में, सम्पूर्ण सदन समिति का उपयोग विधेयकों पर दूसरा वाचन होने के बाद विस्तृत विचार करने के लिए तथा सरकारी आय तथा व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव लाने के लिए किया जाता है । समिति को अन्य काम भी सदन द्वारा मीना जा सकता है, पर व्यवहार में केवल पेंशन तथा फाउंड लैंड्स के बारे में प्रवर समितियों द्वारा की गई सिफारिशों ही उनको विचारार्थ भेजी जाती हैं ।

भारत में अभी तक कोई सम्पूर्ण सदन समिति नहीं, पर लोक-सभा के भूत-पूर्व अध्यक्ष श्री अनन्तशायतम् अय्यंगर ने समय-समय पर यह विचार प्रकट किया था कि आय-व्यय पर विचार करने के लिए, यदि एक सम्पूर्ण सदन समिति का निर्माण हो जाए तो वह अद्भुत होगा ।

सभाभाग :—

यह प्रथा फ्रांस की एक देन है। इस प्रथा के अन्तर्गत सारे सदन को उपयुक्त खण्डों में विभक्त कर दिया जाता है और प्रत्येक खण्ड एक समिति की तरह काम करता है। साधारण समितियों में और इन खण्डों में भेद है कि जहाँ साधारण समितियों में कुछ चुने हुए सदस्य ही समिति के सदस्य हो सकते हैं, वहाँ इनमें सदन के सारे सदस्य किसी-न-किसी खण्ड के सदस्य होते हैं। दूसरी ओर इसमें सम्पूर्ण सदन समिति की तरह सारे सदन के सदस्य नहीं होने। सभाभागों का काम विधेयकों पर विचार तथा उनकी जाँच करना इत्यादि होता है।

फ्रांस में, सभाभाग को 'ब्यूरो' कहा जाता है। वहाँ एसेम्बली में 10 ब्यूरो व काउंसिल में 6 ब्यूरो हैं। ब्यूरो का मुख्य काम सदस्यों के परिचय-पत्रों पर विचार करना व सभा को उस पर रिपोर्ट देना है।

बेल्जियम में, सभा-भागों को 'सेक्शन' कहते हैं। वहाँ प्रत्येक सत्र में, सितंबर को 5 सेक्शन में विभक्त किया जाता है और फिर प्रत्येक सेक्शन, गैर सरकारी विधेयकों तथा आख्ययक में शामिल विधेयकों पर विचार करता है। इसी तरह की प्रथा नीदरलैंड व लुक्सेम्बर्ग में भी है। फ्रांस व बेल्जियम में यह पुरानी रूढ़ि की अवशेष माल रह गई है। नीदरलैंड में सभाभागों की प्रथा सक्रिय है, यद्यपि वहाँ पर भी अब प्रवृत्ति इसके विरुद्ध है। वहाँ प्रत्येक अधिवेशन के पूर्व सभा इन सभाभागों में विभक्त की जाती है। बेल्जियम के सभाभागों का काम गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर प्रारम्भिक विचार करना तथा आख्ययक सम्बन्धी विधेयकों पर विचार करना है।

* नीदरलैंड में 'सेक्शन' से मिलती-जुलती एक और प्रथा है, जिसे 'प्रिपरेटरी कमेटी' कहते हैं। 'प्रिपरेटरी कमेटियाँ' भी एक तरह के सभाभाग हैं, पर उनमें विशेषज्ञों का रहना आवश्यक माना जाता है। ऐसे विधेयक, जो राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, 'प्रिपरेटरी कमेटी' को सौंपे जाते हैं।

अध्याय 5

समितियों को कार्य-व्यवस्था

समितियों की कार्य-व्यवस्था पर हम निम्न दृष्टियों से विचार कर सकते हैं —

- (1) समितियों की नियुक्ति;
- (2) समितियों के सदस्यों की नियुक्ति;
- (3) समितियों के सदस्यों की मरणा;
- (4) समितियों की अवधि;
- (5) समिति के अध्यक्ष;
- (6) समितियों के निर्देश पद; तथा
- (7) समिति की कार्यविधि ।

समितियों की नियुक्ति

सभी समदो मे, समितियों की नियुक्ति वहाँ की मभा की कार्य-प्रक्रिया तथा सचालन सम्बन्धी नियमो के अनुसार होती है, पर फ्रान तथा नीदरलैण्ड इसके अपवाद है; जहाँ उन देशो के मविधान मे ही यह उल्लिखित है कि वहाँ विधेयको पर समितियों द्वारा विचार किया जाएगा । कुछ देशो मे, समितियों की नियुक्ति विधान-सभा द्वारा बनाए गए अधिनियमो द्वारा होती है, जैसे स्वीडन, फिनलैण्ड और अमरीका मे । स्वीडन मे रिक्स्टिंग की समितियाँ रिक्स्टिंग ऐक्ट के अनुसार बनी होती हैं । उसी तरह अमरीका मे स्थायी समितियाँ 'लेजिस्लेटिव रिअॉर्गेनाइजेसन ऐक्ट' के अनुसार प्रनियुक्त नियुक्त की जाती है । फिनलैण्ड मे भी 'पार्लियामेन्ट ऐक्ट' मे यह विहित है कि प्रत्येक मत्र के मुरु होने के 5 दिन तक समदीय समितियाँ नियुक्त हो जानी चाहिएँ । भारत के मविधान* मे किसी समिति की नियुक्ति वा

* इस नियम वा एक अपवाद है और वह है राजभाषा के प्रश्न पर नियुक्त की गई सदस्य-मदम्यो की समिति । इसी तरह सदस्यों के वेतन तथा भत्ते

आदेश नहीं है। यह केवल ससद् का निजी मामला है और लोक-सभा तथा राज्य-सभा, जितनी चाहे उतनी, समितियाँ नियुक्त कर सकती है।

समितियों की नियुक्ति, सभा द्वारा की जाती है। 1911 तक, अमरीका की स्थायी समितियों की नियुक्ति, अध्यक्ष द्वारा होती थी, पर अब उनकी भी नियुक्ति सभा द्वारा ही होती है। भारत में, यद्यपि अन्ततोगत्वा समितियाँ नियुक्त करने का अधिकार सभा को ही प्राप्त है, पर यदि कोई सदस्य किसी नई समिति की नियुक्ति के लिए सुझाव देना चाहता हो तो यह भी आवश्यक है कि उसे इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त हो।

समितियों की नियुक्ति का समय अलग-अलग देशों में विभिन्न समितियों के अनुसार अलग-अलग होना है। इंग्लैंड की पद्धति का अनुकरण करनेवाले सभी देशों में प्रवर समितियों या विधेयको पर विचार करनेवाली स्थायी समितियों की नियुक्ति विधेयको के द्वितीय वाचन की अवस्था में होती है। इसी तरह सम्पूर्ण सदन समिति की नियुक्ति भी प्रायः विधेयको पर विचार के द्वितीय वाचन की अवस्था पर होती है। लेकिन 'कमेटी ऑन सप्लाइ' और 'कमेटी ऑन वेज एण्ड मोन्स' की नियुक्ति प्रत्येक सत्र के आरम्भ में होती है। भारत में स्थायी समितियों की नियुक्ति का समय अलग-अलग है, जैसे प्राक्कलन-समिति और लोक-लेखा-समिति दोनों। मई से कार्य आरम्भ करनी हैं और अन्य समितियाँ जनवरी आदि में।

समितियों की सख्या के विषय में, इधर संसदीय प्रक्रिया के पहलुओं में मतभेद रहा है। कुछ लोग थोड़ी समितियाँ निर्माण करने के पक्ष में हैं तो कुछ अनेक। जहाँ स्थायी समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है, वहाँ अनेक समितियाँ निर्माण करना आवश्यकभावी हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक विभाग या विषय के लिए एक स्थायी समिति की नियुक्ति करनी पड़ती है, जैसा कि हम अमरीका, कनाडा, जर्मनी, आदि देशों में देखते हैं, पर जहाँ प्रवर अथवा विनिष्ट समितियों का अधिक प्रचार है, वहाँ अब भी कम समितियाँ बनाने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है।

सम्बन्धी समिति भी इस नियम का अपवाद है, जिसने बार्ने में 'मदस्यो के वेतन व भत्ते अधिनियम' में विधान है।

समिति के सदस्यों की नियुक्ति :

समिति के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में निम्न मुख्य प्रथाएँ गिनाई जा सकती हैं :—

- (1) सभा द्वारा समिति के सदस्यों की नियुक्ति,
- (2) 'कमेटी ऑफ सेलेक्शन' द्वारा सदस्यों का चुनाव जाना;
- (3) राजनैतिक दलों द्वारा सदस्यों का चुनाव;
- (4) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशन, तथा.
- (5) स्वयंसेवक नियुक्ति ।

(1) सभा द्वारा नियुक्ति :—इंग्लैण्ड के 'हाउस ऑफ कॉमन्स' की प्रवर समितियों के सदस्यों की नियुक्ति सभा द्वारा होती है । भारत में भी सभी प्रवर व कुछ पथार्थ समितियों की नियुक्ति सभा द्वारा ही होती है । सभा द्वारा नियुक्ति के दो ढंग हैं (क) सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर नियुक्ति, तथा (ख) सदस्यों के चुनाव द्वारा । प्रथम पद्धति में सभा द्वारा समिति-स्थापना-प्रस्ताव में ही सदस्यों के नाम भी होते हैं, जैसा कि प्रवर व अन्य समितियों के बारे में होता है । चुनाव का उदाहरण लोक-सभा की प्राक्कल्प व लोक-लेखा समितियाँ हैं । इसमें सभा के सदस्य अक्रमर अनुपानी प्रतिनिधित्व के आधार पर समितियों के सदस्य चुनते हैं ।

(2) चुनाव समिति द्वारा चुनाव जाना :—यह प्रथा इंग्लैण्ड के 'हाउस ऑफ कॉमन्स', स्विट्जरलैण्ड की 'नैशनल काउंसिल' तथा दक्षिणी अफ्रीका के दोनों सदनों में पाई जाती है । इंग्लैण्ड में इसका तरीका यह है कि सेलेक्शन कमेटी, जो स्वयं एक प्रवर समिति होती है, दलों के सचेतकों की महायता से सदस्यों को पहले चुन लेती है, बाद में सदस्यों के नाम सभा को सूचित किए जाते हैं । इस समिति को, स्थायी समिति के विषय में विशेषज्ञ चुनने का भी अधिकार होता है । इस समिति को, सदस्यों को पदच्युत करने का भी अधिकार होता है । लंदिन वहाँ की 'कमेटी ऑन हाउसिंग बिल' इसका अपवाद है, जिसमें सदस्यों की नियुक्ति अगले सभा चुनाव-समिति द्वारा होती है । दक्षिणी अफ्रीका में, यह काम 'स्टैंडिंग रूल एण्ड ऑर्डर्स कमेटी' को भोपा गया है । जो स्वयं एक प्रवर समिति है वहाँ 1916 में, लागू किए गए एक नियम के अनुसार किसी प्रवर समिति की नियुक्ति के बाद पहले तीन दिनों में यह समिति यह निर्धारित करती है कि सदन की दृष्टान्त सभ्या को ध्यान में रखते

हुए किस दल के कितने सदस्य प्रवर समिति में होंगे। लेकिन इस नियम के साथ-साथ यह भी प्रथा है कि सभा स्वयं भी सदस्यों को चुन सकती है अथवा सदस्य 'बैलट' अर्थात् शलाका द्वारा चुने जाते हैं, अथवा यदि प्रवर समिति के विचाराधीन कोई न्याय विषयक मामला हो तो स्वयं सभापति द्वारा सदस्य चुने जा सकते हैं।

कनाडा में भी समिति के सदस्यों का चुनाव एक 'स्ट्राइविंग कमेटी' द्वारा किया जाता है। इन सदस्यों में दो मन्त्री, सरकारी सचेतक व विरोधी दल के दो सदस्य अवश्य होते हैं। कुछ समितियों जैसे 'एग्जीक्यूटिव कमेटी' में सदस्य के चुनाव में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वे उस विषय के विशारद हों। आयरलैंड, इंग्लैंड, सूडान तथा श्रीलंका में भी समितियों के सदस्यों का चुनाव, एक चुनाव-समिति पर छोड़ दिया जाता है।

(3) राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्ति विथा जाना :— यह प्रथा अमरीका और यूरोप की अनेक संसदीय समितियों में पाई जाती है। तरीका यह है कि प्रत्येक राजनैतिक दल अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर अपने प्रतिनिधियों चुन लेता है, जिसे सभा या अध्यक्ष द्वारा मूचिन किया जाता है। चुनाव अक्सर बरीयता के आधार पर होता है, अर्थात् यदि कोई सदस्य सभा का पुराना सदस्य हो तो उसे समिति का सदस्य होने का पहले अवसर दिया जाता है। फ्रान्स में, ऐसे चुने हुए प्रतिनिधियों की नामावली पहले व्यूरो को देनी पड़ती है, जो प्रेसीडेंट को भेजने के पूर्व एक बार उम पर विचार कर लेते हैं। नीदरलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, आदि देशों में भी अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रथा द्वारा समिति के सदस्यों का चुनाव जाना, वहाँ की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों का एक आवश्यक अंग है। आस्ट्रिया के 'हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव' और भारत की लोन्-सभा में यद्यपि अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य नहीं होती फिर भी यथाम्भव सदन में राजनैतिक दलों की सख्या के आधार पर ही सदस्य चुने जाते हैं। डेनमार्क में भारत की तरह यह प्रथा है कि मन्त्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किए जा सकते। अमरीका की प्रवर समितियों के बारे में प्रथा यह है कि अध्यक्ष तो बहुमत प्राप्त दल के प्रतिनिधियों को चुनता है, पर विरोधी दल के सदस्य स्वयं विरोधी दल के नेता द्वारा चुने जाते हैं।

फ्रान्स में, प्रत्येक दल को चौदह सदस्यों पर एक सदस्य समिति में नियुक्त करने का अधिकार होता है (देखिए 'पार्लियामेन्टरी एफेयर्स' रिग्र, 1958)

(4) अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति :—इटली की सीनेट में, समितियों के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा होती है। अध्यक्ष नियुक्ति से पूर्व राजनैतिक दलों से परामर्श कर लेता है। ऐसी ही प्रथा नीदरलैंड के सेक्रेटरी चेम्बर व आस्ट्रेलिया की सीनेट की स्थायी समितियों और स्पेन की समितियों के विषय में है। भारतीय लोक-सभा की कार्य-मन्त्रणा-समिति, गैर सञ्कारी सदस्यों के विधेयको तथा प्रस्तावों सम्बन्धी समिति, इत्यादि के सदस्यों की नियुक्ति भी अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। इसी तरह राज्य-सभा की समितियों के सदस्य भी सभा के सभापति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

(5) स्थानापन्न नियुक्ति :—स्थानापन्न नियुक्ति का अर्थ सदस्यता से वंचित न होने हुए, कुछ समय के लिए अपनी जगह किसी दूसरे सदस्य को समिति में रहने देने का अधिकार देना है। यह प्रथा पश्चिमी यूरोप की देन मान्य पड़ती है, क्योंकि ब्राजील को छोड़ कर यह बाहरी यूरोप के देशों में नहीं दी गई पड़ती। यूरोप में, यह प्रथा फ्रांस की नेशनल एसेम्बली, संघीय जर्मन गणराज्य की बुन्डेस्टैग नीदरलैंड के सेक्रेटरी चेम्बर में तथा स्वीडन में पाई जाती है। जब कोई स्थायी सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को समिति में भेजना चाहे तो उसे समिति के सभापति को इस सम्बन्ध में सूचना देनी पड़ती है। स्थानापन्न नियुक्ति के बारे में, आस्ट्रिया की पार्लियामेन्ट में एक मजिस्ट्रेट प्रथा यह है कि फाइनेन्स कमिटी के सदस्य बजट पर विचार जारी रहते हुए किसी भी समय बदले जा सकते हैं। वहाँ प्रत्येक विभाग के लिए एक स्थायी समिति है। जब एक विभाग के आयव्ययक पर अहम हो, तब फाइनेन्स कमिटी में इस विभाग से सम्बन्ध रखनेवाली स्थायी समिति के सदस्य फाइनेन्स कमिटी में आकर भाग ले सकते हैं। कहीं-कहीं पर इस प्रकार की स्थानापन्न नियुक्ति पर प्रतिबन्ध भी है, जैसे फिनलैंड में केवल तृतीयान्न सदस्य ही स्थानापन्न हो सकते हैं; बेल्जियम व फ्रान्स में आधे सदस्यों की ही स्थानापन्न नियुक्ति की जा सकती है।

समिति के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में कुछ अन्य उल्लेखनीय बातें इस प्रकार हैं :—

(1) अमरीका में यह नियम है कि वहाँ एक सदस्य एक ही समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन 'कमेटी ऑन दि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया' तथा 'कमेटी ऑन अनअमेरिकन एक्टिविटीज' इसके अपवाद हैं; फ्रान्स और स्विट्जर-

लैण्ड में भी इसी तरह के नियन्त्रण की व्यवस्था बनाई जाती है। स्विट्जरलैण्ड की नेशनल काउंसिल के नियमों में यह विहित है कि प्रत्येक सदस्य अधिक से अधिक दो स्थायी समितियों और दो तदर्थ समितियों का सदस्य हो सकेगा। इसी तरह सदस्यता विषयक प्रतिबन्ध अमरीका, बर्मा, इन्डोनेशिया, तावॉ, यू० ए० आर०, इजराएल, फ्रांस, रूमानिया, आदि में भी पाए जाते हैं।

(2) अमरीका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यह प्रथा है कि यदि कोई समिति का सदस्य भूतपूर्व कांग्रेस का सदस्य रहा हो और वह द्वारा चुना गया हो तो उसे समिति का सदस्य अवश्य नियुक्त किया जाता है।

(3) यह आवश्यक नहीं कि एक सदन की समिति में, केवल उसी सदन के सदस्य हों। संयुक्त समिति न कहलाते हुए भी, समिति में दोनों सदनों के सदस्यों के होने की प्रथा कुछ देशों में प्रचलित है। उदाहरणार्थ, स्विट्जरलैण्ड की 'कमेटी ऑन पांडिंग' में जो कि मूलतः नेशनल काउंसिल की समिति है, काउंसिल ऑफ स्टेट के भी सदस्य होते हैं। भारत की लोक-लेखा-समिति भी इस बात का उदाहरण है।

(4) पचीस जर्मन गणराज्य की द्वितीय सभा (बुन्डेसैट) में समितियों की सदस्यता उस सभा तक सीमित नहीं रहती। उनमें राज्य सरकार के मन्त्रीगण अथवा सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य सदस्य भी नियुक्त हो सकते हैं।

(5) कुछ समझों में यह नियम है कि यदि किसी सदस्य का समिति के विचाराधीन विषय से वैयक्तिक अथवा आर्थिक सम्बन्ध हो तो उसकी नियुक्ति उस समिति के लिए नहीं की जाती।

समिति के सदस्यों की संख्या—सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि स्थायी समितियों के सदस्यों की संख्या, विशिष्ट या प्रवर समितियों और ऐसी समितियों के सदस्यों की संख्या से जिनका विषयक से कोई सम्बन्ध न हो, अधिक होती है।

किसी समिति में कितने सदस्य हों, यह प्रायः प्रक्रिया तथा कार्य-मंचालन-सम्बन्धी नियमों में दिया रहता है, पर स्विट्जरलैण्ड और इटली इसके अपवाद हैं। स्विट्जरलैण्ड की फेडरल एसेम्बली के सदस्यों की संख्या, वहाँ के ब्यूरो द्वारा

निर्धारित की जाती हैं। इटली में यह नियम प्रचलित है कि वहाँ की समिति के सदस्यों की संख्या वहाँ के चेम्बर व सीनेट के सदस्यों की संख्या पर निर्भर होती है।

बनावा में, वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की विशेष समितियों के सम्बन्ध में वहाँ के स्टैंडिंग आर्डर्स में ही यह विहित है कि विशिष्ट समिति के सदस्यों की संख्या 15 से अधिक न होनी। डन्मैण्ड में स्थायी समितियों के सदस्यों की संख्या सामान्यतः 20 होती है, पर इनके साथ 20 विशेषज्ञ भी नियुक्त करने की प्रथा है, जो समझू सदस्य होते हैं। अमरीका में स्थायी समितियों के सदस्यों की संख्या प्रत्येक समिति के अनुसार अलग-अलग है, पर साधारणतया सीनेट की स्थायी समितियों में 10 से 15 तक सदस्य होते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की समितियों के सदस्य 25 तक होने हैं। भारत में लोक-सभा की समितियों के सदस्यों की संख्या साधारणतया 15 होती है, पर प्राक्कलन-समिति व लोक-लेखा समिति की सदस्य-संख्या क्रमशः 30 तथा 22 है। राज्य-सभा की समितियों की संख्या साधारणतया 10 होती है।

कुछ समय से नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम व अमरीकी सीनेट की समितियों की सदस्य-संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। कहा जाता है कि यह उन देशों की संसदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने का परिणाम है।

समिति की अवधि :—समिति की अवधि के बारे में विभिन्न संसदों में जो प्रथाएँ मिलनी हैं, उनमें मुख्य निम्न हैं —

- (1) जब तक विधान-सभा हो, तब तक की अवधि के लिए ,
- (2) प्रत्येक सत्र के लिए ;
- (3) नियमित समय के लिए, तथा
- (4) कार्य-विशेष की समाप्ति होने तक ।

जर्मनी, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रिया, जापान तथा बेल्जियम की स्थायी समितियों की अवधि, उन देशों की सभा की अवधि होती है। आस्ट्रेलिया में भी समितियों की अवधि, वहाँ की सभा की अवधि के बराबर होती है। इंग्लैंड में, समितियाँ अधिकतर सत्र की अवधि तक ही होती हैं। फ्रांस में, काउन्सिल की समितियाँ अधिकतर नियतकालिक होती हैं और उनका पुनर्गठन 3 वर्ष के बाद किया जाता है। भारतीय लोक-सभा की, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा

सकत्पो से सम्बन्ध रखनेवाली समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, सभा की बैठकों से अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति तथा प्राक्कलन व लोक-लेखा-समिति की अवधि एक वर्ष की होती है। विशिष्ट समितियाँ सभी देशों में अपना कार्य करने के बाद समाप्त हो जाती है।

कुछ सदस्यों में, ऐसी समितियाँ हैं, जिनकी अवधि के बारे में वहाँ के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों में कोई उल्लेख नहीं मिलता। इनके बारे में यह प्रथा है कि ये समितियाँ तब तक काम करती हैं, जब तक वे स्थानापन्न न हो जाएँ। भारतीय लोक-सभा की कार्य-मन्त्रणा-समिति, याचिका-समिति, विशेषाधिकार-समिति तथा नियम-समिति के बारे में इससे मिलता-जुलता नियम यह है कि ये समितियाँ 'समय समय पर' नियुक्त की जाएँगी। यह बात दूसरी है कि प्रथा से ये समितियाँ भी प्रतिवर्ष पुनर्गठित की जाती हैं।

साधारणतया यह देखा गया है कि सदस्यों की अवधि को बहुत लम्बा करने के पक्ष में नहीं होती। समिति के उत्साह तथा उसकी कार्य-कुशलता को कायम रखने के लिए उसमें नए-नए सदस्यों का होना आवश्यक माना जाता है। नियत काल के बाद समिति की पुनर्रचना इसी उद्देश्य से की जाती है।

समिति के समापति :—समिति के समापति की नियुक्ति के बारे में मुख्यतः 5 पद्धतियाँ हैं

- (1) समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाना,
- (2) सभाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाना,
- (3) दल द्वारा नियुक्ति,
- (4) स्वयं समिति द्वारा चुना जाना, तथा
- (5) सभा द्वारा चुना जाना।

पहली पद्धति के उदाहरण कनाडा, बेल्जियम, रुमानिया, यूगोस्लाविया, दक्षिणी अफ्रीका, फिनलैंड आदि देशों में मिलते हैं। इंग्लैंड में भी सम्पूर्ण सदन समिति, स्थायी समितियाँ तथा 'कमेटी ऑन अपोज्ड प्राइवेट बिल्स' को छोड़कर शेष समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति समिति के सदस्यों द्वारा चुन कर की जाती है।

दूसरी पद्धति के उदाहरण मुख्यतः भारत में मिलते हैं। भारतीय लोक-सभा की समितियों के सभापति की नियुक्ति स्वयं लोक-सभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, किन्तु यदि उपाध्यक्ष स्वयं किसी समिति का सदस्य हो तो वह उक्त समिति का सभापति नियुक्त होता है। यह भी प्रथा है कि यदि सभापति-तालिका का सदस्य समिति का सदस्य हो तो वह समिति का सभापति बनना है। इसी तरह बेल्जियम की सीनेट की कुछ समितियों का सभापति अध्यक्ष स्वयं होता है। कहीं-कहीं पर ऐसी भी प्रथा है कि सभाध्यक्ष स्वयं समिति का सभापति होता है, जैसे बेल्जियम के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्थायी समितियों में।

तीसरी पद्धति के उदाहरण फ्रांस और संघीय जर्मन गणराज्य में मिलते हैं। वहाँ समितियों के सभापति चुने जाते हैं, और चुनाव विभिन्न राजनैतिक दलों की सलाह से किया जाता है। जर्मनी में इस पद्धति को 'डि हाण्ड' कहते हैं।

चौथी पद्धति का उदाहरण केवल स्विट्जरलैंड में मिलता है, जहाँ एमेन्वली की 'फाइन्स कमिटी' स्वयं अपना सभापति चुन लेती है।

सभा द्वारा चुने जाने की पद्धति अमरीका में पाई जाती है। पर अधिकतर पुराने सदस्यों के ही सभापति चुने जाने की पद्धति है। दक्षिणी अफ्रीका की सम्पूर्ण सदन समितियों के सभापति भी सभा द्वारा चुने जाते हैं। वहाँ प्रत्येक नवीन सदन के आरम्भ में सम्पूर्ण सदन समितियों के लिए, सभा द्वारा एक सभापति तथा एक उपसभापति चुने जाने की प्रथा है। विशिष्ट समिति द्वारा, समितियों के सभापति के चुने जाने की प्रथा का उदाहरण भी स्विट्जरलैंड में मिलता है। वहाँ तदर्थ समितियाँ अपने आप अपना सभापति नहीं चुनती, बरन् यह कार्य एक न्यूरो को सौंपा जाता है।

अधिकतर यह देखा गया है कि समितियों के सभापति सदन के अध्यक्ष के अन्तर्गत ही काम करते हैं, पर कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं, जहाँ समिति के सभापति को स्वतन्त्र अधिकार हैं। भारतीय संघीय समितियाँ सभाध्यक्ष के निर्देश से ही चलती हैं। सभाध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि वह समिति के सभापतियों को समय-समय पर निर्देश दे।

* सभाध्यक्ष के निर्देश देने के अधिकार की सक्रियता का उदाहरण इस तथ्य से मिलता है कि अभी तक लोक-सभा के अध्यक्ष ने समितियों की बाबत

भारतीय समितियों के सभापति का यह कर्त्तव्य है कि वह समिति की कार्य-वाही का निर्देशन करे। यदि समिति के सदस्यों में मन-विभाजन होने पर बराबर मत हो तो निर्णयक मत देने का भी अधिकार सभापति को होता है। सभापति पर यह कर्त्तव्य होता है कि वह समय-समय पर सभाध्यक्ष को समिति की कार्य-प्रगति की सूचना दे। यदि समिति का कार्य समाप्त न हुआ हो तो सभापति का यह कर्त्तव्य होता है कि वह सभा से समय-वृद्धि की मांग करे। यह भी सभापति का काम है कि वह समिति के प्रतिवेदन को पूरा करे व सभा में पेश करे।

समिति के सभापतियों को अनेक अधिकार प्राप्त होने सम्बन्धी उदाहरण फ्रांस की समितियों में पाए जाते हैं। 'नेशनल एसम्बली' का प्रेसिडेन्ट वहाँ समिति की कार्यवाही में बिरले ही हस्तक्षेप करता है। जर्मनी की 'बिजिनेस कमेटी' के सभापति को भी विशद अधिकार प्राप्त होते हैं।

समिति के निर्देश पद —समिति के निर्देश पद मुख्यतः निम्न वर्गों में आते हैं :—

- (1) विधेयको की जाँच से सम्बन्धित,
- (2) सभा के कुछ कार्यों को सम्भालनेवाले,
- (3) सभा को सलाह देनेवाले, तथा
- (4) अध्यक्ष की मदद करनेवाले।

भारतीय संसदीय समितियों के सदस्यों में पहले प्रकार के निर्देश पदों का उदाहरण विभिन्न प्रवर व संयुक्त प्रवर समितियों के निर्देश पद है। द्वितीय प्रकार के उदाहरण प्राक्कलन व लोक-लेखा-समिति के निर्देश पद हैं। तृतीय प्रकार के उदाहरण कार्य-मन्त्रणा-समिति तथा सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के निर्देश पद हैं। चौथे प्रकार के उदाहरण आवागमन-समिति, सामान्य प्रयोजन समिति आदि के निर्देश पद हैं।

सामान्यतः स्थायी समितियों के निर्देश पद, प्रक्रिया-नियमों में ही दिए हुए होते हैं, पर विशेष प्रयोजन के लिए नियुक्त समितियों के निर्देश पद समिति नियुक्त

70 निर्देश दिए हैं। (देखिए, अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देश, द्वितीय संस्करण, 1967)

करते समय निर्धारित किए जाते हैं। इस सम्बन्ध में इंग्लैंड की प्रथा उल्लेखनीय है। वहाँ 'सेलेक्ट' अथवा 'सेशनल कमिटी' (जैसे सेलेक्ट कमिटी ऑन एस्टीमेट्स) के निर्देश पद हर वार समिति नियुक्त करते समय प्रस्ताव में बताया जाते हैं। इसके विपरीत वहाँ की 'सेलेक्ट कमिटी ऑन पब्लिक एकाउन्ट्स' के निर्देश पद स्थायी रूप से "स्टैंडिंग ऑर्डर्स" अर्थात् सभा के स्थायी निर्देशों में दिए हुए हैं। भारतीय ससद्द समितियों के निर्देश पद राज्य सभा तथा लोक सभा के प्रक्रिया नियमों में स्पष्ट रूप में दिए हुए हैं। अमरीका में स्थायी समितियों के निर्देश पद प्रक्रिया-नियमों में दिए होते हैं, पर वेल्जियम व नीदरलैंड में प्रत्येक स्थायी समिति के लिए अलग-अलग निर्देश पद न देकर सामूहिक रूप में सारी स्थायी समितियों के लिए निर्देश पद जारी करने की प्रथा है।

निर्देश पदों में ही सम्बन्धित समिति के अधिकारों का प्रदन है। कहीं-कहीं समितियों को संवैधानिक मामलों के मूलपात करने का अधिकार होता है। कहीं-कहीं वे केवल सभा को सुझाव देने का काम करती हैं। मूलपात के उदाहरण, स्विट्जरलैंड की 'फेडरल एसेम्बली' तथा फ्रांस की 'नेशनल एसेम्बली' की समितियाँ हैं, जो सभा में कोई भी प्रस्ताव या विधेयक ला सकती हैं। जब समितियों से सभा द्वारा कोई सलाह मांगी जाती है, तब यह आवश्यक नहीं कि सभा समिति के सुझाव को मान ही ले, किन्तु बहुधा यह सुझाव मान ही लिया जाता है। कहीं-कहीं ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, जहाँ समिति स्वयं विचाराधीन विषय पर अपना मन प्रकट करती है, जैसा फ्रांस की 'नेशनल एसेम्बली' की समितियों में होता है। इंग्लैंड की स्थायी समितियों को तुलनात्मक दृष्टि से कम अधिकार होते हैं उसके विपरीत अमरीकी स्थायी समितियाँ विधेयकों में चाहे जैसा परिवर्तन कर सकती हैं। अमरीका में ससदीय समितियों के अधिकारों के बारे में यह उल्लेखनीय है कि जब तक 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, व 'सीनेट' की 'एप्रोप्रियेशन कमिटी' ने विनियोजन विधेयकों पर विचार का अपना मत न दे दिया हो, तब तक विधेयक पारित नहीं हो सकता। अमरीका व फ्रांस में समितियों को निर्णय लेने तक के अधिकार होते हैं। यह उस असाधारण प्रथा का परिणाम है जिसे 'वोटिंग विदाउट डिवेट' अर्थात् 'बगैर विवाद के निर्णय लेना' कहते हैं। इसी तरह की प्रथा इटली में भी है, जहाँ समितियों को यद्यपि वे विधि-निर्माण करने के अधिकार हैं। इंग्लैंड में, ससदीय समितियों को सभा में विधेयक पेश करने का कोई अधिकार नहीं, पर कर लगानेवाले या उच्च अनुमोदित करनेवाले विधेयक सम्पूर्ण सदन समिति में लाए जा सकते हैं। आस्ट्रेलिया

में भी इंग्लैंड की तरह की ही पद्धति है, जहाँ जांच-समितियों की नियुक्ति की प्रथा है, वहाँ स्वभावतः ही ऐसी समितियों को अधिकार अधिक मिले होते हैं। उदाहरणार्थ, इटली की 'स्पेशल कमेटी ऑन इनक्वायरी' को वही अधिकार है, जो किंगी न्यायिक सस्था को होते हैं। ये समितियाँ सभागृह के बाहर बैठक भी बुला सकती हैं।

समिति की कार्यविधि :—यद्यपि समिति के निर्देश पद, समिति की रचना, समिति की अवधि, आदि के बारे में नियम, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों में दिए हुए होते हैं, तथापि प्रायः प्रत्येक देश में यह प्रथा है कि कार्य-प्रणाली के विस्तृत नियम (जिन्हें आन्तरिक कार्य-विधि के नियम कहते हैं) समितियाँ स्वयं बनाती हैं। इन आन्तरिक कार्य-विधि के नियमों में समिति की बैठकों के नियम, उपसमितियों की प्रथा, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की पद्धति, आदि दी हुई होती है। आन्तरिक नियमों के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि स्थूल बातों में सभी देशों की समितियों की कार्य-विधि एक-सी है, पर व्योरे में उनमें परस्पर भेद है। यह अन्तर एक ही देश की विभिन्न समितियों की कार्यविधि में भी नजर आता है। नीचे आन्तरिक कार्यविधि के कुछ नियमों का वर्णन किया गया है :—

(1) **गणपूर्ति :—**इंग्लैंड की प्रायः सभी समितियों में यह नियम है कि समिति की बैठके व उनके कार्य तब तक विधिमान्य माने जायेंगे, जब उनमें सदस्य बहुसंख्या में उपस्थित हों। पर अमरीकी समितियों में यह नियम नहीं है। जर्मनी के बुन्डेस्टैग में इसके विपरीत यह प्रथा है कि यदि बहुसंख्या न हो तो समिति की कार्यवाही बन्द कर दी जाती है। वहाँ समिति की बैठक तभी बुलाई जाती है, जब फिर सदस्य बहुसंख्या में उपस्थित हों। फिनलैंड में गणपूर्ति के लिए दो-तिहाई सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होता है। नीदरलैंड के सेक्रेटरी चेम्बर में गणपूर्ति के लिए बहुसंख्या की आवश्यकता तभी होती है, जब सभापति तथा उपसभापति को चुनना हो। भारत व इटली में, गणपूर्ति के लिए केवल एक-तृतीयांश सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। इटली के चेम्बर की समितियों में तो गणपूर्ति केवल चतुर्थांश है। दक्षिणी अफ्रीका की संपूर्ण सदन समितियों में गणपूर्ति के लिए उतनी ही संख्या में सदस्यों का होना आवश्यक होता है, जितनी संख्या सदन की बैठक के लिए आवश्यक होती है। ऐसी ही प्रथा अन्य देशों की संपूर्ण सदन समितियों में भी है।

कुछ देशों में गणपूर्ति की आवश्यकता दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए नहीं मानी जाती, वरन् केवल निर्णय लेने या विशेष अवसरों पर आवश्यक होती है, जैसे नीदरलैंड के सेक्रेटरी-जेंरल की समितियों में।

(2) बैठकें :—कनाडा में समिति की बैठकें बुलाने के लिए एक विचित्र पद्धति है और वह यह है कि बगैर सात दिन पहले नोटिस दिए समिति की बैठकें नहीं बुलाई जा सकती। अमरीका में, समिति की बैठक बुलाना समिति की स्वेच्छा पर अवलंबित नहीं, वरन् अनिवार्य सा है। वहाँ के कार्य-प्रक्रिया-नियमों में यह विहित है कि प्रत्येक समिति नियमित रूप से साप्ताहिक तौर पर अथवा अर्ध-साप्ताहिक तौर पर बैठक बुलाएगी। समितियों की बैठकें अधिकतर सभा के अवकाश-काल में होती हैं, पर सभा का अधिवेशन चालू रहते हुए भी कई देशों में समिति की बैठकें हो सकती हैं। अमरीका में इस तरह की स्वतन्त्रता सभी समितियों को नहीं होती, वरन् कुछ खास समितियों को ही होती है, जैसे 'कमेटी ऑन एक्स्पेन्डीचर इन दि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट', 'कमेटी ऑन रूल्स' तथा 'कमेटी ऑन अन-अमेरिकन एक्टिविटीज'। इंग्लैंड में इसके विरुद्ध यह नियम है कि अवकाश-काल में समिति की बैठकें ही नहीं सकती।

फ्रांस की नेशनल एसेम्बली में यह प्रथा है कि समितियाँ हर बुधवार गुरुवार और शुकवार को सुबह बैठक करेंगी। इंग्लैंड में भी समितियों की बैठकें सुबह हुआ करती हैं, ताकि सदस्य बाकी दिन में सभा की बैठकों में उपस्थित रह सकें। दक्षिणी अफ्रीका में भी यही नियम है कि यदि समझ का सत्र चल रहा हो तो सदन की अनुमति के बिना वे सोमवार, बुधवार तथा शुकवार को नहीं बैठ सकती। नीदरलैंड में यह प्रथा है कि जिस दिन सभा की बैठक होती है, उसी दिन सुबह समितियों की बैठकें बुलाई जा सकती हैं। भारतीय लोक-सभा में भी समितियों की बैठकें सभा जारी रहते हुए केवल 11 बजे के पहले और 3 बजे के बाद बुलाई जा सकती हैं। लेकिन भारत में समितियों की बैठकों के लिए अवकाश-काल और अन-अवकाश-काल का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

बेल्जियम में यह प्रथा है कि वहाँ समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना सरकार को मिलनी चाहिए। वहाँ यद्यपि समिति की बैठकों के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, फिर भी सभा की बैठक रहते हुए उसी समय समितियों की बैठक नहीं होती। प्रायः सभी देशों में समिति की बैठक केवल सभा-भवन में ही बुलाई जानी

है, पर कहीं-कहीं इसके अपवाद भी हैं, उदाहरणार्थ, भारत में ही लोक-सभा की प्रवर समितियों की बैठक कई बार दिल्ली के बाहर हुई है, पर इस सम्बन्ध में लोक-सभा के अध्यक्ष का यह आदेश है कि यथासम्भव ऐसी बैठकें, यदि वह जगह राज्य की राजधानी हो, तो वहाँ के एसेम्बली भवन में ही हों।

(3) कार्यवाही की गोपनीयता :— समितियों की कार्यवाही अधिकार देशों में गुप्त रखी जाती है। कहीं-कहीं समिति की कार्यवाही देखने के लिए अपरिचितों को इजाजत दी जाती है, पर यह केवल अन्य कार्यों के समय ही दी जाती है, जब समिति अपने निर्णय पर विचार कर रही हो, तब नहीं। अमरीका के 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' की समितियों में पहले गोपनीयता की यही रीति थी, पर 'लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन ऐक्ट' 1946 से अब वहाँ की समितियाँ सबके लिए खुली हैं (अपवाद है केवल समिति के 'एक्जीक्यूटिव रेशन्स')। इसी तरह की प्रथा, अल्बानिया, बुल्गेरिया व यूगोस्लाविया की समितियों में भी प्रचलित है।

गोपनीयता के विषय में, सघीय जर्मन गणराज्य में वृद्धति जरा निराली है और वह यह है कि सदन का प्रत्येक सदस्य समिति की बैठकों में प्रेक्षक के नाते उपस्थित रह सकता है। विधेयको के प्रवर्तकों द्वारा समिति की बैठक में भाग लिया जाना तो वहाँ आम बात है। वहाँ सभा के अध्यक्ष को भी समिति की बैठकों में भाग लेने का अधिकार होता है। फिनलैंड में यह प्रथा है कि वहाँ की सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रत्येक समिति की बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं। इन्हीं तरह जब तक कि समिति को कोई खास आपत्ति न हो, मद्रिगण भी समिति की बैठकों में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन इनको छोड़कर बाकी लोगों के लिए समिति में प्रवेश निषिद्ध है। दक्षिणी अफ्रीका में भी सदन के सदस्यों को प्रवर समितियों की बैठकों में उपस्थित रहने का अधिकार रहता है, पर जब समिति विचार कर रही हो, तब उन्हें उठ जाना पड़ता है, अन्यथा समिति की कार्यवाही बिल्कुल गुप्त मानी जाती है।

फ्रांस में समिति की बैठकों में उपस्थित होने का मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को अधिकार प्राप्त है। किन्हीं परिस्थितियों में कुछ अन्य समितियों के सदस्य व 'एक्सी-व्यूटिव काउंसिल' के सदस्यों को भी उपस्थित रहने का अधिकार होता है, पर यह आम प्रथा नहीं है। इंग्लैंड की स्थायी समितियों की बैठकों में बाहरी आदमियों को प्रवेश का अधिकार होता है, पर जब समिति चाहे उन्हें बाहर जाने का आदेश दे

सकनी है। स्वीडन की समितियों की बैठकों में 'रिकस्टिंग' के अन्य सदस्यों को बैठने का अधिकार नहीं होता, पर किसी विषय पर विस्तार करने के लिए उन्हें समिति द्वारा बुलाया जा सकता है। नीदरलैंड की विशिष्ट समितियों में भी इसी तरह की प्रथा है। यह उल्लेखनीय है कि भारत में समिति की बैठकें हमेशा गुप्त रहती हैं।

(4) साक्ष्य :—प्रायः प्रत्येक संसदीय समिति को (समूर्ण सदन समितियों को छोड़कर) साक्ष्य लेने का अधिकार होना है। कनाडा की समितियाँ साक्ष्य लेने के अधिकार के बारे में अत्यधिक सक्रिय रही हैं। अन्य देशों में साधारणतया समितियाँ ऐसे ही लोगों को साक्ष्य देने के लिए बुलाती हैं, जो उनके लिए तैयार हों, पर कनाडा की समितियों में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं, जहाँ साक्षी ने साक्ष्य देने से इन्कार कर दिया व फिर समिति को विशेषाधिकार-भंग के लिए साक्षी को दंड देना पड़ा। कनाडा के 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव' की समितियों के बारे में यह प्रथा है कि वे साक्ष्य लेने के पहले वहाँ समिति के किसी न किसी सदस्य को, समिति के सभापति को लिखित सूचना देनी पड़ती है।

अमरीका में प्रथा है कि वहाँ साक्षी अपने साथ अपना वकील भी ला सकता है। व्यक्तिगत साक्ष्य के अतिरिक्त वहाँ सभी समितियों को आवश्यक कागजात मागने का भी अधिकार होता है। संसदीय प्रथा (राष्ट्रपति प्रथा के विरुद्ध) का अनुकरण करनेवाले देशों में प्रायः समिति को मंत्रियों की साक्ष्य लेने का अधिकार नहीं होता, पर फ्रांस और आस्ट्रेलिया में यह अधिकार दिया गया है। फ्रांस की स्थायी समितियाँ मंत्रियों का भी साक्ष्य ले सकती हैं। उनमें विचाराधीन विषय के विशेषज्ञों का साक्ष्य लेने की भी प्रथा है। आस्ट्रेलिया में यह प्रतिबन्ध है कि समिति केवल उसी सदन के मंत्री की साक्ष्य ले सकती है, जिस सदन का मंत्री हो। डेनमार्क में 'पार्लियामेन्टरी कमेटी' को छोड़कर अन्य समितियों को साक्ष्य लेने का अधिकार नहीं होता। 'पार्लियामेन्टरी कमेटी' के सम्मुख साक्ष्य देने वाले को कोई कानूनी संरक्षण भी प्राप्त नहीं होता। फिनलैंड में, इसके विपरीत यह है कि वहाँ साक्षी के वचन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। नारवे में, समितियाँ अपने

• दक्षिणी अफ्रीका में एक बड़ी मजेदार पद्धति है और वह यह कि प्रवर समितियाँ साक्षी तो बुला सकती हैं, पर यदि साक्षी समद से 6 मील से अधिक की दूरी में आनेवाला हो तो उसके लिए सभापति की अनुमति होनी चाहिए।

आप किसी को साक्ष्य लेने नहीं बुला सकती और जब कभी उन्हें साक्ष्य लेनी होनी है, उन्हें 'स्टूटिंगेट' अथवा 'उडेस्टिंगेट' की अनुमति लेनी पड़ती है। फ्रांस में समितियाँ अतीपचारिक तौर पर तो किसी का साक्ष्य ले सकती हैं, पर जब उन्हें शपथ दिला कर किसी का साक्ष्य लेना होता है तो उन्हें उस सम्बन्ध में सभा की खास अनुमति लेनी पड़ती है। भारत में, सभी समितियों को साक्ष्य लेने के अधिकार प्राप्त हैं। इसी तरह लिखित कागजात आदि मगाने का भी समितियों को अधिकार प्राप्त है। अधिकतर विधेयकों पर विचार करनेवाली प्रवर समितियों तथा प्राक्कलन व लोक-लेखा-समिति में ही साक्ष्य लेने की प्रथा है। श्रीलंका में साक्ष्य लेने की प्रथा में यह विचित्रता है कि कोई भी व्यक्ति समिति के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए उद्यत हो सकता है, पर साक्ष्य लेना या न लेना समिति का अधिकार है।

(5) उपसमितियाँ :— प्रायः सभी देशों की समितियाँ अपने कार्य के सुचारु रूप से संपादन के लिए उपसमितियाँ नियुक्त करती हैं। उपसमितियों से गणशक्ति की समस्या भी हल हो जाती है। अधिकतर नीति के प्रश्नों को छोड़कर विस्तृत जाँच के प्रश्नों पर उपसमितियाँ नियुक्त की जाती हैं। उपसमितियों की नियुक्ति के बारे में कुछ प्रतिबन्ध भी हैं, जैसे इंग्लैण्ड में उपसमितियाँ नियुक्त करने के लिए 'हाउस ऑफ कॉमन्स' की स्पष्ट अनुमति चाहिए, जो समिति नियुक्त करनेवाले प्रस्ताव में ही दी रहती है। यही कारण है कि वहाँ यह प्रथा केवल 'एन्टीमेन्ट्स कमेटी' और 'फिनेन्स कमेटी' में नजर आती है। इसके विपरीत अमरीकी समितियों में उपसमितियों की प्रथा का बाहुल्य है। वहाँ प्रायः प्रत्येक समिति की 8-10 उपसमितियाँ होती हैं। भारत में अधिकतर प्राक्कलन व लोक-लेखा-समिति में उपसमितियों की नियुक्ति का प्रचलन नजर आता है। प्रवर समितियाँ भी कभी-कभी

* अमरीका में प्रायः प्रत्येक स्थायी समिति उपसमितियाँ नियुक्त करती है। यहाँ तक कि कांग्रेस के एक अधिकारी ने कहा था यदि उपसमिति में एक कुशल सभापति हो और वह यदि एक विशेष क्षेत्र में अपने कर्मचारियों के साथ काम कर रहा हो तो जो मुख्य समिति है, उसे उपसमिति के प्रतिवेदन के व्याकरण को देखने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं रहना। (देखिए—'सर्व कमेटीज: द्रि मिनिस्टर लेजिस्लेचर्न ऑफ कांग्रेस'—जार्ज गुडविन, 'अमेरिकन पोलिटिकल साइन्स रिव्यू' सितम्बर, 1962. पृष्ठ : 596--604)

उपसमितियाँ नियुक्त करती हैं। उपसमितियाँ नियुक्त करने की प्रथा आस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी और रूस में भी पाई जाती है। जहाँ-जहाँ उपसमितियाँ नियुक्त की जाती हैं, वहाँ-वहाँ सामान्यतः यह प्रथा है कि उपसमितियाँ अपना प्रतिवेदन समिति को पेश करती हैं, न कि सभा को। उपसमितियों के अतिरिक्त भारत की कुछ संसदीय समितियों में "अध्ययन-गुट" नियुक्त करने की भी प्रथा है। ये एक तरह की अनौपचारिक उपसमितियाँ हैं। उपसमितियों की प्रक्रिया, सामान्यतः सदन के कार्य-प्रक्रिया-नियमों में ही रहती है, उदाहरणार्थ, अमरीकी उपसमितियों के बारे में यह नियम है कि उनके द्वारा ली गई सारी माक्ष्य खुली होगी। यही नहीं उपसमितियाँ साक्ष्य ले रही हों, उनकी सदस्यता के कम से कम एक तृतीयांश सदस्य उपस्थित होने चाहिए।

(6) विधेयको पर विचार : - विभिन्न देशों में समिति द्वारा विधेयको पर विचार करने की प्रथाएँ विभिन्न हैं। 'हाउस ऑफ कॉमन्स' की स्थायी समितियों में यह प्रथा है कि यदि विधेयक वित्तीय विधेयक हो, तो समिति उसमें कोई ऐसा संशोधन नहीं सुझा सकती जो खर्च बढ़ाता हो। इसके विपरीत इटली और फ्रान्स में, समितियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे विधेयको में खर्च बढ़ाने-वाले संशोधन भी ला सकें। विधेयको पर विचार करनेवाली समितियों पर भी समय का नियन्त्रण रहता है, उदाहरणार्थ 'हाउस ऑफ कॉमन्स' की "कमेटी ऑन मन्पाई" को अपना काम 26 दिनों के अन्दर समाप्त करना पड़ता है। फ्रान्स की नेशनल एसेम्बली में भी यह प्रथा है कि विधेयक पर प्रतिवेदन 3 महीने के अन्दर ही मिल जाना चाहिए। अमरीका में समयवधि विधेयको के अनुसार सभा द्वारा निर्धारित की जाती है।

क्या समिति को एक बार सौंपे गए विधेयक वापिस लिए जा सकते हैं ? इंग्लैंड के 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में यह प्रथा है कि एक बार विधेयक समिति को सौंपे जाने के बाद वापिस नहीं लिया जा सकता। ऐसी हालत में, यदि सरकार विधेयक को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती, तो समिति ने जो भी फेरबदल किया हो, उसके साथ जब विधेयक सभा के सामने आता है, तब सरकार सभा के सम्मुख दूसरा विधेयक उपस्थित करती है। स्विट्जरलैंड में, एक बार विधेयक एसेम्बली द्वारा मंजूर होने पर वापिस नहीं लिया जा सकता। अमरीका में, कोई विधेयक सरकार द्वारा नहीं लाया जाता। वहाँ सारे विधेयक सदस्यों द्वारा ही सभा के सम्मुख

छाए जाने हैं। अतएव उनके वापिस लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता, पर दण्ड के द्वाब में प्रेसीडेंट उनमें फेजबदल कर सकता है। भारतीय लोकसभा की प्रवर समितियों में यह प्रथा है कि यदि मंत्री (जो समिति का सदस्य होता है) चाहे तो वह समिति की ओर से मन्त्र को यह सिफारिश कर सकता है कि विधेयक वापिस ले लिया जाए।

अमरीका में, चूँकि विधेयक सरकार द्वारा भली-भाँति विचार करने के बाद नहीं पेश किए जाने, इसलिए समितियों में उनकी जाँच नितान्त सूक्ष्म होती है। परिणामतः समितियों में विचाराधीन विधेयकों की संख्याएँ बहुत होती हैं। कहते हैं कि चीनी कांग्रेस के प्रथम सत्र में 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव' में 5,361 व मीनेट में 1 757 विधेयक पेश किए गए थे, पर इम अवधि में कांग्रेस ने कुल 390 विधेयक पारित किए थे, अर्थात् शेष सारे विधेयक समितियों में विचाराधीन थे।

(7) प्रतिवेदन : प्रायः प्रत्येक देश में समिति का प्रतिवेदन समिति के सभापति द्वारा पेश किए जाने की प्रथा है, पर अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अन्य सदस्यों को भी प्रतिवेदन पेश करने का अधिकार होता है। सम्पूर्ण सदन समिति के विषय में अमरीका में यह नियम है कि इस समिति का प्रतिवेदन अध्यक्ष द्वारा ही पेश किया जाए। इंग्लैंड में प्रतिवेदन के साथ ही कार्यवाही का वृत्तान्त भी प्रस्तुत किया जाता है। अमरीका में यह कार्यवाही का वृत्तान्त पेश किया जाता है। फ्रांस की समितियों का अनुकरण करनेवाली समितियों में यह प्रथा है कि हर एक समिति का एक 'रिपोर्टर' अर्थात् प्रतिवेदन होता है, जिसका काम प्रतिवेदन लिखना होता है। 'रिपोर्टर' समिति का अधिकारी होता है व उसकी नियुक्ति स्थायी अर्थात् हमेशा के लिए होती है। यह आवश्यक नहीं कि 'रिपोर्टर' मन्त्रालय दण्ड का ही व्यक्ति हो। वस्तुतः यह फ्रांस की विधान-सभा की स्वतन्त्रता का उदाहरण है। इस सम्बन्ध में नीदरलैंड की एक विशेष प्रथा का उल्लेख करना चाहिए। वहाँ समितियाँ सरकारी राय लिए बिना ही एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश करती हैं। सरकार इसका एसेम्बली में उत्तर देती है, जिसे 'स्टेटमेन्ट ऑफ रिप्लाइ' कहते हैं। यह प्रस्तुत हो जाने के बाद समिति एक सामान्य प्रावचन के साथ पुनः यह पत्र-व्यवहार सभा के सामने पेश करती है। डेल्जियम में, एक और नवीन प्रथा है और वह यह कि प्रतिवेदन लिखने के लिए केवल 'रिपोर्टर' ही नहीं, विशेषज्ञ मन्त्रालय भी नियुक्त किए जाते हैं। फ्रांस में, समिति को प्रतिवेदनों के सिवा उसकी कार्यवाही का गतिपत्र

लेखा 'साप्ताहिक सक्षिप्त समाचार' में भी प्रकाशित किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका की प्रवर समितियों में यह नियम है कि वहाँ प्रतिवेदन के साथ साक्ष्य का सारा लेखा भी सभा को पेश किया जाए। कनाडा में, समिति के प्रतिवेदनो पर अतिरिक्त विचार सूर्ण सभा द्वारा न होकर सूर्ण सदन समिति में किया जाता है।

अमरीका, इजराइल आदि देशों में प्रतिवेदन लिखने का काम विशेषकर समिति के सभापति को सौंपा गया है। इसी तरह की व्यवस्था आस्ट्रेलिया, बर्मा भारत, मूडान, जापान, व स्पेन में पाई जाती है।

अध्याय 6

भारतीय संसदीय समितियाँ

लोक-सभा व राज्य-सभा में दो तरह की समितियाँ प्रचलित हैं, स्थायी समितियाँ व प्रवर समितियाँ। इन समितियों के अतिरिक्त दोनों सदनों में कुछ ऐसी भी समितियाँ हैं, जो शुद्ध अर्थ में तो संसदीय समितियाँ नहीं, पर इनमें संसद् सदस्य ही होते हैं और इनका उद्देश्य अध्यक्ष की मदद करना होता है। इस तीसरी श्रेणी की समितियों का उदाहरण है - लोक-सभा व राज्य-सभा की (1) आवास-समिति (2) सामान्य प्रयोजन समिति व (3) दोनों सदनों की एक संयुक्त पुस्तकालय समिति।

स्थायी समितियाँ : भारतीय संसद में प्रस्तुत निम्न स्थायी समितियाँ हैं—

(अ) लोक-सभा की स्थायी समितियाँ :

- (1) लोक-लेखा-समिति,
- (2) याचिका-समिति,
- (3) नियम-समिति,
- (4) प्राक्कलन-समिति,
- (5) विशेषाधिकार-समिति,
- (6) कार्य-मूल्या-समिति,
- (7) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति,
- (8) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति,
- (9) सरकारी आवासनों सम्बन्धी समिति,
- (10) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकरूपों सम्बन्धी समिति,
- (11) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति,

(ब) राज्य सभा की स्थायी समितियाँ

- (12) याचना-समिति

- (13) कार्य-मंलणा-ममिति
- (14) नियम-समिति
- (15) विदेषाधिक्कर-समिति
- (16) अधीनस्थ विघन सम्बन्धी समिति

(स) मंयुक्त स्थायी समितियाँ .

- (17) सदस्यों के वेतन व भत्ते सम्बन्धी समिति
- (18) लाभ-पदो सम्बन्धी सयुक्त समिति

अपने स्वरूप व उद्देश्य की दृष्टि से भारतीय संसदीय स्थायी समितियों को निम्न श्रेणियों में रखा जा सकता है

(अ) जांच करनेवाली समितियाँ :

- 1) याचना-समिति (लोक-सभा व राज्य-सभा)
- (2) विदेषाधिकार-समिति (लोक-सभा व राज्य-सभा)

(ब) परीक्षा करनेवाली समितियाँ :

- (1) सरकारी आश्वासन सम्बन्धी ममिति (लोक-सभा)
- (2) अधीनस्थ विघन सम्बन्धी समिति (लोक सभा व राज्य सभा)
- (3) लाभपदो सम्बन्धी सयुक्त समिति

(स) सभा के कार्यों में मबद करनेवाली समितियाँ :

- (1) सभा की बैठको से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति (लोक-सभा)
- (2) कार्य-मलणा-समिति (लोक-सभा व राज्य सभा)
- (3) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा सक्त्पो सम्बन्धी समिति (लोक-सभा)
- (4) नियम-ममिति (लोक-सभा व राज्य-सभा)

(द) सदस्यों की सुविधाओं की देखनेवाली समितियाँ :

- (1) सदस्यों के वेतन व भत्ते सम्बन्धी समिति लोक-सभा व राज्य सभा की

आवास समितियाँ तथा सामान्य प्रयोजन समितियाँ भी उपर्युक्त उद्देश्य 'द' की पूर्ति के लिए होती हैं। संयुक्त पुस्तकालय समिति उद्देश्य 'स' के लिए है।

नीचे उपर्युक्त स्थायी समितियों का वर्णन किया गया है :

लोक-लेखा-समिति (लोक-सभा): भारतीय लोक-लेखा-समिति का इतिहास अत्यधिक पुराना है। समिति की स्थापना 1922 में हुई थी। तब से अब तक समिति हर वर्ष नियुक्त होती रही है।

समिति का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के व्यय के लिए सभा द्वारा अनुदत्त राशियों के विनियोग दिखाने वाले लेखाओ, भारत सरकार के वार्षिक वित्त-लेखाओ, और सभा के सामने रखे गए अन्य लेखाओ की जाँच करना है। सरकार के विनियोग लेखाओ और उनपर नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की जाँच करते समय लोक-लेखा-समिति का यह भी कर्तव्य होता है कि निम्न बातों के सम्बन्ध में अपना समाधान करे :

1. लेखाओ में व्यय के रूप में दिखलाया गया धन, उस सेवा या प्रयोजन के लिए विनिवृत्त उपलब्ध और लगाए जाने योग्य था, जिसमें वह लगाया गया है या वह पारित किया गया है।
2. व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है, जिसके वह अधीन है।
3. प्रत्येक पुनर्चिन्तन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत, इस सम्बन्ध में किए गए उपायों के अनुसार किया गया है।

लोक-लेखा-समिति का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्य-निगमों, व्यापार तथा निर्माण-योजनाओं और परिशोधनाओं की आय तथा व्यय दिखलाने वाले लेखा-

* आरम्भ में समिति को सैनिक व्यय की जाँच करने का अधिकार न था इस कार्य के लिए 'सैनिक लेखा-समिति' नाम की एक अलग समिति हुआ करती थी, किन्तु स्वतन्त्रता मिलने के बाद यह अधिकार लोक-लेखा-समिति को सौंपा गया।

* सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की स्थापना के फलस्वरूप अब कुछ राज्य-निगमों के विवरणों की जाँच का कार्य-लेखा-समिति को नहीं करना पड़ता।

विवरणों तथा सतुलन-पत्रों और लाभ तथा हानि के लेखाओं के ऐसे विवरणों की जाँच करे, जिन्हें तैयार करने की राष्ट्रपति ने अपेक्षा की हो या जो किसी खास निगम, व्यापार-संस्था या परियोजना के लिए वित्त-व्यवस्था विनियमित करनेवाले सविहित निगमों के उपलब्धों के अन्तर्गत तैयार किए गए हों। समिति इन सम्बन्ध में उपायों के विषयों पर नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन की जाँच भी करती है। समिति का यह भी कर्तव्य होता है कि वह ऐसी स्वायत्तशासी तथा अर्ध-स्वायत्तशासी संस्थाओं की आय तथा व्यय दिखलानेवाले लेखा विवरणों की जाँच करे, जिनकी लेखा-परीक्षा नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशों के अन्तर्गत या ससद् की किसी सविधि से अनुसार की जाती है। समिति का यह भी कर्तव्य है कि वह इन मामलों में नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक के ऐसे प्रतिवेदनों पर विचार करे, जिनमें सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने उममें किन्हीं प्राप्ति की लेखा-परीक्षा करने की या भंडार और स्वन्ध की लेखा-परीक्षा करने की अपेक्षा की हो। समिति का यह भी कर्तव्य है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर सभा द्वारा अनुदत्त राशि से कुछ अधिक धन व्यय किया गया हो तो वह उन सभी मामलों में से प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में उन परिस्थितियों की जाँच करे, जिनके कारण अधिक व्यय हुआ हो। जाँच के पश्चात् उपयुक्त सिफारिशें करना भी समिति के कर्तव्यों के अन्तर्गत होता है। समिति का एक और महत्वपूर्ण कार्य है और वह है अतिरिक्त व्ययों पर जाँच। सविधान के अनुच्छेद 115 में विहित है कि यदि किसी वर्ष में अनुदत्त व्यय में अधिक व्यय हुआ हो तो उसके लिए राष्ट्रपति पुनः लोक सभा में 'अनुमोदन' की मांग पेश कराएगा। ऐसी मांगों के विषय में लोक-सभा ने अपन नियमों में यह विहित किया है कि उन पर लोक-लक्षा समिति की राय ली जाएगी। अतएव लोक-लेखा समिति को अतिरिक्त व्ययों के सम्बन्ध में सभा को सन्तुष्ट करना पड़ता है कि वे व्यय अनिवार्य थे।

समिति के 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोक-सभा 7 राज्य-सभा के होते हैं। सन् 1953 में यह तय किया गया कि राज्य-सभा के सदस्य भी समिति में शामिल होंगे। पहले यह प्रथा नहीं थी उस समिति के कुल 15 सदस्य हुआ करते थे। समिति के कार्य में नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक का विशेष हाथ होता है।

समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति 8 सदस्यों में होती है। समिति का सभापति, अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है, किन्तु यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य हो तो वही समिति का सभापति होता

है। समिति को, अधिकारियों के बयान या परीक्षा के अधीन लेखों से सम्बन्धित साक्ष्य लेने का अधिकार होता है। समिति विशिष्ट जाँच के लिए ऐसी उपसमितियाँ भी नियुक्त कर सकती है, जिन्हें अविभक्त समिति की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

समिति ने अपनी कार्यविधि के विषय में विस्तृत आन्तरिक नियम बनाए हैं, जिनके अनुसार समिति की कार्यविधि इस प्रकार है -

नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकार के लेखाओं पर लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन सभा के सम्मुख उपस्थापित किए जाने के तुरन्त बाद समिति उनकी परीक्षा के लिए अपना कार्यक्रम निश्चित करती है। इस कार्यक्रम की प्रतिलिपि मन्त्रालयों को भेजी जाती है। उसके बाद कार्यक्रम के अनुसार मन्त्रालयों से प्रतिनिधि समिति के सामने साक्ष्य देने आते हैं। इन बैठकों में, नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक और उसके अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं। समिति प्रत्येक अनुदान के अन्तर्गत व्यय की जाँच करती है। यदि लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन में कोई त्रुटि बतलाई गई हो तो वह क्यों और कैसे हुई है, इसकी परीक्षा भी समिति करती है। प्रत्यक्ष जाँच के बाद भी यदि किसी विषय में कोई जानकारी बाकी रहती हो तो समिति उन पर लिखित ज्ञापन मन्त्रालयों से मगती है। समिति की बैठकों में बाहर का कोई आदमी उपस्थित नहीं रह सकता। समिति के कार्य के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है। समिति की सारी कार्यवाही का शब्दशः विवरण रखा जाता है। समिति की जाँच में तत्स्थान परीक्षा करने की भी प्रथा है। अपनी जाँच पूरी होने पर, समिति अपना प्रतिवेदन लोक-सभा को पेश करती है। प्रतिवेदन, पेश किए जाने के पूर्व, मन्त्रालयों को तथ्य-प्रमाण के लिए भेजे जाते हैं।

समिति की सिफारिशें यथाशीघ्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, अतएव जब कभी समिति की सिफारिशों पर सरकार कार्रवाई करती है तो समिति को सूचित किया जाता है। समिति इस बात की पुनः जाँच करती है कार्यान्विति पूर्ण रूप से हुई है या नहीं कि उसकी सिफारिशों की समिति अपने प्रतिवेदनों के साथ इस सम्बन्ध में लोक-सभा को सूचित करती है। समिति के प्रतिवेदनों पर साधारण तौर पर सभा में बहस नहीं होती पर तृतीय लोक-सभा में 22 अगस्त, 1966 को समिति के 55 वें प्रतिवेदन पर विदोष बारणों से बहस की गई थी।

समिति ने पहली लोक-सभा में 25 प्रतिवेदन, द्वितीय लोक-सभा में 43, तृतीय लोक-सभा में 66 और चौथी लोक-सभा में अभी तक 5 प्रतिवेदन पेश किए

हैं। लोक-लेखा-समिति को ससद् का पहरेदार* (वित्तीय मामलो में) माना जाता है। यह सत्य है कि सरकारी विभाग, यदि ससद् की किसी समिति से सर्वाधिक डरते हैं, तो वह लोक-लेखा-समिति है।

याचिका-समिति (लोक-सभा) — याचिका-समिति की स्थापना 1924 में तत्कालीन 'लेजिस्लेटिव एसेम्बली' में हुई थी। 1931 तक यह समिति 'कमेटी ऑन पब्लिक पिटीशन्स' के नाम से ज्ञात थी। स्वतन्त्रता मिलने के बाद इस समिति का पुनर्गठन हुआ है। अपनी ससद् होने के नाते किसी नागरिक को यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च सस्था को अपनी याचना भेज सके। याचिकाओं के माध्यम से ससद्-सदस्यों को भी लोक-मत जानने में आसानी होती है। यही 'याचिका-समिति' का उद्देश्य है।

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार समिति के निम्न 3 उद्देश्य हैं :—

- (1) समिति उसे सौंपी गई प्रत्येक याचिका की जाँच करेगी और यदि याचिका में नियमों का पालन किया गया हो तो समिति निर्देश दे सकेगी कि उसे परिचालित किया जाए। यदि याचिका के परिचालित किए जाने का निर्देश दिया गया हो तो अध्यक्ष किसी भी समय निर्देश दे सकेगा कि याचिका को परिचालित किया जाए।
- (2) याचिका उसके विस्तृत अथवा सक्षिप्त रूप में समिति या अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार परिचालित की जाएगी।
- (3) समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि ऐसी साध्य प्राप्त करने के बाद, जैसी कि वह ठीक समझे, उसे सौंपी गई याचिका में की गई विशिष्ट शिकायतें सभा को प्रतिवेदित करे और बिचाराधीन मामले से सम्बन्धित

* लोक-लेखा-समिति की ससद् सदस्यों में इनकी प्रतिष्ठा है कि इस समिति के प्रति कोई दोषारोपण स्वयं सभा के विशेषाधिकार भंग होने के बराबर माना जाता है। इसका जत्याधुनिक उदाहरण मगिनि की 34 वी रिपोर्ट (तृतीय लोक-सभा) है—जिसमें भारत सेवक समाज ने लेखाओं की खुटियों की आलोचना थी। इस आलोचना का प्रत्युत्तर म्मिने ने देने का प्रयत्न किया था और उससे सभा में गभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

ठोस रूप में या भविष्य में दोष को, रोक्ने के लिए प्रतिकारक उपायों का सुझाव दे।”

जब याचिकाएँ सभा में पेश की जा चुकी होती हैं तो उन्हें एक क्रम-सूची दी जाती है। उसके बाद वे यथाशीघ्र समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं। यदि याचिका सभा के सम्मुख किसी विधेयक से सम्बन्धित हो तो समिति प्रायः उसे सदस्य-सदस्यों को वितरित करने का आदेश देती है। यदि विधेयक केवल सभा के सम्मुख ही न हो, वरन् सभा उस पर विचार कर रही हो तो समिति तुरन्त बैठक बुला कर उस पर विचार करती है।

समिति हर लोक-सभा के आरम्भ में नियुक्त की जाती है, पर इसकी अवधि एक वर्ष की होती है। समिति के 15 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सदस्य नियुक्त करते समय विभिन्न दलों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखता है। वह कुछ निर्दलीय सदस्यों के भी नाम निर्देशित करने की उपादेयता पर विचार करता है। सदस्यों को समिति का सदस्य होने का अधिकार नहीं होता। समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। यदि समिति का कोई सदस्य किसी कारण से कार्य करने में अशक्त हो तो अध्यक्ष उसके स्थान पर अन्य सदस्य नियुक्त करता है। समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति-संख्या 5 होती है। समिति को व्यक्तियों को हाजिर कराने या पत्रों अथवा अभिलेखों को पेश कराने की शक्ति होती है, यदि वेमा कराना उसके कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो। किसी व्यक्ति की माध्य या किसी दस्तावेज का पेश किया जाना समिति के प्रयोजन के लिए सगत है या नहीं यदि यह प्रश्न उठता है तो अध्यक्ष की सलाह ली जाती है और उसका निर्णय अन्तिम माना जाता है। समिति स्वयं यह निश्चय करती है कि उसके सामने दी गई साक्ष्य को गोपनीय या गुप्त माना जाए अथवा नहीं। एक बार समिति के सामने पेश किए जाने पर दस्तावेज वापस नहीं लिया जा सकता।

किस प्रकार की याचिकाओं पर समिति द्वारा चर्चा की जाएगी; इस विषय पर निम्न आदेश है “ऐसे विषयों पर, जो किसी न्यायालय अथवा विधिक अधिकरण अथवा अधिकारी अथवा अर्धन्यायिक-संस्था अथवा आयोग के विचाराधीन हो, विचार नहीं किया जा सकता। यदि विषय, उपरोक्त विषयों जैसा हो, तो सभा को उस पर साधारण कार्यवाही लिए जाने में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।” इसी

प्रकार यदि कोई ऐसा विषय हो, जो राज्य विधान-सभा में उठाया जाना चाहिए तो उसमें भी समिति हस्तक्षेप नहीं करती। यदि कोई याचिका ऐसी हो, जिसका उद्देश्य उसके अन्तर्हित निवेदन की सुनवाई सामान्य तौर पर हो सकने के बावजूद, सभा में उसके प्रस्तुतीकरण द्वारा याचिका की सुनवाई करनेवाले व्यक्तियों पर जोर डालना हो तो उसे समिति मजूर नहीं करती। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को किसी सरकारी नियम के विरुद्ध व्यक्तिगत आपत्ति हो तो उन मामलों पर भी समिति विचार नहीं करती। यदि याचिकाएँ सर्व-सामान्य आपत्ति या आक्षेप का विषय हो, तो उस पर विचार किया जा सकता है। कर्ज या आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में प्राप्त याचिकाओं पर भी समिति विचार नहीं करती। यदि किसी याचिका का विषय राज्य-सरकार से सम्बन्धित हो तो उस याचिका को राज्य-विधान-सभा की याचिका समिति के सम्मुख भेज दिया जाता है। निम्न प्रकार की याचिकाओं पर भी समिति विचार नहीं करती।—

- (1) सरकारी, अर्धसरकारी व निगमों के कर्मचारियों के सेवाशर्तों सम्बन्धी मामले,
- (2) नौकरी दिलाने के लिए की गई याचिकाएँ,
- (3) गुमनाम शिकायतें,
- (4) लुब्ध विषयों से सम्बन्धित याचिकाएँ,

समिति की कार्य प्रणाली इस प्रकार है। प्रत्येक याचिका को श्रेणी 'अ' व श्रेणी 'ब' में विभाजित किया जाता है। श्रेणी 'अ' में अधिक गंभीर विषयों वाली याचिकाएँ रखी जाती हैं। श्रेणी 'अ' की याचिकाएँ मलाल्यों को भेजी जाती हैं व उनमें तथ्य मागे जाते हैं और उन पर समिति फिर विचार करती है। श्रेणी 'ब' की याचिकाएँ, यदि वे उचित हैं तो, मलाल्यों को उचित वारंटवाई के लिए भेज दी जाती हैं।

समिति ने, प्रथम लोक-सभा के कार्य-काल में 2019 याचिकाओं व निवेदनों पर विचार किया था। इनमें 351 याचिकाएँ ग्राह्य थीं। इस काल में समिति की 31 बैठकें हुई थीं और समिति ने 12 प्रतिवेदन पेश किए थे। 351 याचिकाएँ, जो ग्राह्य थी, उनमें से 311 याचिकाएँ सभा के सम्मुख पेश विधेयकों के सम्बन्ध में थी, 6 राज्य पुनर्गठन के विषय में और शेष अन्य विषयों के बारे में भी। द्वितीय लोक-सभा के काल में, समिति ने 15 तृतीय लोक सभा के काल में 5, और

चौथी लोक-सभा की अभी तक की अवधि में समिति ने 2 प्रतिवेदन पेश किए हैं। समिति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह प्रत्येक याचिका पर प्रतिवेदन दे। जब कभी कोई विशेष महत्त्व का प्रश्न याचिका में होता है, तभी समिति ससद् की प्रतिवेदन देती है।

नियम-समिति (लोक-सभा)—सविधान के अनुच्छेद 118(1) में कहा गया है कि सविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सदन अपने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम बनाएगा। इसी अनुच्छेद के पालनार्थ 1 अप्रैल, 1950 को सभाध्यक्ष ने नियम समिति की पहली बार स्थापना की थी। नियम-समिति तब से प्रथम लोक-सभा के प्रारम्भ से लगभग प्रतिवर्ष गठित होती रही है।

लोक-सभा की नियम समिति के सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं व उसकी अवधि एक वर्ष होती है। इस समिति के सदस्यों की संख्या, सभापति को मिलाकर, कुल 15 होती है। सदस्य नियुक्त करते समय अध्यक्ष साधारणतः राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से सलाह लेता है। अध्यक्ष ही समिति का पदेन सभापति होता है। यदि अध्यक्ष किसी कारण से समिति के सभापति के रूप में कार्य करने से असमर्थ हो तो वह अपने स्थान पर समिति का अन्य सभापति नियुक्त करता है।

समिति के बैठक के लिए कम-से-कम 5 सदस्य होने चाहिए। जब कोई महत्त्वपूर्ण नियम विचाराधीन होता है तो सभा के विभिन्न दलीय नेताओं को भी विशेष आमन्त्रण द्वारा समिति की बैठक में बुला लिया जाता है। इसी प्रकार जब कोई नियम-परिवर्तन सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया गया हो तो सम्बन्धित मन्त्री को भी बैठक में आमन्त्रित किया जाता है। क्लिष्ट कानूनी विषयों पर विचार करने समय महान्यायवादी को बुलाने की भी प्रथा है।

समिति ने प्रथम लोक-सभा के काल में एक, द्वितीय लोक-सभा के काल में 3, तृतीय लोक-सभा के काल में 4 व चौथी लोक-सभा की अभी तक की अवधि में 3 प्रतिवेदन पेश किए हैं।

समिति के प्रतिवेदन साधारणतया उपाध्यक्ष द्वारा सभा-पटल पर रखे जाते हैं। प्रतिवेदन के सभा-पटल पर रखे जाने के 7 दिन के अन्दर, यदि कोई सदस्य चाहे तो सशोधन पेश कर सकता है। ये सशोधन पुनः समिति के सामने विचारार्थ

जाने है। जब दुबारा समिति का पेश किया गया प्रतिवेदन सभा द्वारा मान्य कर लिया जाता है, तब उसके सुझाव लागू किए जाते हैं। सभा द्वारा स्वीकृति की यह पद्धति इसलिए आवश्यक मानी जाती है कि सविधान के पूर्वोक्त अनुच्छेद के अनुसार सभा की कार्यविधि करने का अधिकार केवल सभा को ही है।

जब नियम समिति सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों में सशोधन सुझाती है तो वह सदस्यों व जनता के सूचनार्थ भारत सरकार के राजपत्र (विशेष) भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाता है।

समिति ने अपने एक प्रतिवेदन में यह निर्धारित किया है कि नियम, आदेश या प्रथा द्वारा प्रक्रिया के संचालन के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिए —

- (1) यथाम्भव प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में प्रक्रिया-नियमों में व्यवस्था होनी चाहिए।
- (2) ऐसे विषयों में, जहाँ कठोरता लाना नहीं और यही वाञ्छनीय है कि प्रथा अनुभव के साथ-साथ विकसित हो, प्रक्रिया-नियमों में व्यवहृत, अध्यक्ष पद से दिए गए निर्णयों व आदेशों का ही प्रयोग करना चाहिए।
- (3) कुछ अवधि के बाद, जब प्रथाएँ व रीतियाँ निश्चित हो जाएँ, उन्हें प्रक्रिया-नियमों अथवा अध्यक्ष के आदेशों में शामिल कर लेना चाहिए।

प्राक्कलन-समिति (लोक-सभा)—प्राक्कलन-समिति का जन्म 10 अप्रैल, 1950 को हुआ था। यद्यपि पहले भी प्राक्कलन-समिति निर्माण करने के प्रयत्न किए जा चुके थे, पर ससद का निर्माण होकर उसके प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के बनने तक उसका जन्म न हो सका था। उक्त नियमों के अनुसार प्राक्कलन समिति के निम्न कर्तव्य हैं —

- * सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की स्थापना के फलस्वरूप अब प्राक्कलन-समिति को कुछ राज्य-निगम व सरकारी कम्पनियों के प्राक्कलनों की जाँच नहीं करनी पड़ती। पहले इनके लिए समिति एक विशेष उपसमिति नियुक्त किया करती थी।

- (1) प्राक्कलनो से सम्बन्धित नीति के अनुकूल मितव्ययिताएँ, सपटन में सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन करना ।
- (2) प्रशासन में कार्यपटुता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना ।
- (3) प्राक्कलनो में अन्तर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं, इसकी जाँच करना ।
- (4) प्राक्कलन किस रूप में ससद में उपस्थापित किए जाएँगे, इसका सुझाव देना ।

पहले समिति के 25 सदस्य हुआ करते थे, पर सन् 1938 से इसके 30 सदस्य होते आए हैं, जो प्रतिवर्ष सभा द्वारा उसके सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल सक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं । यह उल्लेखनीय है कि मन्त्री समिति के सदस्य नहीं होते । यदि समिति में निर्वाचित होने के बाद कोई सदस्य मन्त्री नियुक्त किया जाता है तो उसे समिति की सदस्यता से वंचित होना पड़ना है । समिति का सभापति, अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है, पर यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य हो तो वही समिति का सभापति बनता है । समिति की बैठक गठित करने के लिए कम-से-कम 10 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होता है ।

समिति की आन्तर्गिक कार्यप्रणाली इस प्रकार है : प्रत्येक वर्ष के शुरू में समिति सर्वप्रथम उस वर्ष में परीक्षा के लिए विषय, जैसे विकासेतर व्यय में वृद्धि का प्रश्न, 'रेलो के व्यापारिक मामले' अथवा कोई भी मन्त्रालय यथा रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय आदि चुनती है । तदुपरान्त इन मन्त्रालयों या विषयों के बारे में, 'प्रारम्भिक जानकारी' मंगवाई जाती है । जानकारी आने पर, समिति उसके आधार पर एक प्रस्तावली बनाती है, जो मन्त्रालयों को उत्तर भेजने के लिए प्रेषित की जाती है । इस लिखित जानकारी के प्राप्त करने के अतिरिक्त समिति सम्बन्धित स्थानों या कार्यालयों की तत्स्थान परीक्षा के लिए भी जाती है । इस परीक्षा व प्रश्नोत्तरों के आधार पर, समिति सम्बन्ध मन्त्रालयों के अधिकारियों की साक्ष्य लेती है उनके विचार जानने के बाद समिति अपना निर्णय देती है । चूँकि केवल सरकारी मत जानने से ही सारी स्थिति का बोध नहीं होता, अतएव गैर-

सरकारी विशेषज्ञों की राय लेने की भी प्रथा है। समिति के विचार, प्रतिवेदनों के रूप में, सभा को पेश किए जाते हैं।

चूँकि रक्षा विषयक प्रश्नों की जाँच उसी प्रकार खुली तौर पर नहीं की जा सकती, जिस प्रकार से अन्य प्रश्नों की जाँच की जा सकती है, अतएव अध्यक्ष के आदेश से रक्षा-मन्त्रालय सम्बन्धी जाँच के लिए एक विशेष प्रथा प्रचलित है जो यह है कि समिति एक विशेष उपसमिति नियुक्ति करती है और वही रक्षा विषयक सारे प्रश्नों की जाँच अध्यक्ष के आदेशानुसार करती है। इस विशेष उपसमिति के अनिर्दिष्ट 'अध्ययन-मण्डल' नियुक्त करने की प्रथा भी प्रचलित है।

समिति के प्रतिवेदनो पर सरकार द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं और इन कार्रवाइयो के सम्बन्ध में मन्त्रालय समिति को सूचित करते रहते हैं। समिति उन पर विचार कर पुन सभा को प्रतिवेदन देती है। प्रथा के अनुसार समिति के प्रतिवेदनो पर सभा में कोई बहस नहीं होती, पर उनकी सिफारिशो को सरकार वही मान्यता देती है, जो मान्यता वह सभा के आदेशो की देती है। समिति को भारत की सचिन राशि पर प्रभावित राशि की भी जाँच करने का अधिकार होता है, यह बात दूसरी है कि वह उसमें कोई कटौती करने का सुझाव नहीं दे सकती।

समिति ने, अभी तक 350 से अधिक प्रतिवेदन पेश किए हैं, जिनके माध्यम से प्राय सभी मन्त्रालयों की जाँच की जा चुकी है। इसके सिवा समिति ने आय-व्ययक सुधार, योजना-आयोग, सचिवालय-पुनर्गठन, वित्तीय व प्रशासनिक सुधार, अर्थनिक योजनातिरिक्त व्यय में वृद्धि, सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों सम्बन्धी नीति इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर भी प्रतिवेदन दिए हैं।

भारतीय ससद् की सारी समितियों में लोक-लेखा-समिति के बाद, प्राक्कलन-समिति का ही स्थान आता है। कार्य की दृष्टि से भी देखें तो किसी अन्य समिति की उसके कार्य-काल में अभी तक के समय में इतनी बैठकें नहीं हुई हैं, जितनी प्राक्कलन-समिति की बैठकें। केवल द्वितीय लोक-सभा के कार्य-काल में हुई हैं। उदाहरणार्थ, द्वितीय लोक-सभा के कार्य-काल में समिति की 246 बैठकें हुई थी और समिति ने 40 हजार से अधिक पृष्ठों की सामग्री पर विचार किया था।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—सरकारी उपक्रमों (अर्थात् निगमों, स्वायत्त संस्थाओं व कम्पनियों) पर समदीप निरीक्षण कई वर्षों से एक विवादास्पद

विषय रहा है। इंग्लैण्ड में इस विषय पर विचार करने के लिए दो प्रवर समितियाँ नियुक्त हुईं। अन्ततोगत्वा 1955 में, वहाँ 'सेलैक्ट कमेटी ऑन नैशनलाइज्ड इण्डस्ट्रीज' की स्थापना हुई। जैसे अन्य मामलों में भारतीय ससद् ने ससदों की जननी, 'हाउस ऑफ कॉमन्स' की प्रथाएँ अपनाई हैं, उसी प्रकार सरकारी उपक्रमों पर ससदीय नियन्त्रण के लिए भी बहुत वर्षों से ससद्-सदस्यों व अन्य स्वतन्त्र विचारकों की यह माग थी कि इन उपक्रमों की जाँच के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जाए। वैसे तो पाठकों ने लोक-लेखा-समिति तथा प्राक्कलन-समिति के वर्णन के अन्तर्गत पढ़ा ही होगा कि ये समितियाँ उपक्रमों के प्राक्कलनों तथा लेखाओं की जाँच करती थी। वास्तव में प्राक्कलन-समिति ने उपक्रमों पर 50 के करीब प्रतिवेदन भी पेश किए थे, पर यह अनुभव किया जाता था कि चूँकि इन समितियों को उपक्रमों के सिवा अन्य विषयों की भी जाँच करनी पड़ती है और उपक्रमों की सख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है अतएव उन पर विचार करने के लिए एक स्वतन्त्र संसदीय समिति होनी चाहिए। स्वतन्त्र समिति की माँग का एक यह भी उद्देश्य था कि इनकी जाँच एक अलग ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि ये उपक्रम सरकारी विभाग जैसे नहीं, बल्कि व्यापारिक ढंग के हैं, जहाँ अर्थ के नियोजन अथवा उसकी उत्पादनता का माप भिन्न नहीं है।

अतएव 1963 के नवम्बर में, ससद् पारित एक प्रस्ताव द्वारा इस समिति की स्थापना हुई। प्रस्ताव में समिति के जो कृत्य बनाए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

- (1) सरकारी उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों व लेखों की परीक्षा करना।
- (2) नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक ने यदि इन उपक्रमों पर कोई लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन दिया हो, तो उसकी जाँच करना।
- (3) सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता तथा कार्य-कुशलता को ध्यान में रखते हुए यह देखना कि उनका कारोबार स्वस्थ ध्यावनायिक सिद्धांतों व सुचारित व्यापारिक नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं।
- (4) प्राक्कलन-समिति को तथा लोक-लेखा-समिति को सौंपे गए अन्य ऐसे सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी कृत्यों को निभाना, जो ऊपर दिए गए (1), (2) और (3) के अन्तर्गत कृत्यों में नहीं जाते। तथा

(5) अन्य ऐसे कृत्य, जो अध्यक्ष द्वारा माँचे जाएँ ।

समिति को उपक्रमों के दिन-प्रतिदिन के व्यवहार व प्रशासन में हस्तक्षेप करने की मनाही है। इसी प्रकार उन विषयों की जाँच करने की भी मनाही है, जिनके लिए कानून ने अन्य कोई व्यवस्था की हो, जैसे अध्यापकों और कर्मचारियों के बीच झगड़ों को निपटाने के लिए नियुक्त न्यायालय, वस्तुओं की भीमतों निर्धारित करने के लिए 'टैरिफ कमीशन' इत्यादि से सम्बद्ध विषय ।

समिति, सयुक्त समिति तो नहीं पर, लोक-लखा-समिति की तरह इसमें भी लोक-सभा व राज्य सभा दोनों के सदस्य इस प्रकार होते हैं 10 लोक-सभा के व 5 राज्य-सभा के। पूर्वोक्त प्रस्ताव के अनुसार समिति का कार्य-काल तृतीय लोक-सभा की अवधि तक था। पर नवम्बर, 1965 में नियमों में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप अब यह समिति अन्य वित्तीय समितियों के समान प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती है। समिति का सभापति, अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नाम निर्देशित किया जाता है।

समिति की कार्यप्रणाली प्राक्कलन-समिति की कार्य-प्रणाली जैसी है। वर्ष के आरम्भ में समिति यह निश्चित करती है कि वह कौन-कौन-से उपक्रमों की जाँच करेगी। फिर सम्बद्ध उपक्रमों पर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती है। यदि समिति को उचित लगता हो वह उन उपक्रमों का दौरा भी करती है। समिति 'चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स' अथवा अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं व व्यक्तियों के मन भी मालूम करती है। तदुपरान्त समिति मन्त्रालय के अधिकारियों व उपक्रमों के अधिकारियों की माध्य लेनी है और फिर अपना प्रतिवेदन पेश करती है। चूँकि समिति को उपक्रमों के लेखाओं की भी जाँच करनी पड़ती है, इसलिए यदि परीक्षा-धीन उपक्रमों पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में कुछ त्रुटियाँ मिलती हों तो नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की भी इस सम्बन्ध में माध्य ली जाती है।

समिति ने, तृतीय लोक-सभा की अवधि में 40 प्रतिवेदन पेश किए थे, जिनमें अनेक उपक्रमों (उदाहरणार्थ, 'फटिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया', 'स्टरलेला स्टील प्लांट', इत्यादि) पर थे व कुछ उपक्रमों सम्बन्धी एक सामान्य, पर महत्त्वपूर्ण विषयों (जैसे उपक्रमों की उपनगरी तथा कारखानों की इमारतों) इत्यादि पर थे। चौथी लोक सभा के अभी तक के काल में समिति ने 2 प्रतिवेदन पेश किए हैं।

विशेषाधिकार-समिति (लोह-सभा)—विशेषाधिकार-समिति की स्थापना पहली बार 1 अप्रैल, 1950 को हुई थी। तब से यह समिति प्रतिवर्ष मई के महीने में नियुक्त की जाती है।

समिति का कार्य, उसको सौंपे गए प्रत्येक प्रश्न की जांच कर, प्रत्येक मामले के तथ्य के अनुसार यह निर्धारित करना होता है कि किसी विशेषाधिकार का भंग हुआ है या नहीं और यदि हुआ है तो वह किस प्रकार का है और किन परिस्थितियों में हुआ है, ताकि तत्सम्बन्धी उपयुक्त सिफारिश की जाए।

समिति के 15 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सदस्य नियुक्त करते समय विभिन्न राजनैतिक दलों के हकों, हितों तथा सल्लस को ध्यान में रखता है। वह विभिन्न दलों की सल्लस भी लेता है। समिति की आकस्मिक रिक्तता-पूर्ति, अध्यक्ष द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नामनिर्देशन द्वारा की जाती है। समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है। समिति की बैठकें गठित करने के लिए गणपूर्ति 5 होती है। समिति यदि चाहे तो व्यक्तियों को हाजिर या पत्रों अथवा अप्रलेखों को पेश करा सकती है। समिति किसी प्रश्न पर विचार करने के बाद उस पर अपनी सिफारिशें प्रतिवेदन के रूप में सभा को पेश करती है। साधारणतया प्रतिवेदन सभा द्वारा निश्चित समय के अन्दर पेश किया जाना है। यदि सभा ने कोई समय निश्चित न किया हो तो प्रतिवेदन उस तिथि से एक मास के अन्दर पेश किया जाता है, जिस तिथि को विशेषाधिकार का प्रश्न सभा ने समिति को सौंपा हो। समिति के प्रतिवेदन आरम्भिक भी होते हैं और अन्तिम भी। समिति के प्रतिवेदन सभा में प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत होते हैं। साधारणतया, यदि समिति ने यह सिफारिश की हो कि विशेषाधिकार का भंग नहीं हुआ है तो उस पर कोई बहस नहीं होती, उदाहरणार्थ, देशपांडे, दशरथ, देव व सुन्दरैया आदि के मामलों को देखा जा सकता है। यदि विशेषाधिकार भंग हुआ हो और समिति ने यह सिफारिश की हो कि विशेषाधिकार भंग करने वाले द्वारा क्षमा माग लेने के कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए तो उन परिस्थितियों में भी प्रतिवेदन पर कोई बहस नहीं होती। अभी तक समिति ने केवल एक बार विशेषाधिकार-भंग करनेवाले को दण्ड देने की सिफारिश सभा को की है।

वह सिफारिश बिल्ट्ज के सम्पादक द्वारा सभा के विशेषाधिकार-भंग करने के प्रसिद्ध मामले में की गई थी।

समिति की सिफारिशों को, सभा किस तरह कार्यान्वित करे, यह बतलाना भी समिति का कर्तव्य होता है। जब इस तरह की कार्यविधि समिति द्वारा बनाई जाती है, तब सभा द्वारा उस प्रतिवेदन पर चर्चा कर उसे अनिम्न रूप से स्वीकृति दी जाती है।

जब विशेषाधिकार के समान प्रश्न, दोनों सदनों के सम्मुख रहते हैं, तब दोनों सदनों की विशेषाधिकार-समितियों द्वारा सयुक्त बैठकें करने की भी प्रथा है। इस सम्बन्ध में, 1954 में हुई सयुक्त विशेषाधिकार समितियों की बैठकों में निम्न सिद्धान्त स्वीकार किए गए थे

- (1) जब किसी सदन में सदस्य, अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा अन्य सदन के विशेषाधिकार के भंग किए जाने का प्रश्न उठाया जाए तो पहली सभा के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होता है कि वह दूसरे सदन के अध्यक्ष को इसकी सूचना दे। लेकिन यदि प्रश्न उठानेवाले सदस्य को पूरी तरह सुनकर या अन्य कागजान की जाँच कर अध्यक्ष इस नतीजे पर पहुँचता हो कि किसी विशेषाधिकार का भंग नहीं हुआ है अथवा मामला इतना मामूली है कि उसकी जाँच-पड़ताल करने की जरूरत नहीं तो अध्यक्ष ऐसी परिस्थिति में विशेषाधिकार-प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकता है।
- (2) जब किसी एक सदन से स्वीकृत कोई मामला अन्य सदन के अध्यक्ष को सूचित किया गया हो तब अन्य सदन का अध्यक्ष, उस मामले की उसी तरह जाँच करवाएगा, जिस तरह वह अपने सदन या अपने

करजिया द्वारा सभा के विशेषाधिकार-भंग पर समिति की रिपोर्ट को, सभा ने 19 अगस्त, 1961 को स्वीकृति दी थी। समिति ने सिफारिश की थी कि श्री करजिया का अपराध अधम्य है, इसलिए उसे समद की 'बार' के सम्मुख बुलाया जाए तदनुसार श्री करजिया को 29 अगस्त, 1961 की सदन के न्यायाधिकरण के सामने आना पड़ा, जहाँ अध्यक्ष ने उनकी निर्भ्रंशता की।

सदन के किसी सदस्य के विशेषाधिकार-भंग की हालत में करता।

- (3) जाँच करने के बाद अध्यक्ष जिस सदन से मामला आया हो, उसे जाँच की एक रिपोर्ट तथा कार्रवाई की गई तत्सम्बन्धी वी सूचना देगा।
- (4) यदि विशेषाधिकार-भंग करनेवाले सदस्य अधिकारी अथवा कर्मचारी ने माफी माग ली हो तो उस हालत में भी विशेषाधिकार-भंग की सूचना नहीं दी जाएगी।

विशेषाधिकार-समिति ने, 1958 में जिस संसद्धान्तिक प्रश्न पर विचार किया था वह यह था कि यदि कोई सदस्य अपराधिक आरोप पर गिरफ्तार हो तो उसे सामान्यतया हथकड़ियाँ पहनाई जानी चाहिए अथवा नहीं। समिति ने अपने चौथे प्रतिवेदन में इस विषय में सिफारिश की कि हथकड़ियों का उपयोग खासकर सदस्य-सदस्यों के साथ उसी अवस्था में किया जाए, जबकि बन्दी अत्यधिक उदण्ड हो अथवा यह आशंका हो कि वह हिंसा का प्रयोग करेगा। इसी प्रतिवेदन में समिति ने यह भी मत दिया है कि मद्रास-सुरक्षा अधिनियम 11(4) के समान नियम हर एक राज्य में लागू हो ताकि अध्यक्ष को सदस्य-सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना भेजी जा सके।

समिति ने प्रथम लोकसभा के कार्य-काल में 4 प्रतिवेदन, द्वितीय लोक सभा के कार्य-काल में 113 तृतीय लोक-सभा के काल में प्रतिवेदन पेश किए हैं। चौथी लोक-सभा के काल में समिति ने अभी तक 3 प्रतिवेदन पेश किए हैं।

* 1 इन प्रतिवेदनो के नाम इस प्रकार हैं

प्रथम लोक-सभा —

- (1) देशपाठे के मामले पर प्रतिवेदन;
- (2) दशरथ के जेल मामले पर प्रतिवेदन;
- (3) मिन्हा के मामले पर प्रतिवेदन;
- (4) सुन्दरैया के मामले पर प्रतिवेदन।

द्वितीय लोक-सभा —

- (1) सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित कागजातों को न्यायालयों में पेश

कार्यमंलणा-समिति (लोक-सभा) : कार्यमंलणा-समिति की स्थापना पहली बार 14 जुलाई, 1952 को हुई थी। इसकी स्थापना बड़ी दिलचस्प है। समिति के गठित होने तक, अध्यक्ष को हमेशा यह चिन्ता रहती थी कि वह वित्तीय विधेयको को छोड़कर, अन्य विधेयको के बीच किन तरह जल्दी अपेक्षाकृत महत्ता निर्धारित करें, क्योंकि समयाभाव के कारण सारे विधेयको पर तो कभी भी सभा द्वारा विचार किया जा सकता था। अतः अध्यक्ष ने, 28 मार्च, 1951 को प्रधानमन्त्री

करने की प्रक्रिया;

- (2) स्वचालित वोट मशीन के स्थापना से सम्बन्धित कागजातो को निर्वाचन-अधिकरण में भेजने का प्रश्न;
- (3) बम्बई विधानसभा के सचिव का निवेदन कि श्री एल० बी० वालवी ससद-सदस्य को बम्बई विधानसभा की विशेषाधिकार-समिति के मुस्ताव पेश करने की आज्ञा दी जाए,
- (4) व (5) समद सदस्यो को हथबडी पहनाने का प्रश्न;
- (6) ससद-सदस्यो द्वारा, ऐसे सदन के मामले, जिमका वह सदस्य न हो, साक्ष्य देने की विधि,
- (7) 'ज्वाइन्ट कमेटी ऑन मर्चेन्ट नॉपिंग रिल' की रिपोर्ट पर हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड द्वारा आरोप,
- (8) केरल के मुख्यमन्त्री द्वारा केन्द्रीय गृहमन्त्री को भेजा गया तार;
- (9) ओ० पी० मयाई द्वारा प्रकाशित पत्र;
- (10) एक समद-सदस्य के जाली हस्ताक्षर,
- (11) धीरेन भौमिक द्वारा लोक-सभा के अध्यक्ष तथा सभा पर आरोप;
- (12) ब्रिटेन में आचार्य कृपलानी पर आरोप।
- (13) ब्रिटेन के सम्पादक द्वारा विशेषाधिकार-भंग किए जाने पर कार्यवाही;

2 तृतीय लोक-सभा के प्रारम्भ से इन प्रतिवेदनो को केवल क्रम सत्या दी जाती है और उन्हें विशेषाधिकार के प्रश्न के अनुसार नाम नहीं दिया जाता।

के सामने अमरीका की समिति-प्रथा के आधार पर एक प्रस्ताव रखा कि एक समिति नियुक्त की जाए, जो इन विधेयको के अपेक्षाकृत महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, तदनुसार सभा के समय के बटवारे की सलाह दे। प्रधानमन्त्री इस मुझाव से सहमत हुए तथा नियम-समिति द्वारा इस मुझाव पर विचार किए जाने के बाद इस समिति की स्थापना हुई।

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार समिति के निम्न कर्तव्य हैं . —

- (1) ऐसे सरकारी विधेयको के प्रक्रम या प्रक्रमों तथा अन्य सरकारी कार्यों पर चर्चा करने के लिए समय के बटवारे की सिफारिश करना, जिन्हें अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से समिति को सौंपे जाने का आदेश दे।
- (2) प्रस्तावित समय-मूची में यह दर्शाना कि विधेयको के विभिन्न प्रक्रम तथा अन्य सरकारी कार्य किम-किस समय पूरे होंगे।
- (3) ऐसे अन्य कृत्य, जो समय-ममय पर अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हों।

ऐसे विधेयको, जो सभा में पेश न किए गए हों अथवा जो सभा के सम्मुख बकाया नहीं है, साधारणतया समिति के सामने समय-निर्देश के लिए नहीं भेजे जाते। यदि सभा में पेश होने के पहले इन विधेयको की प्रतियाँ, समिति के सदस्यों के बीच वितरित की जा चुकी हों तो उनके लिए समय-निर्देशन करना समिति का कर्तव्य होता है। कभी-कभी समिति स्वयं भी सरकार को कार्य-मलना देती है, जैसे प्रथम लोक-सभा के दसवें अधिवेशन में, 'टैंक्सेशन इन्व्वायरी कमेटी रिपोर्ट', 'प्रेस कमीशन रिपोर्ट' आदि के लिए समय निर्धारण के बारे में समिति ने अपनी राय दी थी। यदि विधेयको के विषय परस्पर अनुकूल हों, तो एक से अधिक विधेयकों पर सामूहिक रूप से विचार किए जाने के लिए समय के नियतन हेतु कार्य-मलना-समिति अपनी सिफारिश करती है। यदि किसी सत्र में, सारी कार्यवाही पूर्ण होने की संभावना न हो तो समिति उसके अगले सत्र में कार्यवाही जारी रखने के बारे में भी सलाह लेती है। यदि समय कम हो तो सत्र की अवधि बढ़ाने अथवा प्रतिदिन अधिक देर तक सभा की बैठक कराने की सलाह देना भी समिति के कृत्यों में शामिल है। लोक-सभा की कार्य-मलना-समिति ने केवल विभिन्न विधेयको के लिए ही समय-वितरण के मुझाव नहीं दिए हैं, वरन् एक ही विधेयको की विभिन्न अवस्थाओं के लिए भी

समय नियतन किया है। वैसे तो समिति स्वयं कार्यक्रम पर विचार करती है, पर ऐसे भी उदाहरण हैं जब कि समिति ने इस प्रयोजन के लिए उपसमिति नियुक्त की है। कार्य-मल्लणा समिति का कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया गया है। 1955 में, प्रथम लोक-सभा के ग्यारहवें अधिवेशन में कार्य-मल्लणा-समिति को एक उपसमिति को, अनुपूरक अनुदानों के पुस्तकों में अनुदानों का विम विस्तार से उल्लेख किया जाना चाहिए इस बात पर विचार करने का काम सौंपा गया था। समिति का वह प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय को उचित बार्वाई के लिए सौंपा गया था।

अध्यक्ष द्वारा हर लोक-सभा के आरम्भ में अथवा समय-समय पर समिति नाम-निर्देशित की जाती है। इसके 15 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होना है, जो समिति का सभापति होता है। उपाध्यक्ष भी साधारणतया इस समिति का सदस्य होता है। समिति की बैठक के लिए कम से कम 5 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। समिति की बैठक प्रायः प्रत्येक मल्ल के आरम्भ में बुलाई जाती है, किन्तु यदि आवश्यक हो तो समिति की बैठकें अन्य समय में भी हो सकती हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभापति का स्थान ग्रहण करता है। प्रथा के अनुसार समिति प्रतिवर्ष एक स्थायी उपसमिति नियुक्त करती है, जिसका काम सदन में अनियत दिनवाले प्रस्ताव की ग्राह्य सूचनाओं को विवाद के लिए चुनना होता है।

चूँकि समिति का उद्देश्य अधिवेशन में उपलब्ध समय का सर्वोचित उपयोग सुझाना होता है तदर्थ समिति के सदस्य सभा के सभी दलों में से लिए जाते हैं, ताकि समय विभाजन करते समय उन सभी दलों के मतों को ध्यान में रखा जा सके। इसके सिवा विभिन्न मतों के सदस्य भी समिति की बैठकों के लिए बुलाए जाते हैं जिसमें कि समिति की सिफारिशें सभी को मान्य हो सकें। कभी-कभी मतियों को भी समिति की बैठकों में बुलाया जाता है, अंसा कि 'सभापति मुक्त विधेयक' के समय हुआ था।

समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विधेयकों के बारे में अपना कार्यक्रम अध्यक्ष को सूचित करे, पर प्रथा यह है कि कार्यक्रम प्रतिवेदन के रूप में उपाध्यक्ष द्वारा सभा को सौंपा जाता है। संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा प्रतिवेदन के स्वीकृति प्रस्ताव को पारित कराए जाने पर, यह कार्यक्रम सभा पर लागू हुआ माना जाता है। इसका एक अन्वय है और वह है सदन के नेता (अर्थात् प्रधान मंत्री) का आग्रह ऐसी अवस्था में नेता को, अध्यक्ष से अपने मन के लिए निवेदन

करना पड़ता है और फिर अध्यक्ष सभा के मत को ध्यान में रखने हुए अपवाद की आवश्यकता स्वीकार करते हैं।

समिति ने, प्रथम लोक-सभा के कार्य-काल में 48 दिवसीय लोक-सभा के काल में 69 तृतीय लोक-सभा के काल में 50 और चौथी लोक-सभा के अभी तक के काल में 7 प्रतिवेदन पेश किए हैं। समिति ने संसदीय कार्यक्रम के बारे में, जो सामान्य नियम बनाए हैं, वे मुख्यतः इस प्रकार हैं :

- (1) यदि यह पहले ही से नियत कर लिया गया हो कि सत्र किस दिन समाप्त होगा तो सरकार को अपना विधान-कार्य इस तरह निश्चित करना चाहिए कि वह सत्र की अवधि में ही समाप्त किया जा सके। कार्यक्रम को आरम्भ में अधिक विराट रूप देना और बाद में समय के अभाव में अध्यादेश बगैरा लागू करना समिति की दृष्टि में उपयुक्त नहीं।
- (2) अनियत दिनवाले प्रस्ताव पर विवाद इस तरह संचालित किया जाना चाहिए कि कोई एक सदस्य एक अधिवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव न पेश कर सके।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति (लोक-सभा)—इस समिति की स्थापना पहली बार 1954 में हुई थी। प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत समिति के निम्न कृत्य हैं

- (1) (अ) सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति के लिए सदस्यों के सारे आवेदन-पत्रों पर विचार करना।
- (ब) ऐसे प्रत्येक मामले की जांच करना, जिसमें कोई सदस्य अनुज्ञा के बिना सभा की बैठक से साठ दिन या अधिक कालावधि तक अनुपस्थित रहा हो और तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन करना कि अनुपस्थिति माफ की जानी चाहिए या नहीं अथवा यह सिफारिश करना की परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित है कि सभा सदस्य का स्थान रिक्त घोषित करना चाहिए।
- (2) सदन में सदस्यों की उपस्थिति के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कार्य करना, जो सभा ने समिति को सौंपे हों।

जब कभी कोई सदस्य सदन की बैठको से लगातार साठ दिन से अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सर्व प्रथम उसे एक पत्र भेजा जाता है ताकि वह अपनी अनुपस्थिति का कारण बना सके। उत्तर आने पर समिति उस पर विचार करती है। अनुपस्थिति मान्य की जाए या नहीं, इस पर समिति विचार प्रकट करती है। ये विचार सभा को प्रतिवेदन के रूप में पेश किए जाते हैं। समिति ने अनुपस्थिति स्वीकार कर ली हो, वहाँ समिति को प्रतिवेदन पेश होने के बाद अध्यक्ष निम्न शब्दों में सभा की अनुमति की याचना करते हैं

‘सभा की बैठको से सदस्यो की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि श्री..... को प्रतिवेदन में अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए या अनुपस्थिति माफ की जाए।’ यदि समिति ने अनुपस्थिति स्वीकार न की हो, तो सभा में प्रस्ताव रखना पड़ता है ताकि सदस्य को अपना स्थान रिक्त करने का आदेश दिया जा सके। प्रक्रिया-नियमों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई सदस्य, जिसे इन नियमों के अन्तर्गत उपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई हो सभा के सत्र में उपस्थित हो जाए तो उसकी पुन उपस्थिति की तिथि से छुट्टी का असमाप्त भाग व्यपगत माना जाएगा।

समिति के 15 सदस्य होते हैं। समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। समिति की बैठक के लिए कम से कम 5 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। समिति की बैठक ऐसे दिन और ऐसे समय होती है जो समिति का सभापति निश्चित करे। समिति का प्रतिवेदन सभापति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा सभा को पेश किया जाता है।

सभा से अनुपस्थिति सम्बन्धी आवेदनो पर विचार करने के लिए समिति ने निम्न सिद्धान्त निर्धारित किए हैं

- (1) अनुपस्थिति के प्रत्येक आवेदन पर उममें दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।
- (2) अनुपस्थिति के प्रत्येक आवेदन में किन दिन में किस दिन तक की अनुपस्थिति रहेगी, इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए व उसके कारण भी दिए जाने चाहिए।

(3) अनुपस्थिति की भाग पहले साठ दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं की जानी चाहिए ।

समिति ने अपने कार्य-काल में प्रस्तुत प्रतिवेदन (प्रथम लोक-सभा) में एक और महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किया है और वह यह है :

“सभा के प्रति प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए समिति का यह विचार है कि सदस्यों को तभी सदन से अनुपस्थित रहना चाहिए जब यह बिल्कुल अनिवार्य हो और इसके लिए यथेष्ट कारण हो। यह आवश्यक है कि इस मामले में अन्य मामलों की तरह ही स्वस्थ प्रथाएँ स्थापित की जायें। इसलिए समिति का विचार है कि अनुपस्थिति की अनुमति भविष्य में तब तक न दी जाए, जब तक कि अनुपस्थिति के यथेष्ट कारण न हों।”

समिति ने अभी तक 67 प्रतिवेदन पेश किए हैं, जिनमें 20 प्रथम लोक-सभा की अवधि में, 26 द्वितीय लोक-सभा की अवधि में, 19 तृतीय लोक-सभा के कार्य-काल में और दो अभी तक की अवधि में चौथे लोक-सभा में प्रस्तुत किए गए हैं ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (लोक-सभा)—अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की स्थापना 1 दिसम्बर, 1953 में हुई थी। इसका इतिहास बड़ा मनोरंजक है। 11 अप्रैल, 1950 को डाक्टर अम्बेडकर (तत्कालीन न्यायमन्त्री) ने कुछ कानूनों को खण्ड 'सी' के राज्यों में लागू किए जाने के लिए प्रस्तावित विधेयक पर भाषण देते हुए कहा था

“सम्भव है कि मैं आगे सदन को यह सुझाव दूँ कि जैसा कि ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ में सभी हाल में हुआ है, लोक-सभा की एक स्थायी समिति नियुक्त करे, जो अधीनस्थ विधान की परीक्षा करे और सदन को यह सूचित करे कि अधीनस्थ विधान ने सदन के मूल इरादों का अतिक्रमण किया है या उसने मूल सिद्धान्तों में कोई गड़गड़ पंदा की है या नहीं। इस मामले पर हमें स्वतन्त्र रूप से विचार करना चाहिए।”

इस कथन पर अध्यक्ष महोदय ने 24 जून, 1950 को डाक्टर अम्बेडकर को एक पत्र लिखा, जिसके साथ उक्त विषय पर एक ज्ञापन भी था। इस पत्र-व्यवहार

के फलस्वरूप और नियम-समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद इस समिति की नियुक्ति हुई थी।

समिति का उद्देश्य यह देखना होता है कि विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियों का प्रयोग, सविधान द्वारा समद को प्रदत्त या समद द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों के अन्तर्गत उचित रूप में किया गया है या नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि समिति केवल ऐसे ही विनियम, उपनियम आदि की जाँच करे, जो सभा-पटल पर रखे जा चुके हों। अगस्त, 1955 तक स्थिति ऐसी ही थी। पर अध्यक्ष के आदेशानुसार तब से समिति को प्रत्येक उपनियम, अधिनियम आदि की जाँच का अधिकार है। समिति को, ऐसे विधेयकों की जाँच करने का भी अधिकार है, जो सरकार को आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान करते हैं। इसी प्रकार अधिकार प्रदान करनेवाले किसी भी अधिनियम के सशोधन-विधेयक पर भी विचार करने का समिति को अधिकार होता है। इन विधेयकों की जाँच का अधिकार देने का यह उद्देश्य है कि समिति यह भली प्रकार देख सके कि उन अधिनियमों में, सभा-पटल पर अधीनस्थ आदेश के रखने की उचित व्यवस्था की गई है या नहीं। समिति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह केवल अधीनस्थ नियमों की ही जाँच करे। जैसा कि समिति ने प्रथम लोक-सभा के अपने द्वितीय व तृतीय प्रतिवेदनों में स्थापित किया है यह मूल अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने पर भी अपना मन प्रकट कर सकती है।

आरम्भ में समिति की सदस्यता कुल 10 थी, पर 1954 में सदस्य-संख्या 15 कर दी गई है। मंत्री, समिति के सदस्य नहीं होते। समिति की अवधि एक वर्ष की होती है।

समिति की प्रक्रिया इस प्रकार है सविधान द्वारा प्रत्यायोजित प्रत्येक विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि समद के पटल पर रखे जाते हैं। इन्हें समद सध्या दी जाती है व राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है कुछ ऐसे भी नियम आदि होते हैं, जिन्हें समद के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं होती, पर ऐसे नियम आदि को भी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इन सारे नियमों, उपनियमों (जिन्हें आदेश भी कहते हैं) आदि पर लोक-सभा-सचिवालय द्वारा पहले जाँच की जाती है, ताकि उनमें किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह प्राप्त हो जाए। इसके बाद समिति उनकी जाँच करती है।

जाँच में निम्न बातें देखी जाती हैं :

- (1) उपनियम, आदेश आदि, सविधान अथवा उस नियम के सामान्य उद्देश्यों के अनुकूल है या नहीं। जिसके अनुसार वह बनाया गया है।
- (2) उनमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है या नहीं, जिसे अधिक समुचित ढंग से निपटाने के लिए समिति की राय में ससद का नियम होना चाहिए।
- (3) उसमें कोई करारोपण अन्तर्निहित है या नहीं।
- (4) उसमें न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूकावट होती है या नहीं।
- (5) वह उन उपबन्धों में से किसी को भूलक्षी प्रभाव देता है या नहीं, जिनके सम्बन्ध में सविधान या अधिनियम स्पष्ट रूप से कोई शक्ति या अधिकार प्रदान नहीं करते।
- (6) उसमें भारत की मचित निधि या लोक-राजस्व में से व्यय अन्तर्गस्त है या नहीं।
- (7) उसमें सविधान या उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का असामान्य अथवा अप्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है या नहीं, जिसके अनुसार वह बनाया गया है।
- (8) उसके प्रकाशन में या ससद के समक्ष रखे जाने में अनुचित विलम्ब हुआ प्रतीत होता है या नहीं।
- (9) किसी कारण से उसके रूप या अभिप्राय के लिए किसी ध्यात्वा की आवश्यकता है या नहीं।

समिति अपने विचार प्रतिवेदन के रूप में पेश करती है। यदि समिति की राय हो कि कोई आदेश पूर्णतः या अंशतः रद्द कर देना चाहिए या उसमें कोई संशोधन करना चाहिए तो इस प्रकार की विचारिश प्रतिवेदन में शामिल कर ली जाती है। इसी प्रकार यदि समिति की राय में आदेशों से सम्बन्धित कोई अन्य प्रक्रियाएँ सभा को सूचित करने योग्य हो तो वे भी प्रतिवेदन में शामिल कर ली जाती हैं। समिति ने, अभी तक 25 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिनमें 6 प्रथम लोक-

सभा के कार्य काल में 13 दिवसीय लोक-सभा के काल में और 6 तृतीय लोक-सभा के काल में पेश हुए थे ।

समिति ने मुद्दत (3) दिशाओं में कार्य किया है

- (1) अधीनस्थ विधान के बारे में समान स्वरूप लाना खासकर इन अधीनस्थ विधानों के सभा-पटल पर रखने व सभा द्वारा उनमें संशोधन करने के अधिकार के बारे में ।
- (2) अधीनस्थ नियमों का उचित प्रकाशन व उनकी भाषा में सुधार ।
- (3) इस दृष्टि से नियमों की जाँच करना कि वे सविधान, मूल अधिनियमों तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप हैं या नहीं । समिति की जाँच सभी अधीनस्थ नियमों पर लागू होनी है, भले ही वे नियम सभा-पटल पर रखे गए हों या नहीं ।

समिति की अभी तक की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- (1) वैधानिक अधिकार देनेवाले विधेयकों के साथ हमेशा एक ज्ञापन होना चाहिए, जो विधेयक के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देता हो । इस सम्बन्ध में समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट में कहा है :

अ विधेयकों के साथ दिए गए ज्ञापनों में, अधीनस्थ अधिकारियों को क्या शक्तियाँ दी गई हैं, इसका स्पष्ट विवरण दिया जाना चाहिए । इसी तरह ज्ञापन में यह उल्लेख होना चाहिए कि किन-किन बातों पर अधीनस्थ विधान की आवश्यकता है । इसमें अधीनस्थ अधिकारियों के अधिकारों का भी उल्लेख होना चाहिए ।

व सभा के सम्मुख उन सभी अवशिष्ट विधेयकों के बारे में सरकार को एक ज्ञापन देना चाहिए, जिनमें नियम-निर्माण के अधिकारों का प्रस्ताव हो ।

- (2) वैधानिक अधिकारों को अधीनस्थ करनेवाले सभी अधिनियमों में समानता होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में समिति ने कहा है :

अ भविष्य में अधीनस्थ नियम बनाने का अधिकार देनेवाले अधि-

नियमों में यह स्पष्ट रूप से विहित किया जाना चाहिए कि अधीनस्थ विधान सभा-पटल पर रखा जाएगा।

ब ये सारे अधीनस्थ नियम सभा-पटल पर प्रकाशित होने के पूर्व 30 दिन के लिए रखे जाने चाहिए।

स भविष्य में अधिनियमों में यह भी बताया जाना चाहिए कि अधीनस्थ विधान में, जो सभा-पटल पर रखा जाएगा, सभा कोई संशोधन सुझा सकती है या नहीं।

- (3) अधीनस्थ विधान यथाशीघ्र सभा के पटल पर रखे जाने चाहिए।
- (4) यदि अधीनस्थ विधान को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब होता हो तो मंत्री महोदय को चाहिए कि वे सभा को विलम्ब का कारण बताएँ और यह भी बताएँ कि जिन अधिनियमों के अन्तर्गत वह अधीनस्थ विधान रखा जानेवाला है, उसका प्रयोजन क्या है।
- (5) भले ही सभा ने सरकार को अधीनस्थ विधान बनाने का अधिकांश दे दिया हो, पर वह विधान यदि वैवैत्तीय अथवा आर्थिक विषय में सम्बन्ध रखता हो तो तभी लागू होगा, जब उसे सभा स्वीकार कर ले समिति के मत में यह प्रक्रिया सरल होते हुए भी सरकार को अधीनस्थ विधान बनाने से वंचित नहीं करती और सभा की शक्ति में भी कोई न्यूनता नहीं लाती।
- (6) आदेशों को, उनके राजपत्र में प्रकाशित होने से 7 दिन के अन्दर, सभापटल पर रखा जाना चाहिए।
- (7) अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गए नियमों व आदेशों को समस्त देश में प्रचारित करना आवश्यक है।
- (8) सभापटल पर किसी अधीनस्थ नियम का विहित दिनों के लिए रखना, उसकी स्वीकृति के लिए पर्याप्त नहीं होता यदि सभा की स्वीकृति लेनी हो तो उस उद्देश्य का एक प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए।
- (9) विधेयक के पारित होते ही यथा सम्भव अधीनस्थ नियम बनाए जाने चाहिए, पर यदि यह न हो सके तो कम से कम 6 महीने के अन्दर

ऐसे नियम, उपनियम इत्यादि अवश्य बन जाने चाहिए।

- (10) जिन आदेशों को मभापटल पर रखा जाना हो, वे सरकारी पत्र में छपने के 15 दिन के अन्दर पटल पर रखे जाएँ। यदि उस समय सभा का सत्र न हो रहा हो तो ऐसे आदेश अगले सत्र के शुरू में ही रखे जाने चाहिए।
- (11) यदि कोई उत्पादन-मुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव, सभा के सम्मुख हो तो जब तक उसे मभा की स्वीकृति न मिल जाए, तब तक मुल्क वही लगाया चाहिए।
- (12) विधिक सस्थाओं में ससद-सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं की जानी चाहिए, वरन् ऐसी नियुक्ति सभा के चुनाव द्वारा होनी चाहिए।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि समिति का कार्य महत्त्वपूर्ण है। दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए विधान-कार्य में, सरकार की अधिकाधिक विधान बनाने का अधिकार दिया जाना स्वाभाविक है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि अधीनस्थ विधान-निर्माण के रूप में वे सभा की सत्ता को ही कुंठित करने का प्रयास करे। स्वतन्त्रता के पूर्व, जो अधिनियम बनाए जाने थे, उनमें विरले ही ऐसी व्यवस्था होती कि अधीनस्थ विधान सभा-पटल पर रखा जाए।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (लोक-सभा) :— इस समिति की स्थापना अध्यक्ष द्वारा 1 दिसम्बर, 1953 को की गई थी। प्रक्रिया कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार समिति के निम्न कृत्य हैं —

- (1) सतियों द्वारा समय-समय पर सभा में दिए गए आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि की छानबीन करना।
- (2) निम्न बातों पर प्रतिवेदन करना :—
- (क) आश्वासनों प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि का कहीं तक परिपालन किया गया है।

* इस प्रकार की समिति विश्व की अन्य सदनो में नहीं पाई जाती, इसी-लिए इसे 'लोक-सभा का आविष्कार' कहा गया है।

(ख) परिपालन उस प्रयोजन के लिए आवश्यक न्यूनतम समय के भीतर हुआ है या नहीं।

इस समिति के निर्माण के पूर्व यह कार्य 30 संसदीय कार्य-विभाग द्वारा किया जाता था, जो स्वयं शासकीय सरकार का एक भाग था, पर इस समिति के निर्माण के साथ-साथ अब आश्वासनों की पूर्ति पर लोक-सभा का नियन्त्रण हो गया है।

- (1) किसी मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य आश्वासन माना जाए या नहीं।
- (2) कोई आश्वासन पूर्ण रूप से पारिपालित हुआ है या नहीं, तथा
- (3) परिपालन उचित समय में हुआ है या नहीं।

समिति की कार्य-विधि इस प्रकार है समिति ने मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के कुछ मानक प्रपत्तों की सूची तैयार की है। ये प्रपत्त समिति की मदद के लिए होते हैं। जब कभी सभा में आश्वासन दिए जाते हैं, तो संसदीय मामलों का विभाग, इन आश्वासनों की विभिन्न प्रपत्तों के अनुसार वर्गीकरण करता है। बाद में संसदीय मामलों का विभाग इन प्रपत्तों को, जिन पर सरकार द्वारा की गई आश्वासन-पूर्ति भी उल्लिखित होती है, सभापटल पर रखता है। जहाँ आश्वासन-पूर्ति हो गई हो, वहाँ जाँच की कोई आवश्यकता नहीं होती, पर जहाँ आश्वासन क्रियान्वित न हुआ हो, वहाँ समिति द्वारा उन पर विचार किया जाता है। विचार करने के बाद समिति सभा को प्रतिवेदन पेश करती है।

पहले समिति के 6 सदस्य हुआ करते थे, पर 1954 से अब इसमें 15 सदस्य होते हैं। सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता यदि कोई सदस्य नियुक्ति के बाद मंत्री बन जाता हो तो उसे सदस्यता से वंचित होना पड़ना है। प्रचालित प्रथा के अनुसार अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करने के पूर्व विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से सलाह लेता है। समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति 5 होती है। प्रथम लोक-सभा के काल में समिति का 3 बार गठन किया गया था, पर अब यह नियम है कि समिति एक वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं नियुक्त होती।

समिति ने सबसे पहला काम यह किया कि मंत्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार

के आश्वासनों की एक सूची तैयार की, ताकि यह जाना जा सके कि कौन-सा आश्वासन है और कौन-सी बात केवल इच्छा। यह सूची बाद में दुबारा गई और समिति के पहले प्रतिवेदन में शामिल कर ली गई। समिति ने इसके अतिरिक्त प्रथम लोक-सभा के कार्य-काल में 3 अन्य प्रतिवेदन पेश किए थे। द्वितीय लोक-सभा के काल में समिति ने दो प्रतिवेदन पेश किए, तृतीय लोक-सभा के काल में और चौथी लोक-सभा के काल में अभी तक 3 प्रतिवेदन पेश किए हैं। आश्वासनों की मट्ट्या की दृष्टि में, समिति ने प्रथम लोक-सभा के कार्य-काल में 4,931 आश्वासन व द्वितीय लोक-सभा के कार्य-काल में 4,378 आश्वासनों की जाँच की थी।

अभी तक समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं —

- (1) आश्वासनों को दो महीनों की अवधि में कार्यान्वित करना चाहिए। यदि मन्त्रालय के लिए यह सम्भव न हो तो उसे चाहिए कि वह समिति के सामने अपनी कठिनाइयाँ रखे, ताकि समिति यह तय कर सके कि कहाँ तक कठिनाइयाँ मन्त्रालय के लिए दुम्भह हैं।
- (2) आश्वासनों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में मामान्य उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। उत्तर स्पष्ट और सर्व-दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए।
- (3) सरकार का कार्य केवल उचित अधिकारियों को आश्वासन सम्बन्धी आदेश देकर ही खत्म नहीं होना। उन्हें चाहिए कि वह उसकी अनुवर्ती कार्यवाही भी करे।
- (4) जब किसी आश्वासन को कार्यान्वित नहीं किया जा सके तो उस सम्बन्ध में अनुभूत कठिनाइयों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सबत्पो सम्बन्धी समितियों (लोक-सभा) —

इस समिति की स्थापना अष्टम द्वाारा 1 दिसम्बर, 1953 को की गई थी। नियमों के अनुसार इनके निम्न उद्देश्य हैं —

- (1) कार्य-सूची में विधेयक को शामिल करने की अनुमति के प्रस्ताव को सम्मिलित करने के पूर्व, प्रत्येक ऐसे विधेयक की जाँच करना, जिसके द्वारा मन्त्रिपरिषद् में सशोधन अभीष्ट हो और जिसकी मूचना गैर-सरकारी सदस्य द्वारा दी गई हो।

- (2) गैर-सरकारी सदस्यों के सब विधेयकों के सूची में शामिल किए जाने के बाद, सभा द्वारा विचार किए जाने में पूर्व उनकी जांच करना और उन्हें उनकी आवश्यकता तथा महत्त्व के अनुसार दो वर्गों अर्थात् 'क' और 'ख' में वर्गीकृत करना।
- (3) यह सिफारिश करना कि गैर-सरकारी सदस्यों के प्रत्येक विधेयक के प्रक्रम या प्रक्रमों पर चर्चा के लिए कितना समय निर्धारित किया जाना चाहिए और इस प्रकार तैयार की गई समय-सूची में यह भी दर्शाना कि दिन में किस-किस समय पर विधेयक के विभिन्न प्रक्रम पूरे होंगे।
- (4) गैर-सरकारी सदस्यों के ऐसे प्रत्येक विधेयक की जांच करना, जिसका सभा में इस आधार पर विरोध किया जाए कि विधेयक द्वारा ऐसे विधान का मूलपात होता है, जो सभा की विधायिनी शक्ति से परे है, किन्तु अध्यक्ष ऐसी आपत्ति को ऊपरी दृष्टि से ठीक समझता है।
- (5) गैर-सरकारी सदस्यों के सक्त्पो और सहायक विषयों की चर्चा के लिए समय सीमा की सिफारिश करना। तथा
- (6) गैर-सरकारी विधेयक तथा सक्त्पो के विषय में ऐसे और कार्य करना, जो अध्यक्ष द्वारा आदिष्ट हों।

विधेयक का वर्गीकरण करने में साधारणतया उसके महत्त्व और आवश्यकता को ध्यान में रखना पड़ता है। यह उल्लेखनीय है कि जो विधेयक कम आवश्यक होते हैं, उन्हें 'ख' वर्ग दिया जाता है। वर्गीकरण में यदि आवश्यकता पड़े तो फेर-बदल भी किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों पर समिति पुनः विचार कर सकती है।

विधेयकों के वर्गीकरण के समय, विधेयक लाने वाले गैर-सरकारी सदस्य तथा मन्वन्धित मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाना है। समिति गैर-सरकारी विधेयकों पर विचार करने के लिए समय भी निर्धारित करती है। अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से आदिष्ट विषय पर विचार करने के नाते समिति ने प्रथम लौक-सभा की अवधि में डाक्टर एन० बी० खरे के 'दि कन्टेम्प्ट ऑफ पार्लियामेन्ट क्रिज़' पर विचार किया था।

1953 में- समिति की स्थापना के समय 10 सदस्य थे, पर 1954 से समिति के 15 सदस्य हैं। समिति अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित की जाती है और एक बार नियुक्त होने पर उसकी अवधि एक वर्ष तक होती है। वृत्तों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष को इस समिति में शामिल किया जाता है। वही इसके सभापति बनाए जाते हैं। अध्यक्ष को अधिभार होता है कि वह ऐसे सदस्य को समिति में हटा दे, जो समिति के सभापति की अनुज्ञा के बिना उसकी दो या अधिक बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहा हो। समिति की बैठक के लिए कम-से-कम 5 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक होता है।

समिति को व्यक्तियों को हाज़िर कराने या पलो अथवा अभिलेखों (रिकार्ड्स) को पेश कराने की शक्ति होती है। यदि प्रश्न उठे कि किसी व्यक्ति की साक्ष्य या किसी दस्तावेज़ का पेश किया जाना समिति के प्रयोजनों के लिए सगत है या नहीं, तो वह प्रश्न अध्यक्ष की सलाह के लिए भेजा जाता है और उसका निर्णय अन्तिम होता है।

समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन के सभा में पेश किए जाने के बाद यह प्रस्ताव पेश किया जाता है कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करे। सभा प्रतिवेदन को मशौघनों के साथ भी स्वीकार कर सकती है। वह प्रस्ताव हमेशा गैर-सरकारी विधेयकों वाले दिन की कार्यसूची में पहली मद के रूप में होता है। जब प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तब समिति द्वारा विधेयकों के वर्गीकरण और विधेयकों या सूक्तों के सम्बन्ध में ममम के बतवारे का आदेश 'लोक-सभा-समाचार' में मूचित किया जाता है।

समिति ने प्रथम लोक-सभा के कार्य-काल में 68 प्रतिवेदन पेश किए थे, जिनके अतिरिक्त डाक्टर खरे के विधेयक पर एक प्रतिवेदन भी था। द्वितीय व तृतीय लोक-सभा के कार्य-काल में प्रत्येक सत्र में एक प्रतिवेदन पेश करने की प्रथा रही है। तृतीय लोक-सभा के कार्य-काल में समिति ने 100 प्रतिवेदन पेश किए थे। चौथी लोक-सभा की अभी तक की अवधि में, समिति ने 12 प्रतिवेदन पेश किए हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के वर्गीकरण में, समिति जिन विद्वानों को ध्यान में रखती है, वे इस प्रकार हैं

- (1) जनमत को ध्यान में रखते हुए विधेयक आवश्यक है ।
- (2) विधेयक ऐसा है कि वह विद्यमान अधिनियमों की किसी लुटि को दूर करता है ।
- (3) विधेयक में कोई ऐसी बात नहीं है जो सविधान में दिए गए राज्य-नीति के निर्देशात्मक सिद्धान्तों के विरुद्ध हो ।
- (4) सभा के मन्मुख विचारार्थ वैधानिक कार्यक्रम में ऐसा कोई और विधेयक न हो ।
- (5) सरकार द्वारा आगे उम विषय पर कोई विस्तृत विधेयक लाने की संभावना न हो ।
- (6) सरकार द्वारा विस्तृत विधेयक लाने की संभावना होती हुए भी, विषय इतने अधिक महत्व व जल्दी का है कि उम पर विचार द्वारा सरकार की तत्सम्बन्धी नीति स्पष्ट हो सकती है ।

प्रथम लोक-सभा के कार्य-काल में समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में सविधान में संशोधन मुझाने वाले गैर-सरकारी विधेयकों के बारे में भी कुछ महत्व-पूर्ण सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था, जो 26 फरवरी, 1954 को सभा द्वारा मान्य स्वीकार कर लिए गए । संक्षेप में ये सिद्धान्त इस प्रकार हैं :—

- (1) सविधान-संशोधन-विधेयक, तभी सभा के मन्मुख लाए जाने चाहिए जब ऐसा प्रकट हो चुका हो कि सविधान के अनुच्छेदों का अर्थ डूमरा लगाया जा रहा है, वह नहीं जो अभिप्रेत था । उस समय भी लाए जा सकते हैं, जब कोई बहुत ही स्पष्ट असंगति प्रतीत होनी हो । ऐसे विधेयक सामान्यतः सरकार द्वारा ही सभा के मन्मुख लाए जाने चाहिए ।
- (2) ऐसा विधेयक लाए जाने के पूर्व काफी समय व्यतीत हुआ होना चाहिए, ताकि सविधान के व्यवहार में परिणामों का उचित अन्दाजा लग सके ।
- (3) यदि इस सम्बन्ध में किसी गैर-सरकारी सदस्य ने कोई विधेयक लाने का प्रस्ताव दिया हो और उनी सरकार भी यदि तत्सम्बन्धित विधेयक

लाने का विचार कर रही हो तो दोनों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए, ताकि एक संयुक्त विधेयक सभा के सामने लाया जा सके।

- (4) किसी-किसी अवस्था में अत्यधिक महत्त्व के विषय पर गैर-सरकारी विधेयको को भी सभा के सामने लाने देना चाहिए, ताकि जनमत क्या है, इसका अन्दाज लग सके और सभा उस प्रश्न पर पुनः विचार कर सके।

याचिका समिति (राज्य-सभा) : - राज्य-सभा की याचिका-समिति की स्थापना पहली बार 22 मई, 1952 को हुई थी। समिति तब से प्रति वर्ष नियुक्त की जाती रही है। समिति के 10 सदस्य होते हैं। समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से ही नामनिर्देशित किया जाता है। यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य हो तो वही सभापति नियुक्त होता है। यदि समिति की बैठक में सभापति किसी कारण से उपस्थित न रह सके तो समिति उस बैठक के लिए दूसरा सभापति चुनती है। यदि किसी कारण से सभापति उस पद का काम न कर सके तो दूसरा सभापति उस अवधि विशेष के लिए अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।

समिति का यह वक्तव्य होता है कि वह उन सारी याचिकाओं पर, जिन्हें सदस्यों ने पेश किया हो अथवा जिनकी सूचना सचिव ने दी हो, विचार करे। राज्य-सभा की इस समिति के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि 1964 तक यह समिति केवल उन्हीं याचिकाओं पर विचार करती थी, जो विधेयको से सम्बन्धित हों। राज्य-सभा के प्रक्रिया-नियमों में अभी हाल में हुए संशोधन के परिणाम-स्वरूप अब याचिका-समिति विधेयक सम्बन्धी याचिकाओं के अनिश्चित ऐसी अन्य याचिकाओं पर भी विचार करती है, जो किसी न्यायालय में विचाराधीन विषय से सम्बन्ध अथवा भारत सरकार से असम्बन्धित मामलों पर न हों। अतएव जब कोई याचिका, समिति को सौंपी जाती है तो समिति का काम यह देखना होता है कि वह याचिका उस विचाराधीन विधेयक के आनुषंगिक बागजान के रूप में विभाजित की जाए या नहीं। जहाँ समिति इस प्रकार की सिफारिश नहीं करती, वहाँ अध्यक्ष द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि याचिका प्रसारित की जाए या नहीं। समिति की यह सिफारिश एक प्रतिवेदन के रूप में सभा को सूचित की जाती

है, जिसमें याचिका का विषय और याचना करनेवालों का नाम होता है। उसमें इस तथ्य का भी उल्लेख होना है कि याचिका नियमों के अनुरूप है या नहीं। यही नहीं, उसमें समिति की तत्सम्बन्धी सिफारिशें भी दी होती हैं। यह उल्लेखनीय है कि समिति ने अभी तक 18 प्रतिवेदन पेश किए हैं।

कार्यमन्त्रणा-समिति (राज्य-सभा):—इस समिति की स्थापना पहली बार 22 मई, 1952 को हुई थी। समिति समय-समय पर सभापति द्वारा नामनिर्देशित की जाती है। जब तक समिति की पुनर्रचना न की जाए, पहली समिति ही काम करती है, पर अब नवीन प्रथा यह है कि समिति प्रत्येक वर्ष नियुक्त की जाती है।

समिति के 10 सदस्य होते हैं। सदस्यों के स्थान की असामयिक रिक्तता-पूर्ति अध्यक्ष द्वारा सभा के किसी अन्य सदस्य को नामनिर्देशित कर की जाती है। साधारणतया अध्यक्ष ही समिति का सभापति-पद ग्रहण करता है। यदि वह किसी कारण से समिति की बैठकों में उपस्थित न हो सके तो वह किसी दूसरे सदस्य को सभापति-पद ग्रहण करने के लिए नामनिर्देशित करता है। समिति की बैठकों के लिए कम से कम 5 सदस्यों का उपस्थित रहना आवश्यक होना है।

समिति का काम, अध्यक्ष द्वारा सभा के नेता की सलाह से, सौंपे गए सरकारी विधेयकों की विभिन्न अवस्थाओं पर, बहस के लिए समय के बटवारे की सिफारिशें करना है। इसके सिवा समिति का काम और ऐसे वृत्तों पर विचार करना है, जो अध्यक्ष ने समिति को सौंपे हों।

समिति कोई प्रतिवेदन पेश नहीं करती। समिति ने जो कार्य-मन्त्रणा दी हो उसे प्रश्नकाल के तुरन्त बाद अध्यक्ष यह कहते हुए प्रस्तुत करता है कि उसने समिति की सलाह से अमुक कार्यक्रम निश्चिन किया है। बाद में, दूसरे दिन यह कार्यक्रम राज्य-सभा की बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता है। नियमों में यह व्यवस्था है कि सभा को कार्यक्रम सूचित करने के बाद, अध्यक्ष ने जिसे आदेश दिया हो, वही सदस्य उठकर यह प्रस्ताव कर सकता है कि समिति ने जो समय-नियतन सुझाया है, उसमें सभा सहमत है। ऐसा प्रस्ताव पारित होने पर समिति के सुझाव सभा के आदेश जैसे माने जाते हैं, पर परम्परा यह है कि बगैर प्रस्ताव पारित हुए ही अध्यक्ष द्वारा सूचित समय नियतन लागू हो जाता है। यह उल्लेखनीय है कि समिति ने शुरुवात में दो प्रतिवेदन पेश किए थे।

नियम-समिति (राज्य-सभा) :—नियम-समिति की स्थापना पहली बार 22 मई, 1952 को हुई थी। समिति प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती है।

समिति के 15 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष इस समिति का सभापति होता है। सारे सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं। समिति की आकस्मिक रिक्तता-पूर्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसी प्रकार यदि किसी कारण से अध्यक्ष सभापति पद ग्रहण न कर सके तो वह उम बैठक के लिए सभापति-पद ग्रहण करने के लिए किसी अन्य सदस्य को भी आदेश दे सकता है। समिति की बैठक के लिए कम से कम 5 सदस्यों का उपस्थित रहना आवश्यक होता है। जहाँ तक हो सके, सभापति स्वयं कोई मत नहीं देना, पर विचाराधीन विषय पर मतदान की आवश्यकता होने पर सभापति का मत निर्णायक मत होता है।

समिति ने अभी तक दो प्रतिवेदन पेश किए हैं।

विशेषाधिकार-समिति (राज्य-सभा) :—समिति की स्थापना पहली बार 22 मई, 1952 को हुई थी। समिति तब से प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती रही है। यद्यपि नियमों में यह व्यवस्था है कि 'समिति समय समय पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की जाएगी'।

समिति के 10 सदस्य होते हैं। सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं। समिति का सभापति, अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है। यदि सभापति किसी कारण से सभापति पद न ग्रहण कर सके तो उसके स्थान पर अन्य सदस्य द्वारा सभापति नियुक्त किया जाता है। समिति की बैठक के लिए कम से कम 5 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होता है।

समिति का काम, उसे मौपे गए प्रत्येक विशेषाधिकार के प्रश्न पर, तथ्यों को जाँच करने हुए, विशेषाधिकार भंग के स्वरूप व उसके कारणों को बताने हुए उपयुक्त सिफारिशें करना है। समिति उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया भी बनाती है। सभा द्वारा मौपे गए विशेषाधिकार के प्रश्नों के अतिरिक्त अध्यक्ष भी समिति को कोई विशेषाधिकार का प्रश्न मौपे सकता है।

समिति को, यदि वह उपयुक्त समझे तो व्यक्तियों, कागजातों और अभिलेखों के मगवाने का अधिकार होता है। सरकार केवल एक ही तर्क पर कागजात

आदि प्रस्तुत करने से इन्कार कर सकती है कि उन कागजातों का पेश करना देश के हित में नहीं होगा। विवादास्पद बात होने पर अध्यक्ष की मलाह ली जाती है व उसका निर्णय अन्तिम माना जाता है। समिति स्वयं निर्धारित करती है कि किन्हीं साक्ष्य को गोपनीय माना जाए या नहीं।

सामान्यतः सभा निश्चित करती है कि कितने समय में समिति अपना प्रतिवेदन पेश करेगी। यदि सभा ने ऐसा कोई समय निर्धारित न किया हो तो समिति प्रश्न सौंपे जाने के एक महीने के अन्दर ही अपना प्रतिवेदन पेश करनी है। नियमों में यह भी व्यवस्था है कि समिति प्रस्ताव पारित कर प्रतिवेदन पेश करने की अवधि बढ़ा सकती है। समिति अनन्तिम भी हो सकता है और अन्तिम भी। प्रतिवेदन समाप्ति द्वारा पेश किया जाता है। यदि समाप्ति अनुपस्थित हो तो उसके स्थान पर कोई अन्य सदस्य भी प्रतिवेदन पेश कर सकता है।

समिति का प्रतिवेदन पेश होने के बाद, समिति के सभ्यपति अथवा समिति के किसी अन्य सदस्य के नाम से यह प्रस्ताव यथाशीघ्र पेश किया जाता है कि सभा प्रतिवेदन पर विचार करे। प्रस्ताव पर सजोधनात्मक प्रस्ताव भी पेश हो सकते हैं और यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कि प्रतिवेदन पुनः समिति को विचारार्थ सौंपा जाए। सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने पर समिति की सिफारिशें मंजूर कर ली जाती हैं।

समिति ने अभी तक कुल 11 प्रतिवेदन पेश किए हैं। समिति ने अपने पत्रलेख प्रतिवेदन में, एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किया था, जो इस प्रकार है: "बिना सभा की अनुमति के सभा के किसी सदस्य अथवा अधिकारी को सभा अथवा उसकी समितियों की किसी कार्यवाही से सम्बन्धित साक्ष्य न्यायालय में नहीं देनी चाहिए और न उस कार्यवाही से सम्बन्धित किन्हीं कागजातों को पेश करना चाहिए।" यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो न्याय के संपादन में बाधा न होने की दृष्टि से, अध्यक्ष किसी सदस्य अथवा सभा के अधिकारी को उक्त कागजात आदि पेश करने अथवा साक्ष्य देने का अधिकार दे सकता है, पर ऐसी साक्ष्य देने या कागजात आदि प्रस्तुत करने पर, अध्यक्ष मामले को अगले सत्र में तुरन्त सूचना देना है। यदि अध्यक्ष को ऐसा लगता हो कि प्रश्न बहुत महत्व का है और उनके सम्बन्ध में सभा की राय लेना आवश्यक ही है तो उन हालत में वह न्यायालय वना भी सकते हैं कि जब तक सभा की राय न ले ली जाए, किसी सदस्य अथवा अधिकारी की साक्ष्य अथवा कागजात की पेशी स्थगित की जाए।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (राज्य-सभा)— इस समिति की स्थापना पहली बार 1965 में, राज्य-सभा के नवीन प्रक्रिया नियमों के अनुसार 30-9-1964 को हुई थी। समिति का काम, यह देखना होता है कि ससद् द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उचित प्रयोग किया गया है या नहीं। समिति के 15 सदस्य होते हैं, जो राज्य-सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किए जाते हैं। समिति का महापति सदस्यों में से ही एक होता है। समिति की गणपूर्ति के लिए 5 सदस्यों की आवश्यकता होती है। समिति को साक्ष्य लेने का पूरा अधिकार होता है। अधीनस्थ विधानों (अर्थात् विनियम, नियम, उपनियम, आदेश इत्यादि) के विषय में, जब वे समा-पटल पर रखे जा चुके हों—समिति को यह देखना पड़ता है कि—

- (1) उपनियम आदेश आदि, मूल अधिनियम के उन सामान्य उद्देश्यों के अनुरूप हैं या नहीं, जिसके अनुकरण में वह बनाया गया है।
- (2) उसमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है या नहीं, जिसे अधिक समुचित ढंग से निपटाने के लिए समिति की राय में ससद् का अधिनियम होना चाहिए।
- (3) उसमें कोई कर-आरोपण अन्तर्विष्ट है या नहीं।
- (4) उसके द्वारा न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूकावट तो नहीं होती।
- (5) वह उन उद्देश्यों में से, किसी को भूलक्षी प्रभाव देता है या नहीं, जिनके सम्बन्ध में अधिनियम ने स्पष्ट रूप से कोई शक्ति प्रदान नहीं की हो।
- (6) उसमें भारत की संचित निधि या लोक-राजस्व में से व्यय अन्तर्गुह्य है या नहीं।
- (7) उसमें उस मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का असामान्य अथवा अप्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है या नहीं, जिसके अनुकरण में वह बनाया गया है।
- (8) उसके प्रकाशन या ससद् के सामने रखे जाने में अनुचित विलम्ब हुआ प्रतीत होता है या नहीं।

(9) किसी कारण से उसके रूप या अभिप्राय के लिए किसी विशदीकरण की आवश्यकता है या नहीं।

यह उल्लेखनीय है कि समिति ने अभी तक 3 प्रतिवेदन पेश किए हैं।

सदस्यों के वेतन व भत्ते सम्बन्धी समुक्त समिति — जैसा कि पहले बताया जा चुका है भारतीय संसदीय समितियों में यही एक माल ऐसी समिति है, जिसका गठन किसी अधिनियम के द्वारा हुआ है। समद सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अनुसार इस समिति की स्थापना 16 मिनम्बर 1954 को हुई थी। समिति का काम निम्न विषयों के बारे में नियम बनाना है।

- (1) किसी यात्रा के लिए मार्ग निर्धारित करना।
- (2) प्राप्य दैनिक भत्ते के लिए किसी दिन का अथवा दिन तरह माना जाएगा।
- (3) जब किसी यात्रा या उनके अथ के लिए सदस्यों को वाहन की सुविधा प्रदान की गई हो, तब उस समय के लिए यात्रा-भत्ता किस प्रकार मिले।
- (4) उस स्थिति में भत्ते की दर निर्दिष्ट करना, जब कोई सदस्य किसी ठेके स्थान से यात्रा आरम्भ करता हो अथवा वहाँ समाप्त करना हो, जो उसका म्याची निवास-स्थान न हो।
- (5) अधिनियम के अधीन प्राप्य यात्रा या दैनिक भत्ते के लिए सदस्यों द्वारा किस रूप में प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए, यह निर्दिष्ट करना।
- (6) अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित चिकित्सा, निवास, टेलीफोन, तथा डाक सुविधाओं पर विचार करना, तथा।
- (7) अधिनियम के अन्तर्गत दैनिक व यात्रा-भत्ते के विषयों पर सामान्यतः विचार करना।

समिति के 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 राज्य-सभा के होते हैं। राज्य-सभा के सदस्य उस सभा के सभापति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं व लोक-सभा के सदस्य लोक-सभा के अध्यक्ष द्वारा।

संयुक्त समिति एकबार नियुक्त होने के बाद संसद के अवधि-काल तक पदस्थ रहती है। समिति के सदस्यों की रिक्ततापूर्वक, यदि सदस्य राज्य-सभा के हों तो राज्य-सभा के सभापति द्वारा और यदि लोक-सभा के हों तो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित करके की जाती है। संसदीय विषयों का मंत्री इस समिति का सभापति होता है।

लोक-सभा के प्रक्रिया नियमों में समिति का कोई उल्लेख नहीं है। अतएव समिति ने अपनी आन्तरिक कार्यवाही के नियम स्वयं बनाए हैं। समिति की बैठक के लिए कम से कम 5 सदस्यों को उपस्थित रहना आवश्यक होता है। समिति के सभापति को निष्पात्तक मन देने का अधिकार होता है। समिति को उपसमितियाँ नियुक्त करने का भी अधिकार होता है। समिति की बैठकें गुप्त होती हैं।

लाभ-पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति— इस समिति की स्थापना पहली बार 7 सितम्बर, 1559 को हुई थी। 1954 में, लोक-सभा ने मविधान के अनुच्छेद 102 (1) के अनुसार संसद सदस्यों के अनर्हता सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक तदर्थ लाभ-पद-समिति नियुक्त की थी। उस समिति ने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की थी कि एक स्थायी समिति नियुक्त की जाए जो लाभ पदों पर विचार कर सके। बाद में, संसद (अनर्हता-निवारण) विधेयक पर विचार करने के लिए जा संयुक्त प्रथम समिति गठित हुई थी, उस समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि एक स्थायी समिति नियुक्त की जानी चाहिए। यद्यपि ऊन विधेयक के पारित होने पर दलनेवाल अधिनियम में स्थायी संयुक्त समिति की कोई व्यवस्था नहीं थी फिर भी सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह संसद लोक सभा के अधि में एक स्थायी संयुक्त समिति के बनाने का प्रस्ताव लाने का इरादा रखेगी। इसी आश्वासन के अनुरूप द्वितीय लोक सभा के लिए 31 अगस्त, 1959 में एक स्थायी समिति नियुक्त की गई थी। तृतीय लोक सभा के लिए समिति दून, 1960 में नियुक्त की गई थी चौथी लोक-सभा में समिति की नियुक्ति 5 जून 1961 को हुई थी।

समिति के 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 10 लोक-सभा व 5 राज्य-सभा के होते हैं। समिति की बैठक के लिए कम से कम 5 सदस्यों का उपस्थित रहना आवश्यक होता है। अगले मामले में, लोक सभा की अन्य समितियों की कार्य-प्रक्रिया के नियम इस पर भी लागू होते हैं।

समिति के कृत्य इस प्रकार हैं :

- (1) संसद् (अनर्हता-निवारण) विधेयक, 1957 जिस संयुक्त समिति को विचारार्थें सौंपा गया था, उस समिति द्वारा विचार की गई समितियों को छोड़ कर, अन्य सभी विद्यमान व भविष्य में स्थापित होने वाली ऐसी समितियों की रचना के विषय में विचार करना, जिसकी सदस्यता दोनों सदनों के विद्यमान सदस्यों अथवा होने वाले सदस्यों के लिए, संविधान के अनुच्छेद 102 के अन्तर्गत वर्जित हो।
- (2) इसके द्वारा परीक्षित समितियों के बारे में यह निर्धारित करना कि कौन से पद सदस्यों के लिए वर्ज्य हैं और कौन से अवर्ज्य।
- (3) समय-समय पर संसद् (अनर्हता-निवारण) अधिनियम, 1959 के अनुबन्धों की जाँच करना तथा उनमें संशोधन सुझाना।

समिति ने, अभी तक 7 प्रतिवेदन 5 दिवसीय लोक-सभा की अवधि में व 2 तृतीय लोक-सभा की अवधि में पेश किए हैं। इनसे समिति और आयोग के सदस्य नियुक्त होने के नाने संसद्-सदस्यों द्वारा प्राप्ति भत्ते के प्रश्न तथा राष्ट्रीय उद्योगों के व्यवस्थापक मण्डलों में संसद्-सदस्यों के होने के प्रश्नों पर विचार किया है।

प्रवर समितियाँ.—भारतीय संसदीय समितियों में प्रवर समितियों की प्रथा अत्यधिक पुरानी रही है। ये समितियाँ 1921 से दोनों सभाओं में प्रचलित हैं।

लोकसभा की प्रवर समितियाँ :—लोक-सभा की प्रवर समितियाँ विधेयकों पर विचार होते समय विचार की दूसरी अवस्था में प्रस्ताव द्वारा नियुक्त की जाती हैं। प्रस्ताव में ही यह उल्लिखित होता है कि समिति में कितने और कौन सदस्य होंगे। समिति की सदस्यता के बारे में कोई सट्टा निश्चिन नहीं है और विधेयकों के विषय के अनुसार उनमें कम अथवा अधिक सदस्य हो सकते हैं। साधारणतया इन समितियों में 30 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। लोक-सभा की प्रवर समिति के सदस्य लोक-सभा के ही हो सकते हैं, पर प्रवर समितियों में विधेयक के विषय से सम्बन्धित मन्त्री के सभापति होने की प्रथा भी प्रचलित है। मन्त्री राज्य-सभा का भी सदस्य हो सकता है, अतएव मन्त्रियों के विषय में यह उक्त

प्रथा का अरवाद हो सकता है। सदस्यों की नियुक्ति विभिन्न राजनैतिक दलों की सहायता के आधार पर की जाती है। प्रथा के अनुसार, प्रवर समिति के नियुक्त होने से पूर्व विभिन्न दल अपने-अपने दल के सदस्यों के नाम सूचन कर देते हैं।

प्रवर समितियों के सभापति, अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किए जाते हैं। यदि उपाध्यक्ष भी समिति का सदस्य हो तो वही सभापति नियुक्त किया जाता है। अन्य सदस्यों में सभापतियों की तालिका के सदस्य भी होते हैं। सभापति को प्रक्रिया सम्बन्धी सारे प्रश्नों को तय करने का अधिकार होना है।

प्रवर समितियों की कोई अवधि निश्चित नहीं होती और उनका अस्तित्व तब तक रहता है, जब तक उनका प्रतिवेदन सभा के समक्ष पेश न हो जाए। समितियों की बैठकें सप्ताह-भवन में ही हो सकती हैं। इन बैठकों में, समिति के सदस्यों के अतिरिक्त सभा के अन्य सदस्य भी उपस्थित हो सकते हैं। इन सदस्यों को समिति के विचार-विनिमय में भाग लेने का अधिकार नहीं होना और वे मत विभाजन के समय मत भी नहीं दे सकते। उपर्युक्त सदस्यों के भाग लेने के अपवाद को छोड़कर अन्य दृष्टि से समिति की बैठकें गुप्त होनी हैं और उनमें प्रारूपकार व सम्बन्धित मन्त्रालय के अधिकारियों के सिवा और कोई उपस्थित नहीं रह सकता।

प्रवर समितियों में उपसमितियों को नियुक्त करने की भी प्रथा है, किन्तु उसका अधिक प्रयोग नहीं होना।

प्रवर समितियों को वैसे तो बड़े अधिकार प्राप्त हैं, पर उन पर कुछ नियन्त्रण भी है, जैसे, विचाराधीन विधेयक की किसी एक पूरी धारा को हटाने का सुझाव देनेवाले मसौदात्मक प्रस्ताव समिति में पारित नहीं हो सकते। यदि कोई ससोधन सचिवालय के अनुच्छेद 117(1) में सम्बन्धित हो तो उस ससोधन के पेश किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की मितिकारिता की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार समिति विधेयक के विद्यमानों पर विचार नहीं कर सकती, क्योंकि सिद्धान्तों पर विचार पहले ही सभा में हो चुका होता है व सभा उसे स्वीकृति दे चुकी होती है।

प्रवर समितियों को साक्ष्य लेने का अधिकार होना है और वे प्रायः साक्ष्य लेती भी हैं। साधारणतया प्रवर समितियाँ सार्वजनिक सस्याओं आदि के निवेदनों

पर ही साक्ष्य लेती हैं। साक्ष्य लेने से पहले विचाराधीन विषयो पर साक्षियों से ज्ञापन लेने की प्रथा प्रचलित है। इसी प्रकार वभी-वभी समितियाँ तत्स्थान परीक्षा के लिए भी जाती हैं। समिति के सभापति को समय-समय पर अध्यक्ष को यह सूचित करना पड़ता है कि समिति ने विचाराधीन विषय पर किस सीमा तक विचार किया है। यदि समिति को अपना प्रतिवेदन पेश करने में बहुत समय अपेक्षित हो तो अध्यक्ष इसकी सूचना सभा को भी देना है।

अन्य समितियों के विपरीत, प्रवर समितियों में यह प्रथा है कि वे विधेयक के उन्हे सीधे जाने के प्रस्ताव के पारित होते ही यथाशीघ्र अपना कार्य आरम्भ कर देती हैं। सामान्यतः समिति की नियुक्ति के समय ही सभा यह आदेश देती है कि समिति अमुक अवधि तक सभा को अपना प्रतिवेदन पेश करेगी। यदि ऐसा किया जाना सम्भव न हो तो समिति 3 महीने की अवधि के अन्दर अपना प्रतिवेदन पेश करती है। यदि समिति के लिए समय अत्यधिक थोड़ा हो तो सभा अपने आदेश में परिवर्तन भी कर सकती है। ऐसा करने की अनुमति सभा के जारी रहते हुए सभा द्वारा दी जाती है। यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो अध्यक्ष को भी अनुमति देने का अधिकार होना है।

अपने प्रतिवेदन में समिति को यह प्रस्ताव पड़ता है कि विधेयक का प्रकाशन नियमानुसार किया गया है या नहीं। इसी प्रकार यदि विधेयक में कोई परिवर्तन दिया गया हो तो वह भी प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से बताना पड़ता है। प्रतिवेदन में निम्न बातें क्रमशः देनी पड़ती हैं

- (क) समिति का गठन,
- (ख) समिति का प्रतिवेदन,
- (ग) प्रतिवेदन के बारे में विमति टिप्पणी,
- (घ) समिति द्वारा सजोद्धित विधेयक,
- (ङ) समिति के निर्माण के लिए पेश किया गया प्रस्ताव,
- (च) समिति की बैठकों की कार्यवाही।

राज्य सभा की प्रवर समितियाँ :—राज्य-सभा में प्रवर समितियों की प्रथा भी लोक सभा से मिलती-जुलती है। समिति की नियुक्ति सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर की जाती है। यह वही प्रस्ताव होता है जिसके आधार पर विधेयक पर विचार

किया जाता है। साधारणतया प्रस्ताव में ही यह दिया होता है कि कौन-कौन व किन्ने सदस्य समिति में होंगे। यदि किसी सदस्य की इच्छा के विपरीत उसका नाम मुझाया हो तो वह सदस्य नहीं नियुक्त किया जाता। अतएव प्रस्तावक का यह कर्त्तव्य होता है कि वह उन प्रस्तावित सदस्यों की पहले राय ले ले, जिनका नाम मुझाया जा रहा हो।

समिति का सभापति, समिति के सदस्यों में से सभाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। यदि उसभापति समिति का सदस्य हो तो वही सभापति बनाया जाता है। यदि किसी कारण से सभापति धरने पद से कार्य नहीं कर सकता है तो दूसरा सभापति नियुक्त किया जाता है। इसी तरह यदि सभापति किसी बैठक में उपस्थित न रह सके तो समिति उस बैठक के लिए दूसरा सभापति चुनती है। सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।

समिति की बैठकों का दिन व समय साधारणतया सभापति द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। यदि सभापति आसानी से बैठक न बुला सके तो सचिव को यह अधिकार होता है कि वह विचाराधीन विधेयक से सम्बन्धित मन्त्री के परामर्श से बैठक बुलवाए। समिति की बैठकें सभा की बैठक चालू रहते हुए ही सकती हैं।

समिति की बैठकों के लिए कम से कम तृतीयांश सदस्य उपस्थित होने चाहिएँ। सभापति या यह कर्त्तव्य होता है कि वह गणपूर्ति होने तक, समिति की बैठक स्थगित कर दे अथवा किसी दूसरे दिन के लिए, समिति की बैठक रद्द कर दे। यदि इस प्रकार दो बार समिति की बैठकें रद्द की गईं हों तो सभापति या यह कर्त्तव्य होता है कि वह इसकी सूचना सभा को दे। समिति के सदस्यों की उपस्थिति के सम्बन्ध में भी नियम बढोर होते हैं। यह नियम है कि यदि कोई सदस्य समिति की बैठकों में लगातार दो या अधिक बार सभापति की आज्ञा के बिना अनुपस्थित हो तो उसके विरुद्ध सभा में यह प्रस्ताव पेश किया जा सकता है कि उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए।

ऐसी प्रथा है कि समिति के सदस्यों के अनिश्चित मसाले के अन्य सदस्य भी समिति की बैठकों में (जब वह किसी विषय पर विचार कर रही हो) उपस्थित हों

मकते हैं, पर ऐसे सदस्य न तो समिति के अग के नाते बंठ मकते हैं थीर न उसकी कार्यवाही मे ही भाग ले सकते हैं ।

प्रवर समितियों को उपसमितियाँ नियुक्त करने का अधिकार होता है । माधारणतया उपसमितियाँ विधेयको से सम्बन्धित किसी विशेष बान पर विचार करने के लिए नियुक्त की जाती है । ऐसी उपसमितियाँ नियुक्त करते समय विचारणीय विषय को स्पष्ट रूप से बतया जाता है । उपसमिति के प्रतिवेदन पर मुख्य समिति द्वारा विचार किया जाता है और तदुपरान्त मुख्य समिति अपना प्रतिवेदन पेश करती है । समिति को अपनी प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित करने का अधिकार होता है, किन्तु अध्यक्ष इस प्रक्रिया में फेर बदल कर मकता है । इसी प्रकार अध्यक्ष, समिति के सभापति को समय-समय पर आदेश भी दे सकता है । प्रक्रिया के सम्बन्ध में, यदि कोई विवाद हो तो अध्यक्ष की उस सम्बन्ध में राय ली जाती है और उसका निर्णय अन्तिम होता है ।

समिति को साक्ष्य लेने का अधिकार होता है जिसके अन्तर्गत वह ब्यक्तियों को बुला सकती है और कागजात आदि भी मगवा सकती है । यदि कोई विवाद उपस्थित हो कि कोई साक्ष्य आवश्यक है या नहीं तो मामला अध्यक्ष को सौंम जाना है और उसका निर्णय अन्तिम माना जाता है । केवल एक ही अवस्था है जिसमें सरकार कागजात आदि पेश करने से इन्कार कर सकती है और वह है देश की सुरक्षा का प्रश्न । समिति के सम्मुख पेश किया गया कोई कागज-पत्र समिति की आज्ञा के बिना वापस नहीं लिया जा मकता और न उसमें कोई फेर-बदल ही किया जा सकता है । यदि समिति उपयुक्त समझे तो वह विधेयको के विषयो से सम्बन्धित विशेषज्ञों की भी साक्ष्य ले मकती है । समिति स्वयं निर्धारित करती है कि उनके ममक्ष दी गई साक्ष्य का कौन सा भाग गुप्त रखा जाएगा और कौन-सा सभा-मटल पर रखा जाएगा । जब तब साक्ष्य सभा-मटल पर न दी जाए, तब तक वह गोपनीय मानी जाती है ।

समिति को अपना प्रतिवेदन सभा में निर्धारित अवधि के अन्दर पेश करना पडता है । यदि सभा ने ऐसी कोई अवधि निर्धारित न की हो तो वह तीन महीने के अन्दर ही प्रस्तुत किया जाता है । सभा के आदेश पर अवधि बढाई भी जा सकती है ।

समिति के प्रतिवेदन, अन्तिम हो सकते हैं और अन्तिम भी । प्रतिवेदन में

समिति को बताना पड़ता है कि नियमों द्वारा अपेक्षित ढंग में विधेयक प्रकाशित हुआ है या नहीं और यदि प्रकाशित हुआ है तो किस दिन। यदि प्रतिवेदन में समिति ने कोई संशोधन किया हो तो समिति यह सुझा सकती है कि विधेयक को फिर सदस्यों में विनिरित कराया जाए। प्रतिवेदन गभानि द्वारा सभा को पेश किया जाता है। प्रतिवेदन में विमति-टिप्पण का उल्लेख करने की भी प्रथा है।

संयुक्त प्रवर समितियाँ :— लोक-सभा और राज्य-सभा की संयुक्त प्रवर समितियाँ भी उसी तरह नियुक्त की जाती हैं, जिन तरह इन मदों की अलग-अलग प्रवर समितियाँ नियुक्त की जाती हैं। किसी सदन में विधेयक पर विचार होते समय यह प्रस्ताव लाया जा सकता है कि विधेयक पर विचार करने के लिए एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की जाए। ऐसे प्रस्ताव में यह उल्लिखित रहता है कि जिस सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत हो, उस सभा के जितने व कौन-कौन सदस्य उम पर विचार करेंगे। दूसरे सदन के सत्योग के बारे में सदन की यह मिफारिश होती है कि प्रस्ताव के अनुरूप दूसरा सदन संयुक्त समिति के लिए सदस्य नियुक्त करे। जब दूसरा सदन सहयोग का प्रस्ताव पारित कर लेता है तो उसकी सूचना पहले सदन को दे दी जाती है और इस प्रकार संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त होती है।

समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती पर लोक-सभा और राज्य-सभा के सदस्यों का अनुपात 2 : 1 होता है। महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवर समितियों या सभापति अधिकतर मंत्री होता है।

प्रक्रिया की दृष्टि से संयुक्त प्रवर समितियों की प्रक्रिया वैसी ही होती है, वैसी कि प्रवर समितियों में। राज्य-सभा में तो संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त करते समय प्रस्ताव में यह स्पष्ट उल्लिखित रहता है कि आवश्यक फेर-बदल की पद्धति संयुक्त प्रवर समितियों में उसी तरह की रहेगी जिस तरह कि प्रवर समिति में होती है।

संयुक्त प्रवर समितियों में भी उपसमितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है। ये उपसमितियाँ विधेयक की विशेष धाराओं पर विचार करने के लिए नियुक्त की जाती हैं (उदाहरणार्थ, 'क्वाइंट कमेटी ऑन कम्पनीज बिज,' 1953 के लिए दो उप-समितियाँ नियुक्त की गई थीं।)

संयुक्त प्रवर समितियों में भी, सभा द्वारा निश्चित अवधि के अन्दर प्रति-

वेदन पेश करने की प्रथा है। यदि अध्यक्ष ने अवधि बढ़ा दी हो तो हमारे सदन के अध्यक्ष से भी अवधि बढ़ाने की अनुमति ली जाती है। संयुक्त प्रवर समितियों के प्रतिवेदन दोनों सदनों को पेश किए जाते हैं। जिस सभा में प्रस्ताव आया हो उस सभा में वहाँ का सभापति प्रतिवेदन पेश करता है, पर दूसरे सदन में उस सदन की समिति का सदस्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, माधारण प्रवर समितियों में प्रथा है कि प्रतिवेदन जब सभा में पेश हो जाता है तो केवल प्रतिवेदन पर ही बहस होती है और विधेयक के सिद्धान्त पर नहीं। संयुक्त प्रवर समितियों के प्रतिवेदन के विषय में यह प्रथा है कि जिस सदन में संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया हो, उस सदन में तो विधेयक के सिद्धान्त पर बहस नहीं होती, पर अन्य सदन में हो सकती है अर्थात् एक सभा द्वारा किए गए सिद्धान्त-अनुमोदन से दूसरी सभा बाध्य नहीं होती।

अन्य संसदीय समितियाँ :—जैसा कि आरम्भ में बताया गया था, ये समितियाँ पूर्ण अर्थ में संसदीय समितियाँ नहीं होती, फिर भी ये समन्वय-समितियों के पर्याप्त निकट हैं, और समन्वय का आवश्यक अंग बन गई हैं, इस तरह की समितियाँ प्रायः सभी संसदों में पाई जाती हैं। लोक-सभा के प्रक्रिया-नियमों में इन्हे प्रक्रिया के मुख्य अंगों के रूप में तो नहीं, पर परिशिष्ट १९ में अवश्य स्थान दिया गया है। लोक-सभा के अध्यक्ष के आदेश, इन समितियों पर उनी तरह लागू होते हैं, जिस तरह कि स्थायी और प्रवर समितियों पर। राज्य-सभा की दम श्रेणी की समितियों के बारे में वहाँ के कार्य-प्रक्रिया-नियमों में भी कोई उल्लेख नहीं है। राज्य-सभा और लोक-सभा दोनों में, इनके सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन समितियों के लिए सचिवालय सम्बन्धी सहायता लोक-सभा और राज्य-सभा सचिवालयों द्वारा दी जाती है। यही संसदीय समितियाँ की एक आवश्यक पहचान है। ये समितियाँ इस प्रकार हैं :

१९ देखिए, परिशिष्ट 2, 'लोक-सभा के कार्य-प्रक्रिया तथा सचिवालय सम्बन्धी नियम' (पाँचवाँ संस्करण, 1967)

आवास-समिति (लोक-सभा) :- यह एक तरह की स्थायी समिति है। इस समिति के निम्न कृत्य होते हैं —

- (1) लोक-सभा के सदस्यों के निवास-स्थान सम्बन्धी सभी प्रश्नों के बारे में कार्यवाही करना, और
- (2) सदस्यों को दिल्ली में उनके निवास स्थानों और होस्टलों में दी गई आवास भोजन तथा चिकित्सा-सहायता सम्बन्धी मुश्किलों की देख-भाल करना।

इस समिति के 12 सदस्य होते हैं। ये सदस्य अध्याय द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं। समिति की कार्यवाही एक साल होती है।

समिति आवश्यकतानुसार उपसमितियाँ नियुक्त कर सकती है। एक स्थायी उपसमिति भी होती है, जो आवास-उपसमितियाँ कहलाती है। उपसमिति का कार्य, सदस्यों को निवास-स्थान के सम्बन्ध में सहायता देना होता है। चूँकि आवास (निवास तथा सड़क-भवन) दोनों में राज्य-सभा व लोक सभा की कुछ समानता, किन्तु संयुक्त सम्मियाँ भी होती है अतएव दोनों सदनों की आवास-समितियों के सम्पादनियों की संयुक्त बैठक करने की भी प्रथा प्रचलित है।

समिति का कार्य मतलबानुसार होता है। समिति औपचारिक रूप में कोई प्रतिवेदन पेश नहीं करती। उसकी निष्कारित अध्याय को सूचित की जाती है। यदि समिति की निष्कारित के विरुद्ध किसी सदस्य को कुछ कहना हो तो वह अध्याय में बयान दे सकता है।

सामान्य प्रयोजन-समिति (लोक-सभा) :- सामान्य प्रयोजन-समिति की स्थापना 26 नवम्बर, 1954 को हुई थी। समिति का उद्देश्य अध्याय द्वारा समस्त-समय पर सीधे गए सभा सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार कर अध्याय को सहायता देना है। सामान्यतः ऐसे सब विषय, जो किन्हीं न किन्हीं पूर्वोक्त समस्त समितियों ने अन्तर्गत न

-
- इस तरह की समिति स्थापित करने का प्रस्ताव एक बार टर्नर में भी हुआ था, पर वहाँ यह विचार प्रकट किया गया कि सभा द्वारा स्वयं ऐसे मामलों पर विचार किया जाना चाहिए।

जाते हैं सामान्य प्रयोजन-समिति को सौंपे जाते हैं। अध्यक्ष समिति का सभापति होता है। सभापतियों की नामिका में उल्लिखित किसी सदस्य को इनका उपसभापति बनाया जाता है व विभिन्न दलों के नेता इसके सदस्य होते हैं। समिति को प्रतिकेन्द्र पेश नहीं करती। प्रत्येक बैठक की कायेंबाही लिखी जाती है, जो सदस्यों को सूचनायें भेजी जाती है। समिति कभी-कभी उपसमितियाँ भी नियुक्त करती है, उदाहरणार्थ छाई, स्थान वा मसूद्-भवन के रख-रखाव पर विचार करने के लिए 1957 में उपसमिति नियुक्त की गई थी समिति तत्पश्चात् परीक्षा के लिए भी जाती है। समिति ने, अभी तक जित विषयों पर विचार किया है, उनमें ने कुछ के उदाहरण इस प्रकार हैं :

- (1) सभा की बैठक की अवधि,
- (2) सभा के किसी सदस्य की मृत्यु पर सभा का स्थगन
- (3) सभा में स्वचालित मतदान-व्यवस्था,
- (4) सभा में मनाई जानेवाली छुट्टियाँ,
- (5) संसदीय वाग्जानों की त्वरित व उच्छृष्ट छाई की व्यवस्था।

श्री श्री समिति की प्रथम बैठक में अध्यक्ष ने कहा था, समिति का वास्तविक उद्देश्य सभा के विभिन्न दलों के नेताओं का विश्वास प्राप्त करना होता है, ताकि वह सभा सम्बन्धी कायेंबाही पर विश्वास के साथ बैठ सकें। पहली और दूसरी लोक-सभा में तो यह समिति नियुक्त होनी नहीं, पर तृतीय लोक-सभा में यह समिति नियुक्त नहीं की गई। चौथी लोक-सभा में यह समिति पुनः गठित की गई है।

पुस्तकालय-समिति (शोध-सभा).—यह एक तरह की म्यादी समिति है। पुस्तकालय-समिति की स्थापना पहलीबार 18 नवम्बर 1950 को हुई थी। इसमें लोक-सभा के उपाध्यक्ष तथा पाँच अन्य सदस्य और राज्य-सभा के तीन सदस्य होते हैं। राज्य-सभा के सदस्य राज्य-सभा के अध्यक्ष के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। समिति की अवधि एक वर्ष की होती है। लोक-सभा का उपाध्यक्ष समिति का पदेन सभापति होता है।

समिति के निम्न उद्देश्य होते हैं

- (1) मसूद्-पुस्तकालय में सम्बन्धित ऐसे विषयों पर विचार करना और

मन्तव्य देना, जो अद्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएँ।

- (2) पुस्तकालय की उन्नति के लिए दिए गए मुझावों पर विचार करना, तथा
- (3) पुस्तकालय की सेवाओं से पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए मदद्यों की सहायता करना।

सामान्य प्रयोजन-समिति (राज्य-सभा) :— इस समिति की स्थापना पहली बार 28 मई, 1956 को हुई थी। समिति तब से प्रतिवर्ष नियुक्त होती आई है। समिति के 16 सदस्य होते हैं। समिति की अभी तक केवल एक बैठक हुई, जिसमें इनमें राज्य-सभा के वाद-विवाद का विवरण हिन्दी में छापे जाने के प्रश्न पर विचार किया था।

आवास-समिति (राज्य-सभा) :— यह समिति पहली बार 22 मई, 1952 को दिन नियुक्त हुई थी। इस समिति के 7 सदस्य हैं। समिति सदस्यों के आवास सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करती है। सामान्य आवास विषयक प्रश्नों पर लोक-सभा व राज्य-सभा दोनों की आवास-समितियों की समुन्नत बैठक भी होती है।

भारतीय संसदीय समितियों के कार्यों की परीक्षा बहुत कम लोगों ने की है। यह स्वाभाविक ही है और जैसा कि उल्लेखित वर्णन ने पता चल गया होगा, प्रवर समितियों, माचिका-समिति तथा लोक-सभा की लोक-लेखा-समिति को छोड़कर, संघ समितियों अत्यधिक घड़े समय पहले निर्मित हुई हैं। ब्रिटिश विद्वान सीरिंग जॉन्स ने अपनी पुस्तक भारतीय संसद् में, भारतीय संसदीय समितियों के बारे में जो कुछ कहा है वह उल्लेखनीय है। जॉन्स के कथनानुसार—

- कुछ संसदीय समितियों के बारे में जालोचनाएँ भी गई हैं। उदाहरणार्थ अमरीकी प्रशासन-विशारद एडवोकेट ने, अपने दूसरे प्रतिवेदन में लोक-लेखा व प्राक्कलन-समिति के बारे में कहा था कि 'लोक-लेखा तथा प्राक्कलन समितियों के प्रतिवेदन व शासन सम्बन्धी लोक-सभा में हुए वाद-विवाद को पढ़कर मेरा मन हलोकान्ति होता है।' ऐसे ही विचार अगोत्रचन्द्र ने अपनी पुस्तक 'इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन' में भी व्यक्त किए हैं। (देखिए, पाल एच० एपेल्बी, रिपब्लिकनियेगन ऑफ इन्डियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पृष्ठ 42)

‘भारतीय संसदीय समितियों का सारा गठन, सरकारी कृत्यों के ऊपर, निरीक्षण की भावना को प्रतिबिम्बित व दृढ़ करता है। यह राजनीति के विद्यार्थी को ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी व्यवस्था की यत्किञ्चित् विभेद के साथ याद दिलाती है। और तो और (जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है) यह भारतीय सामकीय सरकार को, जिसके पीछे इतना अधिक बहुमत है, निरकुश बनने की प्रवृत्ति से रोकती है।’

स्वयं ससद्-सदस्यों में समिति-प्रश्न के प्रति अत्यधिक आस्था के चिन्ह नजर आते हैं। ससद्-सदस्य हीरेन मुकर्जी ने अपनी पुस्तक ‘इन्डिया एण्ड पार्लियामेन्ट’ में कहा है ‘दिन प्रतिदिन जैसे-जैसे हम योजनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं ससद् के औपचारिक सत्रों में कमी कर, समिति के कार्यों में वृद्धि कराना अधिक आवश्यक पतनीन होता है, क्योंकि इनमें सदस्यों का योगदान अधिक ठोस व उपयोगी है।’

अध्याय 7

विदेशों की कुछ ससदीय समितियाँ

समितियाँ के बारे में सामान्य प्रक्रिया तो सभी देशों में एक-सी होती है, पर अपनी-अपनी विशिष्ट परम्पराओं के अनुसार कुछ देशों में ऐसी समितियाँ भी हैं, जो अन्यत्र नहीं दीख पड़ती। यदि उनसे मिलनी-जुड़नी अन्य देशों में कतिपय समितियाँ हैं भी, तो उनका यहाँ की समिति-प्रथा से अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। नीचे इसी प्रकार की कुछ विशेष समितियों का परिचय दिया गया है। परिचय में, जो समितियाँ शामिल की गई हैं, वे इस प्रकार हैं

सूची :

- (1) स्टैंडर्डिंग इन्स्ट्रूमेन्ट्स समिती,
- (2) स्काटलैंड स्टैंडिंग समिती
- (3) सार्वभूमिक समिती आन नैशनल गार्ड डेन्डरस्ट्रीज,
- (4) समिती ऑन वज एन्ड भीन्स,
- (5) समिती आन सप्लाइ,

समस्तकी

- (6) समिती आन अनअमेरिजन एक्टिविटीज,
- (7) समिती आन बटलरस एफेयस
- (8) समिती आन रूलस
- (9) समिती आन दि इन्स्ट्रुक्शन्स ऑफ कोलम्बिया,
- (10) समिती आन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन,

फ्रांस :

- (11) फ्रा. नेशनल समिती,

(12) कमेटी ऑन पार्लियामेन्टरी इन्फ्यूनिटीज,

आस्ट्रेलिया :

(13) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन पब्लिक एकाउन्ट्स

कनाडा :

(14) स्पेशल कमेटी ऑन एस्टिमेट्स

(1) स्टेच्युटरी इन्स्ट्रूमेन्ट्स कमेटी (हाउस ऑफ कॉमन्स) इंग्लैण्ड :

यद्यपि दम समिति की स्थापना के बारे में पहली बार गुशाव 1931 में, 'कमेटी ऑन मिनिस्टर्स पावर्स' ने दिया था, तथापि इसकी स्थापना 1943-44 में हुई। शुरू में अर्थात् महायुद्ध के काल में यह आपत्कालीन शक्तियों के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के निरीक्षण के लिए नियुक्त की गई थी, पर इसकी उपादेयता के कारण 1952-53 की 'सेलेक्ट कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन' ने प्रति वर्ष इसके स्थापित किए जाने की सिफारिश की। तब से प्रत्येक साल में यह समिति नियुक्त होती रही है।

पहले यह समिति उन्ही 'स्टेच्युटरी इन्स्ट्रूमेन्ट्स' अर्थात् साविधिक नियमों की परीक्षा कर सकती थी, जिनके बारे में संसद् ने विशेष निर्णय लिया हो तथा जिसके बारे में संसद् के किसी सदस्य ने आपत्ति न उठाई हो। 'सप्लाइ एण्ड सर्विसेज (ट्राजिशनल पावर्स) एक्ट, 1946' के द्वारा समिति के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है। समिति के कृत्य अब इस प्रकार हैं :

“सभा-पटल पर रखे गए प्रत्येक अधीनस्थ विधान की परीक्षा कर, उनके निम्न पहलुओं की ओर सभा का ध्यान दिलाना :

- (1) जो लोक वित्त से व्यय कराते हो।
- (2) जो किसी ऐम अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए हों, जिन्हें न्यायालयों के विचारार्थ पेश नहीं किया जा सकता।
- (3) जिसमें अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों का कोई असाधारण उपयोग कल्पित हो।
- (4) जहाँ मूल अधिनियम में उसकी पिछले अवधि से लागू होने का आदेश न होते हुए भी इस तरह का आशय निहित हो।

- (5) अनुचित विलम्ब के कारण, जिसे समझ के सम्मुख न रखा जा सका हो या प्रकाशित नहीं किया जा सका हो ।
- (6) जिसके स्वरूप व आशय पर विस्तृत विचार की आवश्यकता हो ।”

समिति के 11 सदस्य होते हैं व इसकी बैठक गठित करने के लिए 3 सदस्यों की आवश्यकता होती है । समिति के सदस्य चुनाव-समिति (सेलेक्शन कमेटी) द्वारा चुने जाते हैं । प्रथा के अनुसार सभापति विरोधी-पक्ष का सदस्य होता है । प्रत्येक सत्र में समिति की लगभग 11-12 बैठकें हो सकती हैं । अपने कार्य में इसे अध्यक्ष की सलाह भी प्राप्त होती है । समिति दलबन्दी के आधार पर कार्य नहीं करती ।

समिति ने अभी तक हाउस ऑफ कॉमन्स को अनेक प्रतिवेदन पेश किए हैं । यह उल्लेखनीय है कि समिति ने 1944 से 1952 तक के 8 वर्षों में 6,9000 'इन्स्ट्रूमेन्ट्स' की परीक्षा की थी ।

समिति के अधिकारों के बारे में दो बातें उल्लेखनीय हैं : (1) इसका निरीक्षण केवल 'इन्स्ट्रूमेन्ट्स' के स्वरूप तक ही सीमित रहना है न कि नीति तक (2) यह 'हाउस ऑफ कॉमन्स' को, अधीनस्थ नियमों को स्वीकार या अस्वीकार करने की ही सिफारिश कर सकती है, उनमें कोई संशोधन नहीं सुझा सकती ।

(2) स्काटिश स्टैंडिंग कमेटी (हाउस ऑफ कॉमन्स) : इंग्लैंड :

'हाउस ऑफ कॉमन्स' की यह एक बहुत पुरानी स्थायी समिति है । इस समिति का उद्देश्य 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में स्काटलैंड के मामलों में, स्काटलैंड के सभासदों को विशेष प्रतिनिधित्व देना है । यह समिति प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती है । इसमें स्काटलैंड से चुने हुए सारे मन्त्र-सदस्य होते हैं तथा कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं, जो 'सेलेक्शन कमेटी' द्वारा किनी विशेषरु विधेय के लिए नामनिर्दिष्ट किए गए हों । प्रायः ऐसे नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या 10 में कम व 15 से अधिक नहीं होती । इन अनिश्चित सदस्यों का चुनाव, सभा में प्रत्येक दल की सदस्य-संख्या को, ध्यान में रखते हुए किया जाता है । विधेयक पर विचार हो चुकने के बाद, ये अनिश्चित सदस्य समिति से हट जाते हैं । अपनी स्थापना के प्रथम 40 वर्षों तक 'स्काटिश स्टैंडिंग कमेटी' केवल सरकारी विधेयकों पर विचार करती थी, किन्तु

1948 में पारित किए गए 'स्टैंडिंग ऑर्डर' नम्बर 60 तथा 61' के अनुसार समिति को दो अन्य अधिकार दे दिए गए हैं, जो किसी अन्य स्थायी समिति को प्राप्त नहीं हैं। इन अधिकारों के ही कारण इस समिति को 'स्काटिश ग्रैंड कमिटी' के नाम से भी लोग पुकारते हैं। ये अधिकार इस प्रकार हैं:

(क) विधेयक के सिद्धान्त पर विचार करना : अन्य विधेयकों के बारे में, सिद्धान्त, स्वयं सभा द्वारा निश्चित किया जाता है व समितियाँ केवल विधेयक के खण्डों पर विचार करती हैं। यदि विधेयक 'स्काटिश स्टैंडिंग कमिटी' को सौंपा गया हो तो समिति सिद्धान्त पर भी विचार कर सकती है इस विशेषाधिकार के देने में अत्यधिक सावधानी बरती गई है और नियम यह है कि सभा को समिति की प्रत्येक अवस्था या स्थिति पर नियन्त्रण रखने का अधिकार है। यह भी व्यवस्था है कि यदि सभा के कोई 10 सदस्य इस अधिकार के प्रयोग का विरोध करें तो 'स्काटिश स्टैंडिंग कमिटी' से सिद्धान्त-परीक्षा का अधिकार छीना जा सकता है।

(ख) स्काटलैण्ड सम्बन्धी अनुमानों पर विचार 'स्टैंडिंग आर्डर, 61' के अनुसार स्काटलैण्ड सम्बन्धी सभी व्यय-प्राक्कल्पनों की परीक्षा करने का अधिकार उक्त समिति को दिया गया है, पर समिति उनमें कमी या वृद्धि नहीं कर सकती। यदि समिति कोई कमी या वृद्धि करना चाहे तो उसे इस सम्बन्ध में 'कमिटी ऑन सप्लाइ' को मिफारिश करनी पड़ती है, जो उसमें कमी कर सकती है।

समिति के ऊपर कितने ही प्रतिबन्ध भी हैं, जो या तो परम्परा के कारण हैं या 'स्टैंडिंग ऑर्डर' द्वारा लागू किए गए हैं। इन प्रतिबन्धों का उद्देश्य यह है कि कहीं स्काटलैण्ड के बारे में कमिटी के कारण, हाउस अपनी प्रभुसत्ता न खो बैठे। उदाहरणार्थ, स्काटलैण्ड में बँठक कराने के लिए समिति कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती और न इस सम्बन्ध में सभा को कोई प्रतिवेदन ही पेश कर सकती है। अनुदानों पर विचार करने समय भी समिति, सभा को कोई विशेष प्रतिवेदन पेश नहीं कर सकती।

समिति का सभापति बहुधा स्काटलैण्डवासी होता है, पर यह आवश्यक नहीं है वह स्काटिश निर्वाचन-क्षेत्र से ही चुना गया हो। सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा सभापति की नामिनी में से करने की प्रथा है।

समिति के कार्य की सराहना करते हुए 'टाइम्स' के एक विशेष लेखक ने

कहा है: "पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर' के अन्तर्गत स्काटलैण्ड आज अपने विधि-निर्माण तथा वित्त-अवस्था के बारे में काफी स्वतन्त्र नजर आता है।" इस लेखक ने 1948 के अधिकांश के प्रकामनों की प्रशंसा करते हुए आगे कहा है: 'स्काटिश कमेटी के प्रारम्भ और विकास में ब्रिटिश वैधानिक पद्धति के प्रयोगात्मक स्वल्प का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है।

(3) सेलेक्ट कमेटी ऑन नैशनलाइज्ड इन्डस्ट्रीज (रिपोर्ट एण्ड एफाउण्ड) हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैण्ड :

उन समिति की स्थापना इंग्लैण्ड में पहली बार 1955 में हुई थी। इनके पूर्व कहा दो विशेष प्रकर समितियाँ इस बात की जांच कर चुकी थी कि राष्ट्रीय उद्योगों पर समदीय जांच का सर्वोत्तम उपाय क्या होना चाहिए। 1955 में नियुक्त समिति के इत्यो पर यह प्रतिबन्ध था कि समिति राष्ट्रीय उद्योगों के बारे में निम्न बातों पर विचार नहीं करेगी

- (1) ऐसी बातें जो किसी मती की जिम्मेदारी के अन्तर्गत हो।
- (2) वेतन व नौकरी की हानतें।
- (3) उद्योगों का दिन-प्रतिदिन का प्रशासन।
- (4) ऐसे मामलों, जो नत्सम्बन्धी नियुक्त साविधिक संस्थाओं द्वारा विधिवत् कार्यान्वित होते हैं।

• इस समिति के अतिरिक्त 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में एक जोर सम्था है, जिनका नाम 'दि स्काटिश ग्रैंड काउंसिल' है। इसमें स्काटलैण्ड सम्बन्धी मामलों तथा प्राक्कलन आदि पर भी चर्चा की जाती है। 'स्काटिश स्टैंडिंग कमेटी' और इस काउंसिल में यह अन्तर है कि जहाँ समिति में विधेयकों में मसौदा किया जा सकते हैं, इस काउंसिल में केवल बहस मात्र हो सकती है। इसके विरुद्ध काउंसिल में ही प्राक्कलनों पर भी विचार हो सकता है, जबकि समिति में केवल विधेयकों पर ही विचार किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में समिति और काउंसिल एक दूसरे की अनुपूरक सम्थाएँ हैं। (देखिए 'नोट्स ऑन दि पार्लियामेंट कोर्स,'—एच० आर० कथी—पृष्ठ 19)

इन प्रतिबन्धों सहित काम करने में समिति ने कठिनाई महसूस की और यह सिफारिश की कि उसके कृत्यों में विस्तार किया जाए। तदनुसार 1956 से, अब समिति के कृत्य इस प्रकार हैं। "अधिनियम द्वारा स्थापित ऐसे राष्ट्रीय उद्योगों के लेखाओं तथा प्रतिवेदनो की जाँच करना, जिनके व्यवस्थापक मण्डल की नियुक्ति सरकारी मन्त्रियों द्वारा की जाती हो व जिसकी प्राप्तियाँ मुख्यतः पार्लियामेन्ट द्वारा अनुमोदित राशियों या एक्सचेंजर की राशियों से न होती।"

समिति के 13 सदस्य होते हैं इसकी बैठक करने के लिए कम से-कम 5 सदस्यों की आवश्यकता होती है। समिति की कार्य-प्रणाली प्राक्कलन-समिति की कार्य-प्रणाली के अनुरूप ही होती है। समिति प्रत्येक वर्ष जाँच के लिए एक निगम की स्थापना करती है। निगम के सदस्य चुनने के बाद, समिति उनसे उनकी कार्यवाही पर एक जापन मगाती है। समिति द्वारा साक्ष्य लेने की प्रथा है।

समिति ने अभी तक 5 प्रतिवेदन पेश किए हैं, जिनमें पहला ब्रिटेन के 'एलिक्ट्रिसिटी बोर्ड' के बारे में, दूसरा 'नैशनल कोल बोर्ड' के बारे में, तीसरा 'एयर कारपोरेशन' के बारे में, चौथा समिति के लिए एक सलाहकार के बारे में और पाँचवाँ 'ब्रिटिश रेलवेज' के बारे में है। इसके सिवा समिति ने कुछ विशेष प्रतिवेदन भी पेश किए हैं।

(4) कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स (हाउस ऑफ कॉमन्स) इंग्लैंड :

'कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स', इंग्लैंड की दो प्रसिद्ध सम्पूर्ण सदन समितियों में से एक है। समिति की स्थापना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में महारानी के भाषण के तुरन्त बाद की जाती है।

समिति के उद्देश्य - (1) कमेटी ऑन सप्लाय द्वारा पारित किए गए अनुदानों की माँग के लिए व्यय-राशि का अनुमोदन करना तथा (2) उक्त व्यय के लिए समुचित आय प्राप्त कराना है। पहले उद्देश्य के अन्तर्गत, समिति का काम 'कन्सोलिडेटेड फण्ड' से राशि निकाले जाने के निर्णय को पारित करना होता है। जब यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब 'हाउस ऑफ कॉमन्स', 'कन्सोलिडेटेड फण्ड बिल' पारित करता है। इसके बाद समिति 'कन्सोलिडेटेड फण्ड एप्रोप्रियेशन बिल' भी पारित करता है।

'कन्सोलिडेटेड फण्ड बिल' के भेद को समझ लेना, पाठकों के लिए उपयुक्त

होगा। भारत में, अनुदानों की माँगें सभा द्वारा स्वीकृत होने पर, एक ही बार सभा में विनियोग-विधेयक लाया जाता है, परन्तु इंग्लैण्ड में पहले 'कमेटी ऑन सप्लाई' द्वारा अनुमोदित व्यय राशि के 'एक्सचेंजर' अर्थात् बोप से निकाले जाने के लिए एक विधेयक पारित करना पड़ता है बाद में एक और विधेयक पारित करना पड़ता है, जिसे 'बन्सोलिडेटेड फंड (एप्रोप्रियेशन) बिल' कहते हैं, जिसमें इसका भी उल्लेख होता है कि प्रत्येक विभाग द्वारा किस मद में कितना खर्च किया जाएगा। यह विधेयक भारत में पारित 'विनियोग-विधेयक' जैसा होता है।

जहाँ तक आय के प्रस्तावों पर विचार किए जाने का प्रश्न है, समिति केवल नए करों पर विचार करती है, क्योंकि इंग्लैण्ड में स्थायी करों को 'फाइनेंस बिल' में शामिल नहीं किया जाता।

'हाउस ऑफ कॉमन्स' के सभी सदस्य सम्पूर्ण सदन समिति होने के नाते इसके सदस्य होते हैं, पर अध्यक्ष इसका सदस्य नहीं होता। 'स्टैंडिंग ऑर्डर, 29 तथा 31' के अधीन 'वेज एण्ड मीन्स कमेटी' के सभापति के वही अधिकार होते हैं, जो अध्यक्ष के होते हैं।

समिति की प्रक्रिया इस प्रकार है : जैसे ही 'कमेटी ऑन सप्लाई' में अनुदान पारित होने हैं, समिति नियुक्त हो जाती है। समिति पहले पूर्वोक्त 'एक्सचेंजर कन्ट्रोल' के लिए आवश्यक, 'जनरल बन्सोलिडेटेड बिल' पर प्रस्ताव पारित करती है। इस प्रस्ताव के बाद, सम्पूर्ण 'हाउस ऑफ कॉमन्स' की बैठक होती है और वह उक्त विधेयक को पारित करता है। इसके बाद कमेटी पुनः 'बन्सोलिडेटेड एप्रोप्रियेशन बिल' पर विचार करती है। यही पद्धति 'फाइनेंस बिल' के सम्बन्ध में लागू करती है। 'फाइनेंस बिल' पर विचार कर समिति जो प्रस्ताव पारित करती है, उसे 'वेजट रिजोल्यूशन' कहा जाता है।

इन समितियों के बारे में एक जोर उल्लेखनीय बात यह है कि समिति को किसी भी विषय पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार नहीं होता। यह अधिकार केवल सदन को ही प्राप्त है। 'इन्टरपार्लियामेन्टरी यूनियन' के शब्दों में, "यद्यपि आज सम्पूर्ण सदन समिति की प्रथा एक कालदोष है, क्योंकि सदन को अपने बायें के बारे में सारे अधिकार प्राप्त हैं, तथापि यह प्रथा इस लिए जारी है कि इस प्रकार

की समिति में सभी सदस्यों को सामान्य विषयों पर बोलने का अधिकार रहता है, जिसे वे छोटी समितियों को अर्थात् कुछ सदस्यों को न देना चाहे।”

(5) कमेटी ऑन सप्लाई (हाउस ऑफ कॉमन्स) इंग्लैण्ड :

‘कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स’ की भांति ‘कमेटी ऑन सप्लाई’ की प्रथा भी (जैसा कि पाठको ने अध्याय 2 में देखा है) बहुत पुरानी है। समिति की नियुक्ति महारानी के भाषण के बाद तुरन्त ‘स्टैंडिंग ऑर्डर 15’ के अनुसार की जाती है। जिस दिन भाषण पर बहस समाप्त होने की होनी है, उसी दिन निम्न प्रस्ताव पारित किया जाता है : ‘कि कल यह सदन एक समिति के रूप में ‘सप्लाई’ (अर्थात् व्यय-प्रस्तावों) पर विचार करने के लिए एकलित होगा’।

समिति का उद्देश्य उन सारे व्यय-अनुमानों पर विचार करना है, जो निम्न वर्गों में होते हैं

- (क) सामान्य वार्षिक अनुदान
- (ख) अनुपूरक अनुदान
- (ग) लेखानुदान
- (घ) अनिश्चित अनुदान
- (ङ) ‘वोट ऑफ क्रेडिट’ तथा
- (च) ‘एक्स्पेंसल ग्रान्ट’

समिति की कार्यविधि मक्षेप में इस प्रकार है

‘स्टैंडिंग ऑर्डर 16’ के अनुसार समिति में 5 अगस्त के पहले 26 दिनों तक अनुदानों पर बहस हो सकती है। जिस दिन समिति की बैठक होनेवाली हो, उस दिन सभा की कार्यसूची में यह पहला काम दिखलाया जाता है। विरोधी पक्ष को यह तय करने का अधिकार होता है कि प्रत्येक दिन कौन-कौन से अनुदानों पर विचार किया जाएगा। यह आवश्यक नहीं कि उस दिन सारे के सारे अनुदानों पर बहस हो ही जाए। जब समाप्ति का समय आता है, ‘गिलोटिन’ अर्थात् ‘विवाद बन्ध’ नियम लागू किया जाता है और शेष अनुदान पारित हुए माने जाते हैं। जब सारी मार्गें पारित हो चुकती हैं, तो समिति अपने आप खत्म हो जाती है।

पहले ‘कमेटी ऑन सप्लाई’ में, वास्तव में व्यय-प्रस्तावों की परीक्षा हुआ

करती थी, पर अब व्ययों में निहित नीति की चर्चा पर ही अधिक जोर दिया जाता है। जब बहस हो चुकती है तो प्रत्येक दिन निर्णय लिए जाते हैं, जो सभा को सूचित किए जाते हैं। इसके साथ ही इस सम्बन्ध में सभा की सहमति ली जाती है कि कितने दिनों तक अगले दिन भी अनुदानों पर विचार करने के लिए समिति की बैठक

। समिति के ऊपर एक प्रतिबन्ध है और वह यह कि 'एप्रोप्रियेशन एंड' अर्थात् ऊपर विनियोग को कम करने का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती, न उनमें अन्तर्हित नीति पर बहस ही कर सकती है।

(6) कमेट्री ऑन अनअमेरिकन एक्टिविटीज (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव), अमरीका :

यह समिति 1938 में, एक अस्थायी समिति के रूप में स्थापित की गई थी। मन् 1945 तक यह इसी तरह चलती रही। तत्पश्चात् यह एक स्थायी समिति के रूप में परिवर्तित की गई। इसके पहले सभापति रिप्रेजेंटेटिव मार्टिन डाइस थे। बाद में रिप्रेजेंटेटिव जे पार्नेल टामस की अध्यक्षता में समिति जिन दो कार्यों के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध हुई, वे थे (1) मिथ्या सपथ के गुनाह पर एन्जेर शिल्म व अन्य कुछ लोगों को अपराधी मानित किया जाना, तथा (2) हॉलीवुड फिल्म व्यवसाय में कम्युनिस्टों की घुसपैठ का मामला।

इस तरह की दो और समितियाँ पहले ही हो चुकी थी, जो इस प्रकार हैं - (1) इन्टर्नल सिक्यूरिटी मंत्र कमेट्री ऑफ दि सिनेट जुडिसियरी कमेट्री, व (2) पर्सनिट इन्वेस्टिगेशन्स मंत्र कमेट्री ऑफ दि सिनेट कमेट्री ऑन गवर्नमेंट आफरेशन्स। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष सिनेटर मैकार्थी थे।

'लेजिस्लेटिव रिआर्गेनाइजेशन एक्ट, 1946' के अनुसार समिति का उद्देश्य निम्न विषयों की जाँच करना है

- (1) अमरीका में किए गए अमरीका विरोधी प्रचार का विस्तार, स्वरूप तथा उद्देश्य।
- (2) विदेशों या देश-द्रोहियों द्वारा संविधान के अन्तर्गत आयोजित राज-व्यवस्था के उन्मूलनायों की जानेवाली कार्रवाइयाँ।
- (3) इसमें सम्बन्धित अन्य ऐसे विषय, जो अमरीका-विरोधी कार्यों को नियन्त्रित करने में कांग्रेस की मदद करनेवाले हों।

यह समिति अपना प्रतिवेदन 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव' को पेश करती है । यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो उक्त प्रतिवेदन सभा के मुख्य क्लर्क* (अर्थात् अधिकारी) को भी पेश किया जा सकता है । समिति के प्रतिवेदन में, समिति द्वारा जांच के वृत्तान्त के अतिरिक्त समिति की सिफारिशें भी होती हैं ।

समिति के 9 सदस्य होते हैं । ये सदस्य दो में अधिक अन्य समितियों के सदस्य नहीं हो सकते ।

अपने कार्य के लिए समिति को, चाहे सभा का सत्र चालू हो या नहीं निम्न कार्य करने के अधिकार हैं

- (1) इसकी दृष्टि में योग्य तथा आवश्यक साक्षियों की जांच व कागजातों की पेशी कराना,
- (2) समिति के सभापति या उसकी उपसमिति की स्वीकृति से किसी व्यक्ति के नाम 'सब पेना' अर्थात् उपस्थिति समादेश जारी करना ।

समिति को साम्यवादी प्रचार की रोकथाम के बारे में प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है, जैसा कि 20 मार्च, 1947 के इसके प्रस्ताव से प्रकट होता है । समिति को अमरीका विरोधी प्रचार से अमरीका की रक्षा करने के लिए कुछ साम्यवादी सरथाओं को गैर-कानूनी धोषित करने के सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तावित करने का भी अधिकार होता है । इस अधिकार के परिणाम स्वरूप ही 'सबवॉर्सव एक्ट-विटीज कन्ट्रोल एक्ट, 1950' पारित हुआ था ।

यह उल्लेखनीय है कि समिति की कोई स्थायी उपसमिति नहीं है ।

(7) **कमेटी ऑन बेटरन्स एफेएंस (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव), अमरीका :**

यह समिति 1947 में, 'लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 1947' के अन्तर्गत परिणामस्वरूप स्थापित हुई थी । इससे पहले इससे मिलते-जुलते विषयों पर विचार करने के लिए, विभिन्न समितियाँ हुआ करती थी, जैसे 'कमेटी ऑन वलर्ड वार बेटरन्स लेजिस्लेशन,' 'कमेटी ऑन पेंशन्स एण्ड रिबोल्यूशनरी क्लेमस', आदि ।

* इंग्लैंड, अमरीका तथा कुछ अन्य देशों में सभा के सचिव को 'क्लर्क' कहने की पद्धति है ।

इस समिति के कृत्य इस प्रकार हैं

- (1) सामान्य तौर पर भूतपूर्व सैनिकों सम्बन्धी सभी मामले ।
- (2) युद्धों से सम्बन्धित, अमरीका की सभी खास व आम पेन्शनों का प्रश्न ।
- (3) सेना में वाम करने के नाते सरकार द्वारा जारी किए गए बीमा सम्बन्धी प्रश्न ।
- (4) भूतपूर्व सैनिकों की शिक्षा, व्यावसायिक पुनर्स्थापन तथा मुआवजे सम्बन्धी मामलों पर विचार ।
- (5) नाविकों व सैनिकों को असैनिक सहायता ।
- (6) सैनिकों के असैनिक जीवन में पदान्तरण की व्यवस्था ।

समिति के 27 सदस्य होते हैं । समिति की स्थायी उपसमितियाँ निम्न प्रकार हैं —

- (1) सामान सम्बन्धी उपसमिति
- (2) मुआवजा सम्बन्धी उपसमिति
- (3) शिक्षा तथा ट्रेनिंग सम्बन्धी उपसमिति
- (4) अस्पतालों सम्बन्धी उपसमिति
- (5) आवास सम्बन्धी उपसमिति
- (6) बीमा सम्बन्धी उपसमिति
- (7) स्पेन युद्ध सम्बन्धी उपसमिति

समिति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिनमें एक यह है कि सभा में समिति द्वारा प्रस्तावित, भूतपूर्व सैनिकों के वेतन सम्बन्धी सामान्य विधेयक किसी समय विचारार्थ लाए जा सकते हैं ।

(8) कमेटी ऑन हल्स (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव), अमरीका :

यह समिति 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव' की बहुत पुरानी समितियों में से एक है । यह पहले एक प्रकर समिति के रूप में 1781 में स्थापित हुई थी । बीच में यह एक स्थायी समिति के रूप में परिवर्तित हुई, पर पुनः प्रकर समिति हो गई ।

सन् 1949 से यह पुनः एक स्थायी समिति के रूप में काम कर रही है।

आरम्भ में यह समिति सभा को नियम बनाने में मदद करने के उद्देश्य से निर्मित हुई थी, पर धीरे-धीरे सदन के आदेशों तथा अध्यक्ष के निर्णयों से इसकी शक्तियों में परिवर्धन हुआ और अब यह 'हाउस' के प्रशासन की मुख्य समिति है। 'लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 1946' के अनुसार समिति के निम्न कृत्य हैं :

- (1) 'हाउस' के नियम, नियम तथा कार्यवाही सम्बन्धी आदेशों पर, तथा
- (2) वायेंस में अवकाश-कालों तथा अन्तिम स्थगन पर, विचार करना

इन कृत्यों के अन्तर्गत, समिति नियमों में परिवर्तन करने व नवीन नियम बनाए जाने के प्रस्तावों पर विचार करती है। समिति अन्य समितियों की नियुक्ति व उनके द्वागर्जांच किए जाने विषयक प्रस्तावों पर विचार करती है। यह भी समिति का कर्त्तव्य है कि वह सभा की बैठकों के बारे में प्रस्ताव पारित करे। 'एलेक्टोरल रोल' के समय दीर्घांशों का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए' समिति इस सम्बन्ध में भी विचार करती है।

समिति के 12 सदस्य होते हैं, जो सभा में दोनों दलों की सदस्य सत्तया को ध्यान में रखते हुए चुने जाते हैं। 1946 तक, अध्यक्ष इस समिति के सदस्य नहीं हो सकते थे, क्योंकि 1910 में सदन ने ही यह प्रस्ताव पारित किया था कि अध्यक्ष इस समिति के सदस्य नहीं होंगे, परन्तु अब अध्यक्ष भी इस समिति के सदस्य हो सकते हैं।

यह समिति इसलिए महत्वपूर्ण है कि सदन जितने विधेयकों पर विचार कर सकता है, उसमें बड़ी अधिक विधेयक विभिन्न स्थायी समितियों द्वारा सभा को विचारार्थ पेश किए जाते हैं। अतएव इन विधेयकों में एक क्रम निर्धारित करना आवश्यक होता है। यही समिति का मुख्य काम है। इस सम्बन्ध में, 1883 से ही समिति का यह एक महत्वपूर्ण अधिकार रहा है कि वह विधेयकों या उनके खंडों पर विचार करने के लिए एक सभा को विशेष आदेश दे ताकि उन विधेयकों पर अन्य विधेयकों की अपेक्षा पहले विचार किया जा सके। यदि समिति इस प्रकार की सिफारिश न करे तो सामान्य तौर पर नियमों के अन्तर्गत दो-तिहाई बहुमत में सभा को यह निश्चिन करना पडता है कि अमुक विधेयक विचारार्थ पहले लिया जाएगा। यह वस्तुतः एक अत्यन्त कठिन काम होता है। प्रमुखता देने के लिए समिति किसी विधेयक में सुधार या उसके पुनः लेखन का आदेश भी अन्य समितियों

को दे सकती है। समिति को स्वयं किसी विधेयक को तुरन्त बनाने व उसे सभा में पेश करने का अधिकार होता है।

समिति को नियम, उपनियम तथा कार्यवाही सम्बन्धी आदेश पर, 3 दिन के अन्दर प्रतिवेदन पेश करना पड़ना है। यदि उमके प्रतिवेदन पर सभा में तुरन्त बहस न हो सके तो उम पर कार्यक्रम के अनुसार किसी अन्य दिन भी विचार किया जा सकता है। समिति किसी समय सभा को नियमों, उपनियमों तथा कार्यवाही के आदेशों पर सूचना दे सकती है।

समिति की कोई स्थायी उपसमिति नहीं है।

(9) कमेटी ऑन दि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया (हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव), अमरीका

इस समिति की स्थापना पहली बार 1806 में हुई थी।

संक्षेप में, समिति का काम 'डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया' के नगरपालिका-कार्या सम्बन्धी सारे विधेयकों का निर्माण व उन पर विचार करना है। 'लेजिस्लेटिव निगॉनैन्सिजेशन एक्ट' के अनुसार समिति के कृत्य इस प्रकार हैं

विनियोजनों को छोड़कर 'डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया' के निम्न नगरपालन सम्बन्धी सारे सुझावों पर विचार करना

- (क) जन-स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, गफाई व छुआछूत के रोगों सम्बन्धी नियम
- (ख) भादक द्रवों के विक्रय सम्बन्धी नियन्त्रण
- (ग) औषधियों तथा खाद्यपदार्थों में मिलावट
- (घ) विक्रय-कर
- (ङ) बीमा 'एक्सीक्यूटर्स एडमिनिस्ट्रटर्स बिन्म' तथा तलाक
- (च) म्यूनिसिपल तथा बाल-अपनाथ सम्बन्धी अदालतें
- (छ) समितियों के निर्माण तथा सगठन सम्बन्धी मामले
- (ज) 'म्यूनिसिपल कोड' तथा 'क्रिमिनल' व 'कॉरपोरेट' बानूनों में सशोधन

इन्हीं कृत्यों के निष्पादन के लिए सीनेट की भी एक 'कमेटी ऑन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया' है।

समिति के 25 सदस्य होते हैं ।

समिति की निम्न स्थायी उपसमितियाँ हैं :

- (1) असेैनिक सुरक्षा सम्बन्धी उपसमिति
- (2) अपराधो की जाँच सम्बन्धी उपसमिति
- (3) आर्थिक मामलों सम्बन्धी उपसमिति
- (4) स्वास्थ्य शिक्षा तथा मनोरंजन विषयक उपसमिति
- (5) न्याय सम्बन्धी उपसमिति
- (6) पुलिस, आग से सुरक्षा तथा यातायात सम्बन्धी उपसमिति
- (7) सामुदायिक उपयोग के साधनों, बीमा तथा बैंको सम्बन्धी उपसमिति

(10) कमेटी ऑन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन (पाँफ रिप्रेजेन्टेटिव), अमरीका :

इस समिति की स्थापना पहली बार 2 जनवरी, 1947 को, 'लेजिस्लेटिव रिऑर्गनाइजेशन एक्ट, 1946' के अनुसार हुई थी । इसके पहले समिति के प्रयोजनों से मिलते-जुलते कुछ प्रयोजनों पर विचार करने के लिए 'कमेटी ऑन एकाउन्ट', 'कमेटी ऑन एनराल्ड विल्म', 'कमेटी ऑन डिस्पोजीशन ऑफ एक्सीक्यूटिव पेपर्स', 'कमेटी ऑन प्रिन्टिंग', 'कमेटी ऑन एलेक्शन', 'कमेटी ऑन एलेक्शन ऑफ प्रेसीडेन्ट एण्ड रिप्रेजेन्टेटिव्स इन कांग्रेस' तथा 'कमेटी ऑन मेमोरियल्स' प्रभृति 7 समितियाँ हुआ करती थी । 'कमेटी ऑन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन' इन सभी भूतपूर्व समितियों के कार्य निष्पादन करती है । समिति अब सभा के भोजनालयों की व्यवस्था भी करती है, जो पहले 'कमेटी ऑन एकाउन्ट' द्वारा की जाती थी । इसी तरह अब यह समिति 'लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस' तथा 'हाउस लाइब्रेरी' आदि से सम्बद्ध विषयों की देखभाल करती है, जो पहले 'ज्वाइन्ट कमेटी ऑन लाइब्रेरी' किया करती थी । इसी तरह यह समिति अब कांग्रेस के अभिलेखों की छपाई आदि के लिए भी जिम्मेदार है, जिसके लिए पहले एक 'ज्वाइन्ट कमेटी ऑन प्रिन्टिंग' हुआ करती थी ।

सभा के नियमों के अनुसार समिति के निम्न कृत्य हैं :

'निम्न लिखित विषयों के बारे में विधेयक बनाना व प्रस्तावों पर विचार करना :

- (क) 'हाउस' द्वारा लोगो की नियुक्ति करना, जिसमे सदस्यो व समितियो के सचिवो की नियुक्ति भी तथा वाद-विषवाद का शब्दश विवरण लिखनेवाले रिपोर्टसं शामिल हो ।
 - (ख) 'हाउस' की आकस्मिकता-निधि मे व्यय
 - (ग) आकस्मिकता-निधि से सम्बन्ध सारे लेखो की लेखा-परीक्षा, आदि
 - (घ) 'हाउस' के लेखो से सम्बन्ध रखनेवाली बातें
 - (च) आकस्मिकता-निधि से हुए विनियोजन, इत्यादि
- (अधिक व्योरे के लिए, परिशिष्ट 4 देखिए ।)

समिति, सभा द्वारा प्रत्येक विधेयक या उसके सशोधन के पारित हो जाने के बाद यह देखती है कि वे निर्णय अथवा विधेयक भन्नी-भाति 'हाउस' के रजिस्टर मे दर्ज हो गए हैं या नही । इसी प्रकार यह देखना भी समिति की जिम्मेदारी होती है कि विधेयको और निर्णयो के पारित हो जाने पर, अध्यक्ष के उन पर हस्ताक्षर हो गए हैं या नही और वे अमरीका के राष्ट्रपति को भेजे गए हैं या नही । सीनेट मे इससे मिलती-जुलती एक 'कमेटी ऑन हल्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन' है । समुक्त विधेयको व उनके सशोधनो तथा निर्णयो के विषय मे समिति को सीनेट कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से काम करना पडना है । समिति का यह भी काम है कि वह सदस्यो द्वारा की गई यात्राओ की सूचना 'सार्जेन्ट एट आम्स ऑफ दि हाउस' को दे । अमरीका के 'हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव' मे यह प्रथा है कि वहाँ सदस्य प्रति-दिन 'हाउस' तथा 'सीनेट' के दिवगत सदस्यो की स्मृति मे श्रद्धाजलियाँ अर्पित करते हैं । इस अवसर के लिए उचित कार्यक्रम बनाना भी समिति का काम होता है ।

'कमेटी ऑन हल्स' की भानि ही इस समिति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, उदाहरणार्थ यह (1) सदस्यो के अधिकार व उनके स्थान (2) 'हाउस' की आकस्मिकता-निधि मे व्यय आदि विषयो पर सभा को जब चाहे प्रतिवेदन दे सकती है । समिति का यह भी उत्तरदायित्व है कि वह कांग्रेस के नियमानुसूच हुई प्रथम बैठक के छह महीने के अन्दर अलास्का मे हुए 'बन्टेस्टेड एलेक्शन' को छोडकर, बाकी सारे 'बन्टेस्टेड एलेक्शन' के बारे मे सभा को सूचना दे ।

उन समिति के 25 सदस्य होने हैं ।

समिति की निम्न स्थायी उपसमितियाँ हैं

- (1) लेंवा विपयक उपसमिति
- (2) चुनाव सम्बन्धी उपसमिति
- (3) छपाई सम्बन्धी उपसमिति
- (4) 'एनराल्ड विल्स' व लाइब्रेरी सम्बन्धी उपसमिति

(11) फाइनेंस कमेटी (नैशनल एसेम्बली), फ्रांस :—

फ्रांस की यह समिति वहाँ की स्थायी समितियों में सबसे पुरानी है। रेस्टो-रेशन काल तथा तीसरे गणतन्त्र-काल में बजट पर बहस करने के लिए एक 'कमेटी ऑन बजट' स्थापित की जाती थी। बाद में, 1955 में इसका नाम 'फाइनेंस कमेटी' रखा गया। पहले एक 'एकाउन्ट कमेटी' हुआ करती थी। 'फाइनेंस कमेटी' का निर्माण होने के बाद उसका कार्य भी इसी समिति को सौंपा गया।

समिति की कार्यविधि इस प्रकार है : प्रत्येक वर्ष समिति एक 'जनरल रिपोर्टिंग' अर्थात् सामान्य प्रतिवेदक तथा कई विशेष (प्रतिवेदक) नियुक्त करती है, जिन्हें विभिन्न सरकारी विभागों के प्राक्कथन, परीक्षणों सीपे जाते हैं। फ्रांस की बजट-प्रथा के अनुसार, बजट चैम्बर में पेश किए जाने के पूर्व मसौदे के रूप में इस समिति को सौंपा जाता है। विचार करने के बाद समिति 'चैम्बर' को एक प्रतिवेदन पेश करती है। समिति कभी कभी विधेयक पर भी बहस करती है, पर उसे विधेयकों में निहित सिद्धान्त पर बहस करने का अधिकार नहीं होता।

समिति के 44 सदस्य होते हैं। जब समिति बजट पर बहस करती है, तब जिन विभागों के अनुदान, समिति के विचाराधीन होने हैं, उन विभागों से सम्बन्धित विभागीय समिति का एक सदस्य इस समिति में शामिल किया जाता है। इसी तरह 'फाइनेंस कमेटी' सदस्य भी विभागीय समितियों की कार्यवाही में सलाहकार के नाते उपस्थित रहते हैं। अक्सर भूतपूर्व मंत्री समिति के सदस्य होते हैं। कहा जाता है कि किसी अन्य स्थायी समिति में इतनी सख्त भूतपूर्व मंत्री समिति के सदस्य नहीं पाए जाते, जितने इस समिति में होते हैं। तीसरे गणतन्त्र के युग में इस समिति की प्रविष्टा इतनी अधिक बढ़ गई थी कि इसका प्रतिवेदन होना वित्त-मंत्री बनने की दिशा में पहला कदम था। समिति के सदस्य, दल के आधार पर चुने जाते हैं, पर वस्तुतः यह समिति दलबन्दी के आधार पर काम नहीं करती।

समिति की जाँच केवल अनुदानों की ही जाँच तक ही मरिमिती नहीं रहती, वरन् उनके लेखाओं तक भी व्याप्त है। 1947 के बाद से समिति के धार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। समिति की उपसमितियों ने राष्ट्रीय वित्त-व्ययस्था के मुद्दान के प्रदन में लेकर, सरकारी विभागों में बाहनों के दुस्प्रयोग जैसे न्यून महत्त्व के विषयों की जाँच की है।

(12) कमेटी ऑन पार्लियामेन्टरी इम्पूनिटीज (नेशनल एसेम्बली), फ्रांस :

इस समिति की स्थापना पहली बार 8 मार्च, 1949 को स्टैंडिंग आर्डर 18 के अनुसार हुई थी। समिति को सदस्यों के अनुलघनीयता (इनवापोलैबिलिटी) सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर विचार करना होता है। यदि किसी सदस्य को दंड देना हो तो सम्बन्धी कोई निर्णय करना भी समिति का काम होता है। यदि किसी सदस्य को पकड़े ही दंड दिया जा चुका हो तो उस दंड के स्थगित किए जाने या दंड को कम करने के प्रश्न पर भी समिति विचार करती है। इस समिति की आवश्यकता इसलिए समझी जाती है कि इनके माध्यम से एम्बेल्गी स्वयं देख नके कि सदस्य वास्तव में दोषी था और वह विरोधी दल के स्वेष का शिकार नहीं है।

समिति की कार्यविधि इस प्रकार है — जैसे ही किसी आरोप के सम्बन्ध में वागवान सदस्यों को वितरित हो जाते हैं, समिति एक प्रतिवेदक नियुक्त करती है। तत्पश्चात् आरोप की जाँच के लिए एक उपसमिति नियुक्त की जाती है, जिसमें पूर्वोक्त प्रतिवेदक भी एक सदस्य होता है। उपसमिति के प्रतिवेदन पर समिति विचार करती है व अपना प्रतिवेदन सभा को देती है। समिति को 30 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सभा को देना पड़ता है। जिस दिन प्रतिवेदन पेश होनेवाला हो, उस दिन सभा के कार्यक्रम में प्रतिवेदन का पेश किया जाना पड़ना काम होता है।

(13) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन पब्लिक एकाउन्ट (आस्ट्रेलिया) :

यह आस्ट्रेलिया की पार्लियामेन्ट के दोनों सदस्यों की एक संयुक्त समिति है। समिति की स्थापना पी० ए० सी० एक्ट 1951 के अन्तर्गत हुई थी। समिति के 10 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सीनेट के और 7 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के होते हैं। समिति के सदस्य पार्लियामेन्ट की अवधि तक के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

समिति के कृत्य इस प्रकार हैं :—

- (क) कॉमनवेल्थ की प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखों की तथा आडिट एक्ट 1921 के उपबन्ध (1) के अनुसार लोक-लेखा परीक्षक द्वारा ससद् को पेश किए गए सारे विवरणों और प्रतिवेदनो की परीक्षा करना ।
- (ख) उपयुक्त लेखाओं, विवरणों तथा प्रतिवेदनों के किसी भी विषय अथवा उन विषयों से सम्बन्धित परिस्थितियों पर अपने उपयुक्त मत में ससद् के दोनों सदनों को सूचित करना ।
- (ग) लोक लेखा प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्तियों अथवा सरकारी व्यय के बारे में उपयुक्त सुझाव देना ।
- (घ) ससद् के किसी सदन द्वारा निर्दिष्ट लोक लेखा से सम्बन्धित विषय पर जाँच करना व उसके बारे में सदन को प्रतिवेदन देना ।
- (ङ) अन्य ऐसे कृत्य, जो ससद् के दोनों सदनों ने 'ज्वाइंट स्टैंडिंग ऑर्डर' द्वारा उसे सौंपे हों ।

समिति का एक और महत्वपूर्ण कार्य प्रत्येक वर्ष अनुपूर्वक अनुदानों (जो भारतीय पद्मिनी के 'अतिरिक्त अनुदान' के समान हैं) की परीक्षा करना है । सामान्य अर्थ में, समिति का यह काम होता है कि वह देखे कि 'कॉमनवेल्थ कन्सो-ल्टिडेड रिजर्व फंड' से जो व्यय हुआ है, वह भिन्नव्ययिता के साथ हुआ है ।

समिति की अवधि दो सालहोती है । समिति को, लोगों की माध्य लेने व चागजात आदि मगवाने का अधिकार होता है । अपने कार्य में, भारतीय लोक-लेखा-समिति के समान ही, आस्ट्रेलिया की इस समिति को, नियन्त्रक तथा महा लेखा-परीक्षक की मदद मिलती है ।

समिति का प्रतिवेदन ससद् के दोनों सदनों को पेश किया जाता है । समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए कोई खास कार्यक्रम नहीं होता । समिति के प्रतिवेदनो पर सभा में बहस नहीं होती । समिति के प्रतिवेदन का स्वरूप, जैसा कि उनके पढने से पता चलता है, भारतीय प्राक्कलन-समिति के प्रतिवेदनो जैसा होता है । इसका कारण यह है कि आस्ट्रेलिया में प्राक्कलन-समिति नहीं है, अतएव वास्तव में यह समिति, लोक-लेखा-समिति और प्राक्कलन-समिति दोनों के कृत्यों को निभाती है । अभी तक समिति ने कुल 80 प्रतिवेदन पेश किए हैं । समिति के प्रति-

वेदनों पर की गई कार्रवाई, 'ट्रेडरी मिनिट्स' के रूप में समिति द्वारा सभा को सूचित की जाती है।

(14) स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट्स (हाउस ऑफ कॉमन्स), कनाडा :

इस समिति की स्थापना पहली बार 1955 में हुई थी। इंग्लैंड में इस का प्रचलन देख कर 1921 में कुछ सदस्यों ने समिति की स्थापना की मांग की थी, किन्तु तब यह मांग स्वीकार नहीं की गई थी। चार साल बाद पुनः इस तरह की एक समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव कुछ सदस्यों ने पेश किया, पर सभा ने उसे भी स्वीकार नहीं किया। 1929 में, स्वयं प्रधान मंत्री ने 'कमेटी ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स' को, यह आदेश दिया कि वह इस बात पर विचार करे कि इस तरह की समिति नियुक्त की जाए अथवा नहीं। उपयुक्त समिति ने इस सम्बन्ध में जो सिफारिश की सभा ने पुनः उसे स्वीकार नहीं किया। 1947 में, जब वहाँ की 'पब्लिक एकाउन्ट कमेटी' ने, यह सिफारिश की थी कि एक 'एस्टीमेट कमेटी' निर्मित की जाए, तब से इस समिति की मांग वहाँ प्रबल होने लगी थी। अन्त में, प्रयोग के तौर पर 1955 में, समिति की स्थापना हुई। तब से यह समिति प्रत्येक सत्र में नियुक्त की जाती है। 1957 तक यह समिति विशिष्ट समिति के रूप में थी, पर बाद में इसे स्थायी समिति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। समिति के सदस्यों की संख्या 26 से 35 तक होती है। समिति, सभा के विशेष निर्णय द्वारा नियुक्त की जाती है। समिति का काम उसे सौंपे गए प्रावधानों पर विचार करना होता है। कभी-कभी 'कमेटी ऑन सप्लाइ' के सम्मुख उपस्थित प्रावधानों में से कुछ प्रावधान भी इस समिति को सौंपे जाते हैं जैसे कि मार्च, 1956 में हुआ था।

समिति की बैठकों में, सम्बन्धित विभाग के मंत्री तथा अधिकारी साक्ष्य देने आते हैं। समिति की बैठकें पत्र-मवादादाताओं के लिए खुली रहती हैं, पर यदि

- 'प्रोमिज्योर इन दि कॅनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स' के लेखक डाउसन के अनुसार समिति अब भी विकास की अवस्था में है। कुछ लोगों का मत है कि समिति अपना उद्देश्य बहुत दूर तक छोटी बँटी है। जहाँ पहले इससे वित्तीय नियंत्रण की बहुत अधिक अपेक्षा की जाती थी, अब विशेष अपेक्षा नहीं की जाती। (देखिए, डाउन प्रोमिज्योर इन दि हाउस ऑफ कॉमन्स, पृष्ठ 222)

आवश्यक हो तो समिति की गुप्त बैठकें भी हो सकती हैं। अपनी कार्यप्रक्रिया तय करने के लिए समिति, एक उपसमिति नियुक्त करती है, जो 'सब कमेटी ऑन एजेन्डा एण्ड प्रॉसिज्योर' कहलाती है।

समिति का प्रतिवेदन सभा को पेश किया जाता है और वह पेश होते ही 'कमेटी ऑन सप्लाई' के विचाराधीन माना जाता है। समिति के प्रतिवेदन प्रायः सक्षिप्त और छोटे होते हैं। समिति के प्रतिवेदनों से 'कमेटी ऑन सप्लाई' को काफी मदद मिलती है।

विभिन्न देशों की समितियों की पारस्परिक तुलना. विदेशों में हमें समितियों की मुख्य 3 प्रकार की पद्धतियाँ मिलती हैं। (1) इंग्लैंड द्वारा प्रभावित पद्धति, (2) अमरीका द्वारा प्रभावित पद्धति, (3) फ्रांस द्वारा प्रभावित पद्धति। आस्ट्रेलिया व अन्य उपनिवेशों की समिति-प्रथा इंग्लैंड से प्रभावित है। अमरीका की प्रथा कुछ यूरोपीय देशों में व जापान में नजर आती है। फ्रांस द्वारा प्रभावित पद्धति अधिकतर यूरोपीय देशों में नजर आती है। ये पद्धतियाँ क्या हैं? इंग्लैंड की पद्धति का मूल अर्थ है सामान्य कार्यों के लिए सम्पूर्ण सदन समिति तथा आवश्यकानुसार कुछ खास कामों के लिए अथवा सत्र विनियम के लिए प्रत्येक समितियों का उपयोग करना। महत्वपूर्ण जाँच योग्य विषयों के लिए ससद-सदस्यों व अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आयोग की नियुक्ति भी इंग्लैंड की पद्धति की विशेषता है। अमरीका की पद्धति की मुख्य विशेषता विभागीय समितियों का उपयोग है। फ्रांस की पद्धति का अर्थ है, विभागीय समितियों के साथ-साथ प्रत्येक समितियों का उपयोग। अन्य देशों ने, इन मूल पद्धतियों का, अपनी परिस्थितियों के अनुसार फेर बदल कर उपयोग किया है। उदाहरणार्थ, वनाडा में अमरीका का अनुकरण करते हुए स्थायी विषय समितियों का प्रचलन है। इसी तरह वहाँ ब्रिटिश पद्धति का अनुकरण करते हुए सम्पूर्ण सदन समितियों का भी उपयोग होता है।

प्रत्येक पद्धति के अपने गुण-दोष हैं। इंग्लैंड की पद्धति का यह फायदा है कि इसमें वैधानिक कार्यों में सभा का नेतृत्व बना रहता है, क्योंकि प्रत्येक विधेयक की नीति सदन में ही निर्धारित होती है। समिति का काम केवल उसकी सूझ-बूझ की परीक्षा करना रहता है। इसके विपरीत अमरीका व फ्रांस में स्थायी समितियाँ नीति-निर्धारण व विस्तृत जाँच दोनों ही काम करती हैं। हर्बर्ट मारिशन ने यह अन्तर निम्न शब्दों में व्यक्त किया है

यह प्रकट है कि स्थूल रूप में अवधारणों को, यदि छोड़ दिया जाए तो सरकार की नीतियों की परीक्षा करना तथा उनमें अन्तर्हित नीतियों पर आक्षेप करना, मसद् का ही कार्य है। यह विद्वानों को कारणों से कायम रहा है : एक स्वयं मसद् की यह इच्छा कि उसके अपने अधिकार व सत्ता में कमी न हो व दूसरे सरकार की भी यह इच्छा कि वह समितियों की दास न हो जाए। अमरीका व फ्रांस में स्थिति इसके विपरीत है। आयव्ययक तथा विधेयकों की जाँच करना वहाँ समितियों का ही काम होना है इनका प्रभाव स्वयं मसद् के प्रभाव की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। हमारी मसद् (ब्रिटिश पार्लियामेंट) ने यह प्रक्रिया नहीं अपनाई है। मुझे विश्वास है कि इस तरह की प्रक्रिया अपनाना, मसदीय सत्ता के लिए हानिकारक सिद्ध होगा।'

इंग्लैण्ड से प्रभावित समिति-प्रथा में एक और लाभ बताया जाता है और वह यह कि मसद् फैसला करने का कार्य नहीं करती, जबकि समिति यह कार्य करती है। वह कार्य कानून के मुताबिक, मसद् के मयुक्त जजिवेशन अथवा अधिवरण के ही अधीन रहना है। इसके विपरीत अमरीकी समितियाँ ऐसी म्युली जाँच करती हैं, जिसमें राजनीति भी अधिकतर मिली होती है।

• इस अन्तर को हमें फाइन्ग ने, वड़े अच्छे शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है

“सदाचार, न्याय तथा आत्ममयन की भावनाएँ..... यद्यपि पार्लियामेंट सार्वभौम है, वह कानून चाहे जो कर सकती है, इसकी प्रथाएँ उदार, सयमित व इसके निरीक्षण के अन्तर्गत आनेवाले लोगों के अधिकार के प्रति अधिक उदार हैं। उनकी कार्यवाही की कुछ गिफोटों से पता चलता है कि वह कार्यवाही मर्मभेदी होती है, पर आतनाही नहीं, कठोर होती है, पर कट्ट नहीं, दृढ़ होती है, पर दीन-हीन करने वाली नहीं है। यह कार्यवाही उदार होती है और उद्देश्यपूर्ण नहीं। उसमें जनता का हित होता है, वैयक्तिक रोष की भावना नहीं होती उसमें न्याय की भावना होती है और इस नियम का पालन दृष्टिगोचर होता है कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध न हो जाए वह निर्दोष समझा जाना चाहिए। पार्लियामेंट की जनता व नागरिकों के प्रति इस तरह का व्यवहार नहीं होना कि वे शत्रु हैं और सार्वजनिक

नीति अपनाई जाए या नहीं। इंग्लैंड में (जैसा कि पाठकों को पता होगा) मल्टि-मण्डलकारी स्थिर होना है और इसलिए वह अपना वैज्ञानिक कार्यक्रम अबाध रूप से कार्यान्वित कर सकता है। फ्रान्स में इसके विरुद्ध, अभी तक मल्टिमण्डल बहुधा अस्थायी रहे हैं, अतएव 'नेशनल असेम्बली' को वहाँ अपनी समितियों में आस्था रखनी पड़नी है। अमरीका में तो सविधान ने ही कार्यकारिणी को कांग्रेस में बिल्कुल स्वतन्त्र रखा है। अतएव कांग्रेस को विधेयकों के बारे में स्वयं ही सब कुछ करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ समितियों के पास सम्पूर्ण अधिकार रहना स्वाभाविक ही है।

कनाडा में, समितियों में अमरीकी समितियों का अनुकरण नजर आता है, किन्तु उनमें वह प्रभावोत्पादकता नहीं, जो अमरीकी समितियों में है। इंग्लैंड की तरह ही वहाँ भी मल्टिमण्डल का समितियों पर प्रभाव नजर आता है। 'कैनेडियन

• इस प्रथा-भेद को लार्ड कैम्पबेल ने इस प्रकार व्यक्त किया है :

“अधिकारों के विभक्तीकरण का सिद्धान्त, जो अमरीका में प्रमुग्धता में प्रचलित है, फ्रान्स में भी अपने कुछ भावुक अनुयायी रखता है। 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव' को, कार्यकारिणी की सहायता की अनुपलब्धता की स्थिति में स्वयं ही विधि-निर्माण आदि की अपनी व्यवस्था करनी पड़ी। ... इसी तरह की व्यवस्था 'फ्रेंच चैम्बर' में लाई गई, किन्तु वहाँ ऐसा किए जाने के लिए यथेष्ट कारण नहीं था। वस्तुतः 'फ्रेंच चैम्बर' को सरकार के प्रति नियन्त्रण का अधिकार रहता है। यह प्रथा फ्रान्स में क्यों अपनाई गई और 'संसदीय' पद्धति का पूर्ण रूप से अनुकरण क्यों नहीं किया गया, इसके कारण जानना महत्वपूर्ण है। इसके दो कारण हैं एक तो यह कि वहाँ बहुत से छोटे-छोटे गुट होने हैं, न कि एक दो बड़ी पार्टियाँ और दूसरे यह कि 'चैम्बर' तो मल्टिमण्डल को बर्खास्त कर सकता है, पर मल्टिमण्डल को यह अधिकार नहीं कि वह 'चैम्बर' को बरखास्त कर सके, क्योंकि अधिकतर 'चैम्बर' ही अधिक स्थायी रहता है। यही कारण है कि 'चैम्बर' को अपनी कृति अर्थात् मल्टिमण्डल में एक प्रकार की अनास्था रहती है। 'चैम्बर' स्थायी (परमनेन्ट कमीशन) नियुक्त करता है जो कम से कम 'चैम्बर' की अवधि तक तो कार्यम रहते ही हैं।”

गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स' नामक पुस्तक में ब्लोकी ने इस सम्बन्ध में एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण दिया है और वह है, वहाँ की लोक-लेखा-समिति का। यह समिति 50-60 सदस्यों की समिति होती है और हर साल नियुक्त की जाती है। इसके सम्बन्ध में ब्लोकी का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में कभी समिति की बैठक नहीं हुई। समिति को 'ब्रेनगन स्कैन्डल' विषयक प्रारम्भिक जाँच का एक कार्य अभी सौंपा गया था। ब्लोकी आगे लिखता है कि यह आवश्यक नहीं कि समिति की सिफारिशों स्वीकार ही हो जाएँ। इस प्रकार कनाडा की समिति-प्रथा ऊपरी तौर पर अमरीका की समिति-प्रथा का अनुकरण करती प्रतीत होती है, किन्तु वास्तविकता यह है कि यह इंग्लैंड की समितियों से भिन्न नहीं है।

भारतीय समितियों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि जहाँ तक उनके अधिकारों और उपयोग का सम्बन्ध है, ये इंग्लैंड की प्रथा का ही अनुकरण करती हैं, किन्तु प्रवर समितियों के अधिकार व प्रयोग भारत में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। अन्य (किसी देश में उपनिवेशों को छोड़कर) विधेयकों पर विचार करने के लिए प्रवर समिति का प्रयोग नहीं होता, वहाँ या तो सम्पूर्ण सदन समितियाँ हुआ करती हैं या स्थायी समितियाँ। हो सकता है कि यह ब्रिटिश राज्य की देन हो। वस्तुतः प्रवर समितियों की रचना ही ऐसी होती है कि किसी भी विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने विषयक प्रस्ताव में सरकार को सदस्यों के नाम सुझाने का अवसर प्राप्त होता है। स्थायी समितियों के सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि सदस्य पहले से ही सभा द्वारा वर्ष भर के लिए चुन लिए जाते हैं। इस प्रकार विदेशी सरकार विधान-निर्माण के अधिकार ऐसेम्बली को देना चाहती थी, साथ ही वह यह भी चाहती थी कि उस विधि-निर्माण की प्रक्रिया में सरकार का काफी हाथ रहे। प्रवर समितियों की पद्धति सडिगत होने पर भी अब वस्तुतः भारतीय समिति प्रथा का एक आवश्यक अंग बन गई है।

समितियों की नई दिशा

अन्य सभी प्रक्रियाओं की तरह समितियों की प्रक्रियाओं व तत्सम्बन्धी धारणाओं का भी विकास होना रहा है। 100 वर्ष, पूर्व जिस तरह विधि-निर्माण या विधि-सभा नियन्त्रणात्मक कार्य के लिए समितियों की आवश्यकता महसूस होती थी, आज समितियों के अन्तर्गत उपसमितियों व खास तरह की समितियों (जैसे स्थायी समितियों) की आवश्यकता मानी जाने लगी है। इसी प्रकार, समितियों की उपादेयता को स्वीकार करते हुए भी लोग उनमें सम्भावित खतरों को भी उपेक्षा से नहीं देखते। उदाहरणार्थ, लोगों को यह भय होने लगा है कि समितियाँ कहीं सभा से अधिक बलवती न हो जाएँ। समिति व्यवस्था में, जो नवीन प्रवृत्तियाँ नजर आती हैं, उनमें मुख्य प्रवृत्तियों को इस प्रकार गिनाया जा सकता है।

- (1) समितियों के आवश्यकता से अधिक प्रबल होने का भय
- (2) दोनों सदनों के बीच अधिक सम्पर्क की आवश्यकता जिसके परिणाम स्वरूप समुक्त समितियों की सदस्यता में वृद्धि
- (3) स्थायी समितियों में अधिक आस्था व सम्पूर्ण सदन समितियों की अपेक्षा रुचि
- (4) उपसमितियों का व्यापक प्रसार

(1) समितियों के शाश्वतता से अधिक प्रबल होने का भय :— जैसा कि पाठको ने तीसरे अध्याय में पढ़ा होगा, समिति प्रथा का आरम्भ इसलिए हुआ था कि वे सभा के नियन्त्रणात्मक व विधि-निर्माण विषयक कार्यों का भार समाल सकें। यह उल्लेखनीय है कि नियन्त्रण का कार्य-क्षेत्र समितियों ने इस हद तक विस्तृत कर दिया कि समितियों का अस्तित्व सरकारी विभागों के लिए अवरोधक होने लगा। फ्रांस की स्थायी समितियों के बारे में लिडरडेन लिखना है, 'दोनों महायुद्धों के बीच के युग में समितियों के विरुद्ध काफी हद तक यह आरोप लगाया जाना

था कि उनके कारण सरकारी विभागों के काम में हस्तक्षेप होता था और वह संसदीय प्रक्रिया की एक अकुशल व अस्पष्ट पद्धति थी। 'वस्तुतः अमरीका में जांच-समितियाँ तो एक भयावह स्वर ग्रहण कर चुकी हैं। वहाँ समितियाँ, चाहे जिनकी साक्ष्य ले सकती हैं। 'कमेटी ऑन अनअमेरिकन एक्टिविटीज' द्वारा की गई, 'मेकार्थी वेस' की जांच इस आरोप की पुष्टि करती है। वहाँ समितियाँ, साक्षी को उसके साक्ष्य की गोपनीयता का कोई आश्वासन न देते हुए, न्यायालय की तरह जांच करती हैं। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभा की विधि-निर्माण कार्य में मदद देने के नाम पर, समितियों के प्रभुता सपन्न होने का भय ही चला है। अमरीका की समितियों के बारे में एक साक्षी ने स्पष्टन यह कहा था; 'आज कांग्रेस एक सगठित सस्था की तरह कार्य नहीं करती वरन् वह सर्वदा असमन्वित छोटी-छोटी सभाओं या समितियों का एक समुच्चय' जान पड़ती है'। अमरीका की ही 'कमेटी ऑन अनअमेरिकन एक्टिविटीज' के अन्तर्गत ससद् के अधिकारों को उल्लंघन मिलता है, उदाहरणार्थ, उक्त समिति द्वारा 'लायलेटी', 'सम्बन्ध' आदि शब्दों की परिभाषा तय किया जाना वस्तुतः संसदीय अधिकार भीमा का उल्लंघन है।

समितियों की इन प्रवृत्तियों के प्रति लोग जागरूक हैं और उनके नियन्त्रण की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं। अमरीकी समितियों के साक्ष्य लेने के अधिकार का विरोध रजिस्ट्रार और टूमन दोनों ने किया था, लेकिन न्यायालयों ने इस विषय में समिति के अधिकारों का समर्थन किया था। अतएव एक नया रास्ता खोजने का प्रयत्न किया जा रहा है, जैसे (1) साक्ष्य को गोपनीय माना जाए (2) साक्षी को, जांच करनेवाले से भी कुछ प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए, तथा (3) 'सीनेट' को यह अधिकार होना चाहिए कि वह किसी भी समिति को जांच करने से बर्चित कर सके। 'हाउस ऑफ रॉयल्स' ने इस विषय में पहले से ही संयम दिखलाया है। इंग्लैण्ड में, 'हिंसक अपराध' तथा 'देश-द्रोह' आदि से सम्बन्ध मामलों पर राजनैतिक आधार पर विचार नहीं होना, वरन् उन पर न्यायालयों में विधिवत् विचार होता है। जैसा कि हर्मान फाइनर ने कहा है (पिछले अध्याय में उदाहरण देखिए), इस सम्बन्ध में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट का व्यवहार अधिक उदार व अधिक मर्यादित रहता है"।

जहाँ तक विधि-निर्माण के कार्य में समद् के अधिकारों के उल्लंघन का प्रश्न है, इंग्लैण्ड में ससद् ने शुरू से ही इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाए हैं। उदाहरणार्थ संविधान से सम्बन्ध रखनेवाले विधेयक वहाँ समितियों को नहीं सौंपे जाते। इसी

प्रकार अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी समितियों को नहीं सौंपे जाते हैं। व्हीगरे इस सम्बन्ध में लिखता है; '1945 में, समितियों के अधिक अधिकार सम्बन्धी अपने प्रस्ताव को सामने रखते हुए, लेबर पार्टी की सरकार ने यह माना था कि संविधान जैसे महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित विधेयकों को, स्थायी समितियों में बह जांच के लिए नहीं भेजेगी, वरन् यह कार्य संपूर्ण सदन-समिति को ही सौंपा जाएगा। वास्तव में, जब समय-समय पर हाउस ऑफ लार्ड्स के निलवनकारी निपेत्राधिकार को कम करने के लिए 'पार्लियामेंट बिल ऑफ 1947' लाया गया तो वह सम्पूर्ण सदन-समिति अर्थात् एक तरह से सारे सदन के सामने ही विचारार्थ लाया गया था, न कि स्थायी समितियों के सामने। 'वैसे भी इंग्लैंड में यह पद्धति प्रचलित है कि समितियाँ कितना ही महत्व प्राप्त कर लें, वे सभा के महत्व को कम नहीं कर सकती। एरिक टेलर के शब्दों में, 'कदाचित् ही किसी अन्य देश की प्रतिनिधि-सभा में समितियों का स्थान उतना न्यून होगा, जितना ब्रिटेन में। कुछ देशों में विधान-सभाओं ने अपनी समितियों के माध्यम से, अपने हाथों में कार्यकारिणी के कृत्यों को लेने की चेष्टा की है। अमरीका में कांग्रेस की ऐसी समितियाँ हैं, जो नीति निर्धारित करती हैं और सरकार के कार्य में हस्तक्षेप करती हैं। फ्रांस के तृतीय गणतन्त्र-काल में, प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए ब्यूरो इसी तरह का कार्य और भी अधिक मात्रा में करते थे। इस तरह का कोई अधिकार इंग्लैंड की समितियों को न तो है और न रहा है। वास्तव में इस तरह की धारणा ही हमारे (ब्रिटेन के) संविधान के प्रतिमूल है। इस देश में विधायिका कानून बनाती है और नीति की आलोचना करती है। इसकी समितियाँ केवल सभा की सहायक संस्थाएँ हैं और विधायी और आलोचनात्मक शक्त के साधन हैं'। फ्रांस में भी पाँचवें गणतन्त्र के काल से समितियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। तृतीय व चतुर्थ गणतन्त्र के काल में समितियों को विधि-निर्माण के विषय में पूरी आजादी थी, पर पाँचवें गणतन्त्र के काल में यह नियम बना दिया गया कि जब किसी सरकारी विधेयक पर सभा विचार करेगी तो विधेयक का पाठ वही होना चाहिए जो सरकारी पक्ष द्वारा पेश किया गया हो, न कि वृत्त जो समिति ने सन्निधन कर अपनाया हो।

समितियों के आवश्यकता से अधिक प्रबल होने के बारे में 'इंटर पार्लियामेन्टरी यूनियन' ने, विश्व की 41 समदो के अध्यक्ष विषयक, ग्रन्थ 'पार्लियामेन्ट्स' में जनता का ध्यान आकर्षित कराया है। पुस्तक के शब्दों में, समितियों की आव-

शक्ति व उन्हें दी गई आजादी पर यथोचित प्रतिबन्ध होना चाहिए। ससद् की प्रभुता अविभाज्य है। और समितियों को संसद् की प्रभुता का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उन्हें अपना कार्य करने की जो स्वतन्त्रता इस समय प्राप्त है, उसके कारण उन्हें अपना कार्य क्षेप इतना नहीं बढ़ाना चाहिए जो निश्चित मर्यादा से बाहर हो। समितियों का कार्य, महत्वपूर्ण व प्रभावकारी भले ही हो, पर काफी विवेक से किया जाना चाहिए ताकि वे कोई ऐसा काम न करें, जो वस्तुतः ससद् का ही परमाधिकार हो।

(2) दो सदनों के बीच अधिक सम्पर्क: संयुक्त समितियों की वृद्धि :

द्वितीय सदन के सदस्यों में युवक कथन पूर्णतः सगन और उपयुक्त है। यह उल्लेखनीय है कि जिस समय विधि-सभाओं में, द्वितीय सदन निर्मित किए गए थे, उस समय वे वर्ग विशेष के अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थापित किए गए थे। इंग्लैण्ड कहीं-कहीं पर द्वितीय सदन जनमत को नियंत्रित करने के साधन के रूप में अपनाए गए। यही बात भारत के मन्वन्ध में कही जा सकती है। अनेक देशों में द्वितीय सदन की संस्थाएँ प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों के समान अधिकार के संरक्षण के लिए सगठित की गईं। अमरीका व यूरोप के अन्य देशों में ऐसा ही हुआ है। इन मूल ध्येयों के परस्पर भिन्न होते हुए भी द्वितीय सदनों ने अपने संकुचित उद्देश्यों से आगे बढ़कर प्रत्येक देश में अपनी उपादेयता निविवाद रूप से सिद्ध की है। इन सदनों में भी समितियों का बोलबाला रहा है। समितियों का बोलबाला रहने के कारण ही, संयुक्त समितियों की आवश्यकता प्रतीत हुई है और अब अधिकाधिक संयुक्त समितियों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है।

जैसा कि अध्याय 3 में बताया गया है, कि आस्ट्रेलिया में जितनी सविहित समितियाँ हैं, वे सभी संयुक्त समितियाँ हैं। लेकिन अमरीका, स्वीडन आदि देशों में भी, पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त समितियों के प्रति झुकाव ही दिखता है। अमरीका

* कुछ हद तक समितियों के प्रति यह व्यवहार ठीक ही लगता है, क्योंकि सरकारी अधिकारी दिन-ब-दिन व्यावसायिक ज्ञान वृद्धि के कारण अब शासन पर अधिक नियन्त्रण रखने में समर्थ हैं और संसदीय समितियों द्वारा नियन्त्रण किए जाने की अब अधिक आवश्यकता नहीं रह गई है।

*** गैलोवे लिखता है 'यूरोपेलीय काल में, नियुक्त की गई संयुक्त समितियों की सफलता से प्रभावित होकर लोगों ने 'काफ्रेन्स कमेटी'

की 79 वीं कांग्रेस के काल में 4 स्थायी व 3 प्रवर संयुक्त समितियाँ नियुक्त हुई थीं। 80 वीं कांग्रेस के काल में इनकी संख्या क्रमशः 7 व 4 थी। 8 वीं कांग्रेस के काल में 8 संयुक्त स्थायी समितियाँ नियुक्त की गई थीं।

कहा जाता है कि स्वीडन में अधिकांश विधि-निर्माण, 9 संयुक्त समितियों द्वारा ही होता है। वहाँ यह प्रथा है कि संयुक्त समितियाँ एक साथ दोनों सदनों को अलग-अलग प्रतिवेदन पेश करती हैं और दोनों सदन साथ-साथ उन पर विचार करते हैं।

भारत में भी संयुक्त समितियों के अधिकाधिक प्रयोग की प्रवृत्ति देखती है। जहाँ 1947 तक केवल कभी-कभी संयुक्त प्रवर समितियाँ स्थापित होती थीं, वहाँ अब संयुक्त प्रवर समितियों का काफी उपयोग होता है। प्रायः प्रत्येक महत्वपूर्ण विधेयक पर संयुक्त प्रवर समिति द्वारा ही विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थायी संयुक्त समितियों का भी इधर प्रचलन अधिक देखने में आता है, जैसा कि अध्याय 6 में बताया गया है। अब सदस्यों के भत्ते तथा लाभपदों के लिए संयुक्त समितियाँ विद्यमान हैं। इसके सिवा पुस्तकालय के लिए भी, यद्यपि संयुक्त समिति की व्यवस्था नहीं है, फिर भी सम्बन्ध समिति में लोक-लेखा समिति की तरह राज्य-सभा का सहयोग लिया जाता है। अभी हाल में नियुक्त सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति^७ में भी (यद्यपि वह संयुक्त नहीं है) लोक-सभा व राज्य-सभा दोनों के सदस्य हैं।

रूप में, शासन पर नियंत्रण व दो सदनों के बीच समन्वय के लिए संयुक्त समितियों के अधिकाधिक प्रयोग का सुझाव दिया है। 1950 में, कांग्रेस के पुनर्गठन विधेयक एक प्रस्तावली के उत्तर में लोगो ने जो सुझाव दिए थे, उनमें संयुक्त समितियों के अधिक प्रयोग का सुझाव सबसे अधिक लोगो ने दिया था। (यहाँ तक कि) 82 वीं कांग्रेस में लोगो ने ऐसे कितने ही प्रस्ताव और विधेयक कांग्रेस के सम्मुख पेश किए थे, जिनका उद्देश्य आयव्ययक, कांग्रेस का पुनर्गठन, आर्थिक विकास, वायु मार्ग-नीति आदि विषयों पर संयुक्त समितियों का निर्माण कराना था।”

७ इस समिति की स्थापना 1961 में ही हो जानी, पर जब लोक-सभा में इस तरह का प्रस्ताव लाया गया तो राज्य-सभा ने उस पर आपत्ति उठाई और यह आप्रह किया कि समिति में राज्य सभा के भी सदस्य होने चाहिए।

(3) स्थायी समितियों में अधिक आस्था* :—यह एक वित्कुल ही नई प्रवृत्ति है। अमरीका व अन्य देशों में पहले से ही स्थायी समितियाँ अधिक कार्यशील व महत्त्वपूर्ण रही हैं, पर इंग्लैण्ड में भी, जैसा कि वहाँ की 'सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसिज्योर' के विभिन्न प्रतिवेदनों से प्रकट होता है, स्थायी समितियों के प्रति आस्था अधिक बढ़ रही है। 1945 में, नियुक्त 'सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसिज्योर' ने, अपने प्रतिवेदन में कहा था 'अधिकतर सब विधेयक स्थायी समितियों को ही सौंपे जाने चाहिए। यथा सम्भव उतनी स्थायी समितियों नियुक्त की जाएँ, जितनी सभा के सामने आनेवाले विधेयकों पर शीघ्रता से विचार करने के लिए आवश्यक हो।' इस सिफारिश के अनुरूप समितियों की संख्या वहाँ बढ़ा कर 6 कर दी गई और सभा ने उनकी सदस्य-संख्या में भी वृद्धि की। 1958 की 'सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसिज्योर' ने, इस दिशा में वित्त-विधेयक के विषय में पुन कहा है कि विधेयक पर 'कमेटी ऑफ दि होल हाउस' में विचार होने की अपेक्षा उसके कुछ भागों पर स्थायी समितियों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। हेराल्ड लास्की, रैम्जे म्योर, एमरी, ब्राकलैण्ड, क्रिप्स, ग्रिमान्ड, हालिरा, जेनिंग्स आदि समझ-प्रक्रिया-विभारदों ने इन प्रश्न समितियों के अनिश्चित स्थायी समितियों के प्रयोग की भी माग की है। इन समितियों से यह लाभ होगा कि सदस्यों का संसदीय कार्यक्रम में ज्यादा हाथ रहेगा, जो विद्यमान प्रणाली में नहीं रहता, क्योंकि जब विधेयकों पर सभा में विचार होता है तो दलबन्दी शुरू हो जाती है और उनकी उपादेयता अथवा महत्ता के आधार पर सूक्ष्म विचार नहीं हो पाता। इस सम्बन्ध में 'हैन्डबुक सोसाइटी' की 'पार्लियामेन्टरी रिफॉर्म' 1933-58 नामक पुस्तक के 'सर्वे ऑफ सजेस्टेड रिफॉर्म' में समिति-प्रथा के सुधारों की चर्चा करते हुए कहा गया है :

* जहाँ स्थायी समितियों के प्रति संसद् की अधिक आस्था दिखलाई देती है, वहाँ सम्पूर्ण समितियों सभाभागों के प्रति आस्था का हास स्पष्ट प्रकट होता है, क्योंकि सम्पूर्ण सदन समितियों के अन्तर्गत एक ही सदस्यों को हर विषय पर बहस में भाग लेने के लिए तैयार रहना पड़ता है, दूसरे इन समितियों की सदस्यता उन्हें अनुपयोगी बनाती है। इसका एक और कारण भी है और वह यह कि सभाभागों में परची डालकर सदस्य चुने जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनमें दलों का प्रतिनिधित्व उसी अनुपात में नहीं रहता, जिस अनुपात में सभा में रहता है।

“यह स्पष्ट है कि पिछले कई सालों में, इस तरह की विभागीय समितियों की स्थापना के पक्ष में काफी आस्था रही है। यह भी स्पष्ट है कि इनका विरोध कम हुआ है। फिर भी समितियों की स्थापना सम्बन्धी निष्क्रियता के कारण, यह (यत्किञ्चित्) विरोध अभी तक प्रबल मिश्र हुआ है।

सम्भव है कि यह विरोध सदस्यों की इस आशाना का द्योतक हो कि वही उन्हें अपने अधिकार समिति को न देने पड़े। कदाचित् तत्कालीन अध्यक्ष महोदय का यह कथन ठीक हो, जो उन्होंने 1931 में प्राक्कलनों के बारे में चर्चा करते हुए कहा था : ‘यह सम्भव नहीं कि प्राक्कलनों पर आलोचना करने का अधिकार सदस्यों द्वारा एक छोटी समिति को सौंप दिया जाए।’

“यद्यपि राष्ट्रीय उद्योगों की जांच के लिए मदन में एक विशेष समिति की नियुक्ति महत्त्वपूर्ण है। हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक और स्थायी समिति स्थापित की है, जिसका नाम है ‘विल्स ग्रान्ड कमेटी। ‘पार्लियामेंट एट वर्क’ के लेखकों ने भी इसी प्रकार की धारणा व्यक्त की है। 1945 व 1948 की मेलेकट कमेटी ऑन प्रोसिज्योर की रिपोर्टों में इस बात पर काफी महत्त्व है कि सच्चे ससदीय सुधार के लिए समिति-प्रथा का अधिक प्रयोग होना चाहिए।

कनाडा में भी इधर स्थायी समितियों के गठन किए जाने का कुछ विद्वानों ने आग्रह किया है। उनका कथन है कि सम्पूर्ण मदन समिति के स्थान पर, यदि स्थायी समितियाँ गठित की जाएँ तो पार्लियामेंट का काफी समय बच जाएगा। डॉसन* ने अपनी पुस्तक ‘प्रोसिज्योर इन दि कॅनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स’ में लिखा

* डॉसन के शब्दों में ससदीय नियमों में कोई परिवर्तन किए बिना समितियों की प्रणाली में, जो एक सुधार किया जा सकता है, वह यह है कि प्रायः सभी सरकारी विधान विधेयकों को स्थायी समितियों के पास भेजा जाए। कुछ छोटे से विधेयकों, जैसे बजट से सम्बन्धित तथा विनियोग विधेयकों को इस प्रकार की व्यवस्था में मुक्त किया जा सकता है। यदि दोष विधेयक समिति को सौंप दिए जाएँ तो मदन का बोझ कम हो जाएगा और समितियों की यह प्रगति भी बढ़ जाएगी, जिसका आज पर्याप्त अभाव है”।

यह आगे और भी बढ़ता है, निर्विरोध प्राक्कलनों के लिए स्थायी

है कि जब कभी कनाडा की समिति-प्रथा का पुनरावलोकन हो, वहाँ की वर्तमान विशिष्ट समितियाँ स्थायी समितियों में परिवर्तित कर देनी चाहिए ।

यह प्रवृत्ति भारत में भी नजर आती है, किन्तु समिति-व्यवस्था के सम्बन्ध में अभी कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है । 'इन्डियन ब्लूरी ऑफ पार्लियामेन्टरी एफेयर्स' की एक विचारगोष्ठी में भाषण देते हुए लोक-सभा के भूतपूर्व सचिव तथा आजकल राज्य-सभा के सदस्य श्री एम० एन० कौल ने भावी संसदीय कार्यों का धाका खींचते हुए कहा था : 'संसद का समय अधिक आवश्यक व महत्वपूर्ण विषयों के लिए बचाया जाना चाहिए । संसद में नीति और सिद्धान्तों पर बहस होनी चाहिए न कि सूक्ष्म बातों पर । सूक्ष्म बातों पर विचार करने के लिए समितियों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए और समिति की व्यवस्था भी नए ढंग से की जानी चाहिए । उदाहरणार्थ, इन समितियों की बैठकों में पत्र-सवाददाताओं को जाने देना चाहिए और समिति की कार्यवाही प्रकाशित कर हर सदस्य को उपलब्ध कराई जानी चाहिए । इसका परिणाम यह होगा कि जब सभा के सम्मुख समिति का प्रतिवेदन आएगा, तब लोगों को उन्हीं बातों को पुनः दुहराने की इच्छा कम रहेगी । इसके साथ ही अध्यक्ष को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह उन सशोधनों को अस्वीकार कर दे, जिनपर समिति द्वारा विचार किया जा चुका हो और जिन्हें वह महत्वपूर्ण नहीं समझता हो । इस प्रक्रिया को स्वीकार करने से सभा का बहुत सा समय बच जाएगा, क्योंकि कई समितियाँ एक साथ बैठ सकेंगी । इसमें समाचार-पत्रों व जनता को वाद-विवाद की प्रगति की जानकारी रहेगी । इनसे सदस्य भी अपने समय का अधिक उपयोग कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी रुचि के विधेयक सभा के सम्मुख आने तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी । उपर्युक्त सारे सुझावों का यह अर्थ होगा कि सभा छोटी छोटी सस्थाओं के रूप में बैठ कर कार्य कर सकेगी । सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति व राज्य-सभा की अभी हाल में स्थापित अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, इसी प्रवृत्ति के उदाहरण हैं ।

समितियों का उपयोग करने की वर्तमान प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है और विभागों के नियमित रूप से फेर-बदल की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे कि सभी सेवाओं का प्रत्येक दो या तीन वर्षों की अवधि में परीक्षण किया जा सके ।" (देखिए—'डिमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन कनाडा', डॉमन, पृष्ठ 253 और 228)

(4) उपसमितियों का व्यापक प्रसार :—उपसमितियों की प्रथा अमरीका में बहुत दिनों से प्रचलित थी किन्तु अब वह और भी अधिक प्रचलित प्रतीत होती है। जिन उपसमितियों ने महत्त्वपूर्ण कार्य कर नाम कमाया है, उनमें निम्न उल्लेखनीय हैं : 1950 की 'सिनेट आर्डर्स सर्विसेज प्रिपेयर्डनैंग सबकमेटी', 1950-51 की 'सब कमेटी ऑन बैकिंग एण्ड करेन्सी' तथा 'सब कमेटी ऑफ दि हाउस अयुडी-सियरी कमेटी'। उपसमिति की प्रथा यहाँ इतनी अधिक विकसित हो चुकी है कि 1950-51 के काल में निम्न तीन उपसमितियों ने अपने-अपने कार्य-संचालन के लिए स्वतन्त्र नियम बनाए थे :

- (1) प्रोवयोरमेन्ट एण्ड बिल्डिंग सबकमेटी ऑफ दि हाउस कमेटी ऑन एक्स्पेन्डीचर इन एक्सीक्यूटिव डिपार्टमेन्ट
- (2) इनवेस्टीगेशन्स सबकमेटी ऑफ दि सीनेट कमेटी ऑन एक्स्पेन्डीचर इन एक्सीक्यूटिव डिपार्टमेन्ट, तथा
- (3) सबकमेटी ऑफ दि सीनेट कमेटी ऑन आर्डर्स सर्विसेज

1950 में, 'फॉरेन रिलेशन्स कमेटी' ने, इस दिशा में एक और कदम उठाया था और वह था एक 'कन्सल्टेटिव सबकमेटी' की स्थापना। इस तरह की सलाहकारी उपसमितियाँ अब प्रत्येक विभाग के लिए नियुक्त की जाती हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, उपसमितियों से गणपूर्ति की समस्या हल होती है। दूसरे उपसमितियों के माध्यम से नए मदद्यों को भी महत्त्वपूर्ण कार्य करने का अवसर मिलता है।

उपसमितियों की उपादेयता के कारण, 'सीनेट एक्स्पेन्डीचर कमेटी' के प्रधान, सिनेटर जॉर्ज डी० ईकेन ने कहा है 'मेरे विचार में यही (उपसमिति-व्यवस्था) हमारे कार्य की सबसे युक्तिमय गति है। इसमें जांच व साध्य के समय पूरी समिति की अपेक्षा बैठकें बुलाने में वही कम झंझट होती है। यह प्रथा काफी अच्छी तरह काम कर चुकी है और मैं उपसमिति-प्रथा के पक्ष में हूँ। 'इसी तरह सिनेटर ला फोलेट ने कहा है ; 'मेरा दयाल है कि विधेयक विशेष के लिए उपसमितियाँ नियुक्त करने के स्थान पर स्थायी उपसमितियाँ नियुक्त होनी चाहिए। विषय विशेष की पूर्णता या विशेषता की अपेक्षा वाले विधेयकों के लिए, विधेयकों का भी विशेषज्ञ होना आवश्यक है। उपसमितियों से यह विशेषज्ञता प्राप्त होने में

सहायता मिलती है। 'एक अन्य लेखक ने कहा है ; 'ऐसे प्रश्नों पर, जिनमें अधिक विशेषज्ञता दिखलाने की जरूरत है, उसमितियाँ विशेषज्ञता दिखलाने का मौका प्रदान करती हैं। वे पद्धति की प्रौढ़ता में लोच लाने में भी मदद करती हैं, क्योंकि उससे पद्धति समिति के कम प्रौढ़ सदस्यों को विधान सम्बन्धी कार्य करने का मौका मिलता है।

भारत में भी इधर उसमितियों के अधिक प्रयोग पर जोर दिया गया है। जहाँ पहले लोक-सभा की प्राक्कलन व लोक-लेखा-समितियाँ एक दो उपसमितियाँ नियुक्त करती थी, अब वे पांच अथवा छः उपसमितियाँ या अध्ययनगुट्ट हर साल बनाती हैं। इसी तरह अन्य स्थायी समितियाँ भी उपसमितियों का अधिकाधिक प्रयोग करने लगी हैं। उपसमितियों के अधिक प्रयोग के लिए अभी काफी विस्तृत क्षेत्र है। पूर्वोक्त समदीय विकास के प्रसंग में ही श्री कौब ने कहा है ; 'अभी हमारे यहाँ दो समितियाँ हैं, जो प्राक्कलनों पर विचार करती हैं और लेखाओं की विस्तृत जाँच करती हैं। प्राक्कलनों की जाँच इतना विशाल कार्य है कि एक साल में केवल कुछ प्राक्कलनों की ही जाँच हो सकती है और अधिकांश प्राक्कलन रगैर जाँच के ही सभा द्वारा पारित हो जाते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि सप्तदीय वित्तीय नियन्त्रण सूक्ष्म हो इसलिए प्राक्कलन-समिति में कई उपसमितियाँ नियुक्त करने की प्रथा अपनाई जानी चाहिए, जिसके अन्तर्गत एक-एक या अधिक मन्त्रालयों की स्वतन्त्र रूप से जाँच हो सके।..... ..इसी तरह लोक-लेखा-समिति को भी उपसमितियों के माध्यम में काम करना चाहिए, जो न केवल सरकारी धन्य व्यवहारों की जाँच करे, वरन् आय-व्यवहारों की भी जाँच करे। इस समय समिति के पास यह जानने का साधन नहीं है कि कर और शुल्क के रूप में सरकार को जो प्राप्तियाँ होनी चाहिए, वे प्राप्त हो गई हैं या नहीं। इसी तरह समिति मुख्यतः नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन के आधार पर ही आगे बढ़ती है। उसके पास स्वतन्त्र रूप से सरकारी मन्त्रालय या विभाग की जाँच करने का कोई साधन नहीं है। यदि वह उपसमिति के माध्यम से काम करे तो समिति का काम अधिक विस्तृत और प्रबल हो सकता है।

परिशिष्ट 1

कुछ विदेशों की संसदें व उनकी समितियाँ

इंग्लैंड : हाउस ऑफ कॉमन्स

- (1) सपूर्ण सरन समितियाँ
 - (क) कमेटी ऑन विलम
 - (ख) कमेटी ऑन बेज मीन्स
 - (ग) कमेटी ऑन सप्लाइ
- (2) स्थायी समितियाँ
 - (क) स्काटिस स्टैंडिंग कमेटी
 - (ख) 5 अन्य स्थायी समितियाँ, जो क्रमश ए, बी सी, डी, ई समिति के नाम से ज्ञात है ।
- (3) प्रवर समितियाँ
 - (क) मेलकट कमेटी ऑन एस्टीमेट्स
 - (ख) सेलेक्ट कमेटी ऑन किचेन एण्ड रिफ्रेशमेन्ट हम्स
 - (ग) सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रिविलेजेस
 - (घ) सेलेक्ट कमेटी ऑन पब्लिक अकाउन्ट्स
 - (ङ) सेलेक्ट कमेटी ऑन पब्लिक पिटीशन्स
 - (च) सेलेक्ट कमेटी ऑन पब्लिकेशन्स, डिप्रेट एण्ड रिपोर्ट
 - (छ) सेलेक्ट कमेटी ऑन सेलेक्शन्स
 - (ज) सेलेक्ट कमेटी ऑन स्टैंच्यूटरी इन्स्ट्रूम्न्ट्स
 - (झ) सेलेक्ट कमेटी ऑन स्टैंडिंग आर्डर्स
 - (ञ) सेलेक्ट कमेटी ऑन अनअपोजड बिल

- (ट) सेलेक्ट कमेटी ऑन आर्मी एक्ट एण्ड एयरफोर्स एक्ट
- (ड) सेलेक्ट कमेटी ऑन कोर्ट ऑफ रेफरीज
- (ड) सेलेक्ट कमेटी ऑन हाउस ऑफ कॉमन्स एबॉमोडेशन
- (ढ) सेलेक्ट कमेटी ऑन मेम्बर्स ऐक्स्पेन्सेज
- (ण) सेलेक्ट कमेटी ऑन पोस्ट ऑफिस एण्ड स्टेट बोर्ड रेलवेज

नोट - इनके अतिरिक्त कभी-कभी दोनों सदनों की संयुक्त समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा भी प्रचलित है ।

अमरीका : हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव

(क) सपूर्ण सदन समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑफ दि होल ऑन प्राइवेट कैलेंडर
- (2) कमेटी ऑफ दि होल ऑन यूनियन कैलेंडर

(ख) स्थायी समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑन एग्रीकल्चर
- (2) कमेटी ऑन एप्रोप्रियेशन्स
- (3) कमेटी ऑन आर्म्ड सर्विसेज
- (4) कमेटी ऑन बैंकिंग एण्ड करेन्सी
- (5) कमेटी ऑन पोस्ट ऑफिस एण्ड सिविल सर्विस
- (6) कमेटी ऑन दि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया
- (7) कमेटी ऑन एजुकेशन एण्ड लेबर
- (8) कमेटी ऑन एक्स्पेन्डीचर इन दि एक्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट
- (9) कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स
- (10) कमेटी ऑन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन
- (11) कमेटी ऑन इन्टर स्टेट एण्ड फॉरेन कॉमर्स
- (12) कमेटी ऑन ज्युडिसियरी
- (13) कमेटी ऑन मर्चेंट मैरीन एण्ड फिशरीज

- (14) कमेटी ऑन पब्लिक लैन्ड
- (15) कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स
- (16) कमेटी ऑन हन्म
- (17) कमेटी ऑन अनअमरिकन एक्टीविटीज
- (18) कमेटी ऑन वेटरन्स अफेयर्स
- (19) कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स

अमरीका : सीनेट

(क) स्थायी समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एण्ड फॉरिस्ट्री
- (2) कमेटी ऑन एप्रोप्रियेशन
- (3) कमेटी ऑन आर्म्ड सर्विसेज
- (4) कमेटी ऑन बैंकिंग एण्ड क्रेन्सी
- (5) कमेटी ऑन पोस्ट ऑफिस एण्ड मिबिक सर्विस
- (6) कमेटी ऑन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया
- (7) कमेटी ऑन गवर्नमेंट आपरेशन
- (8) कमेटी ऑन फाइनेन्स
- (9) कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशन
- (10) कमेटी ऑन इन्टरस्टेट एण्ड फॉरेन कॉमर्स
- (11) कमेटी ऑन ज्युडिशियरी
- (12) कमेटी ऑन लेबर एण्ड पब्लिक वेलफेयर
- (13) कमेटी ऑन इन्टीरियर एण्ड इन्स्यूलर अफेयर्स
- (14) कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स
- (15) कमेटी ऑन रूल्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन

नोट : इनके अतिरिक्त दोनो सदनों की संयुक्त समितियाँ नियुक्त करने की भी प्रथा प्रचलित है

फ्रांस : नेशनल एसेम्बली तथा सीनेट

स्थायी समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑन इकॉनॉमिक अफेयर्स
- (2) कमेटी ऑन फारिन अफेयर्स
- (3) कमेटी ऑन एग्रीकल्चर
- (4) कमेटी ऑन ऐलकोहलिक ड्रिंक्स
- (5) कमेटी ऑन डिफेन्स
- (6) कमेटी ऑन एज्यूकेशन
- (7) कमेटी ऑन फ़ैमिली, पब्लिक हेल्थ एण्ड पोपुलेशन
- (8) कमेटी ऑन फाइनेन्स
- (9) कमेटी ऑन इन्टीरियर
- (10) कमेटी ऑन जस्टिस
- (11) कमेटी ऑन मर्चेंट मैरीन एण्ड फिशिंग
- (12) कमेटी ऑन कम्यूनिकेशन्स ट्रांसपोर्ट एण्ड टूरिज्म
- (13) कमेटी ऑन पेन्शन्स
- (14) कमेटी ऑन रेडियो, सिनेमा एण्ड टेलीविजन
- (15) कमेटी ऑन इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन एण्ड इनर्जी
- (16) कमेटी ऑन फूँदाइज रूल्स एण्ड कॉन्स्टीट्यूशनल ला
- (17) कमेटी ऑन रिकॉन्स्ट्रक्शन, वार डैमेज एण्ड हार्जिसिंग
- (18) कमेटी ऑन लेबर एण्ड सोशल सिक्यूरिटी
- (19) कमेटी ओवरसीज टेरिटरीज

अन्य समितियाँ :

- (1) अकाउन्ट कमेटी
- (2) कमेटी ऑन पार्लियामेन्टरी इन्फ़ोर्मेटीज
- (3) कमेटी ऑफ़ कोऑर्डिनेशन

(4) स्पेशल कमेटी (जो अनेक हैं)

नोट : इनके अतिरिक्त दोनों सदनों की संयुक्त समितियाँ व नेशनल एसेम्बली में 10 सभाभाग नियुक्त करने की भी प्रथा प्रचलित है।

कनाडा : हाउस ऑफ कॉमन्स

स्यायी समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑन प्रिविलेज एण्ड इलेक्शन
- (2) कमेटी ऑन रेवेज, कंन्स एण्ड टेलिग्राम लाइन्स
- (3) कमेटी ऑन मिसलेनियस प्राइवेट बिल्स
- (4) कमेटी ऑन बैंकिंग एण्ड कॉमर्स
- (5) कमेटी ऑन पब्लिक अकाउन्ट
- (6) कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एण्ड कॉलोनाइजेशन
- (7) कमेटी ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स
- (8) कमेटी ऑन मैरीन एण्ड फिशरीज
- (9) कमेटी ऑन माइन्स, फॉरेस्ट एण्ड वाटर
- (10) कमेटी ऑन इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्टरनेशनल रिश्तस
- (11) कमेटी ऑन डिबेट्स
- (12) कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स
- (13) कमेटी ऑन एस्टीमेट्स
- (14) कमेटी ऑन प्राइवेट बिल्स
- (15) कमेटी ऑन रेस्टोरेंट
- (16) कमेटी ऑन वेटरनूम अफेयर्स
- (17) कमेटी ऑन लाइब्रेरी
- (18) कमेटी ऑन प्रिंटिंग

सम्पूर्ण सदन समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स

(2) कमेटी ऑन सप्लाई

नोट : इनके अतिरिक्त वहाँ प्रवर समितियाँ तथा संयुक्त समितियाँ बनाने की भी प्रथा प्रचलित है ।

सीनेट :

स्थायी समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स
- (2) कमेटी ऑन बैंकिंग एण्ड कॉमर्स
- (3) कमेटी ऑन रेल्वेज, टेलिग्राफ एण्ड हावर्स
- (4) कमेटी ऑन मिसलेनियस प्राइवेट बिल्स
- (5) कमेटी ऑन इन्टर्नल इकॉनॉमी एण्ड रिपोर्टिंग
- (6) कमेटी ऑन डिबेट एण्ड रिपोर्टिंग
- (7) कमेटी ऑन डाइवोर्स
- (8) कमेटी ऑन रेस्टोरेंट
- (9) कमेटी ऑन एगीकल्चर एण्ड फॉरेस्ट्री
- (10) कमेटी ऑन डिफेंशन एण्ड लेबर
- (11) कमेटी ऑन ट्रेड रिलेशन्स
- (12) कमेटी ऑन सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन
- (13) कमेटी ऑन पब्लिक हेल्थ इन्स्पेक्शन ऑफ फूड
- (14) कमेटी ऑन पब्लिक बिल्डिंग एण्ड गुड्स

संयुक्त समितियाँ :

- (1) ज्वाइन्ट कमेटी ऑफ दि लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेन्ट
- (2) ज्वाइन्ट कमेटी ऑफ दि प्रिंटिंग ऑफ पब्लिकेशन्स

आस्ट्रेलिया : हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव

स्थायी समितियाँ :

- (1) स्टैंडिंग कमेटी ऑन हाउस

- (2) स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉइन्ट्री
- (3) स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्रिंटिंग
- (4) स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्रिविलेज
- (5) स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स

सम्पूर्ण सदन समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑन स्प्लाइ
- (2) कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स

संयुक्त समितियाँ :

- (1) ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी ऑन विल्स
- (2) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन पब्लिक अकाउन्ट्स

नोट संयुक्त सदन समितियों के दो प्रकार हैं—एक अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त संयुक्त सदन समिति और दूसरी अन्य सामान्य प्रकार की समिति जैसे पार्लियामेन्टरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स, ज्वाइन्ट कमेटी ऑन दि ब्राडवॉस्टरिंग ऑफ पार्लियामेन्टरी प्रोसीडिंग्स ।

अन्य :

- (1) सेलेक्ट कमेटी ऑन विल्स

सीनेट :

स्थायी समितियाँ :

- (1) स्टैंडिंग ऑर्डर्स कमेटी
- (2) लाइन्ट्री कमेटी
- (3) हाउस कमेटी
- (4) प्रिंटिंग कमेटी
- (5) रेग्यूलेशन्स एण्ड थ्रिनिसेज कमेटी
- (6) डिस्पूटेड रिटर्न्स एण्ड क्वालिफिकेशन्स कमेटी

सम्पूर्ण सदन समिति :

- (1) कमेटी ऑफ दि होल सीनेट

नोट : इनके अतिरिक्त वहाँ ऐसे विषयों पर जो स्थायी समितियों के अन्तर्गत न आते हों, प्रवर समिति नियुक्त करने की प्रथा है। ये प्रवर समितियाँ सयुक्त प्रवर समितियाँ भी हो सकती हैं।

आयरलैण्ड : डायल ऐरिन (निम्न सदन)

सम्पूर्ण सदन समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स
- (2) कमेटी ऑन सप्लाय
- (3) फाइनेन्स कमेटी

स्थायी समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑन पब्लिक अवाउण्ड्स
- (2) कमेटी ऑन पब्लिक पिटीशन्स

प्रवर समितियाँ :

- (1) सेलेक्ट कमेटी ऑन लाइब्रेरी
- (2) सेलेक्ट कमेटी ऑन रेस्टोरेन्ट
- (3) सेलेक्ट कमेटी ऑन कन्सॉलिडेशन बिल्स
- (4) सेलेक्ट कमेटी ऑन सेलेक्शन ऑफ मेम्बर्स फॉर कमेटीज
- (5) सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसिज्योर एण्ड प्रिविलेजेज
- (6) सेलेक्ट कमेटी ऑन प्राइवेट बिल्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स

श्याम ऐरिन :

प्रवर समितियाँ :

- (1) सेलेक्ट कमेटी ऑन लाइब्रेरी
- (2) सेलेक्ट कमेटी ऑन रेस्टोरेन्ट
- (3) सेलेक्ट कमेटी ऑन कन्सॉलिडेशन बिल्स
- (4) सेलेक्ट कमेटी ऑन सेलेक्शन
- (5) सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसिज्योर एण्ड प्रिविलेजेज

(6) सेलेक्ट कमेटी ऑन प्राइवेट बिल्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स

नोट : इसके अतिरिक्त दोनों सदनों में विशिष्ट समितियों के नियुक्त करने की भी प्रथा प्रचलित है। 'प्राइवेट बिल्स' के सम्बन्ध में संयुक्त समितियाँ नियुक्त करने की भी प्रथा है।

नीदरलैण्ड : फरस्ट चेम्बर*

स्थायी समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑन डोमेस्टिक मैटर्स
- (2) कमेटी ऑन स्टेनोग्राफिक सर्विसेज
- (3) क्रीडेन्शियल्स कमेटी
- (4) कमेटी ऑन इनफॉर्मेशन ऑन फॉरेन अफेयर्स
- (5) कमेटी ऑन इन्टरफार्मेशन इक्वॉनॉमिक कोऑपरेशन
- (6) कमेटी ऑन इन्डोनेशियन एण्ड डच वेस्ट-इन्डीज अफेयर्स

सेकण्ड चेम्बर*

स्थायी समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑन डोमेस्टिक मैटर्स
- (2) कमेटी ऑन स्टेनोग्राफिक सर्विसेज
- (3) क्रीडेन्शियल्स कमेटी
- (4) कमेटी ऑन इनफॉर्मेशन ऑन फॉरेन अफेयर्स
- (5) कमेटी ऑन इन्टरनेशनल इक्वॉनॉमिक कोऑपरेशन
- (6) कमेटी ऑन इन्डोनेशियन एण्ड डच वेस्ट-इन्डीज अफेयर्स
- (7) बजट कमेटी

नोट इन स्थायी समितियों के अतिरिक्त दोनों सदनों में 4 सभाभाग (सेक्टर) नियुक्त करने की भी प्रथा प्रचलित है।

* इनका डच भाषा में नाम क्रमश 'एस्ट्रे कामे' तथा 'द्वे डे कामे' है।

फिनलैण्ड : डायट

स्थायी समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑन फन्डामेंटल लाज
- (2) कमेटी ऑन लाज
- (3) कमेटी ऑन फॉरिन अफेयर्स
- (4) कमेटी ऑन फाइनेंस
- (5) कमेटी ऑन बैंक
- (6) कमेटी ऑन इकॉनॉमिक्स
- (7) कमेटी ऑन ला एण्ड इकॉनॉमी
- (8) कमेटी ऑन कल्चरल अफेयर्स
- (9) कमेटी ऑन एग्रीकल्चर
- (10) कमेटी ऑन लबर
- (11) कमेटी ऑन कम्प्यूनिवेशन्स एण्ड डिफेन्स

नोट : इनके अतिरिक्त समय-समय पर अन्य विशेष समितियों के नियुक्त करने की भी प्रथा प्रचलित है ।

लुक्सेम्बर्ग : चेम्बर

स्थायी समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑन अकाउन्ट
- (2) कमेटी ऑन पेटीशन्स

अन्य : इन स्थायी समितियों के अतिरिक्त 3 सभाभाग (सेक्सन्स) व समय-समय पर अन्य विशेष समितियाँ भी नियुक्त की जाती हैं ।

नार्वे : स्टूटिंगेट तथा उल्लेन्स्टिंगेट

स्थायी समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन
- (2) कमेटी ऑन फाइनेन्स कस्टम्स

- (3) कमेटी ऑन जस्टिस
- (4) कमेटी ऑन चर्च एण्ड एजुकेशन
- (5) कमेटी ऑन म्युनिसिपल अफेयर्स
- (6) कमेटी ऑन एपीक्लचर
- (7) कमेटी ऑन मिलिट्री
- (8) कमेटी ऑन कम्प्युनिकेयन्स
- (9) कमेटी ऑन नेविगेशन एण्ड फिशरीज
- (10) कमेटी ऑन फॉरेस्ट वाटरकोर्स एण्ड इन्डस्ट्री
- (11) कमेटी ऑन सोशल अफेयर्स
- (12) कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स

ग्रन्थ :

- (1) प्रोटोकॉल कमेटी
- (2) क्रिडेन्शियल्स कमेटी
- (3) इलेक्शन्स कमेटी

नोट : इसके सिवा समय-समय पर विशेष समितियाँ नियुक्त करने की भी प्रथा प्रचलित है ।

स्वीडेन : रिक्स्टेग

स्थायी समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स
- (2) कमेटी ऑन दि कान्स्टीट्यूशन
- (3) कमेटी ऑन सप्लाइ
- (4) कमेटी ऑफ वेज एण्ड मीन्स
- (5) कमेटी ऑन वॉरिंग
- (6), (7), (8) कमेटी ऑन लाज (तीन समितियाँ)
- (9) कमेटी ऑन एपीक्लचर
- (10) कमेटी ऑन मिस्त्रोनियस अफेयर्स

अन्य : इनके अतिरिक्त कुछ विशेष समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा भी वहाँ प्रचलित है ।

डेनमार्क : फलवे टिगेट*

स्थायी समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स
- (2) कमेटी ऑन पेटीशन्स
- (3) कमेटी ऑन दि रिपोर्ट्स ऑफ दि स्टेट आडिटर्स
- (4) कमेटी ऑन इलेक्शन्स ऑफ मेम्बर्स
- (5) कमेटी ऑन फाइनेन्स
- (6) कमेटी ऑन विल्स रिपोर्टिंग टु दि सैलेरीज ऑफ सिविल सर्वेन्ट्स

अन्य :

- (1) पालियामेन्टरी कमेटी

जापान : श्युगीइन मथा सागीइन**

- (1) कमेटी फॉर केबिनेट
- (2) कमेटी फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन
- (3) कमेटी फॉर ज्युडिशियल अफेयर्स
- (4) कमेटी फॉर फरिन अफेयर्स

* कुछ वर्ष पूर्व डेनमार्क में एक दूसरी सभा भी हुआ करती थी, जिसका नाम लागस्टिगेट था । उसमें निम्न स्थायी समितियाँ हुआ करती थी :

- (1) कमेटी ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स, (2) कमेटी ऑन पेटीशन्स (3) कमेटी ऑन दि रिपोर्ट ऑफ स्टेट आडिटर्स, (4) कमेटी ऑन इलेक्शन्स ऑफ मेम्बर्स, कमेटी ऑन फाइनेन्स (6) कमेटी ऑन विल्स रिपोर्टिंग टु दि सैलेरी ऑफ सिविल सर्वेन्ट्स ।

** ये जापान के 'डायट', जिसका जापानी नाम 'कोककई' है की दो सभाएँ हैं, जैसी भारत में लोकसभा और राज्य-सभा ।

- (5) कमेटी फॉर फाइनेंस
- (6) कमेटी फॉर एजुकेशन
- (7) कमेटी फॉर सोशल एण्ड लेबर अफेयर्स
- (8) कमेटी फॉर एग्रीकल्चर, फॉरिस्ट्री एण्ड फिशरीज
- (9) कमेटी फॉर कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री
- (10) कमेटी फॉर ट्रांसपोर्ट
- (11) कमेटी फॉर कन्स्यूनिवेशन्स
- (12) कमेटी फॉर कन्स्ट्रक्शन
- (13) कमेटी फॉर बजट
- (14) कमेटी फॉर आडिट
- (15) कमेटी फॉर मैनेजमेन्ट
- (16) कमेटी फॉर डिसिप्लिनरी मैटर्स

नोट : इनके अनिरीक्व दोनो सदनो में विशेष उद्देश्यो के लिए प्रवर समितियाँ तथा दोनो सदनो की एक संयुक्त समिति नियुक्त करने की भी प्रथा है ।

सीलोन : (श्रीलंका) हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव

विशेष समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑफ सेलेक्शन
- (2) हाउस कमेटी
- (3) स्टैंडिंग ऑर्डर्स कमेटी
- (4) पब्लिक अकाउन्ट कमेटी
- (5) पब्लिक पेटीशन्स कमेटी

अन्य : इनके अनिरीक्व वहाँ संपूर्ण सदन समिति, विशेषको पर विचार करने के लिए स्थायी समितियाँ तथा प्रवर समितियाँ भी नियुक्त करने की प्रथा है ।

साउथ अफ्रीका : हाउस ऑफ एसेम्बली
सम्पूर्ण समितियाँ :

- (1) कमेटी ऑन सप्लाई
- (2) कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स

प्रचर समितियाँ :

- (1) सेलेक्ट कमेटी ऑन अनअपोज्ड प्राइवेट बिल्स
- (2) सेलेक्ट कमेटी ऑन अपोज्ड प्राइवेट बिल्स

अन्य :

- (1) प्रिन्टिंग कमेटी
- (2) बिजिनेस कमेटी
- (3) कमेटी ऑन स्टैंडिंग रूल्स एण्ड ऑर्डर्स
- (4) पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी
- (5) रेलवेज एण्ड हारबर्स कमेटी
- (6) पेन्शन्स ग्रान्ट्स एण्ड ग्रेजुइटीज कमेटी
- (7) क्राउन लैंड्स कमेटी
- (8) नेटिव अफेयर्स कमेटी
- (9) इरिगेशन मैटर्स कमेटी
- (10) इन्टरनल अर्रेंजमेन्ट्स कमेटी
- (11) लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेन्ट कमेटी

इञ्चरायल : नेसेट

स्थायी समितियाँ :

- (1) नेसेट कमेटी
- (2) फाइनेन्स कमेटी
- (3) इकॉनॉमिक कमेटी

परिशिष्ट 2

भारतीय संसद् की तदर्थ समितियाँ

स्वतन्त्रता के पहले भारत की सेंट्रल लेजिस्लेटिव एसेम्बली में तदर्थ समितियों का बहुत कम प्रयोग हुआ करता था। प्रवर समितियों को यदि छोड़ दिया जाए तो केवल एक ही समिति ऐसी थी, जो समय-समय पर नियुक्त की जाती थी और काम खत्म होने के बाद समाप्त हो जाती थी। यह थी रेलवे अभिसमय समिति। स्वतन्त्रता के उपरान्त संसदीय गतिविधियों के अधिक क्रियाशील होने के परिणामस्वरूप पिछले 10 वर्षों में 8 तदर्थ समितियाँ नियुक्त हो चुकी हैं। नीचे इन्हीं तदर्थ समितियों का परिचय दिया गया है।

(1) रेल अभिसमय समितियाँ :—1924 में, लेजिस्लेटिव एसेम्बली ने, एक प्रस्ताव पारित किया था कि रेलवे विभाग का वित्त, सामान्य वित्त से अलग कर दिया जाए व रेलवे विभाग द्वारा सामान्य वित्त खाते में एक निश्चित दर पर लाभांश दिया जाना चाहिए। 1943 में, जब सरकार द्वारा लाभांश की दर तय करने के लिए एसेम्बली में एक प्रस्ताव लाया गया तो सदस्यों के भारी विरोध के कारण रेल-मन्त्री को झुकना पड़ा और उन्हें यह प्रस्ताव लाना पड़ा कि दर निश्चिन करने के लिए एसेम्बली के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाए। इस ने, अपने प्रतिवेदन में दर के सम्बन्ध में विचार प्रकट करने के अतिरिक्त यह भी सिफारिश की थी कि इसी प्रकार हर पाँचवें साल एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए। इसी सिफारिश के अनुरूप 1943 से हर पाँचवें साल रेल अभिसमय समिति नियुक्त होती रही है। 1949 की रेल अभिसमय समिति के अध्यक्ष, लोक-सभा के अध्यक्ष श्री मावलंकर थे। 1954 की अभिसमय समिति के सभापति, लोक-सभा के उपाध्यक्ष श्री अनन्तशयनम् आयंगर थे। 1954 के बाद 1959 में पुनः अभिसमय समिति नियुक्त होनी चाहिए थी, पर 1959-60 का रेल आवक्ययक पैरा करते समय, रेल-मन्त्री ने सभा को सूचित किया कि चूंकि तृतीय पंच-वर्षीय योजना 1961-62 से, आरम्भ होनेवाली है, अतएव अभिसमय समिति 1960 में नियुक्त करने का विचार है, ताकि रेल-वित्त व्यवस्था भी पंचवर्षीय योजना के अनुरूप

हो सके। इस विचार के अनुरूप 22 अप्रैल, 1960 को एक नवीन रेल अभिसमय समिति नियुक्त की गई।

समिति की नियुक्त सभा द्वारा सक्ल्प पारित कर की जाती है। सक्ल्प में ही यह उल्लेख होता है कि लोक-सभा के कितने सदस्य होंगे व राज्य-सभा के कितने। पिछली समिति के 18 सदस्य थे, जिनमें 12 लोक-सभा व 6 राज्य-सभा के थे। समिति के सदस्य राज्य-सभा और लोक-सभा के अध्यक्षों द्वारा नाम-निर्देशित किए जाते हैं। समिति के प्रतिवेदन पर, सभा में बहस होती है तथा समिति की सिफारिशों स्वीकार करने के लिए सभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसके अनुसार रेल-वित्त व सामान्य वित्त के सम्बन्ध नए सिरे से निर्दिष्ट किए जाते हैं।

(2) सदस्य के आचरण पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति:— ससदीय इतिहास में स्वयं ससद्-सदस्य के व्यवहार की जांच करने की आवश्यकता विरले ही उठती है। इंग्लैंड के इतने पुराने ससदीय इतिहास में भी केवल एक ही ऐसा अवसर आया था जब कि जांच की आवश्यकता प्रतीत हुई थी; वह अवसर था, मिस्टर थार० आर्द० जी० ब्रून्वी विषयक मामले का। यद्यपि भारतीय ससदीय व्यवस्था का इतिहास केवल 50 साल पुराना है, फिर भी इसी अल्पावधि में सन् 1950 में एक ऐसा अवसर आया जब तत्कालीन ससद्-सदस्य श्री एच० जी० मुद्गल के आचरण की जांच किए जाने की आवश्यकता पड़ी। इंग्लैंड की पद्धति का अनुकरण करते हुए जांच के लिए भी एक ससदीय समिति की नियुक्त की गई, जिसमें लोक-सभा के चार सदस्य (श्री टी० टी० वृष्णामाचारी, प्रो० के० टी० पाह, सैयद नौशेरअली तथा श्री काशीनाथ राव वैद्य) थे। समिति 6 जून, 1951 के एक प्रस्ताव द्वारा नियुक्त की गई थी। प्रस्ताव में ही समिति के सदस्यों की संख्या, गणपूर्ति के नियम तथा साक्ष्य लेने के अधिकारों की चर्चा थी। प्रस्ताव में यह भी बनाया गया था कि अध्यक्ष को समय-समय पर समिति को आदेश देने का अधिकार रहेगा।

संक्षेप में, श्री मुद्गल का अपराध यह था कि उन्होंने बम्बई के सराफा बाजार के सम्बन्ध में तेजी व्यापार मुद्राक शुल्क आदि का सभा में प्रचार किया था, जो सभा की प्रतिष्ठा के खिलाफ तथा सदस्यों के आचरण के स्तर से निम्न था।

समिति की कई बैठकें हुई थी, जिनमें उसने श्री मुद्गल और अन्य लोगों की मादन की थी। समिति ने, अपनी कार्यप्रक्रिया के विस्तृत नियम बनाए थे, जैसे सारी साक्ष्य शपथ ग्रहण कर ली जानी चाहिए, समिति की बैठकें गुप्त होनी चाहिए, आदि।

समिति ने, अपना प्रतिवेदन 25 जुलाई, 1951 को अध्यक्ष को पेश किया था, जो सभा के सम्मुख 11 अगस्त को पेश किया गया था। समिति का प्रतिवेदन 24 सितम्बर को, सभा द्वारा बहुसंख्यक के बाद स्वीकृत कर लिया गया। जिस समय बहुसंख्यक समाप्त होने को थी श्री मुद्गल ने अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे दिया। त्यागपत्र के कारण समिति ने श्री मुद्गल को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की जो लागू न हो सकी, पर सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि श्री मुद्गल सदन से निष्कासित किए जाने योग्य थे और उनका इस प्रकार त्यागपत्र देना लोक-सभा का अपमान किए जाने जैसा है।

(3) सदस्यों के लाभ-पदों सम्बन्धी समिति

यह समिति राज्य-सभा के अध्यक्ष की सलाह से, लोक-सभा के अध्यक्ष ने 24 अगस्त, 1954 को नियुक्त की थी। समिति का उद्देश्य था, संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के अनुसार संसद सदस्यों के अनर्हता सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर विचार करना। विचार-विमर्श कर एक बृहत् अधिनियम का किस तरह निर्माण किया जाए, यह सुझाव देना भी समिति का उद्देश्य था। समिति के 15 सदस्य थे, जिनमें लोक-सभा के 10 व राज्य-सभा के 5 सदस्य थे।

लगभग 200 समितियों व राज्य व केन्द्रीय सरकार के आधीन अन्य मस्याओं में संसद सदस्यों के होने के प्रश्न के अतिरिक्त इस समिति ने यह भी जांच की थी कि लाभ के पद के बारे में क्या सिद्धान्त निश्चित होना चाहिए। समिति ने इस सम्बन्ध में जो सिद्धान्त बनाए थे, वे इस प्रकार हैं :

वेतन की दृष्टि से निम्न पद लाभ-पद समझे जाने चाहिए —

(क) ऐसा पद, जहाँ उस पद से प्राप्त वेतन, थले ही सदस्य के अपने स्थायी व्यवसाय के न कर पाने या उससे नुकसान होने से कम हो।

- (ख) ऐसा पद, जिसमें वेतन की व्यवस्था हो, भले ही सदस्य स्वयं वेतन न लेता हो ।
- (ग) ऐसा पद, जिसमें वेतन की व्यवस्था हो, भले ही वेतन देना व्यवहार में नहीं रह गया हो ।
- (घ) ऐसा पद, जिसके लिए व्यय भले ही सरकारी कोष से न किया जाता हो ।
- (ङ) ऐसा पद, जो भले ही पैसे के रूप में पदाधीन कोई लाभ न पहुँचाता हो, पर जो सदस्य को एक विशेष सम्मान या महत्त्व प्रदान करता हो ।

समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि एक बृहत् विधेयक सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए । उक्त विधेयक अब अधिनियम बन चुका है और वह ससद् (अनर्हता-निवारण) अधिनियम, 1959 के नाम से ज्ञात है ।

समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि इन सस्थाओं के अतिरिक्त भविष्य में, जो लाभ-पद निर्धारित किए जाएँगे, उनके सम्बन्ध में जाँच करने के लिए एक स्थायी संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए । इसी सिफारिश के अनुरूप अब एक संपुक्त लाभ-पद समिति नियुक्त की गई है ।

(4) पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर विचार करने के लिए नियुक्त संसदीय समितियों

संसदीय समितियों की नियुक्ति भारतीय संसदीय समितियों के इतिहास में एक नवीन प्रयोग है । जिस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार हो रहा था, मसद् के कई सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की कि योजना पर अपने विचार प्रकट करने का उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए । सभा के पास इतना समय न था कि योजना के विभिन्न पहलुओं पर सभा में विस्तार से विचार किया जा सके । अनएव कार्य मन्त्रणा समिति ने यह सिफारिश की कि मसद् की कुछ तदर्थ समितियाँ नियुक्त की जाएँ, जो मसौदे पर विचार कर सकें । लोक-सभा के इस निर्णय के बाद राज्य-सभा में भी यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इस तरह की समितियाँ बनाई जाएँ । तदनुसार 14 मई 1956 को, चार समितियाँ, समिति 'ए', समिति 'बी', समिति 'सी', तथा समिति 'डी', के नाम से नियुक्त की गईं ।

समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी :

| समिति | राज्य-सभा | लोक-सभा | कुल |
|------------|-----------|---------|-----|
| समिति 'ए' | 20 | 60 | 80 |
| समिति 'बी' | 37 | 77 | 114 |
| समिति 'सी' | × | × | 91 |
| समिति 'डी' | 32 | 47 | 79 |

समिति की नियुक्ति, सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अन्तर्गत की गई थी। समितियों को, जो विषय सौंपे गए वे इस प्रकार थे :

समिति 'ए' : नीति

समिति 'बी' : खनिज उद्योग, यातायात तथा संचार ।

समिति 'सी' : भूमि-सुधार, कृषि, जिसके अन्तर्गत पशु-पालन भी शामिल है ।

समिति 'डी' : समाज-सेवा, धर्म-नीति, आयोजना के लिए जन-सहयोग ।

यह उल्लेखनीय है कि समिति 'ए' की 3 बैठकें हुईं। समिति 'बी' की 7 बैठकें हुईं, जो 2 आरम्भिक बैठकों के अतिरिक्त थीं। समिति 'सी' की 6 बैठकें हुईं, जिनके अतिरिक्त उसकी एक आरम्भिक बैठक भी हुई थी। समिति 'डी' की 7 बैठकें हुई थी, जिनके अतिरिक्त उसकी एक आरम्भिक बैठक हुई थी।

समिति के प्रतिवेदन के विषय में एक नवीन पद्धति अपनाई गई थी। समिति ने कोई प्रतिवेदन सभा के समक्ष पेश नहीं किया, वरन् उसकी कार्यवाही का विस्तृत लेखा सभा-घटल पर रखा गया था। इसके अतिरिक्त समितियों को जा सामग्री सरकार ने दी थी, उसकी प्रतियाँ भी मन्त्र-पुस्तकालय में रखवाई गई थी, ताकि सारे सदस्य उसे देख सकें। तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए भी इसी तरह की पद्धति अपनाई गई थी। इस समिति की 5 उपसमितियाँ थीं।

(5) संसद् भवन में लगाए जानेवाले शिलालेखों पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति :

यह समिति अध्यक्ष द्वारा 27 अप्रैल, 1956 में नियुक्त की गई थी।

समिति अपना काम पूरा होने पर भंग कर दी गई। समिति के 3 सदस्य थे। अध्यक्ष समिति का सभापति था। समिति का उद्देश्य समृद्ध-भवन के लिए उपयुक्त शिलालेख चुनना था।

(6) संसदीय विधि सम्बन्धी तथा शासकीय शब्दावली के पर्यायवाची हिन्दी शब्द निर्माण करने के लिए नियुक्त समिति :

शासकीय, संसदीय तथा कानूनी शब्दों के पर्यायवाची हिन्दी शब्द निर्धारित करने के लिए संविधान-सभा ने 1949 में एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की थी। 1953 तक इस समिति ने लगभग 26,000 शब्द सर्वालिप्त किए, जिनमें से अन्तिम रूप देनेवाली समिति ने करीब 5,000 शब्द प्रमाणित भी कर दिए। 1953 में समिति के सदस्यों के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण समिति भंग कर दी गई थी।

21,000 शब्दों पर विचार करना बाकी रह गया था। अतएव 25 मई, 1956 को लोक-सभा के अध्यक्ष ने, राज्य-सभा के अध्यक्ष की सलाह से एक और संसदीय समिति नियुक्त करने का निश्चय किया। समिति के नियुक्ति-आदेश में यह बताया गया था कि समिति के 11 सदस्य होंगे। समिति को, उपसमितियाँ नियुक्त करने का भी अधिकार दिया था। समिति को यह निर्देश दिया गया था कि यह 6 महीने की अवधि में अध्यक्ष को अपना प्रतिवेदन पेश करेगी। समिति के 38 सदस्य थे और उसके सभापति थे श्री पृथ्वीराज दास टण्डन। समिति ने अपनी रिपोर्ट 23 मार्च, 1957 को लोक-सभा के अध्यक्ष को पेश की और उसी दिन समिति बरखास्त हो गई।

(7) राज-भाषा के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त संसदीय समिति :

यह समिति अपने तरह की अकेली समिति थी। सभी संसदीय समितियाँ (कम से कम भारत में) जैसा कि पाठकों ने अध्याय—6 में पढ़ा होगा, मंगड़ में पारित प्रस्ताव द्वारा अथवा लोक-सभा या राज्य सभा के कार्य-प्रक्रिया-नियमों के अनुसार स्थापित हुआ करती हैं। वस्तुतः यह समिति एक ऐसी समिति थी, जिसके बारे में स्वयं संविधान में व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 344 (4) में विहित है कि संविधान के प्रारम्भ में 5 वर्ष बाद व तदुपरान्त 10 वर्ष परचाद राष्ट्रपति

एक ऐसा आयोग नियुक्त करेंगे, जो हिन्दी की प्रगति व तत्सम्बन्धी अन्य विषयों पर विचार करेगा। इसी अनुच्छेद के खण्ड 4 में आगे यह भी विहित है कि जब उपर्युक्त आयोग अपना प्रतिवेदन पेश कर देगा, तब संसद-सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाएगी, जिसमें 20 सदस्य लोक-सभा के व 10 सदस्य राज्य-सभा के होंगे। यह समिति आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगी व राष्ट्रपति को अपना तत्सम्बन्धी मत व्यक्त करेगी।

इसी व्यवस्था के अनुसार 3 सितम्बर, 1957 को गृह-मन्त्री ने एक प्रस्ताव पेश किया और तदनुसार समिति की नियुक्ति हुई। जहाँ अन्य समितियों की कार्य-वाही मदन के कार्य-प्रक्रिया-नियमों के अनुसार होती है, वहाँ इस समिति ने अपने कार्य-प्रक्रिया-नियम स्वयं बनाए थे। समिति की कुल 26 बैठकें हुई थी। समिति का प्रतिवेदन 8 फरवरी, 1959 को पेश किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि जहाँ अन्य सभी संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा को पेश किए जाते हैं, इस समिति का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को पेश किया गया था।

(8) राज्य-सभा के लिए प्रक्रिया-नियम बनाने के लिए नियुक्त समिति .

इस समिति की स्थापना 7 सितम्बर, 1962 को हुई थी। लोक-सभा के प्रक्रिया-नियम 1954 में बन चुके थे, पर राज्य-सभा के प्रक्रिया-नियम करीब 12 साल पहले सविधान-सभा के काल में बने थे। अतएव उन पर पुनः विचार कर सविधान के 118 वें अनुच्छेद के अनुसार इस समिति की स्थापना की गई। समिति के 15 सदस्य थे तथा उपाध्यक्ष इस समिति का सभापति था ,

समिति ने, राज्य-सभा की सविधानीय शक्तियों तथा लोक-सभा के प्रक्रिया नियमों को ध्यान में रख नवम्बर 1963 में अपना प्रतिवेदन पेश किया।

समिति के प्रतिवेदन के फलस्वरूप अब राज्य-सभा में नवीन प्रक्रिया नियम लागू हैं।

समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं —

- (1) सरकार को दोनों सदनों में, इस प्रकार विधेयक सम्बन्धी कार्यक्रम बनाना चाहिए कि दोनों सदनों के बीच कार्य का समान रूप से वितरण हो।

- (2) कार्य-मन्तणा-समिति के कृत्य अधिक व्यापक होने चाहिए, ताकि सरकारी विधेयक के सिवा अन्य कार्यक्रमों पर भी वह सलाह दे सके।
- (3) राज्य-सभा में ऐसे प्रश्न नहीं उठाए जाने चाहिए, जो किसी संसदीय समिति के विचाराधीन हों।
- (4) लोक-सभा की तरह ही सदस्यों को अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर प्रस्ताव पेश करने का अधिकार होना चाहिए।
- (5) एक नई समिति (आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) की जानी चाहिए।

(9) राष्ट्रपति के भाषण के समय कुछ सदस्यों के साक्षरण सम्बन्धी समिति :

इस समिति की स्थापना अध्यक्ष द्वारा 19 फरवरी, 1963 को की गई थी। इस समिति के 15 सदस्य थे। समिति यह कार्य सौंपा गया था कि 18 फरवरी, 1963 को राष्ट्रपति के भाषण के समय, सर्व श्री रामसेवक यादव, मनी राम बागड़ी, बी० सिंह उत्तीया, बी० एन० मण्डल तथा स्वामी रामेश्वरानन्द नामक, संसद्-सदस्यों द्वारा किए गए शान्तिभंग की सार्थकता पर विचार करें और इस बात की जांच करें कि उन्होंने उल्लंघन किया था अथवा नहीं। समिति का प्रतिवेदन 12 मार्च, 1963 को पेश किया गया था। समिति के प्रतिवेदन पर, 19 मार्च, 1963 को सदन में एक प्रस्ताव पेश किया गया, और सदन में समिति ने प्रतिवेदन के प्रति अपनी सहमति प्रकट की।

परिशिष्ट 3

भारतीय संसद् में सदस्यों की अनौपचारिक सलाहकार समितियाँ

1922 में, केन्द्रीय लेजिस्लेटिव एसेम्बली में, विभिन्न विभागों के लिए स्थायी सलाहकार समितियाँ नियुक्त की गई थी। ये समितियाँ, जैसा कि अध्याय 2 में कहा गया है, 1952 तक बनी रही। 1952 में, प्रधान-मन्त्री ने लोक-सभा में यह प्रस्ताव रखा कि सत्रिपान के लागू होने के बाद सरकार पूर्ण रूप से समझ के प्रति उत्तरदायी हो चुकी है, ऐसी स्थिति में सलाहकार समितियों की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रस्ताव तो सभा ने पारित कर दिया, किन्तु किसी-न-किसी प्रकार विभिन्न विभागों से ससद्-सदस्यों के सम्बद्ध रहने की आवश्यकता फिर भी बनी रही। यह बात दूसरी थी कि समझ-सदस्यों को किसी प्रकार की कोई कटौती आदि करने का अधिकार नहीं दिया गया। अतएव 1954 में स्थायी समितियों के स्थान पर अनौपचारिक सलाहकार समितियों की प्रथा ने जन्म लिया।

आरम्भ में प्रत्येक अनौपचारिक सलाहकार समिति में, 30-40 की संख्या तक सदस्य हुआ करते थे, जो दोनों सदनों के सदस्यों में से चुने जाते थे। 1956 से यह भेद समाप्त हो गया, और अब सदस्य उनकी रुचि के आधार पर चुने जाते हैं। समिति के सदस्यों की संख्या के बारे में अब कोई दृढ़ नियम नहीं है तथा सदस्य 20 से लेकर 150 की संख्या तक हो सकते हैं।

इन समितियों में कोई निर्णय नहीं लिए जाते। ये समितियाँ कोई प्रतिवेदन भी पेश नहीं करती हैं। उनका उद्देश्य विभागों के उच्चाधिकारियों, मन्त्रियों तथा ससद्-सदस्यों की आपस में चर्चा कराना है। आरम्भ में इन समितियों की संख्या 17-18 थी, पर अब 44 है। कभी-कभी विशिष्ट सलाहकार समितियाँ भी नियुक्त की जाती हैं, जैसे 1958 में खाद्य-समस्या पर विचार करने के लिए नियुक्त विशिष्ट समिति। इस तरह की समितियाँ और विषयों पर भी नियुक्त हुई हैं। समितियों की बैठकों में मन्त्री, सभापतित्व ग्रहण करते हैं। 'संसदीय मामलों का विभाग' इन समितियों का कार्य देखता है।

परिशिष्ट 4

अमरीकी कांग्रेस की स्थायी समितियाँ व उनके निर्देश-पद

सीनेट की स्थायी समितियाँ :

(1) फनेटी आँ एग्रीकल्चर एण्ड फरिम्ट्री :

- (1) सामान्यतः कृषि सम्बन्धी सभी प्रश्न
- (2) पशुपालन तथा मास की वस्तुओं की जाँच
- (3) पशु-रोग व पशु-उद्योग
- (4) बीजों में मिलावट, कीटाणुओं से रक्षा व पशियों की सुरक्षित जगलों में रक्षा
- (5) कृषि-विद्यालय तथा प्रयोगशालाएँ
- (6) सामान्यतः जंगल सम्बन्धी सभी प्रश्न तथा सुरक्षित जंगल
- (7) कृषि, अर्थ-शास्त्र तथा शोध
- (8) औद्योगिक व कृषि रसायन
- (9) दुग्ध-उद्योग
- (10) कीट शास्त्र तथा पादप-निरोध
- (11) मानवी खाद्य तथा गृह-अर्थशास्त्र
- (12) वनस्पति-उद्योग, भूमि तथा कृषि इंजीनियरी
- (13) कृषि-शिक्षा-विबास
- (14) कृषि उधारी तथा फार्म बीमा
- (15) ग्राम-विजली-योजना
- (16) कृषि-उत्पादन तथा विपणन व कृषि-वस्तुओं का मूल्य-निर्धारण
- (17) फसल-बीमा तथा भूमि-सुरक्षण

(2) कमेटी ऑन एग्जिप्रिपेसन्स :

(1) सरकार के मंचालन के लिए आवश्यक आय को प्राप्त कराना

(3) कमेटी ऑन बाम्बे सप्लिज :

(1) सुरक्षा सम्बन्धी सामान्यतः सभी प्रश्न

(2) युद्धविभाग तथा मैन्यु

(3) जल-सेना-विभाग तथा उनका कार्यालय

(4) सैनिकों व नाविकों के घर

(5) सशस्त्र सेना के लोगों का वेतन, उनकी पदोन्नति तथा पद-निवृत्ति तथा विशेषाधिकार या लाभ सम्बन्धी प्रश्न

(6) स्थल-सेना तथा जल-सेना की मन्था तथा उनकी रचना

(7) चुनी हुई सेवाएं

(8) किले, आशुघागार, सेना व नाविक अड्डे

(9) शस्त्रागार

(10) पनामा नहर की देखभाल तथा उसका संचालन, जिसमें 'केनाल जोन' की व्यवस्था, सफाई आदि भी शामिल हैं।

(11) नाविक पेट्रोलियम तथा तेल-शेल्स का प्रारक्षण विकास तथा उपयोग

(12) सामान्य सुरक्षाएं सामरिक महत्त्व की तथा क्रांतिक सामग्री।

(4) कमेटी ऑन बैंकिंग एण्ड करेन्सी :

(1) सामान्य तौर पर बैंकों व मुद्रा सम्बन्धी सभी प्रश्न

(2) उद्योग व व्यापार को दी जानेवाली सहायता के प्रश्न, जो अन्य समितियों को न सौंपे गए हों।

(3) जमा-बीमा

(4) सार्वजनिक व निजी धर

(5) फेडरल रिजर्व सिस्टम

- (6) सोना व चाँदी व उनकी मुद्राएँ
- (7) नोटों के संचालन व उनकी वापसी सम्बन्धी प्रश्न
- (8) डालर का मूल्य निर्धारण व उसके मूल्य में वृद्धि का प्रश्न
- (9) वस्तुओं के मूल्य, भाडों व सेवाओं पर नियन्त्रण

(5) कमेटी ऑन पोस्ट ऑफिस एण्ड सिविल सर्विस :

- (1) सामान्यतः फेडरल सिविल सर्विस सम्बन्धी सभी प्रश्न
- (2) अमरीका के अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के ओहदों, मुआवजों, वर्गीकरण तथा पदावकाश सम्बन्धी प्रश्न
- (3) सामान्यतः डाक-सेवा सम्बन्धी सभी प्रश्न; रेलवे मेल, समुद्री मेल आदि शामिल हों। (जिनमें पोस्ट रोड को छोड़कर)
- (4) डाक-वचन-लेख
- (5) जनगणना व सांख्यिकी सम्बन्धी अन्य प्रश्न
- (6) राष्ट्रीय पुरातत्त्व

(6) कमेटी ऑन दि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया :

- (1) कोलम्बिया जिले के नगर-पालन से सम्बन्धित सभी प्रश्न
- (2) जन-स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफाई तथा सक्रामक रोगों पर नियन्त्रण
- (3) मादक द्रव्यों की बिक्री पर नियन्त्रण
- (4) खाद्य-पदार्थ व द्रव्यों पर नियन्त्रण
- (5) कर व बिक्री-कर
- (6) बीमा
- (7) नागरिक व बाल-अपराध-न्यायालय
- (8) सोसायटियों के संगठन व रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रश्न
- (9) नागरिक-कानून तथा दण्ड व निगम विधियों में संशोधन

(7) कमेटी ऑन गवर्नमेंट ऑपरेशन्स :

- (1) प्रश्न बजट तथा लेखा विषयक प्रश्न (विनियोजन को छोड़कर)।

- (2) सरकार के कार्यकारिणी विभाग का पुनर्गठन
- (3) इस समिति के निम्न कर्त्तव्य भी होंगे :
 - (अ) अमरीका के 'बन्दोलर जनरल' के प्रतिवेदनों को प्राप्त करने के बाद, उनकी जाँच कर सीनेट को उचित सिफारिशें करना ।
 - (ब) सरकारी कार्यों की सब स्तरों पर जाँच करना, ताकि उनकी मितव्ययिता व कार्यकुशलता को देखा जा सके ।
 - (स) सरकार की विधायिनी तथा कार्यकारिणी शाखाओं का पुनर्गठन करनेवाले कानूनों के प्रभाव का पूर्वानुमान करना ।
 - (द) अमरीका व राज्य-सरकारों के मध्य तथा अमरीका व विदेशी सरकारों की अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं के बीच सरकारी सम्बन्धों की जाँच करना ।

(8) कमेटी ऑन फाइनेन्स :

- (1) आय सम्बन्धी सभी प्रश्न
- (2) अमरीका का बन्ध-निहित ऋण
- (3) सार्वजनिक धन की जमा
- (4) निर्यात-शुल्क, वसूली के जिले तथा सामान के लाने व बाहर भेजने के बन्दरगाह
- (5) परस्पर व्यापार सम्बन्धी करार
- (6) शुल्क लगनेवाली वस्तुओं का यातायात
- (7) अमरीका के आधीन द्वीपों की आय सम्बन्धी मामले
- (8) तटपर (आयात-निर्यात-शुल्क) आयात नियन्त्रण और तन्मन्बन्धी उपाम
- (9) राष्ट्रीय समाज-सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न
- (10) वृद्धों के निर्वाह विषयक प्रश्न
- (11) अमरीका की सामान्य व खास लडाइयों से सम्बन्धित पेन्शनें

(12) सशस्त्र सेना में काम करने के कारण सरकार द्वारा किया गया बीमा

(13) वृद्धों के मुआवजे का प्रश्न

(9) कमेटी ऑन कॉर्रें रिश्नेन्स :

(1) विदेशों से अमरीका के सम्बन्ध

(2) सन्धिपत्र

(3) अमरीका व अन्य देशों के बीच सीमा-निर्धारण

(4) अमरीकी नागरिकों की विदेशों में सुरक्षा तथा उनका देश-निवाला

(5) तटस्थता

(6) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

(7) अमरीकी राष्ट्रीय रेडक्रास

(8) युद्ध घीपित करना तथा विदेशों में हस्तक्षेप

(9) विदेशों में राजदूतावासों के लिए भूमि तथा भवन प्राप्त कराना

(10) विदेशों से व्यापारिक सम्बन्धों में वृद्धि तथा अमरीकी व्यापारिक हितों की रक्षा ।

(11) राजदूतों व प्रतिनिधियों की सेवाओं सम्बन्धी प्रश्न

(12) राष्ट्र-सन तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय तथा आर्थिक सहाय्य

(13) विदेशी ऋण

(10) कमेटी ऑन इन्टर-स्टेट एण्ड कॉर्रें कॉमर्स :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी सामान्यतः सभी प्रश्न

(2) अन्तर्राष्ट्रीय रेलों, बसों, ट्रकों तथा पाइप लाइनों का नियन्त्रण

(3) टेलीफोन, टेलिग्राफ तथा रेडियो व टेलीविजन आदि संचार-माध्यम

(4) बसैनिक विमान चालन-विज्ञान

(5) व्यापारिक नौकाएँ

(6) छोटे जहाजों व नौकाओं को रजिस्टर कराना तथा उन्हें लाइसेन्स देना

- (7) समुद्री जहाजों का मचालन व तत्सम्बन्धित कानून
- (8) समुद्र में जहाजों की टक्करों को रोकने के नियम तथा तत्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था
- (9) व्यापारी पोनों के अधिकारी व चालक
- (10) जल-मार्ग से ले जाए जानेवाले परिवहनों का नियन्त्रण, न्यायार्थिक नावों की परीक्षा तथा मरेत, प्राणरक्षा आदि
- (11) समुद्रतट तथा समुद्रतल का सर्वेक्षण
- (12) समुद्रतट के रक्षक, जलद्वीप व प्राणरक्षण प्रकाश नौका तथा समुद्री पथप्रम
- (13) अमरीकी समुद्रतट-रक्षक दल तथा व्यापारिक नाविकों का प्रशिक्षण-केन्द्र
- (14) जलवायु-द्यूरो
- (15) कमेटी ऑन आर्डर्स सर्विसेज क अन्तर्गत विषयों के अनिश्चित, पनामा नहर के तथा अन्तरमहासमुद्री नहरों सम्बन्धी अन्य सभी प्रश्न
- (16) स्थलमध्य जल मार्ग
- (17) मत्स्य तथा जंगली जीवों सम्बन्धी अनुसंधान उनका विस्वापन उन्हें शरण दिया जाना तथा उनका संरक्षण
- (18) नापतोल (वाट माप) के प्रमाणीकरण तथा दासमिक प्रणाली, मानकीकरण तथा मानक विभाग

(11) कमेटी ऑन दि जुडिशरी :

- (1) न्यायिक कार्यवाही—रीसनी और फौजदारी
- (2) सविधान के समोधन
- (3) सघीय अदालतों व न्यायाधीश
- (4) राज्यक्षेत्रों व अधिभूत देशों में स्थानीय न्याय-व्यवस्था
- (5) अमरीकी अधिनियमों की पुनरावृत्ति तथा उनका सहिनाकरण
- (6) गैरकानूनी अवरोधों तथा एकाधिकारों से व्यापार व वाणिज्य की रक्षा

- (7) छुट्टियाँ व त्योहार
- (8) दिवालियापन, गदर, जामूसी तथा जाली सिक्के बनाना
- (9) राज्यो तथा अन्य क्षेत्रों की सीमाएँ
- (10) राज्य व अन्य क्षेत्रों की सीमाएँ
- (11) कांग्रेस की बैठकें, उनमें सदस्यों की उपस्थिति तथा उनके द्वारा वेमेल पदों का मजूर किया जाना
- (12) नागरिक स्वतन्त्रता
- (13) एकस्व (पेटेन्ट) प्रतिनिधित्व (कापीराइट) तथा ट्रेडमार्क
- (14) एकस्व कार्यालय
- (15) आप्रवासन और देशीयकरण
- (16) प्रतिनिधियों का अनुभाजन
- (17) अमरीका के विरुद्ध किए गए दावों का प्रश्न
- (18) सामान्य तौर पर सभी अन्तर्राष्ट्रीय करार

{12} कमेटी ऑन लेबर एण्ड पब्लिक वेलफेयर :

- (1) शिक्षा, धर्म तथा जनहित सम्बन्धी प्रश्न
- (2) धर्मियों के काम के घटे तथा उनका वेतन
- (3) कैदी मजदूर तथा उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार
- (4) धर्मियों के सघनों में झीबविचाव तथा विवाचन
- (5) विदेशी मजदूरों को देश में लाए जाने से रोकना तथा तत्सम्बन्धी नियन्त्रण
- (6) बाल-श्रम
- (7) धर्म साक्ष्यकी
- (8) धर्मियों के स्तर
- (9) स्कूलों में बच्चों के भोजन का कार्यक्रम
- (10) औद्योगिक विस्थापन

- (11) रेलों में श्रम रेल श्रमिकों के पदनिवृत्ति तथा बेरोजगारी सम्बन्धी प्रश्न
- (12) अमरीकी कर्मचारियों के मुआवजे का आयोग
- (13) गूंगों, बहरो व अन्धों की कोलम्बिया स्थित सस्था, हार्वर्ड विश्व-विद्यालय, फ्रीडमेन अस्पताल तथा सेन्ट एलिज अस्पताल
- (14) जन-स्वास्थ्य तथा सक्रामक रोगों सम्बन्धी प्रश्न
- (15) खानों में काम करनेवाले श्रमिकों की भलाई सम्बन्धी सवाल
- (16) वेटर्नस (सेना में अवकाश प्राप्त लोगों) की शिक्षा व उनका औद्योगिक पुनर्स्थापन
- (17) वेटर्नस के अस्पताल व उनके स्वास्थ्य का दयाल
- (18) सैनिकों व नाविकों की असैनिक सहायता
- (19) सेना में काम करनेवालों का नागरिक जीवन में प्रवर्तन

(13) कमेटी ऑन इन्टीरियर एण्ड इन्स्पूलर अफेयर्स :

- (1) सरकारी जमीनों व उनमें से गुजरने तथा चरने के अधिकार सम्बन्धी प्रश्न
- (2) सरकारी जमीनों के खनिज
- (3) दूसरों से सरकारी जमीन की बेदखली कराना, भूमि सहायताओं की जल्दी, तथा उनमें खनिज
- (4) सरकारी जमीनों से बनाए गए मुरक्षित जगलान तथा राष्ट्रीय पार्क
- (5) सैनिक पार्क, युद्धस्थल तथा राष्ट्रीय कर्म
- (6) प्रागैतिहासिक ध्वसावशेषों तथा सरकारी जमीनों में स्थित आकर्षण तथा वस्तुओं का संरक्षण
- (7) आय तथा व्यय सम्बन्धी मामलों को छोड़कर हवाई, अलास्का, तथा अमरीका के आधीनस्थ क्षेत्रों सम्बन्धी अन्य मामले
- (8) सिंचाई, भूमि को कृषि-योग्य बनाना और तत्सम्बन्धी प्रायोजनाओं के लिए जलपूर्ति-व्यवस्था तथा प्रायोजनाओं के लिए सरकारी भूमि के उपयोग का अधिकार

- (9) सिचाई के लिए जल-वितरण का अन्तर्राष्ट्रीय करार
- (10) खानो सम्बन्धी अधिकारों से सम्बद्ध सामान्यतः सभी प्रश्न
- (11) खानों की भूमि से सम्बन्धित कानून तथा उसमें प्रवेश सम्बन्धी प्रश्न
- (12) पेट्रोल-संग्रह तथा रेडियम-संग्रह
- (13) रेड इन्डियन लोगो तथा इन्डियन जानियो सम्बन्धी सवाल
- (14) रेड इन्डियन लोगो की देखभाल, शिक्षा-व्यवस्था आदि तथा उनकी भूमि का नियन्त्रण ।

(14) कमेटी ऑन पब्लिक वर्कस :

- (1) नदियो व बन्दरगाहो का विकास तथा बाड से बचाव
- (2) जल-यातायात की सुविधा के लिए निर्माण तथा पुल व बांध
- (3) जल-शक्ति
- (4) यातायात के योग्य नदियो का लेन व अन्य ढ़ांचो से बचाव
- (5) अमरीका के सरकारी भवन तथा विशेष भूमि
- (6) कोलम्बिया के जिले मे डारु-घरो, सधीय न्यायालय, तथा सरकारी भवनों के लिए जमीन खरीदना व भवन बनवाना ।
- (7) कॅपीटोल* सीनेट व हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के कार्यालयो के लिए भवन-निर्माण सम्बन्धी मामले ।
- (8) 'स्मिथसोनियम इन्स्टीट्यूशन', 'बोटानिकल पार्क' तथा कांग्रेस के पुस्तकालय के भवनों का निर्माण, आदि ।
- (9) कोलम्बिया जिले के 'जूलोजिकल पार्क' तथा 'राक क्रीक पार्क' का संरक्षण ।
- (10) सडकों तथा डाक-मार्गों के लिए निर्माण तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्य

(15) कमेटी ऑन हेल्थ एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन :

- (1) सीनेट की आकस्मिकता-निधि से लिए जानेवाले व्यय सम्बन्धी प्रश्न

* यह उस स्थान का नाम है, जहाँ अमरीका का स्टार्ट हाउस स्थित है ।

अथवा उन पर पारित व्यय (लेकिन यदि कोई सारभूत मामला हो तो वह उपयुक्त स्थायी समिति में सीपा जाएगा ।)

- (2) कमिटी ऑन पब्लिक वर्क के अन्तर्गत मामलों को छोड़कर, 'लाइव्रीरी आफ कांग्रेस' तथा 'सीनेट लाइव्रीरी' सम्बन्धी अन्य प्रश्न, उनके भवनों के अन्दर स्थित चित्र व मूर्तियों, कॅपीटोल के लिए कलात्मक वस्तुओं का क्रय 'लाइव्रीरी ऑफ कांग्रेस' की व्यवस्था, पुस्तकों तथा पाण्डुलिपियों का क्रय आदि ।
- (3) कमिटी ऑन पब्लिक वर्क के अन्तर्गत मामलों को छोड़कर, 'स्मिथसोनियन इन्स्टीट्यूशन' तथा उस तरह की अन्य संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी मामले ।
- (4) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अथवा कांग्रेस के सदस्यों के चुनाव सम्बन्धी प्रश्न, व्यभिचार; 'कन्स्टेस्टेड एग्जगन्स', प्रत्यक्ष तथा योग्यताएँ, मधीय चुनाव सम्बन्धी सामान्यतः सभी मामले, राष्ट्रपति के उत्तराधिकार का प्रश्न, आदि ।
- (5) समदीय नियम, सभाभवन तथा गैलरीज के नियम, मीनट । जाहारगृह, सीनेट के भवन की व्यवस्था तथा कॅपिटोल के सीनेट-भाग की व्यवस्था, कार्यालय में जगह देना तथा सीनेट में सेवा का प्रश्न ।
- (6) कांग्रेस के अभिलेखों की छपाई, तथा उनमें त्रुटि-निवारण सम्बन्धी व्यवस्था, इत्यादि ।

(2) हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव की स्थायी समितियाँ :

(1) कमिटी ऑन एग्रीकल्चर :

- (1) सामान्यतः कृषि सम्बन्धी सभी प्रश्न
- (2) पशुधन तथा मास-वस्तुओं की जाँच
- (3) पशु उद्योग तथा पशु-चिकित्सा
- (4) बीजों में मिटावट, बीटाणु तथा सुरक्षित जगहों में पशु तथा पक्षियों की सुरक्षा ।

- (5) कृषि-विद्यालय तथा प्रयोग-शालाएँ
- (6) सामान्यतः वन-विज्ञान सम्बन्धी सभी प्रश्न तथा सरकारी भूमि के बाहर के जंगलों की सुरक्षा
- (7) कृषि-अर्थ-शास्त्र तथा अनुसंधान
- (8) कृषि व औद्योगिक रसायन-शास्त्र
- (9) दुग्ध-उद्योग
- (10) कीट-शास्त्र तथा वनस्पतियों के सक्रामक रोग
- (11) मानवीय खाद्य तथा गृह-अर्थशास्त्र
- (12) वनस्पति-उद्योग, भूमि तथा कृषि इंजीनियरी
- (13) कृषि-शिक्षा सम्बन्धी विकास-कार्य
- (14) कृषि-उधारी तथा खेतों का बीमा
- (15) देहान्तों का विद्युतीकरण
- (16) कृषि-उत्पादन तथा उनकी बिक्री व कृषि-वस्तुओं की मूल्य-स्थिरता
- (17) फसलों का बीमा तथा भूमि-संरक्षण

(2) कमेटी ऑन एग्रोप्रोमोशन :

- (1) सरकार के संचालन के लिए आय प्राप्त

(3) कमेटी ऑन आम्संड सर्विसेज :

- (1) सुरक्षा से सम्बद्ध सामान्यतः सभी प्रश्न
- (2) युद्ध-विभाग तथा सामान्यतः अन्य सैनिक कार्यालय
- (3) नौ-सेना विभाग तथा नौ-सेना सम्बन्धी अन्य कार्यालय
- (4) सैनिकों व नाविकों के घर
- (5) सैनिकों के वेतन, उनकी तरक्की, पदनिवृत्ति व अन्य विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न
- (6) चुनी हुई सेवाएँ
- (7) स्थल-सेना व नौ-सेना की सहायता तथा रचना

- (8) किले, बारूदघर, सैन्य-संग्रह तथा नौ-सेना के अड्डे
- (9) शस्त्रागार
- (10) नाविका पेट्रोलियम तथा शेल संग्रह का संरक्षण तथा विकास
- (11) सामान्य सुरक्षा के लिए आवश्यक सामरिक महत्त्व की वस्तुएँ तथा अन्य क्रान्तिक सामग्री
- (12) सेना की सहायता के लिए वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य तथा उनका विकास

(4) कमेटी ऑन बैंकिंग एण्ड करेन्सी :

- (1) सामान्य तौर पर बैंको व मुद्रा सम्बन्धी सभी प्रश्न
- (2) उद्योग व व्यापार को दी जानेवाली सहायता सम्बन्धी वे प्रश्न, जो अन्य समितियों को न सौंपे गए हों :
- (3) जमा-बीमा
- (4) सावँजनिक व निजी घर
- (5) 'फेडरल रिजर्व सिस्टम'
- (6) सोना व चाँदी व उसकी मुद्राएँ
- (7) नोटों का प्रचलन व उनकी वापसी का प्रश्न
- (8) डालर का मूल्य-निर्धारण व उसकी मूल्य-वृद्धि का प्रश्न
- (9) वस्तुओं के मूल्यों, भाडों व सेवाओं पर नियन्त्रण

(5) कमेटी ऑन पोस्ट ऑफिस एण्ड सिविल सर्विस :

- (1) सामान्यतः 'फेडरल सिविल सर्विस' सम्बन्धी सभी प्रश्न
- (2) अमरीका के अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के ओहदे, मुआवजे, वर्गीकरण तथा पदावकाश सम्बन्धी प्रश्न
- (3) सामान्यतः डाक सेवा सम्बन्धी सभी प्रश्न (जिनमें पोस्ट रोड को छोड़कर) रेलवे मेल आदि से सम्बद्ध प्रश्न शामिल हैं ।
- (4) डाक-बचत-बैंक

(5) जनगणना व सांख्यिकी सम्बन्धी अन्य प्रश्न

(6) राष्ट्रीय पुरातत्व

(6) कमेटी ऑन दि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया :

(1) कोलम्बिया जिले के नगर-पालन सम्बन्धी प्रश्न जिनमें निम्न विषय शामिल हैं -

(2) जन-स्वास्थ्य रक्षा, सफाई तथा मकामक रोगों पर नियन्त्रण

(3) मादक द्रव्यों की विक्री पर नियन्त्रण

(4) खाद्य-पदार्थों व द्रव्यों की मिलावट पर नियन्त्रण

(5) वर व विक्री-कर

(6) बीमा तामील वरानेवाले तथा इच्छा-पत्रों व तलाकों के प्रवर्धन

(7) नागरिक व बाल-अपराध न्यायालय

(8) सोसायटियों के संगठन व रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रश्न

(9) नागरिक वानून तथा दीवानी व फौजदारी कानूनों में संशोधन

(7) कमेटी ऑन एजुकेशन एण्ड लेबर :

(1) श्रम और शिक्षा से सम्बन्धित मामान्यत सभी प्रश्न

(2) श्रमिकों के झगड़ों में कीचड़िचाव

(3) श्रमिकों के काम के घण्टे व उनका वेतन

(4) बँदियों श्रमिकों तथा उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश

(5) विदेशी श्रमिकों का देश में प्रवेश निषेध

(6) बाल-श्रमिक

(7) श्रम-सांख्यिकी

(8) श्रमिकों के काम के स्तर

(9) शालेय भोजन का कार्यक्रम

(10) व्यावसायिक विस्थापन

(11) अमरीका के कर्मचारियों के मुआवजे सम्बन्धी आयोग

(12) गूगो, बहरो तथा अन्धो वा कोलम्बिया विद्यालय, हार्वर्ड विश्व-विद्यालय तथा 'सेन्ट एलिजाबेथ अस्पताल' ।

(13) खानों में काम करनेवालों की भलाई सम्बन्धी प्रश्न

(8) कमेटी ऑन एक्सपेन्डिचर इन दि एक्सिब्यूटिव डिपार्टमेंट :

(1) विनियोजन के अतिरिक्त आय-व्ययक तथा लेखा सम्बन्धी प्रश्न

(2) सरकार के कार्यकारी अग वा पुनर्गठन

(3) इस समिति के निम्न अन्य कार्य भी होंगे :

(क) अमरीका के 'कन्ट्रोलर जनरल' से प्रतिवेदन प्राप्त कराना, उनकी जाँच करना तथा तदसम्बन्धी आवश्यक विफारिश पेश करना

(ख) सरकारी कार्यों की सभी स्तरों पर मिनव्ययिता तथा कार्यकुशलता की दृष्टि से जाँच कराना

(ग) सरकार की कार्यकारी तथा विधायिका शाखाओं के पुनर्गठन करने वाले कानूनों के परिणामों की जाँच करना

(घ) अमरीकी सरकार व राज्य सरकारों तथा नगरपालकों के मध्य सम्बन्धों तथा अमरीकी सरकार व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं (जिनका अमरीका मदद्वय है) के मध्य सम्बन्धों का अध्ययन करना ।

(9) कमेटी ऑन फारेन अफेयर्स :

(1) अमरीका के विदेशी सरकारों में सम्बन्ध नियमक सामान्यतः सभी प्रश्न

(2) विदेशों तथा अमरीका के बीच सीमा-निर्धारण

(3) अमरीकी नागरिकों की विदेशों में सुरक्षा तथा उनका देश में वापस बुलाया जाना

(4) तटस्थता

(5) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा अधिवेशन

(6) अमरीकी राष्ट्रीय रेडक्रास

(7) युद्ध की घोषणा तथा विदेशों में हस्तक्षेप

- (8) राजनयिक सेवाओं सम्बन्धी मामले
- (9) दूतावासों के लिए विदेशों में जमीन प्राप्त कराना
- (10) विदेशों में व्यापारिक सम्बन्धों की वृद्धि तथा अमरीकी व्यापारिक हितों की विदेशों में रक्षा
- (11) अन्तर्राष्ट्रीय संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक तथा वित्तीय मंडल
- (12) विदेशी ऋण

10) कमेटी ऑन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन

- (1) सभा द्वारा लोगो की नियुक्ति जिसमें सदस्यो और समितियों के लिए बलकों तथा वादविवाद का शब्दसः विवरण लिखनेवाले रिपोटर्स की नियुक्ति शामिल है।
- (2) सभा की आकस्मिकता-निधि से व्यय
- (3) आकस्मिकता-निधि से खर्च की गई राशि के लेखाओं की जाँच करना
- (4) सभा के लेखाओं सम्बन्धी सामान्यतः सभी प्रश्न
- (5) आकस्मिकता-निधि से विनियोजन
- (6) सभा की सेवाओं से सम्बन्धित प्रश्न; जिसमें सभा के आहार-गृह, सभा के कार्यालय-भवन, तथा कॅपीटोल के 'हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिवस' भाग के प्रश्न शामिल हैं।
- (7) सभा के सदस्यो के प्रवास सम्बन्धी प्रश्न
- (8) सदस्यो तथा समितियो के कार्यालय के लिए जगह
- (9) बेकार के सरकारी कामजातो का निपटान
- (10) 'कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स' के अन्तर्गत मामलो को छोडकर 'लाइब्रेरी ऑफ काप्रेस', चित्तों तथा भूमियो तथा कॅपीटोल के लिए बलात्मक वस्तुओं का ख़य, 'बोटानिकल पार्क', 'लाइब्रेरी ऑफ काप्रेस' की व्यवस्था तथा उसके लिए पुस्तकों व पाण्डुलिपियों की खरीददारी तथा स्मारक।

- (11) 'कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स' के अन्तर्गत मामलो को छोड़कर, 'स्मिथसोनियन इन्स्टीट्यूट' तथा उस तरह की अन्य सस्थाओ का रजिस्ट्रेशन
- (12) काँग्रेस के अभिलेखो की छपाई व उनमे सशोधन विषयक मामले ।
- (13) राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव तथा काँग्रेस के सदस्यो का चुनाव, व्यभिचार, 'कन्टेस्टेड इलेक्शन्स' प्रत्यय-पत्र तथा योग्यताएँ तथा संघीय चुनाव सम्बन्धी प्रश्न ।
- (14) इस समिति के निम्न और कृत्य होंगे —
 - (अ) सभा द्वारा पारित होने पर सारे विधेयको, सशोधनो तथा सयुक्त सकल्पो की जाँच करना तथा सीनेट की 'कमेटी ऑन हल्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन' की सहायता से दोनो सदनों द्वारा पारित किए जा चुके विधेयको तथा सयुक्त सकल्पो की जाँच करना और यह देखना कि वे उचित तरीके से दर्ज किए जा चुके हैं या नहीं, तथा अध्यक्ष अथवा सीनेट के प्रेजीडेन्ट द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद उन्हें अमरीका के राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराना तथा उन्हें इस प्रकार राष्ट्रपति को पेश किए जाने की सभा को सूचना देना ।
 - (ब) सभा के सदस्यो के दौरे के सम्बन्ध मे 'सार्जेंट एट आर्म्स' को सूचना देना
 - (स) सभा तथा सीनेट के भूतपूर्व मृत सदस्यो की यादगार मे रोज एक उपयुक्त कार्यक्रम स्थिर कराना तथा उसकी कार्यवाही को प्रकाशित कराना ।

(11) कमेटी ऑन इन्टरस्टेट एण्ड फारेन कॉमर्ष

- (1) अन्तर्राज्यीय तथा विदेश व्यापार विषयक सामान्यतः सभी प्रश्न
- (2) जल-यातायात को छोड़कर, अन्तर्राज्यीय तथा विदेश-यातायात की व्यवस्था (जो 'इन्टरस्टेट कॉमर्ष कमीशन' के क्षेत्र के बाहर हो) ।
- (3) अन्तर्राज्यीय तथा विदेश-संचार का नियंत्रण
- (4) असीनिक विमान विज्ञान
- (5) जलवायु-ब्यूरो

- (6) अन्तर्राज्यीय तेल-व्यपार तथा (सरकारी जमीन से उत्पन्न पेट्रोल व गैस को छोड़कर) पेट्रोल व प्राकृतिक गैस सम्बन्धी प्रश्न
- (7) नृण-बल तथा सट्टा बाजार
- (8) सरकारी जलविद्युत् योजनाओं से सम्बद्ध विद्युत् मस्थापनों को छोड़कर अन्तर्राज्यीय विद्युत् सम्बन्धी विषय प्रश्न
- (9) रेलरोड में काम करनेवाले श्रमिक, उनकी पदनिवृत्ति तथा उनकी बेरोजगारी सम्बन्धी प्रश्न
- (10) जन-स्वास्थ्य रक्षा तथा सक्रामक रोगों का निवारण
- (11) जल-देशीय जल-मार्ग
- (12) 'व्यूरो आफ स्टेन्डर्ड', वजन व मापों के मानकीकरण सम्बन्धी प्रश्न तथा मीट्रिक व्यवस्था

(12) कमेटी ऑन ज्युरिडिगरी

- (1) न्यायिक कार्यवाही—दीवानी तथा फौजदारी
- (2) गविधान में मशोधन
- (3) मधीय न्यायालय तथा न्यायाधीश
- (4) राज्य क्षेत्र व अङ्गित देशों में न्यायीय न्याय व्यवस्था
- (5) अमेरिका व अविनियमों में अङ्गित तथा उनका संहिताकरण
- (6) राष्ट्रीय सुधार-कार्य
- (7) गैरवाशुनी अवरोधों तथा एकाधिकारों में व्यापार व वाणिज्य की रक्षा
- (8) छुट्टियों तथा न्यौहार
- (9) दिवालियापन, गदर तथा जाली सिद्ध बनाना
- (10) राज्यों तथा क्षेत्रों की सीमाएँ निर्धारित करना
- (11) पात्रों की बैठकें, उनमें गदरियों की उपस्थिति तथा उनके द्वारा वेमें पक्षों का मसूल किया जाना
- (12) नागरिक स्वतन्त्रता
- (13) एकस्व (पेटेंट) प्रतिक्रियाधिकार (कापीराइट) तथा ट्रेडमार्क

- (14) एकस्व-कार्यालय
- (15) आप्रवासन तथा देशीयकरण
- (16) प्रतिनिधियों की नियुक्ति
- (17) अमरीका के विरुद्ध उठाए गए हकों का प्रश्न
- (18) सामान्य तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय करार
- (19) राष्ट्रपति के उत्तराधिकार

•(13) कमेटी ऑन मर्चेंट मेरीन एण्ड फिशरीज

- (1) व्यापारिक पोतों सम्बन्धी प्रश्न
- (2) जहाजों तथा छोटी नौकाओं का दर्ज किया जाना तथा उन्हें लाइसेन्स देना
- (3) जहाजों के सकेत तथा उनके चालन के सम्बन्ध में नियम
- (4) समुद्र में जहाजों की टक्करों को रोकने के लिए नियम तथा तत्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था
- (5) व्यापारिक नौकाओं के अधिकारों तथा चालक
- (6) जल-मार्गों द्वारा ले जाए जाने वाले वाहकों के नियन्त्रण सम्बन्धी ("इन्टरस्टेट कॉमर्स कमीशन" के अन्तर्गत मामलों को छोड़कर) सभी बातों तथा व्यापारिक नावों के सकेत व रोशनी तथा प्राणरक्षा-प्रबन्धों आदि का निरीक्षण
- (7) समुद्रतट रक्षक, प्राणरक्षा-सेवा, जलद्वीप, प्रकाश-नौका तथा समुद्री-दिशाभ्रम
- (8) अमरीकी समुद्रतट रक्षक-सेवा तथा व्यापारिक नाविकों की शिक्षा-संस्थाएँ
- (9) समुद्रतट तथा समुद्र-तल-संरक्षण
- (10) पनामा नहर तथा उसके सञ्चालन की व्यवस्था, जिसमें नहरी क्षेत्र की सफाई व उसका शासन तथा अन्तर्मुद्रीय नहरों से सम्बद्ध सामान्यतः सभी प्रश्न शामिल हैं ।

(11) मछलियों व जंगली पशुओं के क्षरण, संघारण तथा अनुसन्धान सम्बन्धी प्रश्न

(14) कमेटी ऑन पब्लिक लैंड

- (1) सरकारी जमीनों व उनमें प्रवेश, उनमें से गुजरने तथा चरने के अधिकार विषयक प्रश्न
- (2) सरकारी जमीनों से प्राप्त खनिज
- (3) सरकारी जमीन की वेदखली बराना, भूमि सहायताओं की जल्ती तथा उनमें खनिज
- (4) सरकारी जमीन से बनाए गए सुरक्षित जंगलात तथा राष्ट्रीय पार्क
- (5) सैनिक पार्क, युद्धस्थल तथा राष्ट्रीय कब्रों
- (6) प्रागैतिहासिक ध्वसावशेषों तथा सरकारी जमीन में स्थित आवर्पक वस्तुओं का संरक्षण
- (7) विनियोजन तथा आय सम्बन्धी मामलों को छोड़कर, हवाई, अलास्का तथा अमरीका के अन्य आधीनस्थ क्षेत्रों सम्बन्धी मामले
- (8) सिंचाई और भूमि को कृषि योग्य बनाना, वृषि-योग्य बनाने की प्रायोजनाओं के लिए जलपूर्ति तथा ऐसी प्रायोजनाओं के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध कराने सम्बन्धी मामले
- (9) सिंचाई के लिए जल-वितरण का अन्तर्राज्यीय करार
- (10) खानों के अधिकारों से सम्बद्ध सामान्यतः सभी प्रश्न
- (11) खानों की भूमि से सम्बन्धित कानून तथा खानों में प्रवेश सम्बन्ध प्रश्न
- (12) भूगर्भ-सर्वेक्षण
- (13) खनिज शास्त्र विद्यालय तथा प्रयोगशालाएँ
- (14) सरकारी जमीनों में उपलब्ध पेट्रोल का संग्रह तथा अमरीका में रेडियम का संग्रह
- (15) रेड इण्डियन लोगों के सम्बन्ध तथा इण्डियन जातियों विषयक मामले
- (16) रेड इण्डियन लोगों की देखभाल, शिक्षा तथा शासन; जिसके अन्तर्गत

उनके भूमि सम्बन्धी मामले तथा इण्डियन फ्रण्ड में से उनके दावों सम्बन्धी निपटान के प्रश्न भी शामिल हैं ।

(15) कमेट्री ऑन पब्लिक वर्क्स

- (1) नदियों व बन्दरगाहों का विकास तथा बाढ़ से सुरक्षा
- (2) जल-यातायात की सुविधा के लिए निर्माण तथा (अन्तर्राष्ट्रीय पुल व बाँधों को छोड़कर) पुल व बाँध
- (3) जल-शक्ति
- (4) यातायात के योग्य नदियों का तेल व अन्य द्रव्यों से बचाव
- (5) अमरीका की सरकारी इमारतों तथा सुधारी हुई भूमि
- (6) कोलम्बिया जिले में डाकखाने, चुंगीघर, सघीय न्यायालय आदि के भवनों के लिए जमीन खरीदना व भवन बनवाना
- (7) 'कैपिटोल' तथा 'सीनेट' व 'हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव' के भवनों सम्बन्धी मामले
- (8) 'बोटानिकल पार्क', 'लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस' तथा 'स्मिथसोनियन इन्स्टीट्यूशन' के लिए जमीन की व्यवस्था, भवनों का निर्माण, पुनर्निर्माण तथा उनकी देखभाल
- (9) डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया के सुरक्षित सार्वजनिक स्थान तथा पार्क व 'राक क्रीक पार्क' तथा 'जूलोजिकल पार्क'
- (10) सड़कों तथा डाक सड़कों का निर्माण तथा उनकी देखभाल (लेकिन इनके लिए लगनेवाले विनियोजन इसके अपवाद हैं ।)

(16) कमेट्री ऑन हल्स

- (1) सभा के नियम, संयुक्त नियम तथा कार्यक्रम
- (2) कांग्रेस के अयकाश तथा अन्तिम सत्रावसान

(17) कमेट्री ऑन अन्तर्द्वेषिक एक्टिविटीज

- (1) अमरीका-विरोधी कार्यों की जाँच-पड़ताल

(18) कमेटी ऑन वेटरन्स अफेयर्स

- (1) सेना से अवकाश प्राप्त लोगों से नवद्वय सामान्यत सभी प्रश्न
- (2) अमरीका के सारे आम व खास युद्धो सम्बन्धी पेशन
- (3) सशस्त्र सेना में काम करने के बदले में सरकार द्वारा जारी किया गया बीमा
- (4) सेना से अवकाश प्राप्त लोगों की शिक्षा, उनका व्यावसायिक पुनर्स्थापन तथा उन्हें मुआवजा दिया जाना
- (5) सैनिकों तथा नाविकों की अर्थनिक सहायता
- (6) सेना से अवकाश प्राप्त लोगों के लिए अस्पताल, चिकित्सा तथा उनकी देखभाल की व्यवस्था
- (7) सेना से विमुक्त लोगों का नागरिक जीवन में पुनर्स्थापन ।

(19) कमेटी ऑन बैज एण्ड मोन्स

- (1) सामान्यत आय सम्बन्धी सभी प्रश्न
- (2) अमरीका का दक्षित ऋण
- (3) सार्वजनिक धन की जमा राशि
- (4) निर्यात-शुल्क, वनूरी के जित जहाज-उद्योग तथा माल उतारने के लिए बन्दरगाह
- (5) परस्पर व्यापार-सम्बन्ध
- (6) शुल्क देय वस्तुओं का यातायात
- (7) आधीनस्थ क्षेत्रों सम्बन्धी आय त्रिपयक मामले
- (8) राष्ट्रीय समाज-सुरक्षा बीमा

परिशिष्ट 5

भारतीय राज्य-विधान-सभाओं व विधान-परिषदों की
समितियाँ*

(1) बिहार प्रदेश

(विधान सभा)

- (1) आवास-समिति
- (2) लोक-लेखा-समिति
- (3) कार्य-मूल्या-समिति
- (4) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति
- (5) विशेषाधिकार-समिति
- (6) प्राक्कलन समिति
- (7) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
- (8) सरकारी अस्वास्थ्य सम्बन्धी समिति
- (9) याचिका-समिति
- (10) नियमो सम्बन्धी प्रवर समिति
- (11) क्षेत्रीय समिति

(विधान-परिषद्)

- (1) कार्य-मूल्या-समिति
- (2) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति
- (3) विशेषाधिकार-समिति

* इसमें नागालैण्ड, हिमाचल प्रदेश तथा सघ-क्षेत्रों की विभागाध्यक्षों के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकी है ।

- (4) आवास-समिति
- (5) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
- (6) नियमो सम्बन्धी प्रवर समिति
- (7) याचिका-समिति

(2) आसाम

(विधान-समा)

- (1) प्राक्कलन-समिति
- (2) आवास-समिति
- (3) पुस्तकालय-समिति
- (4) विशेषाधिकार-समिति
- (5) लोक-लेखा-समिति
- (6) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितिया

नोट—आसाम में विधान-परिषद् नहीं है।

(3) उड़ीसा

विधान-समा

- (1) कार्य-मलणा-समिति
- (2) प्राक्कलन-समिति
- (3) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
- (4) विशेषाधिकार-समिति
- (5) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
- (6) विधेयको पर विचार करने के लिए प्रवर समितियाँ
- (7) लोक-लेखा-समिति

प-समिति

ये विधान-परिषद् नहीं है।

(4) उत्तर प्रदेश

(विधान-सभा)

- (1) प्रावकलन-समिति
- (2) वित्त-समिति
- (2) याचिका-समिति
- (4) विशेषाधिकार-समिति
- (5) कार्य-मन्त्रणा-समिति
- (6) लोकरू-लेखा-समिति
- (7) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
- (8) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
- (9) नियम-समिति
- (10) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ
- (11) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त सयुक्त प्रवर समितियाँ

(विधान-परिषद्)

- (1) नियम-संशोधन-समिति
- (2) विशेषाधिकार-समिति
- (3) कार्य-मन्त्रणा-समिति
- (4) याचिका-समिति
- (5) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ

(5) केरल :

(विधान-सभा)

- (1) प्रावकलन-समिति
- (2) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
- (3) गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
- (4) विशेषाधिकार-समिति

- (5) लोक-लेखा-समिति
 - (6) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
 - (7) याचिका-समिति
 - (8) कार्य-मन्त्रणा-समिति
 - (9) नियम-समिति
 - (10) आवागम-समिति
 - (11) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ
- नोट : केरल में विधान-परिषद् नहीं है।

(6) गुजरात

(विधान-सभा)

- (1) महत्त्वपूर्ण विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति
 - (2) कार्य-मन्त्रणा समिति
 - (3) लोक-लेखा-समिति
 - (4) प्राक्कथन-समिति
 - (5) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा प्रस्तावों सम्बन्धी समिति
 - (6) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
 - (7) नियम-समिति
 - (8) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
 - (9) सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
 - (10) याचिका समिति
 - (11) विरोधाधिवार समिति
- नोट : गुजरात में विधान-परिषद् नहीं है।

(7) जम्मू तथा काश्मीर :

(विधान-सभा)

- (1) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

- (2) पुस्तकालय तथा आवास समिति
- (3) विशेषाधिकार-समिति
- (4) नियम-समिति
- (5) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ

(विधान-परिषद्)

- (1) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ
- (2) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त समुक्त प्रवर समितियाँ
- (3) याचिका-समिति
- (4) विशेषाधिकार-समिति
- (5) कार्य-मूल्या-समिति
- (6) नियम-समिति
- (7) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
- (8) आवास-समिति
- (9) पुस्तकालय-समिति
- (10) सामान्य प्रयोजन समिति

(8) पंजाब

(विधान-सभा)

- (1) कार्य-मूल्या-समिति
- (2) प्राक्कृतन-समिति
- (3) सरकारी आश्वासनों से सम्बन्धित समिति
- (4) आवास-समिति
- (5) पुस्तकालय-समिति

* यह जानकारी केवल पंजाब के बारे में है, हरियाणा के विषय में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

- (6) विशेषाधिकार-समिति
- (7) लोक-लेखा-समिति
- (8) नियम-समिति
- (9) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति
- (10) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवर समितियाँ
- (11) याचिका-समिति

(विधान-परिषद्)

- (1) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति
- (2) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवर समितियाँ
- (3) नियम-समिति
- (4) सरकारी आवासनो सम्बन्धी समिति

(9) पश्चिमी बंगाल

(विधान-सभा)

- (1) कार्य-मलगा-समिति
- (2) याचना-समिति
- (3) लोक-लेखा-समिति
- (4) विशेषाधिकार-समिति
- (5) नियम-समिति
- (6) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ

(विधान-परिषद्)

- (1) कार्य-मलगा-समिति
- (2) विशेषाधिकार-समिति
- (3) प्रवर समितियाँ
- (4) नियम-समिति

(10) बिहार

(विधान-समा)

- (1) आवास-समिति
- (2) पुस्तकालय समिति
- (3) याचिका-समिति
- (4) विशेषाधिकार-समिति
- (5) लोक-लेखा-समिति
- (6) कार्य-मलणा-समिति
- (7) प्राक्कलन-समिति
- (8) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
- (9) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
- (10) नियमों के लिए प्रवर समिति
- (11) यथेष्ट महत्त्व के प्रश्नों पर विचार करने के लिए सयुक्त प्रवर समिति
- (12) विधेयको पर विचार करनेवाली प्रवर समितियाँ

(विधान-परिषद्)

- (1) कार्य-मलणा-समिति
- (2) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा सकल्पों से सम्बन्धित समिति
- (3) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ
- (4) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त सयुक्त प्रवर समितियाँ
- (5) विधेयको से सम्बन्धित याचिकाओं पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति
- (6) यथेष्ट महत्त्व के प्रश्नों पर विचार करने के लिए नियुक्त सयुक्त समिति
- (7) विशेषाधिकार-समिति
- (8) पुस्तकालय-समिति
- (9) आवास-समिति

(10) नियम-समिति

(11) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(12) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(11) मद्रास

(विधान-सभा)

(1) कार्य-मन्त्रणा-समिति

(2) प्राक्कलन-समिति

(3) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(4) आवास-समिति

(5) विशेषाधिकार-समिति

(6) लोक-छेष्टा-समिति

(7) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(8) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति

(9) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त सयुक्त प्रवर समिति

(विधान-परिषद्)

(1) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ

(2) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त सयुक्त प्रवर समितियाँ

(3) विशेषाधिकार-समिति

(4) कार्य-मन्त्रणा-समिति

(5) आवास-समिति

(6) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(12) मध्य-प्रदेश

(विधान-सभा)

(1) कार्य-मन्त्रणा-समिति

(2) प्राक्कलन समिति

- (3) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
- (4) आवास-समिति
- (5) पुस्तकालय-समिति
- (6) याचिका-समिति
- (7) विशेषाधिकार-समिति
- (8) लोक-लेखा-समिति
- (9) नियम-समिति
- (10) सरकारी विधेयकों सम्बन्धी स्थायी समिति
- (11) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
- (12) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ

नोट : मध्य प्रदेश में विधान-परिषद् नहीं है ।

(13) मैसूर

(विधान-सभा)

- (1) प्राक्कलन-समिति
- (2) आवास-समिति
- (3) पुस्तकालय-समिति
- (4) विशेषाधिकार-समिति
- (5) याचिका-समिति
- (6) कार्य-मन्त्रणा-समिति
- (7) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति
- (8) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति
- (9) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
- (10) लोक-लेखा-समिति
- (11) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
- (12) नियमों पर विचार करने के लिए विशेष समिति

(विधान-परिषद्)

- (1) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति
- (2) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति
- (3) याचिका-समिति
- (4) विशेषाधिकार-समिति
- (5) आवास-समिति

(14) महाराष्ट्र

(विधान-सभा)

- (1) महत्त्वपूर्ण विषयो पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति
- (2) कार्य-मन्त्रणा-समिति
- (3) प्राक्कलन-समिति
- (4) लोक-लेखा-समिति
- (5) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा संकल्पों पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति
- (6) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
- (7) नियम-समिति
- (8) सरकारी आदवासनो सम्बन्धी समिति
- (9) सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
- (10) याचिका-समिति
- (11) विशेषाधिकार-समिति

(विधान-परिषद्)

- (1) कार्य-मन्त्रणा-समिति
- (2) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा संकल्पों पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति
- (3) नियम-समिति

- (4) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
- (5) सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
- (6) याचिका-समिति
- (7) विशेषाधिकार-समिति
- (8) महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति

(15) राजस्थान

(विधान-सभा)

- (1) प्राक्कलन-समिति
 - (2) आवास-समिति
 - (3) याचिका-समिति
 - (4) विशेषाधिकार-समिति
 - (5) लोक-लेखा-समिति
 - (6) नियम-समिति
 - (7) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति
- नोट : राजस्थान में विधान-परिषद् नहीं है ।

ग्रन्थ-सूची

(1) पुस्तकें

(क) सामान्य

- (1) गवर्नमेन्ट थू, कमेटीज-ए. एच. व्हीअरे
- (2) लेजिस्लेटिव प्रोसेस-हेनरी वाकर
- (3) बजेटरी सिस्टम ऑफ फारेन कन्ट्रीज-एस. एल. शकधर
- (4) डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एण्ड पॉलिटिक्स-कैरी
- (5) एसेन्शियल्स ऑफ पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर-स्टर्गिस
- (6) दी परपज ऑफ पार्लियामेन्ट-क्विन्टिन हाग
- (7) हाउ पार्लियामेन्ट वर्क्स-जॉन मेरेट
- (8) ससद और ससदीय प्रक्रियाए-पेनुलि परिपूर्णानन्द
- (9) लेजिस्लेचर्स-के. सी. व्हीअरे
- (10) पार्लियामेन्टरी सुपरविजन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन (दी प्रैक्टिसेज इन यू. के., आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एण्ड कनाडा डिस्कस्ड)-जॉन. ई. केग्नेल
- (11) नोट्स ऑन दी पार्लियामेन्टरी कोर्स (कन्डक्टिंग वाइ कॉमनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन इन लण्डन एण्ड नार्दर्न आयरलैंड)-एस. आर. कन्थी
- (12) पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर-बिह्टने
- (13) कमेटीज हाउ दे वर्क एण्ड हाउ टु वर्क देम-एडगर एनस्टेंग
- (14) दी थिअरी ऑफ कमेटीज एण्ड इलेक्शन्स-ब्लॉक डन्सन
- (15) एनीयिंग बट ऐवशन-ए स्टडी ऑफ दी यूजेज एण्ड ऐग्ज्यूजेज ऑफ कमेटीज ऑफ इन्क्वायरी-हर्बर्ट ए. डी.

- (16) मैनूअल ऑफ पार्लियामेन्टरी ला एण्ड प्रोसीज्योर-जी. डेमेटर
 (17) हैन्डबुक ऑफ पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर-एच. ए. डेविडसन

(ख) यूनाइटेड किंगडम

- (18) ऐन इन्ट्रोडक्शन टु दी प्रोसीज्योर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स-लॉर्डे गिलबर्ट केम्पियन
 (19) पार्लियामेन्ट-जेनिंग्स
 (20) दी हाउस ऑफ कॉमन्स ऐट वर्क-एरिक टेलर
 (21) कांग्रेस एण्ड पार्लियामेन्ट-गेलोवे
 (22) ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी-बाले, सिडनी, डासन
 (23) ला एण्ड एक्जीक्यूटिव इन ब्रिटेन (कैम्ब्रिज 1949)-बी. साट
 (24) पार्लियामेन्ट-ए सर्वे-लॉर्डे गिलबर्ट केम्पियन
 (25) पार्लियामेन्टरी गवर्नमेंट-एम टी वेली
 (26) पार्लियामेन्ट ऐट वर्क-हेनसन एण्ड वाइजमैन
 (27) "गवर्नमेंट एण्ड पार्लियामेन्ट-ए सर्वे फॉम दी इनसाइड"-हर्बर्टे मोरिसन
 (28) पार्लियामेन्टरी रिफॉर्म 1933-58-ए सर्वे ऑफ सजेस्टेड रिफॉर्म्स-हैन्सर्ड सोसाइटी फॉर पार्लियामेन्टरी गवर्नमेंट
 (29) दी ब्रिटिश पोलिटिकल सिस्टम-आर. मेथियट
 (30) ब्रिटिश गवर्नमेंट 1914 टु 1953-मेक्केट टाक्समैन्ट (ऑन कमेटी ऑफ दी हाउस आफ कॉमन्स)
 (31) पार्लियामेन्ट एण्ड दी एक्जीक्यूटिव-ऐन एनालिसिस एण्ड रीडिङ्ग-एच. वाइजमैन

(ग) फ्रांस

- (32) पार्लियामेन्ट ऑफ फ्रान्स-लिडरडेल
 (33) दी गवर्नमेंट आफ दी फिफ्थ रिपब्लिक-जे. ए. लंपास

(घ) यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका

- (34) काग्रस इन ऐक्शन-स्मिथ एण्ड रिडिक
 (35) रीडिंग इन अमेरिकन नेशनल गवर्नमेंट
 (36) एडवाइस एण्ड कन्मेन्ट आफ दी सीनेट-जोसेफ पी. हैरिस
 (37) दी काग्रेशनल कान्फरेन्स कमेटी-स्टेनर
 (38) दी लेजिस्लेटिव कौन्सिल इन दी अमेरिकन स्टेट्स सिफिन विलियम जे.
 (39) दी लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन काग्रस-गैलोवे
 (40) हिस्ट्री आफ दी हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्ज-गैलोवे जॉर्ज
 (41) ए सिटिजन लुक्स ऐट दी काग्रस-डीन एनेसन
 (42) हैन्डबुक फॉर लेजिस्लेटिव कमेटीज-कौन्सिल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स,
 यू० एस० ए०

(ङ) आस्ट्रेलिया :

- (43) पार्लियामेन्टरी गवर्नमेंट ऑफ दी कामनवेल्थ ऑफ आस्ट्रेलिया-
 एल० एफ० क्रिस्प
 (44) पार्लियामेन्टरी हैन्डबुक ऑफ दी कामनवेल्थ ऑफ आस्ट्रेलिया
 (45) दी पार्लियामेन्ट ऑफ साउथ आस्ट्रेलिया-जी० डी० बोम्बे

(च) कॅनाडा :

- (46) डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन कॅनाडा-डॉसन
 (47) कॅनेडियन गवर्नमेंट एण्ड पार्लिटिवम-एच० मैकडी क्लार्की
 (48) पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर एण्ड प्रैक्टिस इन दी डोमिनियन ऑफ
 कॅनाडा-सर जान घोरीनाट
 (49) क्लस एन्ड फाम्स ऑफ दी हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ कॅनाडा-स्पूचेरान
 (50) सीनेट ऑफ कॅनाडा-राम
 (51) दी अनरीफाम्ड सीनेट ऑफ कॅनाडा-मैके
 (52) क्वॉस्टीयूशनल इज्यूज इन कॅनाडा-डॉसन

- (53) एवर्नमैन्ट ऑफ कॅनाडा-डॉसन
 (54) प्रोसीज्योर इन दी कॅनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स-डब्ल्यू० एफ० डॉसन
 (55) दी पब्लिक पर्स : ए स्टडी इन कॅनेडियन डेमाक्रेसी-नामर्न वाइं

(छ) अन्य देश :

- (56) पार्लियामेन्ट ऑफ स्वीडेन-एरिक हैस्टेंड
 (57) रिप्रेजेन्टेटिव गवर्नमैन्ट इन आयरलैण्ड-मैक फ्रैक्शन जे० सी०
 (58) पार्लियामेन्ट एण्ड रेजीरय (पार्लियामेन्ट एण्ड गवर्नमैन्ट)-लखन्यू एच० हटशाफ
 (59) पार्लियामेन्ट्स इन 41 कंट्रीज-इन्टर पार्लियामेन्टरी यूनियन
 (60) यूरोपियन पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर (ए काम्प्रीहेन्सिव हैन्डबुक)-कॅम्पियन एण्ड लिडरडेल
 (61) दी पार्लियामेन्ट ऑफ स्विटजरलैण्ड-ह्यूयूज क्रिस्टोफर
 (62) दी पार्लियामेन्ट ऑफ नीदरलैण्ड्स-वान रेंटल
 (63) दी पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर इन साउथ अफ्रीका-रैल्फ किल्पिन
 (64) पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर इन पाकिस्तान-चाहसं जे० जिन्ट
 (65) नार्वेज पार्लियामेन्ट-दी स्टार्टिंग-पर विवजाग
 (66) प्रॅजेन्ट डे प्रॉब्लम्स ऑफ पार्लियामेन्ट : इन्टरनेशनल मिम्पोजिचम-इन्टरनेशनल सेन्टर फॉर पार्लियामेन्टरी डाय्युमेन्टेशन, जेनेवा

(ज) भारत :

- (67) पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर इन इण्डिया-ए० आर० मुकजी
 (68) पार्लियामेन्टरी प्रॅक्टिस एण्ड प्रोसीज्योर-एस० एस० मोरे
 (69) पार्लियामेन्ट ऑफ इण्डिया-मारिस जोन्स
 (70) पार्लियामेन्टरी डेमाक्रेसी इन इण्डिया-हैरोल्ड लास्की इन्स्टिट्यूट ऑफ पोलिटिकल साइन्स, अहमदाबाद
 (71) इण्डियन पार्लियामेन्ट 1952-57-त्रिलोचन मिह

- (72) इण्डिया एण्ड पार्लियामेन्ट-हिरेन मुकर्जी
- (73) सेन्ट्रलाइज्ड लेजिस्लेशन-देसिका चार एस० बी०
- (74) दी इण्डियन पार्लियामेन्ट-ए० बी० लाल
- (75) लेजिस्लेटिव कौन्सिल ऑफ इण्डिया, 1854-61-बूलचन्द
- (76) ए हैन्डबुक ऑफ इण्डियन लेजिस्लेचर्स-आर० आर० सकसेना
- (77) पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐनशियेन्ट इण्डिया-हैमचन्द्र राय चौधरी
- (78) पार्लियामेन्टरी प्रोसोज्योर इन इण्डिया-डेनिमल कंमियर
- (89) हिन्दू पार्लिटी-के० पी० जायसवाल
- (80) इण्डियन कास्टिट्यूशन ऐट वर्क-चिन्तामणि-भसानी
- (81) लेक्चर्स ऑन पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस एण्ड प्रोसोज्योर-कामनवेलथ पार्लियामेन्टरी एसोसियेशन (महाराष्ट्र ब्रान्च)
- (82) कन्वेन्सन्स एण्ड प्रोप्राइटीज ऑफ पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी-के० सन्थानम्
- (83) फाईर्ननशियल कमेटीज ऑफ लोक-सभा-डा० आ० एन० अग्रवाल

(2) प्रतिवेदन :

- (1) लोक-सभा व राज्य-सभा की स्थायी, तदर्थ तथा प्रवर समितियों के प्रतिवेदन
- (2) रिपोर्ट्स ऑफ दी सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसोज्योर, यू० के० 1953, 1955
- (3) रिपोर्ट्स ऑफ दी ज्वाइन्ट कमेटी ऑन दी आर्गनाइजेशन ऑफ कांग्रेस परसुएण्ट टु एच० वाशिंग रिजोल्यूशन 18 सीनेट रिपोर्ट न० 1011, 79 कांग्रेस
- (4) संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड (1) के अन्तर्गत राज्य-सभा के लिए प्रक्रिया-नियम के प्रावधानों को त्रिकारित करने वाली समिति का प्रतिवेदन

(3) नियम-पुस्तकें :

(क) भारत :

- (1) मैन्युअल ऑफ बिजिनेस, लोक-सभा
- (2) मैन्युअल ऑफ डायरेक्शन्स, लोक-सभा
- (3) मैन्युअल ऑन सेलेक्टेड आर्टिकल्स ऑफ दी कास्टिट्यूशन

(ख) यूनाइटेड किंगडम :

- (1) पार्लियामेन्टरी प्रॉक्विटस दि ला प्रिविलेजेस, प्रोसीडिन्ग् एण्ड यूमेज ऑफ पार्लियामेन्ट-एस्किन मे

(ग) अमरीका :

- (1) सीनेट मैन्युअल
- (2) जेफरमन्स मैन्युअल
- (3) कॅन्ग्रेस प्रोसीज्योर इन दी हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स
- (4) मैसन्स मैन्युअल ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीज्योर

(4) अधिनियम, नियम

अधिनियम

- (1) लेजिस्लेटिव रीआगनाइजेसन ऐक्ट, 1946 (यू. एस. ए.)

नियम

- (2) लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम
- (3) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम
- (4) रूल्स आफ प्रोसीज्योर आफ दी लेजिस्लेटिव असेम्बली (भारत) 1926, 1919, 1935 आदि
- (5) मैन्युअल ऑफ बिजिनेस एण्ड प्रोसीज्योर इन दी लेजिस्लेटिव असेम्बली (भारत) 1921
- (6) मैन्युअल आफ बिजिनेस एण्ड प्रोसीज्योर (भारत) 1926

- (7) मैन्युअल ऑफ बिजिनेस एण्ड प्रोसीज्योर इन दी लेजिस्लेटिव असेम्बली (भारत) (फोर्थ एडिशन 1930)
- (8) मैन्युअल ऑफ बिजिनेस एण्ड प्रोसीज्योर इन दी लेजिस्लेटिव असेम्बली (भारत) (फिफ्थ एडिशन 1938)
- (9) मैन्युअल ऑफ बिजिनेस एण्ड प्रोसीज्योर इन दी लेजिस्लेटिव असेम्बली (भारत) (सिक्स्थ एडिशन 1945)
- (10) राज्य-विधान-सभाओं के तथा विधान-परिषदों के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम व स्थायी आदेश (भारत)

(5) पुस्तिकाएँ

- (1) रिपोर्ट्स् ऑफ दी कमेटीज ऑफ दी कास्टीट्यूएण्ट असेम्बली ऑफ इंडिया (थर्ड सीरीज)
- (2) नोट बाइ दी आनरेबल स्पीकर (जी. वी. मावलकर) ऑन दी रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर इन इंडिया, मार्च 1949
- (3) मेमोरेण्डम बाइ श्री एम एन कौल, मेक्रेटरी, कास्टीट्यूएण्ट असेम्बली ऑफ इंडिया (लेजिस्लेटिव) ऑन दी रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर इन इंडिया-फरुअरी 1949
- (4) सेलेक्ट डाक्युमेण्ट ऑन सेलेक्टेडवाइन्ट कमेटीज ऑन बिल्स
- (5) पार्लियामेन्टरी कमेटीज ऑफ लोक-सभा-सेलेक्ट डाक्युमेण्ट्स
- (6) लोक-सभा - पार्लियामेन्टरी कमेटीज-ए समरी ऑफ वर्क (प्रत्येक सत्र के अनुसार)
- (7) फाइनेन्शियल कमेटीज ऑफ लोक-सभा-ए रिह्यू (वार्षिक)
- (8) कंग्रेसनल कमेटीज-लोक-सभा सेक्रेटेरियट (रिसर्च ब्राच)
- (9) लोक-सभा-सचिवालय द्वारा प्रकाशित फोल्डर :
 - (1) एस्टिमेट्स कमेटी
 - (2) पब्लिक अकाउंट्स कमेटी
 - (3) कमेटी ऑन पब्लिक अडरर्टीसिग

(10) फर्स्ट पार्लियामेन्ट-ए सुवेनर (इसी प्रकार द्वितीय तथा तृतीय पार्लियामेन्ट के सुवेनर भी उपलब्ध हैं)

(11) एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लोक-सभा-इन श्रीक (1952-57)

(12) फ्यूचर पार्लियामेन्टरी एक्टिविटीज-एम. एन कौल

(6) लेख-टिप्पणियाँ

(ब) संसदीय प्रक्रिया

(अ) लेख

- (1) भारत में संसदीय प्रक्रिया का विकास-
चारु, सी चौधरी- पृ स 181-185
- (2) भारत में संसदीय प्रक्रिया का विकास-
चारु, सी चौधरी- पृ स. 38-41
- (3) संसदीय समितियों द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के
प्रावधान पर चर्चा- पृ स 190-193
- (4) लोक सभा की याचिका-समिति पृ स. 42 43
- (5) लोक-सभा की याचिका और याचिका-समिति
- (6) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (द्वितीय लोक-सभा)
उपाध्यक्ष महोदय का अभिभाषण पृ स. 9-10
- (7) लोक-सभा की प्रावधान-समिति-1950-57 के दौरान
समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनो की समीक्षा
- (8) भावी संसदीय कार्यकलाप-महेश्वर नाथ कौट
पृ स. (1) 35-38 (1) 28-30
- (9) प्रावधान-समिति (द्वितीय लोक-सभा) का उद्घाटन-पृ. स. 1-6
- (10) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति (द्वितीय लोक-
सभा) लोक-सभा के अध्यक्ष का अभिभाषण (2) पृ सं 7-8
- (11) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (द्वितीय लोक-सभा)
उपाध्यक्ष महोदय का अभिभाषण- (2) पृ. स. 9-10

- (12) दो प्राक्कलन समितियाँ—एस० एल० शकधर पृ० सख्या (2) 78
- (13) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समितियों के सभापतियों के सम्मेलन में अध्यक्ष का भाषण पृ० सं० (2) 67
- (14) प्राक्कलन-समिति 1959-60 की विदाई बैठक में अध्यक्ष का भाषण पृ. सं. (2) 72
- (15) प्रत्यायोजित विधान का विधायी नियम—डा. रमेश नारायण माथुर पृ. सं. (2) 103
- (16) भारतीय वित्तीय व्यवस्था—लोक-लेखा-नमिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप भारतीय वित्तीय व्यवस्था में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन पृ. सं. (2) 124-130
- (17) तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप सम्बन्धी संसदीय समितियाँ—बी. के. मुक्जर्जी पृ. सं. (1)
- (18) लोक-सभा की प्राक्कलन-समिति (1960-61) : विदाई बैठक में अध्यक्ष का अभिभाषण पृ सं (2)
- (19) आन्ध्र प्रदेश विधान-मण्डल में प्रादेशिक समितियाँ—के. वी. जोग रेड्डी पृ. सं. (2)
- (20) लोक-सभा में कार्यकारी वर्ग पृ. सं. (1) 40-44
- (21) लोक-लेखा-समितियों के सभापतियों का द्वितीय सम्मेलन : लोक-सभा के अध्यक्ष का उद्घाटन-भाषण, पृ.सं. (1) 5-10, 68-72
- (22) लोक-लेखा-समिति 1959-60, लोक-सभा के अध्यक्ष का उद्घाटन-भाषण पृ. सं. (2) 111-113
- (23) प्राक्कलन-समिति, 1959-60, लोक-सभा के अध्यक्ष का उद्घाटन-भाषण पृ सं. (2) 114-116
- (24) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (तीसरी लोक-सभा) अध्यक्ष का उद्घाटन-भाषण पृ. सं. (2) 123

(क) टिप्पणियाँ :

- (25) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
(1), (2), (2), (1)

- (26) आश्वासनो मम्बन्धी समिति-(1), (2), (1), (2), (1), (2),
 (27) कार्य-मलना-समिति-(1)
 (28) प्राक्कलन-समिति-(1), (2), (2), (1)
 (29) लाभपद मम्बन्धी सयुक्त समिति-(1) 31-32
 (30) याचिका-समिति-(1), (2)
 (31) गैर मरकारी सदस्यो के विधेयको तथा मकल्पो मम्बन्धी समिति-
 (1), (2)
 (32) विशेषाधिकार-समिति-(1)
 (33) नियम-समिति-(1)
 (34) अधीनस्थ विधान मम्बन्धी समिति-(1), (2), (2), (2)
 (35) आवास-समिति-(1)
 (36) लोच-लेखा-समिति-(1), (1), (1), (1)

(ख) पार्लियामेन्टरी ग्रफेसं

- (1) दी डेवलपमेन्ट ऑफ दी कमेटी सिस्टम इन दी अमेरिकन कापेस-
 एलान, नीन्ग, न० 1, विन्टर, 1949
 (2) कॅनेडियन कमेटी ऑन एस्टिमेट्स-नामर्न वाड्ड-विन्टर,-1956 57
 (3) यूरोपियन पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर-ए कम्पैरिजन-लाड्ड कॅम्पियन,
 विन्टर, 1952-53
 (4) पार्लियामेन्टरी गवर्नमेन्ट इन आस्ट्रेलिया-जे० डी० विलेर, समर,
 1949
 (5) दी ब्रिटिश वास्टिड्यूसान इन 1950-स्प्रिंग, 1951
 (6) इजराइल्स पार्लियामेन्ट-मोने रोजेटी, आटम, 1953
 (7) स्टैंडिंग कमेटीज इन दी हाउस ऑफ कॉमन्स-डेविड प्रिंग, समर,
 1958
 (8) स्काटिश स्टैंडिंग कमेटी (नोट्स), आटम, 1952
 (9) नावॅज थी टिग्न आटम, 1952

- (10) सेलेक्ट कमेटी ऑन पब एण्ड डेब-यू० के०, समर, 1952
- (11) यूरोपियन पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर-विन्टर, 1952-53
- (12) 'यूरोपियन पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योस'-कैम्पियन, स्प्रिंग, 1953
- (13) 'सम आस्पेक्टस् ऑफ दी कमेटीज ऑफ दी होल हाउस'-विलकान जे० एच० आटम, 1954
- (14) 'पब एण्ड डेब' (सेलेक्ट कमेटी ऑन पब्लिकेशन्स एण्ड डिबेट्स) यू० के०-एफ० जी० एलेन, स्प्रिंग, 1952

(ग) टेबल : (दी जरनल ऑफ दी सोसाइटी ऑफ क्लार्क्स ऐट दी टेबल इन कॉमनवेल्थ पार्लियामेन्ट्स)

- (1) सेलेक्ट कमेटी ऑन स्टैचुटरी इन्स्ट्रूमेन्ट्स - पृष्ठ; 171
- (2) स्काटिश अफेयर्स इन दी हाउस ऑफ कॉमन्स : ए स्माल एक्स्पेरिमेन्ट इन इवोल्यूशन-के० ए० बोन्डशा 1949
- (3) हाउस ऑफ कॉमन्स : नैशनल एक्स्पेरिमेंटल- 1944
- (4) सेलेक्ट कमेटी ऑन स्टैचुटरी इन्स्ट्रूमेन्ट्स-
- (5) मिस्लेनिअस नोट्स रिगाडिंग कमेटीज

(घ) पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, यू० के० :

- (1) दी सेलेक्ट कमेटी ऑन स्टैचुटरी इन्स्ट्रूमेन्ट्स-हैनसन (विन्टर 1949)
- (2) दी सेलेक्ट कमेटी ऑन स्टैचुटरी इन्स्ट्रूमेन्ट्स-एच० स्टैसी (विन्टर 1950)
- (3) 'पार्लियामेन्ट एण्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन 1943-53-ई०एच० बेच -आटम 1955
- (4) दी सेलेक्ट कमेटी ऑन नेशनल इन्डस्ट्रीज-सर टावी लो

(ङ) प्रमेरिकन पोलिटिकल साइन्स रिव्यू :

- (1) 'ए मँच फॉर इवैल्युएटिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन ए कमेटी सिस्टम'-शैपले एल० एस० 48 (3), सितम्बर, 1954
- (2) बायेशनल कमेटीज-ए फेम स्टडी- जून 1954

(3) सब कमेटीज : दी मिनिचेवर लेजरलेचर्स ऑफ वाप्रेस,
सितम्बर, 1962, पृष्ठ; 546-604

(4) ग्रैंड इन्वेस्ट : दी स्टोरी ऑफ कार्पोरेशनल इन्वेस्टिगेशन्स-
जून, 1964

(घ) पब्लिक ला :

(1) युज ऑफ कमेटीज बाइ हाउस ऑफ कॉमन्स-हैन्सन ए० एच०
एन्ड वाइजमेन एच० वी० आटम, 1959, जनवरी, 1960
पृष्ठ 277 279

(ङ) पोलिटिकल स्टडीज :

(1) सम नोट्स ऑन दी स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ दी फ्रेन्च नेशनल
असेम्बली-पी० ए० ब्रामहीड, जून, 1957, खड 5, पृष्ठ 141-57

(2) 'व्हाट इज पार्लियामेन्ट ?' 'दी चेन्जिंग कानसेप्ट ऑफ'.....'-
मार्शल जी०- अक्टूबर, 1954

(च) पोलिटिकल ब्यारंटर्सली :

(1) सेलेक्ट कमेटी ऑन नेशनलाइज्ड इन्डस्ट्रीज-डैवीग० ई०
अक्टूबर-दिसम्बर, 1958, पृष्ठ 37A-86

(झ) पाकिस्तान होराइजन :

(1) 'सम आस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर'-
स्पाकं जे० एच० पाकिस्तान होराइजन, 7 जून, 1954

(ञ) याकंसायर बुलेटिन ऑफ इकॉनामिक एन्ड सोशल रिसर्च :

(1) 'दी सेलेक्ट कमेटी ऑन एस्टीमेट्स'-हैन्सन, 1945-50, अक 2,
जुलाई, 1951

(ट) वेस्टर्न पोलिटिकल ब्यारंटर्सली :

(1) पाट्रिन आस्पेक्टम ऑफ कार्पोरेशनल कमेटी स्टार्किंग-फार्थेन
जेम्स डी, जून, 1964, पृष्ठ 338-48

(2) लेजिस्लेटिव कमेटी मिस्टम इन एरिजोना-डी० एस० मान-
दिसम्बर, 1961, पृष्ठ 925-41

(ठ) कॅनेडियन पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन :

- (1) दी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (कनाडा)-हरवेट आर० बेला,
मार्च, 1963
- (2) दी कमेटी ऑन एस्टीमेट्स (कनाडा)नामर्न वार्ड,
मार्च, 1963
- (3) दी यूज ऑफ लेजिस्लेटिव कमेटीज-जे० आर० मेलोरी
मार्च, 1957
- (4) लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑफ एक्सपेन्डिचर-दी पी० ए० सी० ऑफ
दी हाउस ऑफ कॉमन्स-हैरिस जोमेफ पी० सितम्बर, 1959
पृष्ठ 113-31

(ड) पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, आस्ट्रेलिया :

- (1) पार्लियामेन्टरी कंट्रोल ओवर फाइनान्सेज-जी० रीड 1962

(द) जर्नल ऑफ पालिटिक्स :

- (1) कमेटी स्टैंडिंग एन्ड पोलिटिकल पावर इन फ्लोरिडा-बाथ
एन्ड हैवर्ड, फरवरी, 1961

हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावली

अ

| | |
|--|--------------------------------------|
| अनाराकित प्रश्न | Unstarred Question |
| अतिरिक्त अनुदान | Excess Grant |
| अतिरिक्त व्यय | Excess Expenditure |
| अर्थोपाय समिति | Committee on Ways and Means |
| अधिकारो का प्रक्रमण | Extension of Powers |
| अधिनियम | Act |
| अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति | Committee on Subordinate Legislation |
| अध्ययन-मंडल | Study Group |
| अध्यक्ष | Speaker |
| अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देश | Directions by the Speaker |
| अध्यक्ष (सभापति) के निर्णय | Rulings from the Chair |
| अध्यादेश | Ordinance |
| अन्तिम रूप देनेवाली समिति | Finalising Committee |
| अनियत दिनवाला प्रस्ताव | No day-yet-named Motion |
| अनुच्छेद (संविधान) | Article (Constitution) |
| अनुदान | Grant |
| अनुदानों की मांग | Demand for Grants |
| अनुगामी प्रतिनिधित्व, निर्वाचन पद्धति | Proportional Representation |
| अनुपूरक प्रश्न | Supplementary Question |
| अनुभाग, धारा | Section (of Act) |
| अनुमान, प्राक्कलन | Estimate |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| अपर विनियोग | Appropriation Aid |
| अभिभाषण | Address |
| अल्प सूचना प्रश्न | Short Notice Question |
| अधकाश-वाल | Inter-Session |
| अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय | Matters of urgent public importance |
| अविश्वास का प्रस्ताव | 'No Confidence' Motion |
| अससदीय अभिव्यक्ति | Unparliamentary Expression |
| आकस्मिकता निधि | Contingency Fund |
| आदेश | Order |
| आदेश-पत्र | Order Paper |
| आधे घंटे की चर्चा | Half-an hour Discussion |
| आन्तरिक कार्यविधि के नियम | Rules of Internal Working |
| अनौपचारिक सलाहकार समिति | Informal Consultative Committee |
| आपराधिक आरोप | Criminal Charge |
| आपाती शक्तियाँ | Emergency Powers |
| आम्बुड्समैन (ससदीय पर्यवेक्षक) | Ombudsmen |
| आमत्रण (सदस्यो को) | Summons |
| आयव्ययक-सत्र | Budget Session |
| आयव्ययक संकल्प | Budget Resolution |
| आश्वासन, प्रतिज्ञाएँ व वचन | Assurances, Promises, Undertakings |

उ

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| उच्च सदन | Upper House |
| उप-नियम | Sub-Rule |
| उपबन्ध (संविधानीय) | Provisions (Constitutional) |
| उत्पादन-शुल्क | Excise Duty |

उप-विधि
उपाध्यक्ष

Bye-laws
Deputy Speaker

ए

एकल सार्वभौमिक मत

Single Transferable Vote

क

कटौती प्रस्ताव
कम्पनी विधेयक प्रवर समिति

Cut Motion
Select Committee on Companies
Bill

कार्यकारी

Executive

कार्य-कुशलता, कार्यपटुता

Efficiency

कार्य-मलना समिति

Business Advisory Committee

कार्य-प्रक्रिया तथा संचालन सम्बन्धी नियम

Rules of Procedure and Conduct
of Business

कार्यवाही का लिखित वृत्तान्त

Proceedings (a written document)

कार्यवृत्त

Minutes

कार्य सूची

List of Business

कार्य-संचालन

Conduct of Business

कालबोध

Anachronism

वृत्त्य, निर्देशपद

Terms of Reference

ख

खण्डशः विवाद

Clause by clause discussion

ग

| | |
|--|--|
| गणक | Tellers |
| गणपूर्ति | Quorum |
| गवेषणात्मक समिति | Investigating Committee |
| गुप्त सत्र | Secret Session |
| गुमनाम शिकायते | Anonymous Complaints |
| गैर-सरकारी कार्य | Non-official Business |
| गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य | Private Members' Business |
| गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक | Private Members' Bill |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति | Committee on non-official members' Bills and Resolu- tions |

च

| | |
|---------------|------------------|
| चर्चा के नियम | Rules of Debates |
| चुनाव अवधि | Electoral Period |

ज

| | |
|---------------------|-----------|
| ज्येष्ठता, वरिष्ठता | Seniority |
|---------------------|-----------|

त

| | |
|------------------|-------------------|
| तत्स्थान परीक्षा | On-the-spot Study |
|------------------|-------------------|

तथ्य प्रमाणन
तदर्थ समिति
ताराकित प्रश्न
नेत्री व्यापार
तृतीय वाचन

Factual Verification
Ad-hoc Committee
Starred Question
Option-Business
Third Reading

द

दलबन्दी
द्वितीय वाचन
द्वितीय सदन
द्विबन्दनीय विधान-मंडल

Party lines
Second Reading (of a Bill)
Second Chamber
Bicameral Legislature

ध

धन विधेयक
धन्यवाद का प्रस्ताव
घारा, खण्ड

Money Bill
Motion of Thanks
Clause

न

'नही' कक्ष
नामनिर्देशन
निर्णायक मत
नित्यक्रम
निम्न सदन

Noes Lobby
Nomination
Casting Vote
Daily Routine
Lower House

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| नियम | Rule |
| नियम-समिति | Rules Committee |
| निर्वाचन-अधिकरण | Election Tribunal |
| निर्वाचन-क्षेत्र | Constituency |
| नियन्त्रक तथा महा-लेखापरीक्षक | Comptroller and Auditor General |
| नैसर्गिक न्याय | Natural Justice |

प

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| पदावधि । मियाद । अवधि | Term (Tenure) |
| पदेन | Ex-officio |
| परची से (चुनाव) | By lots (election) |
| परमाधिकार | Prerogative |
| पाठ | Text |
| पारित | Passed |
| पीठासीन अधिकारी | Presiding Officer |
| पुनर्विनियोजन | Re-appropriation |
| पूरक अनुदान, अनुपूरक अनुदान | Supplementary Grant |
| प्रक्रिया-नियम | Rules of Procedure |
| प्रतिवेदन | Reporter |
| प्रतिवेदन | Report |
| प्रत्ययानुदान | Vote of Credit |
| प्रत्यागोजन | Delegation |
| प्रथम वाचन | First Reading |
| प्रथम सदन, निम्न सदन | First Chamber |
| प्रथा | Convention |
| प्रदाय-समिति | Committee on Supply |
| प्रवर समिति | Select Committee |
| प्रस्ताव | Motion |

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| प्रशासनिक सुधार | Administrative Reform |
| प्रवर्धन-समिति | Estimates Committee |
| प्रश्नावली | Questionnaire |
| प्रश्नोत्तर-काल | Question Hour |
| प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखे | Account of Receipt and Expenditure |
| प्रारम्भिक जानकारी | Preliminary Material |
| प्रारूपकार | Draftsman (of a Bill) |

व

| | |
|------------------------|------------------|
| बहुसंख्यता, बहुसंख्यक | Majority |
| बैठक | Meeting/Sitting |
| बोलनेवालों की पुस्तिका | Book of Speakers |

म

| | |
|--|---|
| मतदान | Voting |
| मसौदा | Draft |
| महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति | Committee to consider important matters |
| महान्यायवादी | Attorney General |
| माँग | Demand |
| मुद्राक-शुल्क | Stamp Duty |
| मन्त्रालय, सलाहकारी | Advisory |
| मन्त्रिमण्डल | Cabinet |

य

याचिका-समिति

Petitions Committee

र

राजकीय उद्योगों संबंधी समिति

Committee on Nationalized Industries

राजनैतिक प्रणाली या व्यवस्था

Political System

राजनैतिक सन्तुलन

Political balance

राजपत्र

Gazette

राजस्व-प्रस्ताव

Revenue Proposal

राज्य-सभा के सभापति

Chairman of Rajya Sabha

राष्ट्रीयकृत उद्योग

Nationalized Industries

रेल-अभिसमय-समिति

Railway Convention Committee

ल

लाभ-पदों संबंधी समिति

Committee on Offices of Profits

लिखित ज्ञापन

Written Memorandum

लेखानुदान

Vote on account

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Audit Report

लोक-सभा समाचार

Lok Sabha Bulletin

लोक-सेवा

Public Service

व

वार्षिक वित्तीय विवरण

Annual Financial Statement

| | |
|------------------------------------|--|
| विचारार्थ (समितियों को) भेजना | Reference (to Committees) |
| वित्त-विधेयक | Finance Bill |
| वित्तीय विधेयक | Financial Bill |
| वित्तीय विवरण | Financial Statement |
| वित्तीय ज्ञापन | Financial Memorandum |
| विधान | Legislation |
| विधान-कार्य | Legislative Business |
| विधान-मंडल | Legislature |
| विधान मंडल का विघटन | Dissolution of Legislature |
| विधायनी शक्ति, विधान-शक्ति | Legislative Power |
| विधिक अधिकरण | Statutory Tribunal |
| विधिक निगम | Statutory Corporation |
| विधिक नियम | Statutory Instrument |
| विधिक संस्थाएँ | Statutory Bodies |
| विधेयक | Bill |
| विधेयक का पुर स्थापन तथा प्रकाशन | Introduction and Publication of the Bill |
| विधेयक प्रस्तुत करने के लिए अनुमति | Leave to introduce a Bill |
| विधेयकों के प्रक्रम | Stages (of Bills) |
| विधेयकों के प्रवर्तक | Movers of the Bills |
| विनियम | Regulations |
| विनियोग-विधेयक | Appropriation Bill |
| विनियोग समिति | Appropriation Committee |
| विभागीय बजट | Ministerial Budget |
| विभागीय समिति | Departmental Committee |
| विमति-टिप्पण, असहमति नोट | Note of Dissent |
| विवाद के बगैर मतदान | Voting without debate |
| विवाद बंद-प्रस्ताव | Gullicone |
| विशिष्ट समिति | Special Committee |
| विशेष अनुदान | Special Grant |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| विशेषाधिकार-समिति | Privileges Committee |
| वैधानिक पर्यवेक्षण | Legislative Supervision |
| व्यक्ति, वागजात व अभिलेख | Persons, Papers and Records |

स

| | |
|--------------------------------------|---|
| सकल सदन-समिति, सम्पूर्ण सदन-समिति | Committees of the whole House |
| सचेतक | whip |
| सत्र | Session |
| सत्रावसान | Prorogation |
| सदन | House |
| सदन | Chamber |
| सदस्यों की अनुपस्थिति सवधी समिति | Committee on the Absence of Members |
| सदस्यों के प्रत्यय-पत्र | Members' Credentials |
| सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सवधी समिति | Members' Salary and Allowance's Committee |
| सभा-पटल | Table of the House |
| सभापतियों की नामिका | Panel of Chairmen |
| समापन | Closure |
| सभाभाग | Section/Bureau |
| समिति का गठन | Composition of the Committee |
| समिति का सभापति | Chairman of the Committee |
| समेकित निधि | Consolidated Fund |
| सरकार के आश्वासनों सवधी समिति | Committee on Government Assurances |
| सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति | Committee on Public Undertakings |
| सर्शाका बाजार | Bullion Exchange |

| | |
|---|---|
| सामान्य प्रयोजन समिति | General Purposes Committee |
| सामान्य समापन | Simple Closure |
| सार्वजनिक सस्थाएँ | Public Bodies |
| साक्ष्य, गवाही, प्रमाण | Evidence |
| साकेतिक अनुदान | Token Grant |
| सेवा की शर्तें | Conditions of Service |
| सैन्य लेखा-समिति | Military Accounts Committee |
| संकल्प | Resolution |
| संयुक्त प्रवर समिति | Joint Select Committee |
| संयुक्त विधेयक | Joint Bill |
| सविधान सभा (विधान) | Constituent Assembly (Legislative) |
| सविधानी, संवैधानिक | Constitutional |
| संसद-सदस्यों की अनर्हता या अयोग्यता | Disqualification of the Members of Parliament |
| संसदीय कार्यप्रणाली, संसदीय कार्यविधि | Parliamentary Procedure |
| संसदीय मामलो का विभाग, संसद-कार्य-विभाग | Department of Parliamentary Affairs |
| संसदीय समिति | Parliamentary Committee |
| समोधनात्मक प्रस्ताव | Amending Motion |
| स्यगन | Adjournment |
| स्थायी आदेश | Standing Order |
| स्थायी वित्त-समिति | Standing Finance Committee |
| स्थायी समिति | Standing Committee |
| स्थायी समिति | Permanent Committee |
| स्पष्टीकरण | Interpellation |
| स्वचालित मतदान-व्यवस्था | Automatic Voting system |
| स्वचालित वोट मशीन | Automatic Voting Machine |
| स्वायत्तता | Autonomy |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| स्वायत्त तथा वर्ध-स्वायत्त संस्थाएँ | Autonomous and Semiautonomous bodies |
| स्वीकार्यता, ग्राह्यता | Admissibility (of questions, Motions) |

श

| | |
|-------------|----------------------|
| शब्दश विवरण | Verbatim proceedings |
| शलाका | Ballot |

ह

| | |
|--------|------------|
| 'हा'कल | Ayes Lobby |
|--------|------------|

क्ष

| | |
|-----------------|--------------------|
| क्षेत्रीय समिति | Regional Committee |
|-----------------|--------------------|

Glossary of technical terms used in the book together with their Hindi equivalents

शब्द-सूची

A

| | |
|---------------------------------------|--|
| Account of receipt and expenditure | प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखे |
| Acts | अधिनियम |
| Address | अभिभाषण |
| Ad-hoc Committee | तदर्थ समिति |
| Adjournment | स्थगन |
| Administrative Reform | प्रशासनिक सुधार |
| Admissibility (of Questions, Motions) | (प्रश्नों, प्रस्तावों की) स्वीकार्यता, ग्राह्यता |
| Advisory | मलणात्मक, सलाहकारी |
| Amending Motion | सशोधनात्मक प्रस्ताव |
| Anachronism | कालदोष |
| Annual Financial Statement | वार्षिक वित्तीय विवरण |
| Anonymous complaints | गुमनाम शिकायतें |
| Appropriation Bill | विनियोग विधेयक |
| Appropriation Committee | विनियोग समिति |
| Articles (Constitution) | अनुच्छेद (संविधान) |
| Assurances, promises, undertakings | आश्वासन, प्रतिज्ञाएँ व वचन |
| Attorney General | महान्यायवादी |
| Audit Report | लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन |
| Automatic Voting machine | स्वचालित वोट-मशीन |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Automatic Voting System | स्वचालित मतदान-व्यवस्था |
| Autonomous & semi-autonomous bodies | स्वायत्त तथा अर्ध-स्वायत्त संस्थाएँ |
| Autonomy | स्वायत्तता |
| Ayes Lobby | 'हाँ'कक्ष |

B

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Ballot | चालाका |
| Bicameral Legislature | द्विसदनीय विधान मण्डल |
| Bill | विधेयक |
| Book of Speakers | बोलनेवालों की पुस्तिका |
| Budget Resolution | आयव्ययक संकल्प |
| Budget Session | आयव्ययक-सत्र |
| Bullion Exchange | सराफा बाजार |
| Business Advisory Committee | कार्य-मलगा-समिति |
| By lots (election) | पर्ची से (निर्वाचन) |
| Bye-law | उपविधि |

C

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Cabinet | मन्त्रि-मण्डल |
| Casting Vote | निर्णायक मत |
| Chairman (of Committee) | (सीमिन को) सभापति |
| Chairman of Rajya Sabha Chamber | राज्य-सभा के सभापति |
| Chamber | सदन |
| Clause by clause discussion | खण्डशः विवाद |

| | |
|--|--|
| Clause | धारा, खण्ड |
| Closure | समाप्त |
| Committee of the whole House | सम्पूर्ण मदन समिति |
| Committee on the Absence of Members | सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति |
| Committee on Govt. Assurance | सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति |
| Committee on Nationalized Industries | राजकीय उद्योगों संबंधी समिति |
| Committee on Non-official Members' Bills & Resolutions | गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति |
| Committee on offices of Profits | लाभदाओं सम्बन्धी समिति |
| Committee on Subordinate Legislation | अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति |
| Committee on Supply | प्रदाय समिति |
| Committee on Ways & Means | अर्थसाय समिति |
| Committee to consider important matters | महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति |
| Committee on Public Undertakings | सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति |
| Composition of the Committee | समिति की रचना |
| Comptroller & Aud. or General | नियन्त्रक तथा महालाभपरीक्षक |
| Constituent Assembly (Legislative) | सविधान सभा (विधायी) |
| Constitutional | सविधानी, सविधानिक |
| Convention | प्रथा |
| Conditions of Service | सेवा की शर्तें |
| Conduct of Business | कार्य-मञ्चालन |
| Consolidated Fund | समेकित निधि |
| Constituency | निर्वाचन-क्षेत्र |
| Contingency Fund | आकस्मिकता-निधि |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Criminal Charge | आपराधिक आरोप |
| Cut Motions | कटौती-प्रस्ताव |
| D | |
| Daily Routine | नित्यक्रम |
| Delegation | प्रत्यायोजन |
| Demands | माग |
| Demands for Grants | अनुदानों की मागें |
| Department of Parliamentary Affairs | संसदीय मामलों का विभाग संसद-कार्य-विभाग |
| Departmental Committees | विभागीय समितियाँ |
| Deputy Speaker | उपाध्यक्ष |
| Directions by the Speaker | अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देश |
| Disqualification (of M. Ps.) | (संसद सदस्यों की) अतर्हता । अयोग्यताएँ |
| Dissolution (of Legislature) | (विधान-मंडल का) विघटन |
| Draft | मसौदा / प्रारूप |
| Draftsmen (of Bills) | (विधेयकों के) प्रारूपकार |

E

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Efficiency | कार्य कुशलता । कार्यपटुता |
| Election Tribunals | निर्वाचन अधिकरण |
| Electoral Periods | चुनाव अवधि |
| Emergency powers | आपाती शक्तियाँ |
| Estimates, Budget | बजट-प्रावकलन, बजट-अंदाजा |
| Estimates Committee | प्रावकलन-समिति |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Evidence | साक्ष्य |
| Excess Expenditure | सीमोपरि व्यय |
| Excess Grants | सीमोपरि अनुदान |
| Excise Duty | उत्पादन-शुल्क |
| Executive | कार्यकारी |
| Ex Officio | पदेन |
| Extension of powers | अधिकारों का विस्तार |

F

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Factual Verification | तथ्य-प्रमाणन |
| Finalising Committee | अन्तिमरूप देनेवाली समिति |
| Finance Bill | वित्त-विधेयक |
| Financial Bill | वित्तीय विधेयक |
| Financial Memorandum | वित्तीय ज्ञापन |
| Financial Statement | वित्तीय विवरण |
| First Chamber | प्रथम सदन |
| First Reading | प्रथम वाचन |

G

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Gazette | राजपत्र |
| General Purposes Committee | सामान्य प्रयोजन समिति |
| Grant | अनुदान |
| Guillotine | विवादवग प्रस्ताव |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| No-Confidence Motion | अविश्वास प्रस्ताव |
| No-day-yet-named motion | अनियत दिनवाले प्रस्ताव |
| Noes Lobby | 'नहीं' कक्ष |
| Nomination | नाम निर्देशन |
| Non-official Business | गैर सरकारी कार्य |
| Note of Dissent | विमति-टिप्पण । असहमति-नोट |

O

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ombudsmen | ओम्बुड्समैन (संसदीय पर्यवेक्षक) |
| On-the-spot study | तत्स्थान परीक्षा |
| Option-business | तेजी व्यापार |
| Order | आदेश |
| Order Paper | आदेश-पत्र |
| Ordinance | अध्यादेश |

P

| | |
|---------------------------|---|
| Panel of Chairmen | सभापतियों की नामिका |
| Parliamentary Committee | संसदीय समिति |
| Parliamentary Procedure | संसदीय कार्य-प्रणाली । संसदीय-कार्यविधि |
| Passed | पारित |
| Party lines | दलबन्दी, दल-भावना |
| Permanent Committee | स्थायी समिति |
| Persons, papers & records | व्यक्ति, कागजात व अभिलेख |
| Petitions Committee | याचिका-समिति |
| Political balance | राजनीतिक संतुलन |
| Political System | राजनीतिक प्रणाली |

| | |
|---|---|
| <i>Presiding Officer</i> | पीठासीन अधिकारी |
| <i>Preliminary Material</i> | प्रारम्भिक जानकारी |
| <i>Prerogative</i> | परमाधिकार |
| <i>Private Members' Bill</i> | गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक |
| <i>Private Members' Business</i> | गैरसरकारी सदस्यों का कार्य |
| <i>Privileges Committee</i> | विशेषाधिकार समिति |
| <i>Proceedings (a written document)</i> | कार्यवाही का लिखित वृत्तान्त |
| <i>Proportional representation</i> | अनुगती प्रतिनिधित्व । आनुपातिक प्रतिनिधित्व |
| <i>Prorogue</i> | सलाखसान |
| <i>Provisions (Constitutional)</i> | (संविधानीय) उपबन्ध |
| <i>Public bodies</i> | सार्वजनिक संस्थाएँ |
| <i>Public Service</i> | लोक सेवा |

Q

| | |
|----------------------|-----------------|
| <i>Question Hour</i> | प्रश्नोत्तर-काल |
| <i>Questionnaire</i> | प्रश्नावली |
| <i>Quorum</i> | गणपूर्ति |

R

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <i>Railway Convention Committee</i> | रेल अभिलक्षण समिति |
| <i>Re appropriation</i> | पुनर्विनियोजन |
| <i>Reference (to Committees)</i> | (समितियों को) विचारार्थ भेजना |
| <i>Regional Committee</i> | क्षेत्रीय समिति |

| | |
|---|--|
| Regulation | विनियम |
| Report | प्रतिवेदन |
| Reporteur | रिपोर्ट प्रतिवेदक |
| Resolution | सङ्कल्प |
| Revenue Proposal | राजस्व-प्रस्ताव |
| Rule | नियम |
| Rules of Debates | चर्चा के नियम |
| Rules Committee | नियम-समिति |
| Rules of Internal working | आन्तरिक कार्यविधि के नियम |
| Rules of Procedure | प्रक्रिया-नियम |
| Rules of procedure & conduct of Business | कार्य-प्रक्रिया तथा संचालन सम्बन्धी नियम |
| Rulings from the Chair | अध्यक्ष (सभापति) के निर्णय |

S

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Second Chamber | द्वितीय सदन |
| Second Reading (Bills) | दूसरे वाचन । द्वितीय पठन |
| Secret Sessions | गुप्त सत्र |
| Sections (of Act) | अनुभाग । धारा |
| Sections/Bureau | सभाभाग |
| Select Committees | प्रवर समिति |
| Select Committee on Companies Bill | कम्पनी विधेयक प्रवर्त्तुसमिति |
| Seniority | ज्येष्ठता |
| Session | सत्र |
| Short Notice Question | अल्प सूचना प्रश्न |
| Simple Closure | सामान्य समापन |
| Single transferable vote | एकल संक्रमणीय मत |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Speaker | अध्यक्ष |
| Special Committee | विशिष्ट समिति |
| Special Grants | विशेष अनुदान |
| Stages (of Bills) | विधेयको के प्रक्रम |
| Stamp Duty | मुद्राक-शुल्क |
| Standing Committee | स्थायी समिति |
| Standing Finance Committee | स्थायी वित्त समिति |
| Standing Order | स्थायी आदेश |
| Starred Question | ताराकित प्रश्न |
| Statutory body | विधिक सस्था |
| Statutory Corporation | साविधिक नियम |
| Statutory Instruments | विधिक नियम |
| Statutory Tribunal | विधिक अधिकरण |
| Study Group | अध्ययन-मंडल |
| Sub Rule | उप नियम |
| Summons | (सदस्यो को) आमन्त्रण |
| Supplementary Grant | पूरक अनुदान |
| Supplementary Question | पूरक प्रश्न |

T

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Table of the House | सभा-पटल |
| Teller | गणक |
| Term (tenure) | मियाद । अवधि |
| Term of Office | पदावधि |
| Terms of Reference | निर्देशपद, विचारार्थ विषय |
| Text | पाठ |
| Third Reading | तृतीय वाचन |
| Token Grant | साकेतिक अनुदान |

U

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Undertaking | उपक्रम |
| Unparliamentary Expression | असव्ययीय अभिव्यक्ति |
| Unstarred Question | अतारांकित प्रश्न |
| Upper House | उच्च सदन |

V

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verbatim proceedings | शब्दशः कार्यवाही-विवरण |
| Vote of credit | प्रत्ययानुदान |
| Vote on account | अस्थायी प्राधिकरण |
| Voting | मतदान |
| Voting without debate | विवाद के बगैर मत देना |

W

| | |
|--------------------|-----------|
| Whip | सचेतक |
| Written memorandum | लिखित आपन |